अष्टम माला, खंड 7, अंक 6

मंगलवार, 30 जुलाई, 1985
8 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No 54
Date 28/2-1986

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

खंड 7

अंक 6 → 10

30 जुलाई → 5 अगस्त

1985

P.L.

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 30 जुलाई, 1985/8 श्रावण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...]	1—21
* तारांकित प्रश्न संख्या :	101, 102, 104, 105, 106 और 108 से 110	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	21—183
तारांकित प्रश्न संख्या :	111 से 120	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1051 से 1094, 1096, 1098 से 1176, 1178, से 1235 और 1237 से 1242	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	... ...	183—184
प्राक्कलन समिति	... ...	185
चौथा प्रतिवेदन		
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1985-86	... ...	185
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य :	... ...	185

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
विधेयक—पुरःस्थापित		
भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक	... ...	198
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	198—203
(एक) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता		
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	... ...	198
(दो) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की आवश्यकता		
श्री टी० बशीर	... ...	199
(तीन) पांच दिन का सप्ताह आरम्भ किए जाने के कारण तुमकुर और बंगलौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता		
श्री जी० एस० बसवराजू	... ...	199
(चार) बिहार में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने और बेगुसराय तथा बरौनी में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता		
प्रो० चन्द्र भानु देवी	... ...	200
(पांच) मालिकों को समुचित मुआवजा देकर किरायेदारों को मालिकाना अधिकार देने का उपबंध करने वाला एक कानून लाने की आवश्यकता		
श्री मुरली देवरा	... ...	201
(छः) कर्नाटक के कोलार जिले में सूखे और बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए वहां इलैक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता		
डा० वी० वेंकटेश	... ...	201
(सात) मानव अस्थि-पंजरों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता		
श्री विजय कुमार यादव	... ...	202
(आठ) कालीकट में भारतीय स्टेट बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता		
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	... ...	202

विषय				पृष्ठ
संघ लोक सेवा आयोग	...	...	...	203—225
32वें, 33वें और 34वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव जारी				
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	...	203
श्री मूलचन्द डागा	...	...	...	207
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	...	213
श्री एस० बी० सिदनाल	...	...	...	215
श्री के० पी० सिंह देव	...	...	...	217
नई कपड़ा नीति के बारे में चर्चा	...	...	...	225—271
प्रो० मधु दण्डवते	...	...	...	225
श्री मुरली देवरा	...	...	...	233
श्री श्यामलाल यादव	...	...	...	237
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	...	239
श्री ललित माकन	...	...	...	241
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	...	245
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	...	...	...	252
श्री प्रताप भानु शर्मा	...	...	...	254
श्री अमल दत्त	...	...	...	256
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	...	...	...	259
श्री कादम्बुर जनार्दनन	...	...	...	261
श्री हरू भाई मेहता	...	..	...	263
श्री के० एन० प्रधान	...	...	...	265
श्री आर० एस० माने	...	...	...	267
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी	...	...	...	269

विषय					पृष्ठ
दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सभा का अवमान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव	...	...	...	...	271—272
नई कपड़ा नीति सम्बन्धी चर्चा (—जारी)		...	...	...	272
डा० दत्ता सामन्त		...	...	...	272
श्रीमती बसव राजेश्वरी		...	...	...	277
श्री विष्णु मोदी		...	...	...	279
कुमारी डी० के० तारा देवी		...	...	...	280
श्री एम० रघुमा रेड्डी		...	...	...	282

लोक सभा

मंगलवार, 30 जुलाई, 1985/8 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेप्सी-कोला इंटरनेशनल तथा एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्ताव

*101. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी कोला इंटरनेशनल, जो संयुक्त राज्य अमरीका की पेप्सी कम्पनी इन्क० का एक प्रभाग है, ने डंकन ग्रुप के एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टस इंडिया लिमिटेड (ए० पी० ई० आई०) के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम चलाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम द्वारा किए क्षेत्र पर कार्य करने का उल्लेख किया गया है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मैं० एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट लिमिटेड ने 100 प्रतिशत निर्यात के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका (यू०एस०ए०) के निगमित मैं० पेप्सी कोला के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग से फलों के रस और परिष्कृत कृषि पर आधारित वस्तुओं के उत्पादन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किन्तु इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें पेप्सी-सांद्रण का आयात और पेप्सी ट्रेडमार्क के अन्तर्गत बिक्री के लिए पेय निर्माताओं को इसकी पूर्ति करना निहित है और ये दोनों ही शर्तें इस सम्बन्ध में हमारी नीतियों के अनुरूप नहीं हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि अलाभकारी खेती होने के कारण देश में लाखों एकड़ भूमि, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश की भूमि अब आम के बागों में परिवर्तित की जा रही है। इसलिए,फलों के रस के उत्पादन की और संसाधित कृषि आधारित उत्पादों की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारा देश उसका बहुतायत से निर्यात कर सकता है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इसलिए सरकार को विदेशी बाजारों, विशेषकर खाड़ी के बाजार में साख बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : बहुत अधिक मात्रा में फल और सब्जी का मध्य पूर्व और अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। आम एक ऐसा प्रमुख मद है जो 10,000 टन की मात्रा में निर्यात किया जाता है। हमारा मुख्य बाजार मध्य पूर्व के देश हैं। हम कुछ माल ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप और दूरवर्ती पूर्वी देशों को भी निर्यात कर रहे हैं।

इस प्रकार हम लोग 34 करोड़ रुपये मूल्य की 40,000 टन सब्जी का निर्यात कर रहे हैं। हम लोग मध्य पूर्व और अन्य देशों को भी सब्जी का निर्यात कर रहे हैं और हमारा निर्यात बढ़ रहा है। आम के रस का निर्यात भी बढ़ रहा है। यहां जो भी वनस्पति पैदा होती है, उसका निर्यात किया जा रहा है और हमारा निर्यात उत्तरोत्तर हर वर्ष बढ़ रहा है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इन निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सरकार निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए निर्यात हो रहा है और बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। माननीय सदस्यगण यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं; तो वे अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं और सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : न केवल आम बल्कि नींबू जाति के फलों के वृक्ष पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी मात्रा में लगाए जा रहे हैं। उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन दिये जाने तथा उन्हें बोतलों में भरने और डिब्बों में बन्द करने तथा उन्हें एकत्र करने की विशेष प्रक्रिया सिखाने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में आपको स्थिति पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा अन्यथा इन वस्तुओं के फालतू होने की समस्या का आपको सामना करना होगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि फल, फलों का रस और सब्जियां बहुत अधिक मात्रा में पैदा की जा रही हैं और उनका निर्यात करना न केवल उत्पादकों के हित में अपितु राष्ट्र के हित में भी जरूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। इसका सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है। मैं निश्चित रूप से यह सूचना कृषि मंत्रालय को दे दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि कृषि पर आधारित इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए और इसके निर्यात को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : आपको न केवल उन पर दबाव ही डालना होगा अपितु यह भी सुनिश्चित

करना होगा कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इसके बारे में कृषि मंत्रालय से चर्चा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में मुझे भी आमन्त्रित कीजिएगा।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, भारत मेले में, जो अब पेरिस में मनाया जा रहा है, कच्चे नारियल के पानी की बहुत मांग है। मेरा अनुरोध है कि विदेश को निर्यात करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय इस पहलू को भी ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदय : जो वस्तु निर्यात योग्य है, उसके बारे में हम लोग निश्चित ही गम्भीरता-पूर्वक विचार कर सकते हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तरी बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र में फलों पर आधारित, विशेषकर आम पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि कोई प्रस्ताव आता है; तो हम निश्चित ही विचार करेंगे चाहे वह प्रस्ताव बिहार या देश के किसी भी भाग का क्यों न हो। यह उद्यमियों का काम है कि वह किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और उस भाग में उपलब्ध किसी भी सामान को उपयोग में लायें यदि प्रस्ताव निर्यात से सम्बन्धित है तो वह कोई भी ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिससे कि हम लोग उस पर कार्यवाही कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रस्तावों पर कृपया पहल कीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : पूर्वोत्तर राज्यों में, सात राज्य ऐसे हैं; जहां के स्थानीय लोग अधिकतर जन जाति के हैं और वे न तो अपेक्षित पूंजी लगा सकते हैं और न ही उनके पास जानकारी है। इसलिए क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से वहां पर अपेक्षित निर्माता एककों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर उनकी सहायता करने के बारे में विचार करेगी जिससे कि उनके फालतू फलों का उपयोग हो जाए और उनकी आय बढ़ जाये ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योगों की प्रक्रिया का संबंध है, यह आवश्यक है कि उन्हें सरकारी क्षेत्र या राज्य क्षेत्र में रखा जाए। इसके लिए स्थानीय उद्यमियों को धन व्यय करना तथा उद्योग का विकास करना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : किन्तु वे जनजाति के लोग हैं और उनके पास इस कार्य हेतु निवेश करने के लिए धन नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि स्थानीय उद्यमी पहल करें तो हम उनकी सहायता करने के बारे में विचार करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार को पहल करनी होगी तथा उनकी सहायता करनी होगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हर राज्य में एक ऐसा संगठन होता है; जो ऐसे एककों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधीन काम करता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपको चाहिए कि आप उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें जिस किसी भी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो, उसमें उनकी सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने वेजीटेबिल्स और फ्रूट्स को यहां से एक्सपोर्ट करने का जिक्र किया है, क्या आलू के क्षेत्र में भी कुछ एक्सपोर्ट के प्रयास किए हैं और अगर किए हैं, तो क्या किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी ऐसा नहीं है। यह छक्के मारने की बात नहीं है लेकिन इस विषय में सोचने की बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने जो सवाल किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो इतने फ्रूट्स और वेजीटेबिल्स प्रोड्यूस किये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में इंडस्ट्रीज लगाने की वहां व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं और कौन-कौन लोगों ने इसके लिए प्रोपोजल्स दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड प्रोग्राम होने चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : फ्रूट कैनिंग या एग्रो इंडस्ट्रीज जहां भी आ सकती हैं, वहां के लोगो को सोचना चाहिए और जब भी प्रोप्रोजल्स आएंगे, तो हम जरूर उन पर विचार करेंगे और किस तरह से इसका डेवलप करना चाहिए, यह तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम है और किस तरह से एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव देना चाहिए, यह कामर्स मिनिस्ट्री की बात होती है लेकिन प्रिंसपिल तौर पर जितना एक्सपोर्ट हो सकता है, वह हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड टेक्नोलाजी की भी जरूरत पड़े, तो ले लो।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जरूरत पड़ेगी, तो ले लेंगे।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड का पुनर्गठन

* 102. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह†**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड तथा उसकी पूंजी धारिता का पुनर्गठन करने तथा कम्पनी की बोर्ड द्वारा संचालित कम्पनी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने सरकार की इक्विटी कम करके 40 प्रतिशत करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि इसमें नीति सम्बन्धी मूल मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं इसलिए इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर की अन्डरटेकिंग है, उसमें सरकार का पैसा 74 परसेन्ट है और 26 परसेन्ट पैसा जापान का है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1983 में यह मारुति उद्योग प्राइवेट सेक्टर में था तो इसको किस परिस्थिति में पब्लिक सेक्टर में लाया गया और आज कौन-सी ऐसी परिस्थिति है जिससे कि आप उसको ज्वाइंट सेक्टर में ला रहे हैं ? इसको आपको बतलाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात पूछिये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि कौन-सी ऐसी परिस्थिति रही है जिससे कि यह ज्वाइंट सेक्टर के लिए प्रस्ताव आया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, 1980 में मारुति लिमिटेड को नेशनेलाइज किया गया। अब मारुति उद्योग में गवर्नमेंट का अब इक्विटी 74 परसेंट है और फारेन कोलोबोरेटर का इक्यिटी 26 परसेंट है। एग्रीमेंट के लिहाज से अगर वे चाहें तो 40 परसेंट तक भी जा सकते हैं। कम्पनी का अब यह सुझाव है कि इसमें गवर्नमेंट का इक्विटी कम करना चाहिए और इसको 40 परसेंट तक लाना चाहिए। कम्पनी वाले यह सोचते हैं कि अगर यह गवर्नमेंट कम्पनी रही तो कमर्शियल प्राइवेट कम्पनीज को जो एडवान्टेज हैं, वे एडवान्टेज इसको नहीं मिलेंगे। आटोमोबाईल इंडस्ट्री, खास तौर पर ब्राड वाइडिंग के बाद बहुत कंपीटीटिव इंडस्ट्री हुई है। मारुति को वी०पी० के गाईडलाइंस को फोलो करना पड़ता है। इसलिए इसको बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। कोई मजदूरी देना है, या कोई और काम करना है तो गवर्नमेंट के सामने इसको प्रपोजल भेजना पड़ता है और मंजूरी लेना पड़ता है। प्राइवेट आटोमोबाईल इंडस्ट्री में 5 परसेंट मैनेजमेंट कोटा है और मारुति उद्योग वाले भी पांच परसेंट कोटा लेकर उसका प्रबन्ध करना चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में स्टे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का 76 परसेंट इक्विटी शेअर है, इसलिए यह प्राइवेट कम्पनी नहीं हैं, यह गवर्नमेंट कम्पनी है। इसलिए कम्पनी वालों का यह कहना है कि अगर हम इक्विटी शेअर रिड्यूस कर दें तो इस कम्पनी को भी एडवान्टेज मिल सकते हैं। वे शेअर रिड्यूस करके गवर्नमेंट दूसरों को नहीं देना चाहती है, फाइनेन्शल इंस्टीच्युशंस को देना चाहती है। फाइनेन्शल इंस्टीच्युशंस को देने के बाद भी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है। कानून में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे बचने के लिए

कम्पनी वालों ने इस तरह का सुझाव हमारे पास भेजा है। लेकिन गवर्नमेंट एक प्रपोजल के तौर पर इस पर विचार नहीं कर सकती है क्योंकि यह नेशनेलाइज इंडस्ट्री है और यह आम पालिसी का मैटर है। इसीलिए मैंने कहा है कि इस बारे में हम लोगों ने अभी तय नहीं किया है।

[अनुवाद]

यह ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में पृथक रूप से विचार किया जा सकता है क्योंकि उसे बहुत बड़ा नीति सम्बन्धी प्रश्न जुड़ा हुआ है। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मारुति को जब लिया गया था उस वक्त उसका कितना शेअर था और कितनी पूंजी थी ? आज उसकी कितनी पूंजी है और उसको कितना मुनाफा मिला है ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पूंजीगत व्यय के आंकड़े मेरे पास हैं। परियोजना में निवेश की गई कुल राशि निम्नलिखित है

1982-83		32.719	करोड़	रुपये
1983-84	:	71.836	"	"
1984-85		50.919	"	"
1985-86		59.56 करोड़ रुपये		

1986-87 के अन्त तक कुल निवेश पूंजी बढ़कर 268.835 करोड़ रुपये हो जाएगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार के इक्विटी शेयर घटाने का प्रस्ताव कम्पनी से प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जापान सरकार के शेयर बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिए जाएं। मेरा विचार है कि इसका कारण यह है कि कम्पनी के संचालन में लचीलापन बना रहे जिससे कि आटोमोबाइल निर्माता कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। क्या मैं जान सकता हूं महोदय कि क्या मारुति के प्रबन्धकों द्वारा जो यह प्रस्ताव रखा गया था, वह जापान के दबाव के कारण रखा गया था, जिसने यह कहा है कि यदि ये परिवर्तन न किये गये और यदि उनके इक्विटी शेयर न बढ़ाये गये तो प्रौद्योगिकी के अन्तरण में देरी होगी और स्वदेशी निर्माण के कार्यक्रम में भी देरी होगी जिससे 50,000 की क्षमता को बढ़ाकर एक लाख कारें बनाने सम्बन्धी विस्तार परियोजना में भी देरी होगी ? जापान ने मारुति उद्योग को यही कहा था और इसीलिए, उनकी ओर से अपेक्षित दबाव दिये जाने के कारण, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। क्या यह सही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सच नहीं है कि सहयोगकर्ताओं के दबाव के कारण यह प्रस्ताव रखा गया है। जहां तक सहयोगकर्ताओं के इक्विटी शेयरों का सम्बन्ध है, यह तो आरम्भ में ही तय हो गया

था कि पांच वर्ष की अवधि के अन्दर वे 40 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर ले सकते हैं और इस बात का निर्णय तो उन्हें लेना है कि वे वर्तमान 26 प्रतिशत के इक्विटी शेयर से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। यदि वे चाहें तो 40 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर ले सकते हैं। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि सहयोगकर्ताओं के दबाव में ऐसा कदापि नहीं किया गया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : आपने कहा था कि यह नीति सम्बन्धी मामला है। सरकार के इक्विटी शेयर घटाने के मामले में आप कब तक निर्णय लेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह बहुत ही स्पष्ट बात है कि यह केवल एक प्रस्ताव है। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह स्पष्ट हो गया है।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : आज इण्डियन एक्सप्रेस में "मारुति टेक्स दैम फार ए राइड" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस शीर्षक के नीचे समाचार में यह कहा गया है कि राज्याधीन मारुति उद्योग ने मारुति डीलक्स कार खरीदने के इच्छुक हजारों व्यक्तियों से लगभग 9 करोड़ रुपया एकत्र किया है। किन्तु अभी तक उन्होंने कारें नहीं दी हैं। मार्च से जमाकर्ताओं का धन मारुति उद्योग लिमिटेड में जमा है। जमाकर्ताओं को न तो जमा राशि पर ब्याज दिया गया है और न कार ही। मेरे विचार से मारुति उद्योग लिमिटेड का प्रबन्ध अच्छा नही है। इसीलिए सुपुर्दगी ठीक से नहीं हो रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जो मारुति उद्योग लिमिटेड में रुपया जमा कर चुके हैं, इस प्रकार डीलक्स कारें या साधारण कारों की सुपुर्दगी कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हाल में कारों के निर्माण और सुपुर्दगी करने में कुछ कठिनाई रही है। किन्तु जहां तक डीलक्स कारों के उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इसके लिए मैं कम्पनी को बधाई देता हूं क्योंकि लक्ष्य से भी अधिक कारों का निर्माण हो चुका है। वर्ष 1984-85 में 20,000 वाहनों में से 4,000 डीलक्स कारें बनाने का लक्ष्य था। 4,000 के लक्ष्य के स्थान पर लगभग 5,400 कारें निर्मित हो चुकी हैं। 1985-86 में अर्थात् चालू वर्ष में 6,000 कारें बनाने का लक्ष्य है और उन्हें आशा है कि 9,000 कारों का उत्पादन होने लगेगा। हाल में कुछ कठिनाई आई है क्योंकि उन्हें वातानुकूलक नहीं मिल पा रहे हैं। इन वातानुकूलकों का एक ही पूर्तिकर्ता है और कार वातानुकूलनों के निर्माण के लिए उन्हें कम्प्रेशर जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे और अन्य संघटक अन्य देशों से आयात करने पड़ते हैं। ये पुर्जे आ रहे हैं और वे बम्बई में पड़े हैं किन्तु परिवहन की कुछ कठिनाई के कारण वे फरीदाबाद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनका एकक है। इसलिए वातानुकूलकों के प्राप्त करने में कुछ देरी हो रही है। हम लोग इस परेशानी को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं और हम लोग यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि डीलक्स कारों के लिए जिनकी बुकिंग हो चुकी है, उन्हें यथा शीघ्र कारों की सुपुर्दगी कर दी जाए।

श्री सी० माधव रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय के मारुति के शेयर को कम करने का तर्क मैं

नहीं समझ पाया। उनका कहना है कि इन शेयरों को व्यक्तियों को अंतरित करने के बजाय वित्तीय संस्थानों को अंतरित करने से यह कम्पनी सरकारी कम्पनी नहीं रहेगी किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यदि वे शेयर सरकारी वित्तीय संस्थानों को अंतरित किये जाते हैं, तो भी यह एक सरकारी कम्पनी ही रहेगी।

इस बात पर ध्यान रखते हुए कि मारुति कम्पनी लाभ पर चल रही है तथा कारें लाभ पर बिक रही हैं --तथा उन पर भारी प्रिमियम भी मिलता है—क्या मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। उन्होंने कुछ नहीं किया।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कलकत्ता और उसके आसपास किया गया कंपन परीक्षण

*104. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कलकत्ता और उसके आसपास कोई कंपन परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां पर ऐसा परीक्षण किया जा चुका है और उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां पर इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है;

(घ) क्या सरकार को उक्त परीक्षण की कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 से सर्वेक्षण आरम्भ हो गये हैं तथा जून 1985 तक पार्टी ने आंकड़ों का 933 एस० एल० प्राप्त कर लिया था।

(ग) बडेल लक्ष्मीकान्तपुर, कलकत्ता तथा घाटकपुकर में पहले ही सर्वेक्षण कर लिए गए हैं। चिनसूरा, खंडुआ, तथा कलन में सर्वेक्षण किये जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) इन सर्वेक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन केवल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जाएगा जो कर रहे है।

श्री रेणुपद दास : मंत्री महोदय का उत्तर अत्यन्त संक्षिप्त है और मैं उससे कतई संतुष्ट नहीं हूं।

इस बात पर ध्यान रखते हुए कि गंगा की घाटी में बंगलादेश ने पहले ही तेल खोज लिया है तथा वे उसे भारत को बेचने की भी चेष्टा कर रहे हैं, और चूंकि कलकत्ता, 24 परगना, नादिया, हुगली तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भाग उसी उप-हिमालीय ढांचे पर स्थित हैं, जिस पर कि बंगलादेश है, अत: देश के इस भाग में भी तेल मिलने की पूरी सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : हर कोई यही चाहता है।

श्री रेणुपद दास : मेरा अभिप्राय हाइड्रो कार्बन गैस आदि से है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ विदेशी पार्टियों के साथ अथवा स्वत: ही इन क्षेत्रों में अर्थात, कलकत्ता, 24 परगना, नादिया, हुगली में छिद्रण ड्रिलिंग कार्य किया है, क्या इस अन्वेषण कार्य में विदेशी पार्टियों ने भाग लिया था। तथा क्या उन विदेशी पार्टियों से सरकार को अब तक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं अथवा क्या सरकार उन कार्यों के परिणामों से परिचित है? यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा प्राप्त परिणामों की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि यह क्षेत्र बंगला देश के साथ जुड़ा हुआ है। यह भी सच है कि हमें इस क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बन मिलने की उम्मीद है। परन्तु अभी इसका पता लगाया जाना है। इस उद्देश्य के लिए एक अन्वेषणात्मक कुआं खोदा गया है परन्तु वाणिज्यिक सम्भाव्यता का अभी पता लगाया जाना है।

माननीय सदस्य ने कलकत्ता तथा उसके साथ लगे क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछा है। लेकिन अब वह पूरे बंगाल बेसिन के बारे में इसी प्रश्न में पूछ लेना चाहते हैं।

श्री रेणुपद दास : मैंने गंगा बेसिन के बारे में पूछा था।

श्री नवल किशोर शर्मा : चूंकि प्रश्न बंगाल बेसिन के बारे में नहीं पूछा गया, अत: मैं अधिक नहीं बता पाऊंगा। परन्तु जहां तक कलकत्ता तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, एक सर्वेक्षण किया गया है तथा कंपनशीलता के बारे में एक सर्वेक्षण और किया जा रहा है। एक कुआं पहले ही खोदा गया है परन्तु यह अन्वेषक कुआं है। जहां तक विदेशी फर्मों के साथ सहयोग का प्रश्न है, इस क्षेत्र में हमारा सोवियत संघ के साथ सहयोग है तथा हमें सफलता मिलने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप उनसे इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि आप भी चाहते हैं कि वहां पर तेल मिले।

श्री रेणुपद दास : मैं समझता हूं कि सोवियत पार्टी ने अपना छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य दो वर्ष पूर्व शुरू किया था। इस बीच सरकार को परिणामों का पता लग गया होगा परन्तु मंत्री महोदय ने उन्हें प्रकट नहीं किया है। क्या सरकार ने ड्रिलिंग कार्य करने वाले ठेकेदार के साथ पूर्वी क्षेत्र में तेल की खोज के लिए कोई संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की योजना बनाई है अथवा ऐसे किसी संयुक्त उपक्रम का पश्चिम बंगाल के तट से दूर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना में कोई प्रस्ताव है?

श्री नवल किशोर शर्मा : श्रीमान, मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : एक तेल सम्बन्धी खोज कार्यक्रम है। कभी-कभी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों द्वारा विरोधी मत व्यक्त किये जाते हैं जिससे भ्रम पैदा होता है। पांचवीं लोक सभा के दौरान उस ओर से स्वर्गीय श्री ज्योतिर्मय बसु ने गादरा आदि में तेल की खोज पर प्रश्न उठाया था। सरकार बार-बार कहती रही कि वहां पर तेल नहीं है। हाल ही में एक ग्रुप ने वहां पर गैस पाई है। यह समाचार पत्रों में छपा है। क्या यह सोवियत विशेषज्ञों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भिन्न विचार व्यक्त करते हुए आपके विभाग से यह स्पष्ट कह दिया है कि न केवल कलकत्ता में अपितु उसके आस-पास के क्षेत्रों में गैस के भारी भंडार विद्यमान हैं, परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ उसे मान नहीं रहे हैं तथा अन्वेषण कार्य में विलम्ब हो रहा है।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य की टिप्पणी सामान्य प्रकृति की है। यह सच नहीं है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लोग सोवियत विचारों से सहमत नहीं हैं (**व्यवधान**)··· वास्तव में जो भी जानकारी उपलब्ध होती है उस पर कार्यवाही की जाती है, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की जाती है तथा उसके बाद विकासात्मक ड्रिलिंग तथा बाद में यदि तेल की विद्यमानता सिद्ध हो जाती है तो वाणिज्यिक ड्रिलिंग शुरू की जाती है। आंकड़ों के विश्लेषण में सोवियत दल के लोग हमारी सहायता कर रहे हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : यह प्रश्न कई बार सभा में उठ चुका है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि 1970 में एक सोवियत पोत ने हमारे देश के सभी पुराने भू-वैज्ञानिक भूकम्पीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था तथा उन्होंने हाइड्रो कार्बन के क्षेत्र का रेखांकन किया था। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पारादीप से लगभग 36 कि० मी० की दूरी पर तट-दूर के 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कार्नोवेल शैलवा कं० लि० ने उत्पादन तथा अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग कार्य किया तथा उन्होंने विस्तृत टिप्पणियां भी कीं कि इस तरह के पोत देश में विद्यमान हैं जो कि केवल 300 पौंड तक का दबाव सहन कर सकते हैं। क्या मंत्रालय ने उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है तथा एन० एस० आर० ए० से परामर्श द्वारा सोवियत सहयोग से, जिसके साथ कि हम बम्बई हाई में तेल का उत्पादन कर रहे हैं उसका पुनः रेखांकन किया है तथा क्या मंत्री महोदय एन० एस० आर० ए०, ओ० एन० जी० सी० तथा सोवियत विशेषज्ञों के साथ इस मामले में जानकारी के बारे में अहयोग करेंगे तथा उस जानकारी से देश को पता चलेगा कि क्या बंगाल की खाड़ी में तट पर तथा तट से दूर अन्वेषण किया जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य का यह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार मैसर्स कालंसबर्ग लि० ने कुछ सवक्षण कार्य किया था तथा उस सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कुछ कुओं की खुदाई करेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह प्रश्न तारांकित कैसे बन गया है। इसे अतारांकित प्रश्न होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : जब और कोई वरीयता नहीं होती, तो हमें कुछ करना पड़ता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प

*105. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर, विशेषकर राजस्थान के टोंक जिले में, पैट्रोल पम्पों/डीजल पम्पों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो नये पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प स्थापित करने और उनके आवंटन के मापदण्ड क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) फिलहाल 155 खुदरा बिक्री केन्द्र राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत हैं।

(ख) जी हां।

(ग) तेल उद्योग क्षेत्र विशेष की सम्भावित मांग तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर मात्रा तथा दूरी से सम्बन्धित आंकड़ों को ध्यान में रखकर पैट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का विकास करता है।

डीलरशिप देने के मानदण्डों और अभ्यर्थियों की पात्रता तथा उपयुक्तता का निर्धारण तेल चयन बोर्डों द्वारा विज्ञापन दिए जाने तथा चयन करने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि 155 खुदरा बिक्री केन्द्रों में से हरिजन और आदिवासियों को कितने अलोटेड हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में मुख्य व्यवसाय खेती है और वहां की सड़कें चूंकि लम्बी हैं, इसलिए वहां के हिसाब से 155 खुदरा बिक्री केन्द्र कम मालूम होते हैं तथा अभी जो नियम हैं उनके अनुसार वहां पर 12 किलोमीटर के फासले पर डीलरशिप देते हैं, तो वहां की लम्बाई एवं अन्य कठिन परिस्थितियों को देखते हुए उस 12 किलोमीटर के फासले को कम करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि यह अनस्टार्ड क्वश्चन होना चाहिए था।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, जहां तक हरिजन और आदिवासियों को 155 खुदरा बिक्री केन्द्रों में से कितने रिटेल आउटलेट्स दिए गए हैं, यह प्रश्न है, एज सच तो मेरे पास नहीं है,

लेकिन मैं माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा। लेकिन 25 प्रतिशत रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है और मेरा ख्याल है कि उस रिजर्वेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक राजस्थान में लम्बी सड़कों का ताल्लुक है, उसके क्रायटीरिया के बारे में 15 किलोमीटर के बजाय 12 किलोमीटर करने की बात हो गई, लेकिन यह 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की परिधि, कोई स्ट्रिक्टली हार्ड एण्ड फास्ट नहीं है। अगर इकनौमिक वायबिलिटी है और उस क्षेत्र के अन्दर मांग है, तो फिर इस परिधि के कारण पैट्रोल और डीजल पम्प की डीलरशिप देने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन यह मांग और इकनौमिक वायबिलिटी पर डिपेण्ड करता है और इसीलिए राजस्थान में 29 ऐसे रिटेल आउटलेट नेशनल हाइवे पर खोलने का विचार किया गया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, गत लोक सभा के अन्दर यह घोषणा की गई थी कि एक चौथाई पम्प डीजल और पैट्रोल के इन आदिवासियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक और बात···

अध्यक्ष महोदय : गत लोक सभा में भी थी, इस वक्त भी यही स्थिति है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसके साथ ही अध्यक्ष जी एक और बात यह स्पष्ट की गई थी चूंकि हरिजन और आदिवासी गरीब होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनको ये पैट्रोल और डीजल पम्प की डीलरशिप लेने में असुविधा होती है, इसलिए उस समय तत्कालीन पैट्रोलियम मंत्री महोदय ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि इनको शतप्रतिशत लोन, इस परपज के लिए दिलाया जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उस योजना के तहत कितने पैट्रोल और डीजल के पम्प हरिजन और आदिवासियों को शतप्रतिशत लोन पर दिलवाए जाएंगे ? तथा अभी तक कितने दिए जा चुके हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : योजना तो 25 प्रतिशत देने की है, चूंकि शिकायत यह आती थी कि हरिजन और आदिवासियों के पास आवश्यक धन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बेनामी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इस शिकायत को दूर करने के लिए यह तय किया गया था कि बैंकों से इन लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, शतप्रतिशत तो नहीं, 75 प्रतिशत कर्जा दिलाया जाएगा और मैं आशा करता हूं कि जहां कहीं भी इस तरह के आवेदन-पत्र बैंकों को दिए जाते हैं, बैंक उनको आवश्यक सहायता देते हैं।

[अनुवाद]

निर्वाचन सुधारों पर प्रश्नावली

*106. **श्री अमर राय प्रधान**†
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन सुधारों के बारे में देश के राजनीतिक दलों के नेताओं को एक प्रश्नावली भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) सरकार ने राजनैतिक दलों को कोई प्रश्नावली नहीं भेजी है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने तारीख 18 जून, 1985 के अपने पत्र द्वारा मई, 1985 में संसद् में प्रस्तुत की गई दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, विशेष रूप से गैर-संजीदा अभ्यर्थियों को हटाने, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने पर पाबन्दी, आपराधिक अभिलेख वाले व्यक्तियों की निहित, निर्वाचन सभाओं में विघ्न डालने पर रोक लगाने के लिए दण्डात्मक उपाय, नामांकन पत्रों के कपटपूर्ण दाखिले और बूथों पर कब्जा करने सम्बन्धी विषय की बाबत सिफारिशों पर, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों से विचार मांगे थे।

श्री अमर राय प्रधान : मैंने प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय ने मात्र चुनाव आयोग की सिफारिशें उद्धृत कर दी हैं। फिर भी उन्होंने मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर तो दे दिया है परन्तु (ख) भाग का उत्तर नहीं दिया है। यदि वह उसका उत्तर देंगे तभी मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री ए० के० सेन : मैंने कहा था सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां तथा मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियां। यदि माननीय सदस्य उनकी सूची चाहते हैं तो वह उनको दे दी जायेगी···

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : उन पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री ए० के० सेन : अभी तक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया निर्वाचन आयोग को नहीं भेजी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पार्टी को भी अभी भेजनी है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अमर राय प्रधान : हम जानते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने रिपोर्ट के प्रति अपने विचार भेज दिये हैं।

श्री ए० के० सेन : यदि उन्होंने भेज दिये हैं तो निर्वाचन आयोग ने उन्हें हमारे पास नहीं भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : यह समझा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने प्रश्नावली भेजी है तथा उत्तर निर्वाचन आयोग के पास ही जाएंगे··· **(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान : यह सच है कि कुछ राज्यों के थोड़े से निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों मे चाहे वे लोक सभा के हों या विधान सभाओं के, चुनाव में धनशक्ति, बाहुबल तथा बूथों पर कब्जा करने का महत्त्वपूर्ण भाग रहता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अमर राय प्रधान : इससे उन्हें बहुत ऐलर्जी है। परन्तु रिपोर्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछेंगे ?

श्री अमर राय प्रधान : मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर रहे।

श्री अमर राय प्रधान : विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं, जैसे वैध मतों का 20% प्राप्त न करने पर जमानत की जब्ती, मत-पत्रों पर राजनीतिक पार्टी का नाम, उम्मीदवारों की फोटो इत्यादि। परन्तु यही बातें मुख्य नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियां विशेष रूप से विपक्षी पार्टियां आग्रह कर रही हैं····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : सामानुपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में, जिसमें 50% स्थान सीधे तथा 50 % दलीय सूची प्रणाली से लिए जाएं, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इश्तहारों, पर्चों और जन-सभाओं···से सम्बद्ध चुनाव का खर्चा चुनाव आयोग को वहन करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक समय पर एक ही प्रश्न पूछिये।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, इसमें भाग (क) और (ख) है।

अध्यक्ष महोदय : (क) और (ख) का कोई प्रश्न नहीं है। एक समय में एक ही प्रश्न पूछिये।

श्री अमर राय प्रधान : प्रश्न यह है कि प्रश्नावली के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ए० के० सेन : हमें शारीरिक शक्ति से मतदान केन्द्र पर कब्जा करना, आदि के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। सम्भवत: माननीय सदस्य इस बारे में अधिक अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों में हमारा कोई हाथ नहीं है।····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरेक का अपना दृष्टिकोण होता है।

श्री ए० के० सेन : परन्तु फिर भी चुनाव आयोग ने एक नई धारा, धारा 135 क को, इस तथाकथित बुराई, जिसके बारे में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है, का सामना करने के उद्देश्य से इसमें अन्तःस्थापित करने की सिफारिश की है।

श्री अमर राय प्रधान : यह एक बहुत ही लम्बा प्रतिवेदन है और इस प्रतिवेदन में चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सत्तारूढ़ दल ने धन और जन शक्ति का प्रयोग करके सभी प्रकार के चुनाव नियमों का उल्लंघन है। अतः क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि निम्नलिखित पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है :—

> "(क) लोक सभा चुनाव के दौरान रेल सुरक्षा बल की सेवाएं लेना—मेरे विचार से यह राज्य सरकारों का प्रश्न नहीं है यह केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है; और
>
> (ख) एक ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिहार के इस्लामपुर विधान सभाई चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दो उम्मीदवारों को दो प्रमाणपत्र जारी करना और उस निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही"..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुख्य प्रश्न को पढ़िए और संगत प्रश्न पूछिये।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह असंगत नहीं है। यह तो मुख्य प्रतिवेदन का ही अंग है..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे समक्ष केवल यह प्रश्न है : क्या सरकार ने चुनावों में सुधार को लेकर कोई प्रश्नावली राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भेजी है और यदि हां तो ऐसे राजनीतिक दलों के नाम और उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?"

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह तो चुनाव आयुक्त के मुख्य प्रतिवेदन से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछिये। श्री प्रधान जी, मुझे कोई अपत्ति नहीं है परन्तु आपको प्रश्न से संगत बातें ही पूछनी चाहिए। मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप अन्य प्रश्न पूछिये, मैं उसे गृहीत करूंगा परन्तु प्रश्न आपको मूल प्रश्न के अनुसार ही पूछना चाहिए... (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : धन और शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त, वह दण्डाधिकारीय शक्ति का उल्लेख कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : अलौकिक शक्ति का नहीं।

श्री ए० के० सेन : क्योंकि माननीय सदस्य को स्वयं अपने राज्य के बारे में जहां पर सत्तारूढ़ दल एक भिन्न दल है, इतना अधिक अनुभव है, उन्हें उस राज्य के बारे में विशेष प्रश्न पूछना चाहिए और बिहार के बारे में भी एक विशिष्ट प्रश्न पूछा जाना चाहिए। इस्लामपुर के बारे में पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रश्नावली को चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को भेजा था और इस तथ्य को देखते हुए कि सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष भी प्रधान मंत्री के रूप में यहां सभा में विराजमान हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं कि आपराधिक रिकार्ड और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों की अनर्हता के प्रति सत्तारूढ़ दल की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने स्वयं इस अनर्हता का सुझाव दिया था···(व्यवधान) मैंने ही चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया था।

[हिन्दी]

उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के बारे में शिवरामन समिति की सिफारिशें

*108. **श्री वी० बी० देसाई†**
श्री रामस्वरूप राम } : **क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय करने के लिए कोई केन्द्रीय उपसमिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपसमिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगीकरण हेतु प्रोत्साहनों की योजना की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए सरकार ने शिवरामन् समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक अन्तर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति को अपनी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक दे देने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी दया के पात्र हैं, इन्होंने कहा कि इस अहम सवाल की रिपोर्ट ही नहीं आई है, इसलिए क्या पूछा जा सकता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शिवरामन् कमेटी कब गठित की गई और क्या इस कमेटी ने कोई अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दी है जिससे यह पता चल सके कि कितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नो-इंडस्ट्री में आते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् मैं नहीं कहता कि सरकार के पास समिति की दी हुई

रिपोर्ट नहीं है। मैंने यह कहा है कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से लेकर एक समिति गठित की है जो कि पिछड़े हुए इलाकों के औद्योगीकरण के मामले पर विचार करेगी। वह शिवरामन कमेटी द्वारा की गई संस्तुतियों पर होगी। शिवरामन् कमेटी को 1978 में गठित किया गया था और उसकी रिपोर्ट सरकार को 1980 में मिल गई थी। वह डिले नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रामस्वरूप राम : विलम्ब क्यों हुआ था ?

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह इसलिए डिले नहीं है क्योंकि मन्त्रिमंडल की सामतियां और अधिकारियों की समितियों में इस पर विचार किया गया। उसके बाद नवम्बर 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्देश पर ऐसे जिलों का सर्वेक्षण किया गया, जिन जिलों में कोई बड़ा या मझोला उद्योग नहीं है और ऐसे जिलों को उद्योग रहित जिला घोषित किया गया। इसके अलावा ए, बी, सी, तीन कैटेगिरी बनाई गयीं। जो असली उद्देश्य था वह यह था कि किस तरह उद्योगों को पिछड़े हुए इलाकों में ले जाया जाए और उन इलाकों में जहां पर अभी तक उद्योग और उद्यमी आकर्षित नहीं हुए हैं। नवम्बर 1981 में ऐसे जिलों का चयन किया गया, जहां कोई बड़ा मझोला उद्योग नहीं था। उसके लिए सेंटर इनवैस्टमेंट सबसिड़ी स्कीम कंसेशनल फाईनेन्स की स्कीम जो पहले से लागू थी, उसकी भी सुविधा उन जिलों के लिए की गई। इसके अलावा सेंटर इनवैस्टमेंट सबसिडी की नई योजना बनाई गई, जिसके अन्तर्गत बिल्कुल उद्योग-रहित जिलों में 25 प्रतिशत की सबसिडी 25 लाख रुपये की सीलिंग, 'बी' कैटेगिरी जिले में 15 प्रतिशत की सबसिड़ी 15 लाख रुपये की सीलिंग तक और 'सी' कैटेगिरी के लिए 10 प्रतिशत की सबसिड़ी 10 लाख रुपये की सीलिंग तक थी। इसके अलावा और भी कई स्कीमें जैसे इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ट्रांसपोर्ट सबसिड़ी स्कीम यह सारी योजनाएं लागू की गईं ताकि पिछड़े हुए इलाकों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

श्री रामस्वरूप राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिवरामन् कमेटी 1978 में गठित की गई और 1980 में इसकी रिपोर्ट भी मिल गई। मैं जानना चाहूंगा कि औद्योगिक दृष्टिकोण से कितने जिले इस पूरे देश में चुने गए और उनमें कितनी बड़ी सबसिड़ी लगाई गई है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् चयन के समय ऐसे जिलों की संख्या 83 थी जो बढ़कर 93 हो गई। इन जिलों में लगने वाले उद्योग के आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन पिछड़े हुए इलाकों में इस योजना के लागू करने के बाद पिछड़े हुए इलाकों में उद्योग लगाने के लिए दिए जाने वाले आशय पत्र और लाइसेंस की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि अभी उद्योग मंत्री जी ने बताया कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में सबसिड़ी आदि अन्य सुविधाएं उद्योगों को मिलेंगी, लेकिन मैं जानना

चाहता हूं कि 4-4 वर्षों से ऐसे उद्यमियों ने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं जिन पर मंत्रालय ने विचार नहीं किए। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चार वर्ष पहले जो प्रोजेक्ट चार करोड़ के थे वह आज दस करोड़ के हो गए और उद्यमी निरुत्साहित होकर भागे जा रहे हैं, तो क्या इस दिशा में उद्योग मंत्रालय कोई कार्यवाही कर रहा है लाइसेंसेज बहुत जल्दी दे दिए जायं ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चार साल से अगर कोई आवेदन-पत्र पड़ा हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, अगर उसके बारे में किसी निश्चित शिकायत की जानकारी देंगे तो मैं उस मामले को जरूर देखूंगा। मैं यह समझता हूं कि यह बात सही नहीं है कि चार साल से आवेदन-पत्र पड़ा हुआ हो क्योंकि साधारणतया मंत्रालय को यह निर्देश है कि कोई भी आवेदन-पत्र आशय-पत्र के लिए आए तो कितने दिन के अन्दर उसका निपटारा कर दिया जाना है।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : गुजरात में कच्छ बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां वेन्टो-माइन लिग्नाइट भारी मात्रा में है। वहां एक एल्यूमिना प्लान्ट के लिए बहुत समय से मांग हो रही है। तो वहां पर वह उद्योग लगाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्या कच्छ के बारे में पूछना चाहती हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि कच्छ और ऐसे बहुत से इलाके हैं कि जहां पर उद्योग नहीं जा सके हैं। इस नीति का उद्देश्य ही यह है कि संतुलित और समुचित विकास हो सके और देश के सभी भागों में उद्योगों को ले जाया जा सके। इसीलिए इस योजना को आकर्षक बनाया गया है। अगर वहां से कोई आवेदन-पत्र आएगा तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : वर्तमान मानदण्ड के अनुसार यदि किसी जिले में कोई लघु इकाई है तो वह जिला उद्योग-विहीन जिले की कोटि में नहीं आ सकता है। मेरा पुरूलिया जिला हमारे देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए जिलों में से एक है, जहां पर एक छोटा-सा उद्योग है, एक लघु इस्पात संयंत्र है, जिसमें 300 कर्मचारी हैं। परन्तु यह पुरूलिया जिला उद्योग विहीन जिले की कोटि में नहीं आता है। इसीलिए इस योजना के अधीन इसे कोई सुविधा नहीं मिल रही है या अन्य कोई केन्द्रीय आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार वर्तमान मानदण्ड पर पुनर्विचार करेगी और उसमें कुछ परिवर्तन करेगी ?

श्री पी० कुलनदेई वेलू : जिले की बजाय इसे तालुका स्तर पर रखा जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : उद्योग-विहीन खण्ड या उद्योग-विहीन तालुका।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं महोदय, उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कोई लघु उद्योग इकाई होने से कोई जिला उद्योग-विहीन जिले

की श्रेणी में आने से वंचित नहीं हो जाता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, उन जिलों की त्वरित पहचान 1981 में कर ली गई थी जहां पर कोई भी बड़ा या मध्यम दर्जे का उद्योग नहीं था। उन सभी को उद्योग-विहीन जिलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। परन्तु अभी भी उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने हेतु योजना को अधिक आकर्षक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव आ रहे हैं। इसीलिए एक अन्तर मन्त्रालय समिति गठित की गई है और यह आशा की जाती है कि समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

बम्बई तट-दूर परियोजना का विकास

* 109. **श्री शरद दिघे** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई तट-दूर परियोजना के विकास के अगले चरण का कार्य शुरू करना चाहिए तथा उसने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि पर्यावरण विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए 225 हेक्टेयर भूमि तथा हरित-पट्टी के लिए 125 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दक्षिणी अपतट के समेकित विकास की एक स्कीम तैयार की है। इसमें बम्बई हाई क्षेत्र भी शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरान के दक्षिण में दूसरा तेल तथा गैस टर्मिनल स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण किया था और रायगढ़ जिले में उसर में एक स्थान का सुझाव दिया है। जब इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त रकम उपलब्ध होगी तब आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्री शरद दिघे : महोदय, बम्बई तट-दूर परियोजना के विकास के अगले चरण का कार्य आरंभ करने और उरान के दक्षिण में दूसरा तेल और गैस टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव बहुत दिनों से लम्बित पड़ा हुआ है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को प्रथम बार तेल बम्बई हाई में मई, 1974 के प्रारम्भ में मिला था और उसका वाणिज्यिक उत्पादन मई 1975 में आरंभ हुआ था। प्रारम्भ में लगभग एक करोड़ टन कच्चा तेल प्रति वर्ष निकाला जा रहा था और 1984-85 तक इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर दो करोड़ टन प्रति वर्ष करना था। तदनुरूप, संबद्ध गैस का उत्पादन, जिसके कि प्रारम्भ में 40 लाख टन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन होने का अनुमान था, 1984-85 तक बढ़कर लगभग 80 से 90 लाख क्यूबिक मीटर हो जाने की आशा थी। महाराष्ट्र सरकार ने स्थान पहले ही देख लिया है और 1984 में ही अपने 14 जनवरी, 1984 के पत्र द्वारा वह सूचित कर चुकी है। मेरा प्रश्न यह है, इस योजना के लिए धन जुटाने में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ने अपने

14 जनवरी, 1984 के पत्र में भूमि की उपलब्धता के बारे में सचिव (पेट्रोलियम) को सूचित किया था। परन्तु परियोजना के लिए 2,512 करोड़ रुपये चाहिए थे और वह भी दो चरणों में। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, और सातवीं योजना के आकंटन को अन्तिम रूप देने तक संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए यह कहना कठिन होगा कि यह परियोजना कब शुरू की जाएगी।

श्री शरद दिघे : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार रायगढ़ जिले के उत्तर में उस स्थल को स्वीकृति दे चुकी है, जिसका कि प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार इस प्रयोजन के लिए कर चुकी है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि हम स्वीकृति दे चुके हैं।

पेट्रोलियम की खोज तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन हेतु धनराशि

*110. श्री धर्मपाल सिंह मलिक+
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आयल मिनिस्ट्री स्टार्व्स ऑफ फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इसका देश में पेट्रोलियम की खोज और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या धन के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद तथा सरकार ने अभी तक अनुमोदन नहीं दिया है।

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या धन की कमी.....

(इस समय दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके गये)

अध्यक्ष महोदय : जारी रखिये।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या तेल मन्त्रालय के पास धन की कमी होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव करनाल तेल-शोधक कारखाने पर पड़ेगा ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जी, हां। यदि हमें करनाल तेल-शोधक कारखाने के लिए धन नहीं मिला तो पेट्रोलियम मन्त्रालय और भारतीय तेल निगम को करनाल में इस प्रकार का तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, ओ एन जी सी के पास सफीशिएन्ट पैसा न होने की वजह से गैस पाइप-लाइन समय से तैयार नहीं हुई जिसके कारण बाम्बे हाई से निकली हुई करोड़ों रुपए की गैस को जलाना पड़ा है तथा उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो सका। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी क्वांटिटी में और कितने एमाउन्ट की गैस जलाई जा चुकी है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह कहना मुश्किल है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रुग्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्तरित करना

*111. श्री बृजमोहन महन्ती
श्री बालासाहेब विखे पाटिल } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रुग्ण उद्योगों का विस्तृत ब्यौरा क्या है जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी क्षेत्र से निजी स्वामित्व में अन्तरित करने की सिफारिश की है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक सक्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित मामलों में रुग्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र से निजी स्वामित्व में अन्तरित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। किन्तु सरकार अलग-अलग मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकती है।

भारतीय तेल निगम के हल्दिया एकक का विस्तार

*112. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के हल्दिया एकक के विस्तार कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सातवीं योजनावधि के दौरान हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रिफेम्पिसिन का उत्पादन

*113. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय और कुष्ठ रोग के इलाज में काम आने वाली औषधि रिफेम्पिसिन का देश में उत्पादन नहीं किया जाता है और इसके आयात में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व जिन कम्पनियों को उपर्युक्त औषधि के निर्माण हेतु आशयपत्र दिए गए थे, उन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 से मांग की तुलना में कितनी (मूल्य सहित) औषधि का आयात किया गया है; और

(घ) औषधि का उत्पादन शुरू करने के लिए जिन कम्पनियों को आशय पत्र दिए गए थे उनकी असफलता के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) रिफेम्पिसिन प्रपुंज औषधों का उत्पादन देश में अभी किया जाना है। आयातित प्रपंज औषधि के आधार पर फार्मूलेशनों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) आयात का पिछले तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

आयात वर्ष	आयातित मात्रा (टनों में)	मूल्य (सी० आई० एफ०) (रु० लाखों में)
1981-82	16.00	663.02
1982-83	37.00	1,205.70
1983-84	76.00	1,589.81

(घ) उत्पादन शुरू करने में विलम्ब के कारणों में भारी निवेश और आर्थिक रूप से लाभप्रद प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की कठिनाइयां शामिल हैं। रिफैम्पिसिन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल ही में गैर-फैरा और गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए रिफैम्पिसिन का लाइसेंस समाप्त कर दिया है और 3 फोरमाइल रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन-एस, जो रिफैम्पिसिन प्रपुंज औषधि के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती हैं के आयात पर आयात शुल्क पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। सरकार जारी किए गए आशय पत्रों के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति पर नजर रखे हुए है ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

डब्ल्यू० जी० फोर्ज लिमिटेड कुदाल (महाराष्ट्र) को दिए गए ऋणों की वापसी

*114. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में कुदाल स्थित डब्ल्यू० जी० फोर्ज लिमिटेड द्वारा कच्चे माल के लिए दिए गए ऋणों की वापसी तथा आवश्यक समायोजन करने हेतु उनके मन्त्रालय को अनेक अभ्यावेदन दिए हैं जिससे कि उत्पादन और रोजगार में बाधा न पड़े;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक रक्षा उन्मुख परियोजना है, सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया है और कुदाल स्थित संयंत्र को अपना उत्पादन जारी रखने के लिए सहायता देने हेतु योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डब्ल्यू० जी० फोर्ज लिमिटेड की कुदाल यूनिट में उपलब्ध मशीनी क्षमता का रक्षा उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है, सरकार अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

(ग) डब्ल्यू० जी० फोर्ज परिसमापनाधीन है और सरकारी प्राप्तकर्त्ता केवल कुदाल यूनिट को ही चला रहे हैं और चूंकि सरकार द्वारा डब्ल्यू० जी० फोर्ज को पहले दिए गए आर्डर अभी पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए सरकारी प्राप्तकर्त्ता को आगे आर्डर देने की शर्तों तथा सरकार को वापस

अदा किये जाने वाले पिछले ऋणों को समायोजित करने के मामले में सरकारी प्राप्तकर्त्ताओं को लिखा जा रहा है।

[हिन्दी]

वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं की जांच

* 115. श्री शांति धारीवाल
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1985 के हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स में छपे "पंद्रह दिनों में वायुसेना के चार विमान दुर्घटनाग्रस्त" समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। वास्तव में मई, 1985 में भारतीय वायुसेना के तीन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। चौथी दुर्घटना में 21 मई, 1985 को एक चेतक हेलीकाप्टर को जबरन नीचे उतारना पड़ा था। इसके दोनों चालक और यात्रियों के रूप में सवार चार पत्रकारों को कोई चोटें नहीं आईं और केवल इंजन को हल्की-ही क्षति पहुंची।

(ख) से (घ) प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए अलग-अलग जांच अदालतों के गठन के आदेश दिये गये हैं। इन अदालतों के निष्कर्षों और सिफारिशों का वायुसेना मुख्यालय द्वारा अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे। उड़ान सुरक्षा में अधिक सुधार लाने और वायुकर्मियों तथा भूमिकर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए कई उपाय पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

डाक-तार विभाग के अजमेर स्थित मुख्यालय का कार्यकरण

*116. श्री विष्णु मोदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक-तार विभाग के अजमेर स्थित मुख्यालय के कार्यकरण में भ्रष्टाचार और गम्भीर अनियमितताओं के कथित आरोप की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या स्थानीय लोगों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच कराने की मांग की है और

यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को अजमेर प्रधान डाकघर की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कथित आरोपों के बारे में जानकारी है। अजमेर प्रधान डाकघर से वितरित की जाने वाली डाक मदों विशेषकर विदेशी डाक मदों से भारी राशि के चैक/बैंक ड्राफ्ट्स/पोस्टल आर्डरों के गुम होने/निकालने के बारे में विभाग को कुछ नागरिकों के अलावा संस्थाओं से भी विशेष शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जहां तक दूरसंचार सेवाओं का सम्बन्ध है, सरकार को ऐसे किसी कथित आरोप की जानकारी नहीं है।

(ख) डाक मदों की चोरी, उनसे वस्तुएं निकाल लेने के बारे में 1976 से ध्यान में आये तीन मामलों में विभाग और पुलिस द्वारा जांच की गई। इस जांच के परिणामस्वरूप तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और अन्य तीन कर्मचारियों पर न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधान डाकघर की रजिस्ट्रेशन शाखा में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को वहां बारी-बारी से लगाया जाता है और डाक वस्तुओं के वितरण पर विशेष नजर रखी जा रही है।

(ग) जी हां, एक मामले में सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने की मांग की गई थी। चूंकि स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, इसलिए यह मामला सी० बी० आई० को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रिक्त पद

*117. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जहां पर इस समय मुख्य न्यायमूर्ति नहीं हैं;

(ख) ये पद कितनी अवधि से रिक्त हैं; और

(ग) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं और उनको भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) से (ग) 25-7-1985 को अगले पृष्ठ पर लिखित 4 उच्च न्यायालयों में, उन तारीखों से जो उनके सामने वर्णित हैं, स्थायी मुख्य न्यायमूर्ति नहीं हैं, अर्थात् :—

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय	वह तारीख जिससे मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है
1.	आन्ध्र प्रदेश	5-7-1984
2.	गोहाटी	15-11-1984
3.	पंजाब और हरियाणा	29-11-1983
4.	सिक्किम	4-01-1985

संविधान के अनुच्छेद 217 और 222 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से परामर्श करके उच्च न्यायालयों में नियमित मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के मामले पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

भारतीय तट के आस-पास तेल और गैस की खोज

*118. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र से तेल प्राप्त करने की सम्भावनाओं तथा भारतीय तट के आस-पास तेल तथा गैस के भंडार होने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और किन-किन क्षेत्रों में तेल उपलब्ध होने की सम्भावना है; और

(ग) उस क्षेत्र में तेल और गैस निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्वी तट पर सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पानी में 200 मीटर की गहराई पर विभिन्न स्थान निश्चित किए गए हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऐसे दो स्थानों पर खुदाई का काम आरम्भ किया गया तथा वहां तेल और गैस मिली अभी तक स्थापित मात्रा से वाणिज्यिक उत्पादन करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अंडमान के अपतटीय क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के मिलने के कुछ आसार दिखाई पड़े है तथा वहां खुदाई का काम किया जाएगा।

मारुति कारों का आबंटन

*119. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कार के लिए धनराशि जमा करने वाले खरीददारों के हितों की उपेक्षा की जा रही है जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि एक नया माडल बिक्री के लिए लाया जा रहा है तथा नये खरीददारों को नई कारें आवंटित की जाएंगी;

(ख) क्या यह सच है कि मारुति के लिए जमा की गई धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है बल्कि इसकी कीमतों में वृद्धि कर दी गई है; और

(ग) क्या कम्पनी ने 25,000 कारें निर्मित की हैं परन्तु जिन खरीददारों का नम्बर 20,000 से भी काफी कम है उन्हें भी अभी तक अपनी कारें प्राप्त नहीं हुई हैं।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। जब मारुति, नये माडल की मारुति—800 कार प्रारम्भ करेगा तो यह विद्यमान प्राथमिकता सूचियों के अनुसार उन ग्राहकों को वितरित की जाती रहेंगी जिन्होंने मारुति—800 कार बुक की है।

(ख) जी, नहीं। ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशियों पर ब्याज का भुगतान उनको गाड़ियां डिलीवर करने के बाद किया जाता है। मारुति गाड़ियों की कीमतें 1-4-1985 से बढ़ाई गई थीं।

(ग) ग्राहकों को आवंटन नम्बर प्रत्येक डीलर-शहर के लिए दिए गए थे जो 1 से लेकर उस शहर के लिए बुक की गई कारों की संख्या तक थे। बनाई गई कारों का वितरण डीलर-शहरों के लिए आवंटन नम्बरों के अनुसार किया गया है, और मोटे तौर पर इन शहरों में बुकिंगों के अनुपात में है।

बजाज और प्रिया स्कूटरों की बिक्री में कालाबाजारी

*120. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में बजाज और प्रिया स्कूटरों की बिक्री में कालाबाजारी के संबंध में कुछ मामले लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्कूटरों की डिलीवरी लेते समय की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यद्यपि इस प्रकार के कुछ लेन-देन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ग) दुपहिया वाहन (पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1981 के अन्तर्गत स्कूटरों सहित मोटरयुक्त दुपहियों की प्रथम खरीद के दो वर्षों के अन्दर पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध है। राज्य परिवहन

प्राधिकरण दो वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर इन गाड़ियों के हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करते हैं जब तक नियंत्रक द्वारा इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए अनुमति न दी गई हो। इसके साथ ही अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए अच्छी किस्म के दुपहियों की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

भारत चर्म निगम द्वारा मद्रास में किराए पर लिया गया परिसर

1051. **श्री सोड़े रामैय्या** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चर्म निगम ने नवम्बर 1981 में मद्रास में अपने एम्पोरियम के लिए 20,000 रुपये प्रति माह किराये पर परिसर लिया था, और इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा किये थे;

(ख) क्या इसका वास्तविक कब्जा जनवरी, 1983 में ही लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं और भारत चर्म निगम को कब्जा न ली गई अवधि के लिये 2.80 लाख रुपये के रूप में क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत लैदर कारपोरेशन ने विवादास्पद परिसर दिसम्बर, 1981 में 14600/ रु० प्रतिमास किराये पर लिया था और इसके अतिरिक्त 87600/ रु० प्रतिभूति के रूप में जमा किये गये थे तथा परिसरों का वास्तविक कब्जा जनवरी, 1982 में लिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर लाइसेंस शुदा उद्योगों का पंजीकरण

1052. **श्री मुरलीधर माने** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर लाइसेंसशुदा उद्योगों का पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) इन उद्योगों को लाइसेंस सूची से हटाने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या गैर लाइसेंसशुदा एककों का पंजीकरण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) लाइसेंसिंग नीति/प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के फलस्वरूप उद्योगों के 25 विशद वर्गों और 82 इकट्ठी औषधियों और उनके मिश्रणों से मार्च और जून, 1985 में लाइसेंस हटा दिया गया था। इन उद्योगों का चयन करने की कसौटी में इन उद्योगों में और अधिक क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता, निर्यात की संभावनाएं, उच्च प्रौद्योगिकी निविष्टि की जरूरत वाले उद्योग राष्ट्रीय महत्व के उद्योग तथा जनसाधारण के इस्तेमाल में आने वाले उद्योग शामिल हैं।

लाइसेंस-मुक्त औद्योगिक उपक्रमों को पंजीकरण के लिए औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में आवेदन देने की आवश्यकता होती है।

(घ) इस पंजीकरण की प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धान्त औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 25.4.1985 के प्रेस टिप्पण में निर्धारित कर दिये गये हैं।

टायर उद्योग की अधिक क्षमता के अनुपयोग की समस्या

1053. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग न होने की समस्या से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षमता बेकार पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो टायर बनाने के कारखानों का उपयोग इस्पात कन्वेयर बैल्टिंग बनाने के लिए करने के सम्बन्ध में टायर उद्योग द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय टायर उद्योग को क्षमता उपयोग लगभग 77 प्रतिशत है।

(ख) सरकार को ऐसी किसी भी मांग की जानकारी नहीं है। इस्पात की कॉर्ड रीइन्फोर्स्ड रबर कन्वेयर पट्टियों का इस समय देश में उत्पादन नहीं किया जाता है और समग्र मांग की पूर्ति आयात द्वारा ही की जा रही है। सरकार उत्पाद के महत्व और उत्पादन में निहित अत्यधिक निवेश तथा प्रौद्योगिकीय जटिलता को देखते हुए इस्पात कॉर्ड कन्वेयर पट्टियों के उत्पादन के लिए क्षमता स्थापित करने से संबंधित प्रस्तावों के लिए उदार दृष्टिकोण अपना रही है।

जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता

1054. **श्री सी० सम्बु :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियां बाजार से, विशेष रूप से मद्रास में गायब हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में प्राप्त हुई आवधिक रिपोर्टों के आधार पर ज्यादातर स्थानीय किस्म की कुछ कमी ध्यान में आई है। अधिकतम मामलों में अन्य निर्माताओं की समान औषधें उपलब्ध थी।

मद्रास के सम्बन्ध में रिपोर्टों से (1) क्लोरोमाइसिन (2) अल्थरोसिन ड्राप्स (3) डायमेक्स (4) आइसोप्टिन गोलियों (5) सिन्टोसिनोनइन्ज (6) लाइलोरिक गोलियों (7) केनाकोर्ट इन्डोक्शन (8) पिलोकारपाइन आई ड्राप्स (9) नियोपोक्सोजोल (10) एट्रोमिड्स कैप्स की कमी का पता चला। उपरोक्त (1) से (6) तक सूचीबद्ध 6 मदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं/स्टाकिस्टों ने अपने पास पर्याप्त भंडार होने की सूचना दी है। इस मंत्रालय की सलाह पर कमी की सूचना वाले क्षेत्रों में इन औषधों के भंडार भेजे गये थे। अन्य मदों के सम्बन्ध में कमी के कारण थे—उत्पादन में तकनीकी समस्याएं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बल्क औषधों की अनुपलब्धता और बल्क औषध उत्पादन में अन्य बाधाएं। निर्माताओं को निर्माण/वितरण में सुधार करने की सलाह दी गई थी।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से आय

1055. **श्री आनन्द पाठक :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी आय हुई; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें उपर्युक्त मदों का निर्यात किया गया ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से हुई कुल आमदनी का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

वर्ष	रुपये/करोड़
1982-83	1197.16
1983-84	1588.06
1984-85	1818.19

(ख) जिन देशों को इनका निर्यात किया गया है उनके बारे में बताना कठिन है क्योंकि ये सौदे अन्तर्राष्ट्रीय तेल व्यापारियों के साथ हुए हैं।

टायर उद्योग की उत्पादन क्षमता

1056. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टायर उद्योग पर टायरों के उत्पादन के लिए अधिक क्षमता का बोझ पहले से विद्यमान है;

(ख) गत दो वर्षों में देश में टायरों का कितना उत्पादन हुआ और विभिन्न प्रकार के टायरों के लिए मांग प्रथकतः कितनी थी;

(ग) क्या टायर बनाने के कारखानों की क्षमता को और बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस उद्योग में क्षमता का उपयोग इस समय लगभग 75% है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के अंत तक की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक जीव्यता प्राप्त करने के लिए विद्यमान एककों के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण

टायरों का उत्पादन/मांग (संख्याएं लाखों में)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	बड़े	कार	मोटर साईकिल	स्कूटर	ए० डी० वी०	ट्रेक्टर	ओ टी आर एरो	मोपेड	योग
1983	113.45	44.49	10.91	7.08	19.02	4.96	7.81	0.15 0.17	2.93	97.56
		41.95	11.55	8.96	23.94	4.87	7.38	0.35	12.03	
1984	136.44	46.12	13.31	8.60	24.16	4.56	9.19	0.15 0.14	3.72	109.95
		44.83	11.93	10.40	27.07	5.36	10.03	0.38	14.78	

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

1057. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों की प्रतिनिधि संस्था ओ० पी० पी० आई० ने सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि औषधियों पर किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि नई औषध नीति की घोषणा के बाद से अनेक आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण आदेश) 1979 के अधीन विनियमित करना जारी है।

पश्चिम बंगाल में डाक मोटर गाड़ियों की कमी

1058. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में डाक मोटर गाड़ियों और खजाना मोटर गाड़ियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो वहां ऐसी कितनी मोटर गाड़ियों की आवश्यकता है; और

(ग) डाक तार विभाग ये मोटर गाड़ियां कब तक खरीद सकेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। मेल वनों तथा कैश वैनों की कोई कमी नहीं है और इन वाहनों की संख्या मंजूरी के अनुरूप है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जापान से इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात

1059. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक (स्वचालित एक्सचेंजों की इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं लेकिन वहां एक्सचेंज अभी स्थापित किए जाने बाकी हैं, क्योंकि जापान और अन्य देशों से अभी इसका आयात किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो सर्किल-वार ऐसे जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं तथा (I) इन एक्सचेंजों का आयात करने, (II) उन्हें स्थापित करने, तथा (III) चालू करने की संभावित तारीखें क्या हैं

क्या विलम्ब होने के क्या कारण हैं और आयात किए जा रहे एक्सचेंजों की संख्या और प्रत्येक की लागत आदि अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देरी की अवधि का इन एक्सचेंजों/सर्किटों को एस० टी० डी० द्वारा राज्य राजधानियों से जोड़ने हेतु दूरसंचार चैनलों का निर्माण करने के लिए उपयोग करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। कुल 50 जिला मुख्यालयों के लिए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज अलाट कर दिए गए हैं जिसमें से 21 जिला मुख्यालयों में भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जापान से उपस्करों का आयात किया जा रहा है।

(ख) जिन जिला मुख्यालयों में भवन निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उनकी संलग्नवार सूची विवरण-1 में दी गई है।

(1) एक्सचेंज जनवरी, 86 से मार्च 86 के दौरान उत्तरोत्तर प्राप्त हो जाएंगे।

(2) और (3) एक्सचेंजों को 1986-87 में संस्थापित और चालू किए जाने की योजना है। विलम्ब का कारण यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उपस्कर की जो लागत निर्दिष्ट की गई, वह काफी अधिक थी। अतः नए टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। आयात किए जा रहे एक्सचेंजों की कुल संख्या 68 है। 400 लाईनों और 600 लाइनों के एक्सचेंज उपस्कर की अनुमानित लागत क्रमशः 30 लाख और 50 लाख रुपये हैं।

(ग) एस० टी० डी० सुविधाओं के लिए इन एक्सचेंजों को राज्य की राजधानियों के साथ जोड़ने के लिए दूरसंचार चैनल तैयार करने का जो कार्य चल रहा है, उनकी सूची विवरण-2 में दी गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण-1

400/600 लाइनों की क्षमता वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सूची

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	स्थान का नाम जहां एक्सचेंज स्थापित किया जाना है	लाइनों की भूमि संख्या		भवन
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	1. दुमका	400	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
		2. हाजीपुर	400	—वही—	निर्माणाधीन

1	2		3	4	5	6
		3.	मधुबनी	400	उपलब्ध	उपलब्ध
		4.	नवाधा	400	— वही—	प्रारम्भ नहीं
		5.	पुर्णिया	600	— वही —	उपलब्ध
2.	जम्मू एवं काश्मीर	6.	कठुआ	400	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
3.	मध्य प्रदेश	7.	बेतुल	400	— वही—	उपलब्ध
		8.	दतिया	400	—वही—	उपलब्ध
		9.	धार	400	—वही—	उपलब्ध
		10.	खारगौने	400	उपलब्ध	निर्माणाधीन
		11.	मांडला	400	—वही—	—वही—
		12.	शाजापुर	400	—वही—	—वही—
		13.	टीकमगढ़	400	—वही—	—वही—
		14.	अम्बिकापुर	600	—वही—	उपलब्ध
		15.	बालाघाट	600	—वही—	—वही—
		16.	भिंड	600	उपलब्ध	निर्माणाधीन
		17.	गुना	600	—वही—	उपलब्ध
		18.	शिवपुरी	600	वही—	—वही—
4.	उत्तर पूर्व	19.	हाफलौंग	600	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
		20.	लंगलेह	400	—वही—	—वही
5.	उत्तर पश्चिम	21.	बिलासपुर	400	—वही—	उपलब्ध
		22.	हमीरपुर	400	—वही—	—वही—
		23.	नाहन	400	उपलब्ध	निर्माणाधीन
		24.	ऊना	400	—	उपलब्ध
		25.	चम्बा	600	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
		26.	कुलु	600	—	उपलब्ध
6.	उड़ीसा	27.	क्योंझर	600	—	उपलब्ध
		28.	कौरापुट	400	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
		29.	फुलबनी	400	—वही—	निर्माणाधीन
		30.	सुन्दरगढ़	400	—	उपलब्ध

1	2	3	4	5	6
		31. बारीपाड़ा	600	उपलब्ध	उपलब्ध
		32. धैनकनाल	600	—	—वही—
		33. छत्तरपुर	400	—	—वही—
7.	राजस्थान	34. डूंगरपुर	400	उपलब्ध	निर्माणाधीन
		35. जालौर	400	—वही—	प्रारम्भ नहीं
		36. जैसलमेर	400	—वही—	—वही—
		37. झालावाड़	400	—वही—	—वही—
		38. सवाईमाधोपुर	400	—वही—	निर्माणाधीन
		39. सिरोही	400	—वही—	प्रारम्भ नहीं
		40. टौंक	400	—वही—	निर्माणाधीन
		41. बूंदी	600	—वही—	—वही—
		42. झुनझुनु	600	—वही—	प्रारम्भ नहीं
8.	उत्तर प्रदेश	43. फतेहपुर	400	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
		44. गाजीपुर	400	—	उपलब्ध
		45. ललितपुर	400	—	प्रारम्भ नहीं
		46. पौड़ी	400	—	उपलब्ध
		47. पिथौरागढ़	400	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं
		48. उरई	400	—वही—	—वही—
		49. सुल्तानपुर	600	— वही—	उपलब्ध
		50. बांदा	600	उपलब्ध	प्रारम्भ नहीं

उपलब्ध भवन = 21

निर्माणाधीन = 12

अभी प्रारम्भ नहीं = 17

योग : 50

विवरण-2

दूरसंचार चैनल तैयार करने के लिए चल रहे कार्य की सूची

माइक्रोवेव प्रणालियां :

निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में माइक्रोवेव प्रणालियां स्थापित करने की योजना है तथा जिन पर विभिन्न स्तरों पर कार्य चल रहा है।

राज्य	जिला मुख्यालय
आन्ध्र प्रदेश	कोठागुडेम
बिहार	दुमका
केरल	कलपट्टा
मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर
उड़ीसा	कोरापुट
	धैनकनाल
राजस्थान	झुनझुनू
उत्तर प्रदेश	गाजीपुर
पश्चिम बंगाल	अलीपुर द्वार

कौ-एक्सियल योजना

मध्य प्रदेश	शिवपुरी
	गुना
राजस्थान	जैसलमेर
	सिरोही

यू एच एफ प्रणाली

जिला मुख्यालयों के लिए नियोजित यू एच एफ मीडिया के कार्य के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं०	जिला मुख्यालय का नाम	यू एच एफ प्रणाली का नाम	यू एच एफ मीडिया की उपलब्धता
1	2	3	4
1.	दुमका (बिहार)	आसनसोल-दुमका	7वीं योजना के अन्त तक
2.	हाजीपुर (बिहार)	पटना-हाजीपुर	7वीं योजना के मध्य से पहले

1	2	3	4
3.	मधुबनी (बिहार)	दरभंगा-मधुबनी	मौजूदा
4.	नवादा ,,	बिहारसरीफ-नवादा	7वीं योजना के अंत तक
5.	पुर्णिया ,,	कटिहार-पुर्णिया	7वीं योजना के मध्य से पूर्व
6.	कठुआ (जम्मू काश्मीर)	पठानकोट-कठुआ	—वही—
7.	बैतुल (मध्य प्रदेश)	इटारसी-बैतुल	7वीं योजना के अंत तक
8.	धार —वही—	इन्दौर-धार	—वही—
9.	खारगोने—वही—	इन्दौर-खारगोने	—वही—
10.	मांडला —वही—	मांडला-जबलपुर	—वही—
11.	शाजापुर —वही—	इन्दौर-शाजापुर	—वही—
12.	बालाघाट—वही—	बालाघाट-गोंदिया	7वीं योजना के अंत तक
13.	भिड —वही—	ग्वालियर-भिड	—वही—
14.	गुना —वही—	राजगढ़-गुना	7वीं योजना के अंत तक
15.	हाफलोंग (उत्तर पूर्व)	सिलचर-हाफलोंग	मौजूदा
16.	लंगलेह—वही—	ऐंजवाल-लंगलेह	7वीं योजना अवधि के दौरान
17.	बिलासपुर (उत्तर पश्चिम)	चंडीगढ़-बिलासपुर	मौजूदा
18.	हमीरपुर —वही—	जालंधर-हमीरपुर	7वीं योजना के दौरान
19.	नाहन —वही—	अम्बाला-नाहन	—वही—
20.	चम्बा —वही—	डलहौजी-चम्बा	7वीं योजना के अंत तक
21.	कोरापुट (उड़ीसा)	लखोमपुर-कोरापुट	7वीं योजना अवधि में
22.	बारीपाड़ा —वही—	बालासौर-बारीपाड़ा	7वीं योजना के अंत तक
23.	डूंगरपुर (राजस्थान)	बांसदाड़ा-डूंगरपुर	7वीं योजना के दौरान
24.	जालौर (राजस्थान)	जालौर-सिरोही	7वीं योजना के अंत तक
25.	झालावाड़ (राजस्थान)	कोटा-झालावाड़	—वही—
26.	सवाई माधोपुर —वही—	जयपुर-सवाई माधोपुर	—वही—
27.	टोंक (राजस्थान)	जयपुर-टोंक	—वही—
28.	झुनझुनु —वही—	चुरु-झुनझुनु	—वही—

1	2	3	4
29.	पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)	इरेली-पिथौरागढ़	7वीं योजना के दौरान
30.	उरई (उत्तर प्रदेश)	कानपुर-उरई	—वही—
31.	सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	प्रतापगढ़-सुल्तानपुर	7वीं योजना के अंत तक
32.	बांदा (उत्तर प्रदेश)	हमीरपुर	—वही—

कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर महानिदेशक, आयुध कारखाना के अधीन नए कार्यालय खोलना

1060. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर महानिदेशक, आयुध कारखाना, कलकत्ता के अधीन कुछ नए कार्यालय खोलने का है जो अधिक क्षमता प्राप्त करने और बेहतर नियंत्रण तथा कलकत्ता में मुख्यालय के साथ समन्वय रखने में आयुध कारखानों के कार्यकरण पर निगरानी रख सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले/खोले गए ऐसे कार्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) आयुध निर्माणी महानिदेशक, जो कि आयुध निर्माणी बोर्ड का अध्यक्ष भी है, का मुख्यालय कलकत्ता में है। आयुध निर्माणी अपर महानिदेशक के रैंक का एक अधिकारी, 1969 से कानपुर मे काम कर रहा है और वह आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियों की देख-रेख करता है। इसी रैंक का एक अफसर, 1984 से आवड़ी में काम करता है और वह आवड़ी मेडक (हैदराबाद के नजदीक) स्थित मुख्यत: नई परियोजनाओं की देख-रेख करता है। ये दोनों अधिकारी कलकत्ता स्थित आयुध निर्माणी महानिदेशक के पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इस समय आगे कोई कार्यालय नहीं खोला जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में डाक छांटने के कार्यालयों और डाक स्टोरों की स्थापना

1061. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाक छांटने के कार्यालयों और डाक स्टोरों की संख्या कितनी है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ख) सातवीं योजनावधि में ऐसे कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा में एक-एक छंटाई कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है।

फिलहाल पोस्टल स्टोर डिपो खोलने के मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में छंटाई कार्यालय और पोस्टल स्टोर डिपो खोलना एक योजना कार्य नहीं है।

टायरों के मूल्यों का विनियमन

1062. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) जबकि भारतीय टायर उद्योग के सामने क्षमता आधिक्य की समस्याएं हैं और परिणामत: स्थापित क्षमता बेकार पड़ी रहती है, क्या टायर निर्माता हाल के महीनों में मूल्यों में की गई एकतरफा वृद्धि को नियंत्रण में रखने में असफल रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय बजट प्रस्तुत होने से पहले और बाद में 1985 में इसके मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) इस उद्योग को नियंत्रण में रखने और टायरों के मूल्य तथा वितरण पर भी नियंत्रण रखने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग द्वारा की गई मूल्य वृद्धि प्रत्येक एकक में तथा उनके उत्पादन की किस्म के अनुसार भिन्न-भिन्न है। किन्तु इस वर्ष के दौरान औसत मूल्य वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत रही है।

(ग) बाजार में चल रही प्रतियोगिता की स्थिति में, जिसमें इस समय अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन मांग की अपेक्षा अधिक है तथा कच्चे माल और अन्य निविष्टियों के मूल्यों अथवा वितरण पर भी कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है, अत: प्रथम दृष्टिया, टायरों के मूल्यों/वितरण पर नियंत्रण लगाना उचित नहीं होगा। फिर भी, सरकार टायरों के मूल्यों में कमी लाने के विचार से टायर उद्योग और कच्ची सामग्री उत्पादों दोनों के साथ लगातार अंत: कार्यवाही कर रही है।

[हिन्दी]

नालंदा जिले (बिहार) में डाकघर खोलना

1063. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) नालन्दा जिले (बिहार) में 1980 से 1984 तक की अवधि में कितने नये डाकघर खोले गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नालंदा जिले में अनेक ऐसे गांवों में डाकघर नहीं खोले गए हैं जो यत मुख्यालय हैं तथा जिनकी आबादी 2000 से भी अधिक है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कितने डाकघर खोलने का विचार है; और

(घ) इनमें से कितने डाकघर नालंदा जिले में खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1980 और 1984 के बीच बिहार के नालंदा जिले में 22 नए डाकघर खोले जा चुके हैं।

(ख) जी हां। नालंदा जिले के 25 ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर नहीं हैं। विभागीय मानदंडों के अनुसार ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोलने के लिए जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की कुल संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई है। इसका निर्धारण योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजनाओं की मंजूरी दिए जाने के बाद प्रतिवर्ष किया जाता है। तथापि, योजना के प्रथम वर्ष 1984-85 में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि मितव्ययिता के लिए नये पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को हटा लिया जाए। उसमें ढील दे दी जाए। इनमें से 6 डाकघर नालंदा जिले में खोलने का प्रस्ताव है।

भरतपुर राजस्थान में पेट्रोल पम्प खोलना

1064. **श्री लाला राम केन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में भरतपुर, राजस्थान में कितने नये पेट्रोल पम्प खोले जाने का प्रस्ताव है, और यदि कोई भी नया पेट्रोल पम्प नहीं खोला जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : तेल उद्योग का वर्ष 1985-86 की विपणन योजना के अधीन भरतपुर जिले में सिकरी रूपबास तथा ममीयान में तीन नये खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आटोमोबाइल्स की सहायक कम्पनियों का उत्पादन

1065. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल्स की सहायक कम्पनियों के उत्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व के सबसे बड़े कार निर्माता कौन हैं, और अगले पांच वर्षों के दौरान इस समय हो रहे बहुत कम उत्पादन में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ़ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व में कुछ प्रमुख कार निर्माता निम्नलिखित हैं :—

1. मे० जनरल मोटर्स (यू० एस० ए०)
2. मे० टोयोटा मोटर्स (जापान)
3. मे० फोर्ड मोटर्स (यू० एस० ए०)
4. मे० निस्सान मोटर्स (जापान)
5. मे० रीनाल्ट (फ्रांस)
6. मे० वाल्क्स वैगर (प० जर्मनी)
7. मे० क्रिस्टर (यू० एस० ए०)
8. पीगाट, एस० ए० (फ्रांस)
9. मे० फिएट (इटली)
10. मे० मज़दा (जापान)

सरकार ने नयी प्रौद्योगिकी को अपना कर और अतिरिक्त क्षमता के सृजन द्वारा देश में यात्री कार उद्योगों के आधुनिकीकरण करने को प्रोत्साहन देने हेतु कई कदम उठाए हैं। फिर भी, भारत जैसे एक विकासशील देश को विश्व के प्रमुख निर्माताओं के मुकाबले की कारों के उत्पादन स्तर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यह देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास पर भी निर्भर करेगा।

न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन

1066. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या विधि और न्याय मन्त्री न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन करने के बारे में 7 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मन्त्रियों तथा विधि मन्त्रियों का सम्मेलन इस बीच हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन के बारे में कोई चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) से (ग) मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य

मंत्रियों और विधि मंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन, जो 30 मई, 1985 को नई दिल्ली में होने वाला था, मुल्तवी कर दिया गया।

प्लास्टिक माल निर्माताओं को प्रोत्साहन

1067. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्लास्टिक का माल बनाने वालों को वित्त, कच्चा माल सस्ते दर पर दिलाने आदि के रूप में कुछ प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि प्लास्टिक के काम की बहुत मांग है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है और इन कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) प्लास्टिक के माल की मांग बढ़ रही है और ऐसी सम्भावना है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

पिछले क्षेत्रों में यूनिटें स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता, मशीनरी की खरीद, किराये पर देने और छोटे पैमाने की यूनिटों को कई उत्पाद शुल्क रियायतें आदि के रूप में विद्यमान प्रोत्साहन उन उद्यमियों को उपलब्ध हैं जो प्लास्टिक माल का उत्पादन करना चाहते हैं।

प्लास्टिक मोल्डिड माल के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और अब प्लास्टिक उद्योग के लिए मुख्य कच्चे माल के आयात का मामला ओ० जी० एल० के अधीन है।

तेल के लिए छिद्रण कार्य

1068. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां इस समय तेल के लिए छिद्रण कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या तेल छिद्रण हेतु नये स्थानों के सर्वेक्षण के लिए सातवीं योजना में कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल का वर्तमान भंडार कब तक के लिए पर्याप्त है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यधन किया जा रहा है :—

तटीय क्षेत्र

आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

बिहार

गुजरात

राजस्थान

असम

त्रिपुरा

तमिलनाडु

पश्चिम बंगाल

नागालैंड

अपतटीय क्षेत्र

पूर्वी समुद्र तट

पश्चिमी समुद्र तट

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसे अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही ब्यौरों का पता चलेगा।

(घ) उत्पादन की वर्तमान दर पर देश में तेल के भंडार लगभग 17 वर्ष तक चलेंगे। तथापि इसी बीच और भंडारों के शामिल किए जाने की आशा है।

शीरे का वितरण

1069. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीरे के अभाव और इसके वितरण में कदाचार के कारण पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, जो आत्म निर्भर नहीं हैं, को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रभावशाली ग्रुपों और निहित स्वार्थों के दबावों में शीरे का निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा कितने मूल्य के शीरे का निर्यात किया गया है; और

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अल्कोहल के उत्पादन में शीरे का विकल्प ढूंढने के लिये दशकों से कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो इसका हल ढूंढने के लिये किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)

केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने अपनी 16.3.85 को हुई बैठक में शीरा की अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर नवम्बर) के लिये उपलब्धता का मांग से 15 लाख टन कम का मूल्यांकन किया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा जैसे परम्परागत अधिशेष राज्यों के पास भी पश्चिमी बंगाल सहित अन्य अभाव वाले राज्यों को आवंटन के लिये शीरा अधिशेष नही है। तथापि, पश्चिमी बंगाल की अल्कोहल की मांग उत्तर प्रदेश और बिहार से आवंटन के जरिये पूरी कर ली गई हैं/की जा रही है। पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक अल्कोहल की उपलब्धता सुधारने के लिये मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिक लिमिटेड को 150 लाख लीटर का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जा चुकी है और अन्य औद्योगिक इकाइयों के शुल्क मुक्त औद्योगिक अल्कोहल के आयात के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर-नवम्बर) 1981-82 व 1982-83 के दौरान देश में शीरे की उपलब्धता मांग से अधिक थी। राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त अनुरोध पर शीरे के अधिशेष के एक भाग को निर्यात करने की अनुमति दे दी गई थी। निर्यात की जाने वाली शेष मात्रा में अल्कोहल वर्ष 1983-84 में कमी कर दी गई थी। चालू अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर, 1984-नवम्बर, 1985) के दौरान सरकार ने शीरे के निर्यात की कोई और अनुमति नहीं दी है। केवल राज्य व्यापार निगम को पहले की निर्यात वचनबद्धता की नाममात्र शेष मात्रा को पूरा करने की अनुमति दी गई है। गत तीन वित्तीय वर्षों में शीरे के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयातित मात्रा (मि० ट०)	मूल्य (रु० लाख)
1982-83	8.72 लाख	219
1983-84	5.04 लाख	2679
1984-85	2.49 लाख	1236

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अल्कोहल उत्पादन के लिये शीरे के वैकल्पिक स्रोतों पर काम नहीं कर रही है तथापि, गन्ने के रस से सीधे ही इथानल (अल्कोहल) उत्पादित करने की एक योजना चालू है। यह परियोजना शूगरकेन ब्रीडिंग इन्स्टीट्यूट, कोयम्बतूर और नेशनल इंस्टिट्यूट आफ शूगर कानपुर में चल रही है। पहली योजना अधिकतम अल्कोहल उत्पादन के लिए उपर्युक्त गन्ना उत्पादन के कृषि सम्बन्धी पहलुओं पर काम कर रही है। और दूसरी योजना गन्ने के रस को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रौद्योगिक पहलुओं पर कार्य कर रही है। दोनों संस्थानों में अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

इलैक्ट्रोनिक मैंगनीज डायोक्साइड के निर्माण में विदेशी सहयोग की उड़ीसा द्वारा मांग

1070. **श्री के० प्रधानी :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायोक्साइड के निर्माण की परियोजना के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की क्रियान्विति के लिए अनुमति देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी मै० इलैक्ट्रोकेम लिमिटेड, उड़ीसा को इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डायोक्साइड (ई एम डी) के निर्माण के लिए 26.4.1980 को एक औद्योगिक लाइसेंस इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मार्च, 1984 में कम्पनी ने औद्योगिक लाइसेंस में संशोधन करके परियोजना के लिए विदेशी सहयोग लेने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि स्वदेशी प्रौद्योगिक वाणिज्यिक स्तर पर लाभप्रद नहीं थी। सरकार द्वारा इसकी सहमति दे दी गई है। तथापि, कम्पनी से अभी तक कोई विदेशी सहयोग आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उर्वरकों के आयात के बदले नैफ्था का निर्यात

1071. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अमेरिका से उर्वरकों के आयात के बदले नैफ्था का निर्यात करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उपरोक्त प्रयोजन के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम को खरीदने का अधिकार दिया गया है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम को भी नैफ्था के निर्यात की मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) भारत किन-किन देशों को नैफ्था का निर्यात कर रहा है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) एम० एम० टी० सी० की कृषि मन्त्रालय की ओर से उर्वरकों के आयात का काम दिया गया है। वे विभिन्न उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित भी करते हैं इसमें नैफ्था शामिल है।

(ग) इन्डियन आयल कार्पोरेशन सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के संरणीबद्ध करने वाली एजेंसी है इसमें नैफ्था शामिल है।

(घ) निर्यात संबंधी लेन-देन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियों के जरिए होता है और उन देशों का नाम बताना संभव नहीं है जो हमारे नैफ्था का आयात करते हैं।

केरल सरकार की लंबी सीमेंट के कोटे का उपयोग करने में असफलता

1072. **श्री एम० रामाचन्द्रन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार अप्रैल से जून 1984 तक की अवधि के लिए आवंटित लैवी सीमेंट के कोटे का उपयोग करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमेंट का कितना कोटा आबंटित किया गया और कितना प्राप्त किया गया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि अप्रैल-जून 1985 की अवधि के लिए आबंटित कोटे को केरल सरकार उपयोग करने में असफल रही है। केरल राज्य सरकार के लिए अप्रैल-जून 1985 की तिमाही हेतु लेवी सीमेंट का आबंटन 99,295 मी० टन था जिसमें से प्रेषण 54,457 मी० टन का ही हुआ था। तमिलनाडु के सीमेंट कारखाने में बिजली की कटौती होने और केरल के सीमेंट कारखानों में कुछ उत्पादन संबंधी अडचनों के कारण प्रेषण कम रहे।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

1073. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में कब बदला जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, नहीं।

(ख) अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद जनपथ के मौजूदा एक्सचेंजों को बदल दिया जाएगा।

इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के एककों की स्थापना

1074. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के एकक इस समय राज्य वार किस-किस स्थान पर स्थित हैं और निर्माणाधीन हैं;

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां निकट भविष्य में इस प्रकार के एकक स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज का इस प्रकार का कोई एकक उड़ीसा में प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि उसमें कोई बाधाएं हैं तो वह क्या हैं; और

(घ) विशेष स्थानों पर ही कई एकक खोलने के बजाय सभी राज्यों को इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के नक्शे में स्थान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इन्डियन

टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई० टी० आई०) के पांच कारखाने हैं जो बंगलौर कर्नाटक में, नैनी और रायबरेली उत्तर प्रदेश में, पालघाट केरल में और श्रीनगर जम्मू तथा कश्मीर में स्थिति हैं। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का दूसरा एकक गोण्डा उत्तर प्रदेश के मनकापुर नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है जिसमें इलैक्ट्रानिक एक्सचेज उपस्कर बनाए जाएंगे। आई० टी० आई० के अधीन बंगलौर कर्नाटक इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का दूसरा कारखाना स्थापित करने का निर्णय सिद्धांत रूप से ले लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आई० टी० आई० के नए कारखानों के स्थानों का निर्णय, विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध आधारभूत संरचना तथा देश के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

[हिंदी]

सागर (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन सेवा

1075. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन सेवा सन्तोषजनक नहीं है और कई बार टेलीफोन काम नहीं करते और डायलटोन भी नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो असन्तोषजनक और अव्यवस्थित टेलीफोन व्यवस्था के क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन व्यवस्था में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। सागर (मध्य प्रदेश, में टेलीफोन सेवा आम तौर पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सेवा में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) उपभोक्ता लूपों के बदले ऑप वायर लगाये जा रहे हैं।

(ii) ऊपरी संरेखण को कम करने के लिए भूमिगत केबिलें बिछाई जा रही हैं;

(iii) केबिल खाइयों को बन्द करने के पहले उनमें पानी भरना।

(iv) वितरण नेटवर्क में जैली भरे केबिलों का पे प्रयोग;

(v) मौजूदा एक्सचेंज के बदले भारतीय क्रासबार किस्म के 2000 लाइनों वाले एक्सचेंज की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है।

(vi) एक्सचेंजों के आंतरिक उपस्करों की विशेष जांच।

(vii) निरीक्षण एवं रख-रखाव कार्यक्रमों में तेजी लाई जा रही है।

[अनुवाद]

मिनी सीमेंट संयन्त्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव

1076. **श्री गुरूदास कामत :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मिनी सीमेंट संयन्त्रों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या हाल ही में बैंक सहायता बन्द कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इन मिनी सीमेंट संयन्त्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) लघु मिनी सीमेंट संयन्त्रों को वित्तीय सहायता सीधे सरकार द्वारा प्राप्त न होकर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों जैसे आई० डी० बी० आई० द्वारा प्राप्त होती है। जब तक सीमेंट उद्योग की प्रवृत्तियों की विस्तृत समीक्षा और आई० डी० बी० आई० द्वारा पहले से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे मिनी सीमेंट संयन्त्रों के कार्य संचालन की जांच नहीं कर ली जाती तब तक आई० डी० बी० आई० ने मिनी सीमेंट संयन्त्रों को जनवरी 1985 से वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया था फिर भी आई० जी० डी० बी० आई० ने यह सुविधा अब फिर से देनी शुरू कर दी है। तथापि सरकार द्वारा मिनी सीमेंट संयन्त्रों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोनी (उत्तर प्रदेश) से दिल्ली को सीधी डायल टेलीफोन सेवा

1077. **श्री काली प्रसाद पाण्डे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा के निकट के एक औद्योगिक क्षेत्र लोनी से दिल्ली तक सीधी टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो लोनी से दिल्ली तक, जो कि गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव आदि, जहां पहले से ही दिल्ली से सीधी टेलीफोन प्रणाली है, की तुलना में अधिक समीप है, सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली से लोनी तक सीधी टेलीफोन सेवा प्रदान करने का है जहां कि बड़ी संख्या में लघु उद्योग हैं और उनका लगभग समूचा उत्पादन दिल्ली में बेचा जाता है और इस प्रकार की सुविधा के अभाव में ये उद्योग भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। लोनी से दिल्ली के लिए सीधी डायलिंग सुविधा के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) मामलों की जांच करने के उपरांत फिलहाल तकनीकी दृष्टि से उपर्युक्त सुविधा व्यवहारिक नहीं पाई गई।

(घ) जी नहीं।

मणिपुर राज्य में उद्योग की स्थापना

1078. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मणिपुर राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां हिन्दुस्तान मशीन टूल्स या वैसे ही किसी सरकारी उपक्रम की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के उद्योगीकरण से संबंधित समस्याओं और संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कोई पैनल नियुक्त करेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी. हां।

(ख) इस समय कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) क्षेत्र (मणिपुर सहित) के तीव्र विकास से सम्बन्धित कार्यकलाप की समीक्षा करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मंत्रियों की एक समिति (एक सरकारी स्तरीय समिति द्वारा सहायता प्राप्त) का गठन किया गया है।

सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य दूरस्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देते हुए पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण की विद्यमान योजना की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का भी गठन किया है।

लोहिया मशीन लिमिटेड, कानपुर द्वारा लोगों की जमा राशि का लौटाया जाना

1079. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोहिया मशीन लिमिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित वस्पा-एक्सई स्कूटरों के लिए नाम दर्ज करते समय जनता द्वारा जमा करायी गई राशि वापस न किये जाने/वापस किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस कम्पनी को चालू वर्ष में अब तक वेस्पा स्कूटरों के लिए नाम दर्ज कराने के आवेदनों के साथ जमा कराई गई राशि की वापसी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने लम्बित पड़े हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्राप्त की गई कुछ शिकायतें मे० लोहिया मशीन्स लिमिटेड को भेज दी गई थीं। कम्पनी ने बताया है कि 1985 के प्रथम छः महीनों में प्राप्त किये गये कुल 88,982 आवेदनों में से 62992 मामलों में जमा धनराशियां वापिस कर दी गई हैं और शेष आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है।

उपभोक्ता उत्पादों के लिए विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग

1080. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्थानीय उपभोक्ता उत्पादों के लिए विदेशी ब्रांड नामों के उपयोग को अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार आन्तरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्राण्ड नामों के उपयोग की अनुमति सामान्यतया नहीं दी जाती तथापि निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर इनके प्रयोग किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

महाशक्तियों की हिन्द महासागर में बढ़ती हुई नौसैनिक गतिविधियों को देखते हुए रक्षा की भावी योजना

1081. **श्री टी० बशीर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर में बढ़ती हुई नौसैनिक गतिविधियों और पाकिस्तान द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार जमा करने को ध्यान में रखते हुए कोई नई भावी योजना तयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) हिन्द महासागर में महाशक्तियों

की गतिविधियों से होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार देश की रक्षा क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रही है। तैयार की जा रही रक्षा योजना में इन गतिविधियों को ध्यान में रखा जायेगा और उपयुक्त जहाजों, विमानों और हथियारों को शामिल करने का उचित प्रबंध किया जायेगा। प्रस्तावित रक्षा योजना के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक होंगे।

भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की वरिष्ठता का परिकलन वर्णमाला क्रम से करने के लिए प्रक्रिया

1082. **श्री एस० एम० गुरड्डी**
श्री विजय कुमार मिश्र } **: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उनके मंत्रालयों में विभिन्न विभागों तथा विंगों में एक ही दिन पदोन्नत अर्थात भर्ती किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या यह वर्णमाला क्रम से परिकलित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह नियम/प्रक्रिया सेना के तीनों विंगों अर्थात भारतीय वायु सेना में लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की वरिष्ठता, प्रशिक्षण के दौरान उनकी योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर निर्धारित की जाती है। केवल नौसेना में तकनीकी शाखाओं में सीधे भर्ती के लिए चुने गये उम्मीदवारों को ही जो कि उसी दिन भर्ती किये जाते हैं, शुरू में वर्णमाला क्रम में रखे जाते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उनके कार्य-कलापों के आधार पर, कमीशन लेते समय अंतिम रूप से उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाती है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वायुसेना के अफसरों की वरिष्ठता, प्रशिक्षण के दौरान उनकी कार्य-कुशलता के अनुसार निर्धारित योग्यता क्रम में उन्हें जो स्थान मिलता है उसके आधार पर तय की जाती है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में छावनी बोर्ड के चुनाव

1083. **श्री के० डी० सुलतान पुरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में छावनी बोर्ड के चुनाव कब तक होने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन बोर्डों में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव) : (क) हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न छावनी बोर्डों के चुनाव कराने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। उनकी मतदाता सूचियों की समीक्षा की जा रही है। इसके पश्चात् छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनावों के लिए तिथियां घोषित की जाएंगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश में 7 छावनी बोर्डों में से खासीयोल में एक सामान्य छावनी बोर्ड है। शेष छः छावनी बोर्डों के सिविलियन सदस्यों की नामजदगी को, इन सभी छावनी बोर्डों की संबंधित कमानों के जी॰ ओ॰ सी॰ इन-सी॰ की सिफारिशें प्राप्त होने पर, अंतिम रूप दिया जाएगा।

गोरखपुर उर्वरक एकक का आधुनिकीकरण

1084. **श्री मदन पाण्डे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम के वर्तमान एकक के रख-रखाव और अंशतः आधुनिकीकरण/सुधार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) गोरखपुर एकक में बेकार उपकरण व मशीनों को प्रतिस्थापित करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम कम्पनी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें रु॰ 10 करोड़ का निवेश निहित है जो दो वर्षों की अवधि में पूरा होगा।

एच॰ एम॰ टी॰ फैक्ट्री, रानी बाग (उ॰ प्र॰) में भर्ती

1085. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, रानीबाग (उ॰ प्र॰) में सभी पदों के लिये भर्ती नैनीताल के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में पंजीबद्ध व्यक्तियों में से ही की जाती है;

(ख) क्या यह प्रक्रिया उनके मंत्रालय द्वारा किये गये नीति निर्णयों के अंतर्गत अपनाई जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसमें परिवर्तन कराने का सरकार का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) श्रमिकों तथा कनिष्ठ पर्यवेक्षकों की श्रेणियों के सभी पदों को हल्द्वानी तथा नैनीताल के रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों एवं विस्थापितों के आश्रितों व कृषकों में से ही भरा जाता है। उच्च पदों को रोजगार कार्यालयों/क्षेत्रीय/अखिल भारतीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिये भरा जाता है। वरिष्ठ पदों को एच॰ एम॰ टी॰ के अन्य एककों से तबादले के जरिये भरा जाता है।

(ख) यह पद्धति कम्पनी की नीति के अनुसार है और सरकारी नीति के अनुरूप है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

'भेल' यूनिटों के मजदूर संघ

1086. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भेल' की प्रत्येक यूनिट और उनके केन्द्रीय मजदूर संघों से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनको मान्यता प्रदान करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों में मान्यता प्राप्त संघों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जहां कहीं संघों को अनुशासन संहिता/सम्बद्ध अधिनियमों के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है वहां संहिता/अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जिन एककों में संहिता/अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कोई संघ नहीं था वहां इसका निश्चय, गुप्त मतदान द्वारा बहुमत संघ का निर्धारण करने के लिए, केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों सहित जिनसे संयंत्र स्तर के संघ सम्बद्ध हैं, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।

विवरण

क्रमांक	एकक का नाम	संघ का नाम	केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन जिससे सम्बद्ध हैं।
1	2	3	4
1.	बी० एच० ई० एल० हैदराबाद हैवी पावर इक्विपमैंट प्लांट	बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एण्ड स्टाफ यूनियन	इंटक
		हेवी इलेक्ट्रिकल्स इम्पलाइज एण्ड अप्रेंटिसिज एसोसिएशन	बी० एम० एस०
		बी० एच० ई० एल० तेलगूनाडु इम्पलाइज यूनियन	इंटक
	स्विचगियर	बी० एच० ई० एल० एण्ड स्विचगियर इम्पलाइज यूनियन	स्वतन्त्र
		बी० एच० ई० एल० स्विचगियर यूनिट वर्कर्स यूनियन	इंटक

1	2	3	4
2.	बी० एच० ई० एल०, बंगलौर	बी० एच० ई० एल० इम्पलाइज एसोसिएशन	स्वतन्त्र
	कन्ट्रोल इक्विपमेंट डिवीजन इलेक्ट्रो पोर्सिलेन डिवीजन	गवर्नमेंट पोर्सिलैन फैक्टरी इम्पलाइज एसोसिएशन	स्वतन्त्र
3.	बी० एच० ई० एल०, भोपाल	हेवी इलेक्ट्रिकल्स मजदूर ट्रेड यूनियन	इंटक
		बी० एच० ई० एल० कामगार ट्रेड यूनियन	सीटू
		हेवी इलेक्ट्रिकल्स मजदूर यूनियन	एटक
		हेवी इलेक्ट्रिकल्स श्रमिक ट्रेड यूनियन	एच० एम० एस०
		हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स यूनियन	बी० एम० एस०
4.	बी० एच० ई० एल०, तिरुचि	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स यूनियन	सीटू
		बायलर प्लांट इम्पलाइज यूनियन	इंटक
		बी० एच० ई० एल० प्रोग्रेसिव यूनियन	लेबर प्रोग्रेसिव फ्रण्ट-डी० एम० के०
		बायलर प्लांट अन्ना वर्कर्स यूनियन	ए० आई० ए० डी० एम० के०
5.	बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ	बी० एम० एस०
		हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स ट्रेड यूनियन	इंटक
		बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन	एटक
		बी० एच० ई० एल० कर्मचारी परिषद	स्वतन्त्र
		सी० एफ० एफ० वर्कर्स ट्रेड यूनियन	इंटक

1	2	3	4
6.	बी० एच० ई० एल०, झांसी	बी० एच० ई० एल० कर्मचारी संघ बी० एच० ई० एल० इम्पलाइज यूनियन	बी० एम० एस० इंटक

गैर-संजीदा अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने से रोकना

1087. **श्री एस० एम० मट्टम :** क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों में अभ्यर्थियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिन्ता व्यक्त की है और गैर-संजीदा अभ्यर्थियों और स्वतन्त्र अभ्यर्थियों को निर्वाचन लडने से रोकने के लिए सरकार को अनेक सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उन सुझावों के बारे में क्या विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) से (ग) आपका ध्यान तारीख 23 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 24 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए निर्वाचन सुधार प्रस्तावों का ब्यौरा है। उत्तर के साथ संलग्न विवरण की मद संख्या 1 गैर-संजीदा अभ्यर्थियों को निर्वाचन न लड़ने देने के सम्बन्ध में है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस दुर्घटना सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

1088. **श्री शांति धारीवाल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनियन कारबाईड फैक्ट्री की भोपाल यूनिट से एम० आई० सी० गैस रिसने से हुई भोपाल गैस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के दौरान कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जांच आयोग के कार्य और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छानबीन अभी चल रही है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को बिटूमन का आवंटन और सप्लाई

1089. **श्री अजय बिस्वास :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल को वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल कितना बिटूमन आबंटित किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिटूमन की वास्तविक सप्लाई कितनी थी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल द्वारा बिटूमन के आबंटन/वास्तविक उठान का विवरण नीचे दिया गया है :

"000 मी० टन"

	आबंटन		वास्तविक	
	बल्क	पैक्ड	बल्क	पैक्ड
1981-82	75.00	45.00	46.1	38.00
1982-83	100.00	30·00	36·9	27·60
1983-84	65·00	30·00	27·9	30·00

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति

1090. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सम्बन्धित राज्य से बाहर के व्यक्ति की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की नीति में कोई लाभ प्रतीत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

(घ) कितने राज्यों ने इस नीति का विरोध किया है और किस आधार पर; और

(ङ) क्या इस नीति में कोई परिवर्तन किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) से (ङ) उच्च न्यायालयों में बाहर से मुख्य न्यायमूर्तियों को रखने की नीति, विधि आयोग की सिफारिशों और देश में विभिन्न विधिक मंचों की मांग पर आधारित है, और यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाई गई है। ऐसी नीति से राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी। ऐसे मुख्य न्यायमूर्तियों से, जिनकी नियुक्ति बाहर से की जाती है, यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे जाति, पंथ, रिश्तेदारियों और स्थानीय सम्पर्कों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रूप में, कार्य करेंगे और यह प्रतीत भी होगा कि वे ऐसे निष्पक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं।

इस नीति की घोषणा 28.1.1983 को की गई थी। तत्पश्चात्, एक राज्य से विधिक और

सांविधानिक आधार पर आक्षेप किया था। किन्तु सही, विधिक और सांविधानिक स्थिति, उक्त राज्य सरकार को सूचित कर दी गई थी।

केन्द्रीय सरकार इस नीति को सत्यनिष्ठा और तत्परता से क्रियान्वित करना चाहती है और उसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है। इस मामले पर विचार, मुख्य न्यायमूर्तियों मुख्य मन्त्रियों और विधि मन्त्रियों के सम्मेलन में, जो 31 अगस्त, 1985 को होने जा रहा है, होगा।

[अनुवाद]

वर्ष 1985-86 में उर्वरक संयंत्रों के लिए धनराशि का आवंटन

1091. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए 590 करोड़ रुपये के परिव्यय में से प्रत्येक उर्वरक संयंत्र के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, क्षेत्र-वार कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई थी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक एककों से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए कुल वार्षिक योजना आवंटन 541.47 करोड़ रुपए हैं। एकक वार कार्यक्रमानुसार आवंटन संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

1985-86 के दौरान उर्वरकों के लिए कार्यक्रमानुसार वार्षिक योजना आवंटन

क्रम सं०	कार्यक्रमों के ब्यौरे	आवंटित राशि (रु० लाखों में)
1.	**फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई)**	
1.	कोवाँ	27
2.	कोक ओवन बैटरी की रिमाईलिंग (बिहार)	89
3.	रेलवे साईडिंग-गोरखपुर	21
4.	निम्नलिखित का पुनर्वास:	
(क)	सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण	

1	2	3
	(ख) गोरखपुर (ग) रामागुण्डम (घ) तालचर	200
	5. तालचर के लिए वेस्ट हीट बायलर सहित आर एफ आर तथा रामागुण्डम के लिए मध्यम प्रेसर बायलर	800
	योग : एफ सी आई	1137
	2. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फेक्ट)	
	1. जहाज उतरान/नियन्त्रण सुविधा	87
	2. कोचीन प्रभाग 2 प्रदूषण नियन्त्रण	20
	3. कोचीन प्रभाग 1 प्रदूषण नियन्त्रण	152
	4. फोस एसिड के आयात के लिए सुविधाएं	51
	5. केप्रोलेक्टम परियोजना	3400
	6. टाउनशिप में विकास	90
	7. टाउनशिप सुविधाओं और सी आई एस एफ क्वार्टर्स का विस्तार	100
	8. नई योजनाएं	100
	9. फेक्ट टावर	100
	10. नवीकरण और प्रतिस्थापन	600
	योग एफ ए सी टी	4700
	3. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर सी एफ)	
	1. ट्राम्बे 5	129
	2. थाल प्रोजेक्ट	11000
	3. सल्फा संयन्त्र का पुनर्वास	601
	4. के० ओ० एल० नियन्त्रण	120

1	2	3
5.	एचपी निटरिक एसिड का नोक्स एलायन्मेंट	116
6.	अमोनिया संयंत्र का पुनर्वास	600
7.	मेथनौल संयंत्र का आधुनिकीकरण	100
8.	पर्न गैस से हाइड्रोजन रिकवरी	67
9.	नाइट्रिक एसिड में एन-15 की बढ़ोतरी	12
10.	प्रतिस्थापन और नवीकरण	300
	योग : आर सी एफ	13045
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स (लि० एन एफ एल०)	
1.	विजयपुर उर्वरक संयंत्र	12550
2.	रक्षित विद्युत संयंत्र भटिण्डा और पानीपत	2800
3.	इलैक्ट्रोलाइसिज संयंत्र नंगल का प्रतिस्थापन	300
4.	नई योजनाएं	100
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	35
6.	प्रतिस्थापन और नवीकरण	300
	योग एन एफ एफ :	16085
5.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच एफ सी)	
1.	रक्षित विद्युत संयंत्र (दुर्गापुर)	162
2.	हल्दिया उर्वरक संयंत्र	100
3.	रक्षित विद्युत संयंत्र (हल्दिया)	10
4.	नागरूप-3 संयंत्र	3400
5.	रक्षित विद्युत संयंत्र (बरौनी)	1450
6.	अमोनिया भण्डारण	
	(क) दुर्गापुर	29

1 2	3
(ख) बरौनी	40
(ग) हल्दिया	129
7. सियरेज पम्प योजना (नामरूप)	35
8. आवास योजना	35
9. भरे हुए थैलों का भण्डारण (बरौनी)	39
10. वायु प्रदूषण परिवर्तन योजना	1
11. डी सी डी ए परिवर्तन योजना (नामरूप)	31
12. कन्डनसेट इन्जेक्शन योजना (नामरूप)	42
13. नामरूप/दुर्गापुर/बरौनी का पुनरोद्धार	100
14. प्रतिस्थापन और नवीकरण	400
योग एच एफ सी :	6003
6. पारादीप फास्फेट लि० (पी पी एल)	
1. पारादीप उर्वरक परियोजना	10000
7. पाराराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० (पी पी सी एल)	
1. खनन परियोजना अमझोर	10
2. मंसूरी फास्फेट परियोजना 200 ट० प्र० दि०	45
3. मंसूरी फास्फेट विस्तार-फेज-1 200 टी पी डी	50
4. सलादीपुरा अन्वेषण सह उत्पादन खनन परियोजना	25
5. 240 ट० प्र० दि० सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र	
625 ,, ,, ,, एस एस पी संयंत्र अमझोर	100
6. लाभदायक संयंत्र विकास 7. फास्फेट उर्वरक संयंत्र पी ए पी आर	1
8. तमिली माइन एक्सप्लोरेशन	10
9. आर एण्ड डी/एस एण्ड टी/पाइलट संयंत्र/व्यवहार्यता अध्ययन आदि	191
योग : पी पी सी एल	432

1	2	3
8.	**प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी डी आई एल)**	
1.	प्रतिस्थापन और नवीकरण सहित चालू योजनाएं	152
2.	कम्पयूटर	28
3.	केटेलिस्ट आधुनिकीकरण	100
4.	एफसीसी केटालिस्ट	100
5.	दिल्ली में कार्यालय स्थान	50
6.	बड़ोदा में आवास	40
7.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	50
	योग : पी डी आई एल	520
9.	**मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० (एम एफ एल)**	
1.	नई योजनाएं	1000
	योग एम एफ एल	1000
10.	एच एफ सी उर्वरक शैक्षणिक परियोजना को अनुदान	450
11.	पीडी आई एल को उर्वरक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान	275
12.	गुना उर्वरक परियोजना को जल की आपूर्ति हेतु म० प्र० सरकार को ऋण	500
	योग	54147 लाख
		541.47 करोड़

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक संयंत्रों पर योजना परिव्यय क्षेत्रवार, वर्ष वार प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है :—

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक संयंत्रों पर प्रतिशत परिव्यय (प्रतिशत)		
	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4

1	2	3	4
उत्तर क्षेत्र			
(उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान)	2.7	1.6	1.0
दक्षिणी क्षेत्र			
(आन्ध्र प्रदेश, केरल)	4.6	6.6	6.7
पूर्वी क्षेत्र			
(आसाम, बिहार, उड़ीसा, प० बंगाल	28.1	21.4	34.0
पश्चिमी क्षेत्र			
(महाराष्ट्र)	64.5	70.3	49.6
केन्द्रीय क्षेत्र			
(मध्य प्रदेश)	0.1	0.1	8.7

जम्मू और काश्मीर में अरनिया गांव के निकट अईक नाले पर पुल

1092. **श्री जनक राज गुप्ता** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में तहसील विश्नाह, जिला जम्मू में अरनिया गांव के निकट सीमा सड़कों को जोड़ने के लिए अईक नाले पर कोई पुल नहीं है;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्षा के मौसम के दौरान अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे उस अवधि के दौरान उस तहसील के मुख्य कस्बों से कट जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र के लोगों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस अईक नाले पर एक पुल का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अरनिया गांव के नजदीक "अईक" नाले पर एक अस्थायी बैली पुल (33.5 मीटर) है। भारी मानसून के दौरान पुल को अलग कर दिया जाता है ताकि बाढ़ के पानी से यह बह न जाए। ऐसे समय में यातायात को मोरचापुर और देवीगढ़ के नजदीक "अईक नाले" के ऊपर की ओर और नीचे की ओर स्थित दो स्थायी पुलों की ओर ले जाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सक्रियात्मक जरूरतों के लिए प्रस्तावित पुल की कोई आवश्यकता नहीं है।

उर्वरक प्रौद्योगिकी नीति की समीक्षा

1093. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरक प्रौद्योगिकी नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार उर्वरक प्रौद्योगिकी में विश्व में हो रहे विकास की जानकारी रखती है और नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के भावी कार्यक्रम और उपलब्ध स्टाक को ध्यान में रखते हुए यदि नीति में पुनर्विचार की आवश्यकता हुई तो सरकार उस पर उचित कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की कमी

1094. **श्री सरफराज अहमद** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की कमी है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों के लिए कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कमी किन-किन क्षेत्रों में है और उसे पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या गैस सिलेंडरों की डिलिवरी देर से करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली के ग्रीन पार्क, हौजखास, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, महरौली मालवीय नगर, जंगपुरा, निजामुद्दीन, फ्रैण्डस कालोनी, काका नगर, सुन्दर नगर तथा लाजपत नगर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को रिफिलों की पूर्ति में 3 से 5 दिनों तक की सांकेतिक देरी हो रही है। कुछ वितरकों के सुपुर्दगी कर्मचारियों के अनुपस्थित होने तथा परिवहन और कार्य चालन बाटलनैक के परिणामस्वरूप सिलिण्डरों की पूर्ति में अपर्याप्तता देरी के मुख्य कारण हैं। वितरकों को आस-पास के संयंत्रों से बढ़ी हुई पूर्ति को पाने के प्रयास करने के अतिरिक्त कार्य चाल को बढ़ाने की सलाह दी गई है।

मिलावटी पेट्रोल की बिक्री

1096. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री शांति धारीवाल } : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मिलावटी पेट्रोल बेचते पाये गये पेट्रोल पम्पों की राज्य-वार संख्या, नाम और पते क्या हैं; और

(ख) उसमें से प्रत्येक के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (1982 से 1984) के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा प्रमाणित मिलावट के पन्द्रह मामलों का पता लगा लिया गया और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई थी। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मिलावट के प्रमाणित मामलों और डीलरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

राज्य का नाम	पेट्रोल पम्प/डीलर का नाम एवं पता	की गई कार्रवाई
1	2	3
गुजरात	1. लक्ष्मी आटोमोबाईल्स, सूरत	डीलरशिप समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, परन्तु डीलर न्यायालय में चला गया और मामला निर्णयाधीन है।
	2. देसाई एण्ड कं०, बरेजा	डीलरशिप समाप्त कर दी गई थी परन्तु डीलर ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है और मामला निर्णयाधीन है।
	3. पी० एच० देसाई, केरलू	डीलरशिप समाप्त की गई थी।
	4. मोहन आटो सर्विस, मानीनगर, अहमदाबाद	डीलरशिप समाप्त की गई थी, परन्तु डीलर न्यायालय में चला और मामला निर्णयाधीन है।
केरल	5. वाई० जे० फ्रांसीस बोरगी, एटमानुर	डीलरशिप समाप्त की गई थी, परन्तु डीलर न्यायालय में चला गया और मामला निर्णयाधीन है।

1	2	3
	6. इकबाल पेट्रोलियम मन्नारघाट	डीलरशिप समाप्त कर दी गई थी, डीलर ने न्यायालय की ओर से उपकरणों के फेंके जाने के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किए और एच० पी० सी० एल० ने अपील की है।
	7. कूलथ मोहम्मद एण्ड संस, काकद	डीलरशिप समाप्त की गई थी।
पंजाब	8. गोयल आयल कारपोरेशन कुपकला	डीलरशिप समाप्त की गई थी, परन्तु डीलर न्यायालय में चला गया और मामला निर्णयाधीन है।
महाराष्ट्र	9. वेस्टर्न पेट्रोलियम, पुणे	डीलरशिप समाप्त की गई थी और डीलर ने न्यायालय में डीलरशिप की समाप्ति को चुनौती दी है और मामला निर्णयाधीन है।
	10. रूईया मिनरल्स, चकाला, बम्बई	डीलरशिप समाप्त की गई थी, परन्तु डीलर एच० पी० सी० एल० द्वारा स्थान अधिग्रहण कर लेने के विरुद्ध न्यायालय में चला गया और मामला निर्णयाधीन है।
	11. एम० एस० ठक्कर, घाटकोपर, बम्बई	डीलरशिप समाप्त कर दी गई थी, परन्तु डीलर न्यायालय में चला गया है और मामला निर्णयाधीन है।
मध्य प्रदेश	12. कन्हैया लाल एण्ड कं० मोरसाला, (एम० पी०)	डीलरशिप समाप्त कर दी गई थी।
आन्ध्र प्रदेश	13. भास्कर फिलिंग स्टेशन, पोबेयर	डीलरशिप समाप्त कर दी गई थी।
पश्चिम बंगाल	14. गंगेरी वाला सर्विस स्टेशन कलकत्ता	डीलरशिप की समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु डीलर न्यायालय में चला गया और मामला निर्णयाधीन है।
	15. एम० एम० विश्वास, कलकत्ता	डीलरशिप की समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु डीलर न्यायालय में चला गया और मामला निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

कास्टिक सोडा का उत्पादन और उपयोग

1098. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कास्टिक सोडा की उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए मरकरी सैलों के बजाए मैम्ब्रेन सेलों का आयात करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में कास्टिक सोडा का औसत उपयोग और उसका वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(घ) क्या उक्त आयात किए जाने से मूल्य ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कास्टिक सोडा के निर्माण हेतु मेम्बरेन्स सैल प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शन तैयार किए हैं।

(i) प्रक्रिया लाइसेंसदाता को चरणबद्ध रूप में मूल और विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए शिनाख्त करके एक भारतीय इंजीनियरिंग परामर्शी कम्पनी के साथ करार करना चाहिए।

(ii) प्रक्रिया लाइसेंसदाता को मुख्य और गौण प्लाइन शुद्धीकरण उपकरण, इलैक्ट्रोलाइजर्स, मैटल अनोडस आदि जैसे हार्डवेयर के निर्माण के लिए भारतीय निर्माता कम्पनी के साथ पता लगाकर व्यवस्था करना चाहिए।

(iii) तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी० ई० सी०) और अन्य सरकारी संस्थाओं के परामर्श से तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) मेम्बरेन्स सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित क्लोर-कास्टिक एककों के लिए पूंजीगत माल के आयात हेतु रूपरेखा तयार करेगा।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान देश में कास्टिक सोडा का उत्पादन क्रमश: 5.47 लाख टन और 6.84 लाख टन हुआ था। स्वदेशी मांग, जिसकी 1985-86 के दौरान 6.80 लाख टन होने की सम्भावना है, को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

(घ) मेम्बरेन्स सैल प्रौद्योगिकी के माध्यम से कास्टिक सोडा की उत्पादन लागत सामान्यत: कम होगी क्योंकि मरकरी सैल प्रक्रिया की तुलना में इसमें पावर की पर्याप्त बचत होती है।

भोपाल में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों को भरने के संयंत्र की स्थापना

1099. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश में भोपाल में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों को भरने के संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या पर्यावरण विभाग द्वारा इसका अनुमोदन न करने के कारण इसकी प्रगति रुकी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) भोपाल में 25,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता का एक एल० पी० जी० भरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने पहले ही इस प्रयोजन के लिए भोपाल के निकट मिसरोड पर 110 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली है।

(ग) जी हां।

(घ) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ मामले पर बातचीत कर रहे हैं तथा "अनापत्ति पत्र" के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित सिविल, आपराधिक और श्रमिक मामले

1100. **श्री चित्त महाता** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में 30 जन, 1985 तक कितने सिविल आपराधिक तथा श्रमिक मामले लम्बित थे; और

(ख) इन न्यायालयों में इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या घटाने के उपाय संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित सिविल, आपराधिक और श्रमिक मामले

न्यायालय का नाम	लम्बित मामलों की संख्या			
	सिविल	आपराधिक	श्रम (अपीलें)	योग
		(1-6-1985 को)		
उच्चतम न्यायालय (नियमित सुनवाई और ग्रहण करने के मामले)	70771	7917	989	79677
उच्च न्यायालय	लम्बित मामलों की संख्या			
	सिविल	आपराधिक	श्रम (रिट अर्जियां)	योग
		(31-12-1984 को)		
1 2	3	4	5	6
1. इलाहाबाद	180079	47198	1675	228952
2. आन्ध्र प्रदेश	78196	2144	916	81256
3. मुम्बई	94335	7059	1548	102942
4. दिल्ली	64470	3802	885	69157
5. गुजरात	30826	4713	1410	36949
6. हिमाचल प्रदेश	8575	476	5	9059
7. जम्मू-कश्मीर	22758	2963	86	25807
8. कर्नाटक	92298	2085	2381	96764
9. केरल	93189	6207	601	99997
10. मध्य प्रदेश	37594	12646	505	50745
11. मद्रास	122401	10391	959	133751
12. उड़ीसा	20861	3133	220	24214
13. पटना	39459	17118	471	57048
14. पंजाब और हरियाणा	30639	2398	671	33708
15. राजस्थान	36116	10945	1070	48131

1	2	3	4	5	6
16.	सिक्किम	32	4 (30-6-1984 को)	—	36
17.	कलकत्ता	115155	10754 (31-12-1983 को)	91	126000
18.	गौहाटी	10795	2541	67	13403

विवरण-2

लम्बित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं हैं।

(4) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 जुलाई, 1985 को 424 कर दिया गया है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे-मोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया और उसमें यह उपबन्ध किया गया कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः अभी हाल में न्यायालय ने, जहां कहीं भी सम्भव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब उत्तर में दोनों पक्षकार अपने प्रतिशपथ-पत्र और शपथपत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने उन राज्यों के, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, मुख्य मन्त्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224 क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(9) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(10) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं —

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे में निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और बिलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्त्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करने जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(11) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए, तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देना

1101. **श्री के० कुन्जम्मू** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने की व्यवस्था करने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) केरल में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें अभी रोजगार दिया जाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार स्वयं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भरती के मामले में आरक्षण की नीति का पालन करती है। वह राज्य सरकारों से भी सिफारिश करती है कि वे भी आरक्षण की नीति अपनाएं। भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से भी सिफारिश करती रहती हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार खोलने में इसी तरह प्रोत्साहित किया जाए।

(ख) केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के पास 23,882 भूतपूर्व सैनिक रजिस्टर हैं।

(ग) केरल सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) सरकार द्वारा चलाई जा रही कम्पनियों तथा कुछ किस्म के सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है;

(2) सरकार में कुछ सीमित श्रेणियों की नियुक्तियां उनके लिए आरक्षित की गई हैं;

(3) कुछ शर्तों के अन्तर्गत उनके लिए अनिवार्य अर्हताओं में छूट दी जाती है ;

(4) भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार चलाने में प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रों में प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित करती है, खुदरा वितरक के रूप में नियुक्ति के लिए उन्हें प्राथमिकता देती है और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के लिए मछली पालन विभाग के नौका निर्माण-यार्डों में निर्मित यांत्रीकृत नौकाओं का उनके लिए आरक्षण करती है।

टेलीफोन हेतु पंजीकृत

1102. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबन्धक, दूरसंचार, नई दिल्ली ने यह अधिसूचित किया है कि उनके कार्यालय के पास टेलीफोन के पंजीकरण हेतु नकद धनराशि प्राप्त करने के बजाए, जो प्रथा पहले प्रवृत्त थी, डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त किया जायेगा;

(ख) क्या यह योजना ऐसे पंजीकरण हेतु सभी स्थानों पर लागू की गई हैं;

(ग) क्या पंजीकरण बैंक से धनराशि प्राप्त होने की तारीख से किया जायेगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट मिलने की तारीख से; और

(घ) क्या जनता की प्रतिकूल प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार नकद धनराशि जमा कराकर जिसे सरल तथा शीघ्र समझा जाता है पंजीकरण करने के पहले तरीके को पुनः अपनाने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। फिर भी, भारी नकदी को सम्भालने में सुरक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों से बचने के लिए तथा टेलीफोन कनैक्शनों के लिए आवेदनों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए कुछ बड़े शहरों में, स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, टेलीफोन प्राधिकारियों ने यह योजना लागू की है।

(ग) डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की तारीख को रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है क्योंकि इस बारे में दिल्ली टेलीफोन प्राधिकारियों को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

फैजाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलना

1103. **श्री निर्मल खत्री :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने के बारे में फैसला कर लिया गया है और यदि हां, तो उक्त फैसला कब किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त काम के लिए विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) फैजाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) अभी हाल ही में एम ए एक्स-1 एक्सचेंज के लिए 24719 वर्ग फुट भूमि के एक प्लाट का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) एम ए एक्स-I उपस्कर अलाट होते ही भवन निर्माण के मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

डाकघरों में बचत बैंक और मनीआर्डर प्रणाली

1104. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में वर्तमान मनीआर्डर प्रणाली और बचत बैंक प्रक्रिया बहुत पुरानी पड़ गई है और इसमें अधिक समय लगता है;

(ख) क्या सरकार डाकघरों में बचत बैंक खातों में समय बचाने के उपायों को लागू करनेके लिए कदम उठायेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार डाकघरों में बचत बैंक खाताधारियों के लिए चैक प्रणाली लागू करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मनीआर्डर प्रक्रिया को सरल बनाने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 को पूरी तरह से संशोधित करके उसे डाकघर बचत

बैंक सामान्य नियम, 1981 और डाकघर बचत लेखा नियम, 1981 कर दिया गया। आवर्ती जमा, सावधि संचयी जमा और सावधि जमाओं के लिए सम्बन्धित गैर-सांविधिक नियमों के स्थान पर सांविधिक नियम भी बना लिए गये हैं। ये सभी सांविधिक नियम 1-4-82 से लागू हो गए हैं। परिचालन प्रक्रिया में उचित संशोधन कर दिया गया है। इनकी निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है तथा जहां अनिवार्य हो, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) सभी विभागीय डाकघरों के डाकघर बचत बैंक में चैक प्रणाली पहले से ही प्रचलन में है।

(घ) जी नहीं। मनीआर्डर प्रक्रिया पहले ही सरल है।

सिलेण्डरों की कमी

1105. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि सिलेण्डरों आदि की कमी के कारण काफी मात्रा में प्राकृतिक गैस को जलाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में गैस जलानी पड़ी, उसका मूल्य कितना था तथा कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस को सिलेण्डरों आदि में भरा जा सका और उसका मूल्य कितना था; और

(ग) सरकार का क्या उपाय करने का विचार है जिससे कि यह हानि न हो ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) दाब सुविधाओं की अपर्याप्तता, डाउन स्ट्रीम अपतटीय आधार भूत सुविधाओं की अपर्याप्तता, उपभोक्ताओं द्वारा बचनबद्ध माल उठाने में विफलता, सुरक्षात्मक कारणों आदि जैसे अनेक कारणों से प्राकृतिक गैस जलानी पड़ती है। 1984-85 में जलायी गई गैस की कुल मात्रा 3052 मिलियन घन मीटर है। 100 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर, जो देश में ली जाने वाली न्यूनतम दर है, के हिसाब से इसका काल्पनिक मूल्य 30.52 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक गैस को दबा कर नहीं रखा जा सकता तथा एल० पी० जी० की तरह आर्थिक रूप में सिलेण्डरों में रखना मितव्ययिता पूर्ण नहीं होता।

(ग) अपतटीय दाब सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा उपभोक्ताओं को न्यूनतम माल उठाने की गारण्टी देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गैस के प्रज्वलन को कम से कम करने के उद्देश्य से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड से और उपभोक्ताओं को जहां कहीं सम्भव हो गैस देने के लिए कहा गया है।

मध्य प्रदेश से सेना में भर्ती

1106. **श्री कमोदी लाल जाटव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के चम्बल संभाग के शिक्षित और स्वस्थ युवकों

की सेना में भर्ती के लिए उनका उचित मार्गदर्शन कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। सेना में भरती के लिए भरती दलों के भरती स्थल पर जाने से पूर्व भरती के बारे में पुस्तिकाओं, पोस्टरों, रेडियो और समाचार-पत्रों के माध्यम से पहले ही काफी प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन दौरों के आयोजन से पूर्व जिला जन-सम्पर्क अधिकारी और जिला सैनिक कार्यालयों के माध्यम से भी अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाता है। मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र के युवकों की भरती के लिए 1984-85 के दौरान भरती दलों ने इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आठ दौरे किए।

न्याय प्रशासन को बेहतर बनाना

1107. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों ने निचले न्यायालयों से लेकर जिला न्यायालयों तक न्याय प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अब तक, राज्य-वार क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने कमजोर वर्गों की सुविधा के लिए ब्लाक स्तर पर कैम्प न्यायालयों द्वारा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उपाय करने की बाबत राज्यों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं।

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) निचले न्यायालयों में न्याय प्रशासन का सम्बन्ध मुख्य रूप से, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से है। संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालयों में निहित होगा। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अब तक सामान्यतः जो उपाय किए गए हैं वे संलग्न विवरण में दर्शित हैं।

विवरण

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम।

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित है :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्त्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(4) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के अतिरिक्त जिला और अधीनस्थ न्यायालय स्थापित करने, न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, न्यायालय भवनों के निर्माण, न्यायालयों में सुख सुविधाएं देने और न्यायायिक अधिकारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान देने के लिए भी प्रस्ताव है।

५) विधि आयोग की 77 वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। चूंकि अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(6) निचले न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए जून, 1982 में राज्य विधि मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस विषय पर अप्रैल, 1983 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श हुआ था। इन सम्मेलनों में राज्यों से इस बात पर जोर देकर कहा गया था कि उन्हें निम्नानुसार कार्रवाई करनी चाहिए, अर्थात :—

(i) बकाया मामलों के निपटारे के लिए राज्यों को इस प्रकार अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि सभी बकाया मामले लगभग तीन वर्ष की अवधि के भीतर निपटाए जा सकें।

(ii) राज्यों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुछ मानदण्ड अपनाए जाने चाहिए और जब इन मान दण्डों की पूर्ति हो जाए तब बिना किसी विलम्ब के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

(iii) पर्याप्त संख्या में न्यायालय भवनों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें समुचित सुविधा उपलब्ध हों।

(iv) पर्याप्त संख्या में अभियोजकों की व्यवस्था करनी चाहिए।

(v) न्यायिक अधिकारियों को आशुलिपिक उपलब्ध किए जाने चाहिए।

(vi) न्यायिक अधिकारियों के विद्यमान रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाना चाहिए।

(vii) अधीनस्थ न्यायालयों के कालिक और गहन निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे निरीक्षण किए जाने के लिए पदों में वृद्धि के प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए।

(viii) न्यायिक अधिकारियों को उनके प्रवेश के ही समय और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के रूप में संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव

1108. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी० डी०आई०एल०) ने आधुनिकीकरण के लिए लगभग पांच वर्ष पहले एक प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी०डी० आई० एल०) ने केटेलिस्ट संयंत्र के आधुनिकीकरण क लिए अक्तूबर/नवम्बर, 1979 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया था और वापस ले लिया गया था क्योंकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ मैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के लिए केटेलिस्टों की आपूर्ति/ मांग को ध्यान में नहीं रखा गया था। अतः पुनः तैयार किया गया एक प्रस्ताव जिसकी जांच एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी थी, प्रस्तुत हुआ है। और उसकी जांच की जा रही है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति से कार्यालय लेखन सामग्री का क्रय

1109. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 14/14/80-कल्याण, तारीख 14-7-1981 में दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय विभागों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सरकार द्वारा वित्तपोषित और/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों से कहा है कि वे लेखन सामग्री, बिजली, सैनिटरी से संबंधित सभी वस्तुएं और अन्य सामान केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से क्रय करें;

(ख) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत उन सभी कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें उपर्युक्त आदेश लागू होते हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी कार्यालय उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करते हैं और यह वस्तुएं समिति से क्रय करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) जी हां।

(ख) 1. विधि कार्य विभाग

2. विधायी विभाग

3. न्याय विभाग

4. भारत का विधि आयोग

5. आय-कर अपील अधिकरण,
दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली

6. विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति

7. लेखा नियंत्रक कार्यालय, विधि और न्याय मंत्रालय।

(ग) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च वोल्ट के इन्सुलेटरों का देश में उत्पादन

1110. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ससंयुक्त क्षेत्र में उच्च वोल्ट के इन्सुलेटरों का उत्पादन आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित एकक पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इसमें उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा और इसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होगा;

(घ) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसा एक और एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 6,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले हाईटेंशन इन्सुलेटर का उत्पादन करने वाले एक आधुनिक एकक को स्थापित करने में 10 से 25 करोड़ रुपये का निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है जो उत्पाद पर निर्भर करता है।

इस समय मैसर्स लक्ष्मी पोरसिलिन लिमिटेड नामक एकमात्र एकक ही आंध्र प्रदेश के संयुक्त क्षेत्र में एच० टी० इन्सुलेटरों का उत्पादन कर रहा है और इसने उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। राजस्थान राज्य में मैसर्स माडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड नामक संयुक्त क्षेत्र के दूसरे एकक को एच० टी० इन्सुलेटरों का उत्पादन करने के लिए एक लाइसेंस हाल ही में स्वीकृत किया है और 1985 के अन्त तक उसके द्वारा उत्पादन शुरू कर दिए जाने की संभावना है। अन्य एककों ने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है।

(घ) चूंकि बनाए जाने वाले प्रस्तावित इन्सुलेटरों का अभी आयात किया जा रहा है, अतः इससे कम्पनी (यों) के समग्रः उत्पादन से विदेशी मुद्रा की शुद्ध बचत होगी।

(ङ) और (च) इस समय उच्च वालटेज के इन्सुलेटरों का उत्पादन करने के लिए आंध्र प्रदेश में कोई और एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिर भी, उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय निवेश

1111. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक उद्योग स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें केन्द्र द्वारा भारी निवेश किए जाने की परिकल्पना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) केरल के प्रत्येक जिले में कम से कम एक उद्योग स्थापित करने हेतु पर्याप्त केन्द्रीय निवेश किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्वाचन सुधारों पर विपक्षी दलों की बैठक

1112. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन निर्वाचन सुधारों पर विचार करने के लिए सभी विपक्षी दलों की नई दिल्ली में बैठक बुलाने का है जिनकी सिफारिश हाल ही में निर्वाचन आयोग ने की है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) सरकार निर्वाचन सुधारों को बहुत उच्च प्राथमिकता देती है ; जैसा कि पहले भी अनेक बार बताया जा चुका है, दूरगामी उलझनों वाले इस व्यापक क्षेत्र में, सरकार प्रमुख राजनैतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात् ही विधायी या ऐसे तत्समान अन्य प्रस्ताव पेश करेगी। निर्वाचन आयोग ने पहले ही महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ पर प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए सभी राजनैतिक दलों को लिखा है और इन विचारों से सरकार को राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने में सुविधा होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला मुख्यालय का सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा दिल्ली और लखनऊ से जोड़ा जाना

1113. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला मुख्यालय को सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत में उत्तर प्रदेश के एक जिला मुख्यालय आजमगढ़ को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली और लखनऊ के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में एच० एम० टी० की फैक्टरियों की स्थापना

1114. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी की फैक्टरियां किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं;

(ख) इन फैक्टरियों में प्रत्येक में क्या-क्या वस्तुएं निर्मित होती हैं; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसी फैक्टरियां लगाई जाएंगी; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में एच० एम० टी० की यूनिटें पहले से ही हैं और किसी नयी यूनिट की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

क्रमांक	उन स्थानों के नाम जहां एच० एम० टी० के कारखाने स्थित हैं।	निर्माण की वस्तुएं
1.	बंगलौर (कर्नाटक)	मशीन टूल्स तथा डाई कास्टिंग, घड़ियां, घड़ियों के खोल और क्वार्ट्ज एनालाग घड़ियां, हारोलाजिकल मशीनें।
2.	पिंजौर (हरियाणा)	ट्रैक्टर तथा मशीनी औजार।
3.	कलमस्सेरी (केरल)	मशीनी औजार और प्रिंटिंग मशीनें।
4.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	मशीनी औजार, प्रेसें तथा लैम्प/ लैम्प कम्पोनेंट्स और लैम्प बनाने की मशीनें, बियरिंग।
5.	अजमेर (राजस्थान)	मशीनी औजार।
6.	श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)	घड़ियां।
7.	तुमकुर (कर्नाटक)	घड़ियां, स्टेपर मोटरें।
8.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	डेरी मशीनें।
9.	गुवाहाटी (असम)	मिनिएचर बैटरी सेल।
10.	रानीबाग (उत्तर प्रदेश)	घड़ियां।

शहद का उत्पादन

1115. श्री एन० डैनिस : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में उत्पादित शहद जमा होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी बिक्री के लिए सुविधाएं देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है, और

(ग) देश में शहद उद्योग के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस समय देश में बनाये गये शहद का कोई असामान्य भण्डार जमा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शहद उद्योग का सवर्द्धन किया जा रहा है। संवर्द्धन के लिए किये गये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) मधु मक्खियों को पालने के लिए मानक किस्म बक्से बनाये गये हैं और वे कम मूल्य पर वितरित किये गये हैं।

(2) शहद के परिष्करण और किस्म को एगमार्क पद्धति के अन्तर्गत लाये जाने की व्यवस्था की गई है।

(3) शहद की पैदावार को अधिक बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों हेतु उन्नत किस्म तैयार किये हैं।

(4) मधुमक्खियों को बेहतर ढंग से पालने सम्बन्धी तकनीक का प्रचार किया गया है।

(5) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहकारी समितियो को शहद खरीदने के लिए और उसे उपभोक्ताओं, डीलरों और उसकी पुनः पैकिंग करने वाले व्यक्तियों को सीधे ही बेचने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास क्रय परिष्करण और विपणन करने की विभागीय सुविधाएं विद्यमान हैं। परिष्करण एकक निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किये गय हैं :—

1. कुजीथुराई, कन्याकुमारी, तमिलनाडु।

2. त्रिपुणीथुरा, एर्नाकुलम, केरल।

3. गांधी दर्शन, नई दिल्ली।

उड़ीसा में व्यापारियों द्वारा पैदा की गई मिट्टी के तेल की कमी

1116. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा में व्यापारियों द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा की गई मिट्टी के तेल की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए थे; और

(ग) क्या राज्य पूर्ति विभाग द्वारा इस दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में व्यापारियों द्वारा कृत्रिम रूप से मिट्टी के तेल की कमी पैदा नहीं की हुई है।

(ख) राज्य सरकार को समय-समय पर मिट्टी के तेल के वितरण प्रणाली को कारगर बनाने तथा उन लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है जो मिट्टी के तेल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी जैसे कदाचारों में लिप्त हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार ने जिला प्राधिकारियों द्वारा तथा राज्य प्रवर्तन स्टाफ को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी डीलर मिट्टी के तेल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी न करे और ऐसे कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कड़ी कार्रवाई करे।

एच० एम० टी० यूनिट केरल की विस्तार और विविधीकरण योजना

1117. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, केरल यूनिट की सातवीं योजना में विस्तार और विविधीकरण के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (ग) सातवीं योजनावधि में कलमस्सेरी, केरल में एच० एम० टी० के एकक के विस्तार की कोई योजना नहीं है। इस एकक के विविधीकरण की योजनाएं हैं। जिनमें सलांट बैड सी० एन० सी० लेथों, सी० एन० सी० टर्न मिल सेन्टर व वर्कपीस सहित लोचनीय टर्निंग सेल तथा टूल आटोमेशन, शीटफेड-आफसेट मशीनें, सहायक व सम्बद्ध सामान जैसे नम्बरिंग प्रणालियां, हाई

पाइल डिलीवरी तथा प्रिंटिंग मशीनों हेतु प्लेट रिजिस्टिंग प्रणाली जैसे उत्पादों के नियोजन की परिकल्पना है। विविधीकरण योजनाओं को सातवीं योजनावधि में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

बड़ी समेकित कागज मिलों का कार्य निष्पादन

1118. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्थिति विभिन्न बडी समेकित कागज मिलों की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) कागज उद्योग की वित्तीय स्थिति क्या है और इसे कौन-कौन से विभिन्न तत्व प्रभावित करते हैं;

(ग) छठी योजना में कागज उद्योग का क्या कार्य-निष्पादन रहा; और

(घ) समेकित कागज मिलों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए उठाये जाने वाले प्रस्तावित वित्तीय उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) कागज उद्योग की मुख्य समस्याएं निवेश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं, कच्चे माल की घटती हुई सप्लाई, बढ़ती हुई निवेश लागत, अनिवार्य निवेशों जैसे कोयला और बिजली तथा आधुनिकीकरण और नवीकरण से सम्बन्धित हैं।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन के क्रमशः 20.50 लाख मी० टन और 15.00 लाख मी० टन के लक्ष्य की अपेक्षा 1984-85 तक अधिष्ठापित क्षमता 24 लाख मी० टन और उत्पादन 13.61 लाख मी० टन (अनुमानित हुआ था।

(घ) उद्योग, सरकार, वित्तीय संस्थाओं और अन्य संबंधित अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय तैयार करते समय कागज उद्योग की समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। कुछ एककों ने कच्चे माल का अधिक मितव्ययतापूर्वक उपयोग करने, अधिक उत्पादन करने, ऊर्जा की खपत में कमी करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रदूषण नियंत्रण और अप्रचलित (पुरानी मशीनों आदि के उपयोग) को रोकने की दृष्टि से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत करना आरंभ कर दिया है। उत्पादन शुल्क में रियायतों और आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क मे कमी/छूट के रूप में अनेक राजकोषीय राहतें कागज उद्योग को भी दी गई हैं। इन उद्योग के लिए कोयले के आबंटन में वृद्धि करके अवस्थापना संबंधी सहायता में भी सुधार किया गया है।

[हिंदी]

गुजरात में लोक अदालत कार्यक्रम

1119. **श्री छोटूभाई वासवा** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत कार्यक्रम काफी प्रभावी रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार, गुजरात में लोक अदालत कार्यक्रम राज्य विधि सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है न कि उच्च न्यायालय द्वारा।

मार्च, 1982 से जून, 1985 तक बोर्ड ने 92 लोक अदालतें आयोजित की हैं। 23,578 मामलों में कार्रवाई की गई जिसमें से 13,981 निपटाए गए या उनमें समझौता कराया गया था और 1,667 मामलों में सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

बम्बई हाई से गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए निविदायें

1120. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्थानों तक प्रस्तावित उर्वरक परियोजनाओं के लिए गैस पाइप लाइन बिछाने के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) कम्पनियों का तथा गैस पाइप लाइन बिछाने के अनुमानित कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) जी हां। निविदाएं प्राप्ति की अन्तिम तिथि 27 अगस्त, 1985 के अन्त तक आर्डर दिये जाने की आशा है। परियोजना को जुलाई, 1989 तक सर्वत : पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिंदी]

फाफामऊ टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

1121. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में काकमनान (इलाहाबाद) टेलीफोन एक्सचेंज के सुचारू रूप से कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस एक्सचेंज के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) इलाहाबाद में फाफामऊ टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। यहां काकमानन नामक कोई एक्सचेंज नहीं है फिर भी फाफामऊ और इलाहाबाद के बीच कभी-कभी जंक्शन कालों पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है।

(ख) अभी हाल ही में माननीय संसद सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) इस समय फाफामऊ और इलाहाबाद के बीच दो जंक्शन लाइनें कार्य कर रही हैं। ये जंक्शन लाइनें गंगा के लम्बे पुल के साथ-साथ खड़ी हैं। जंक्शन लाइनों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

डाकियों के लिए वर्दियां

1122. **श्री बापूलाल मालवीय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकियों ने अपनी वर्दी का रंग बदलने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें खाकी रंग की वर्दियां देने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिर भी हमें कुछ संघों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने पात्र कर्मचारियों को सप्लाई की जा रही वर्दी के रंग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है।

(ख) मामले की पुनरीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में पल्स कोड मौडूलेटिड डिजीटल टेलीफोन लाइनों की स्थापना

1123. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में "पल्स कोड मौडूलेटिड टेलीफोन" (पी० सी० एम०) लाइनें और "कन्टैनराइज्ड इलैक्ट्रिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब किया जायेगा; और

(ग) ग्रामीण टेलीफोन संचार की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य कौन सी संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना के दौरान कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना है।

(ग) परिस्थिति के अनुरूप कुशल टैक्नालौजी को देश में विकसित कर और/अथवा विदेशी सहयोग से विनिर्मित मल्टी एक्सैस ग्रामीण रेडियो प्रणाली और छोटी क्षमता के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्राप्त करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

अरब देशों में पेट्रो-रसायन प्रौद्योगिकी

1124. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरब देशों में पेट्रो-रसायन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ईराक में बसरा में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स के लिए परामर्शदात्री तथा परियोजना मॉनीटरिंग सेवाएं प्रदान की हैं।

कच्छ की खाड़ी में तेल की खोज

1125. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्छ की खाड़ी और उसके साथ के क्षेत्र में तेल की खोज की सम्भावनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की सम्भावनाओं की जांच करने का है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले ही कच्छ की खाड़ी के साथ क्षेत्र में नियोलोजिकल, ग्रेविटी मेग्नेटिक तथा भूकंपीय (सिस्मिक) सर्वेक्षण किए हैं। इस क्षेत्र में दो अन्वेषणात्मक कुएं भी खोदे गए हैं।

हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मोटर साइकिलों की सप्लाई

1126. **श्री जी० भूपति** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली ने अपनी मोटर-साइकिलों की अग्रिम बुकिंग के रूप में कितनी राशि जमा की है; और

(ख) उक्त कम्पनी की उत्पादन क्षमता कितनी है और उन लोगों को, जिन्होंने यह मोटर-

साइकिलें बुक कराई हैं, इसकी सप्लाई करने में इसे कितना समय लगेगा।

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कम्पनी ने बताया है कि उसने मोटरसाइकिलों की बुकिंग पर लगभग 25 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में लिए हैं।

(ख) कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 2 लाख मोटरसाइकिल प्रतिवर्ष है और इसे पांच वर्ष के भीतर बुकिंगों को निपटा देने की आशा है।

वाराणसी में विदेशी डाकघर खोलना

1127. **श्री श्याम लाल यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारसी साड़ियों तथा गलीचों आदि के भारी निर्यात को ध्यान में रखकर वाराणसी में एक विदेशी डाकघर खोले जाने की जोरदार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

भारत चमड़ा निगम द्वारा नोएडा में परिसर किराए पर लेना

1128. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चमड़ा निगम को नोएडा स्थित कार्यालय, जिसे 10,000 रुपये प्रतिमाह के किराए पर लिया गया है, पिछले साढ़े चार वर्ष से खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि परिसर किराए पर लेने तथा सार्वजनिक धन का अपव्यय करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विवादास्पद परिसर निगम के पंजीकृत कार्यालय के लिए दिनांक 4-9-1979 से 2,254/-रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया था। यह किराया 18-7-1984 से प्रतिमास 3,220/-रुपये तक बढ़ा दिया गया। परिसरों का उपयोग निगम के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जाता रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नए एककों के विस्तार/स्थापना के लिए आवेदन पत्रों का निपटान

1129. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कम्पनियों से नये एककों के विस्तार अथवा उनकी स्थापना के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, यदि हां, तो उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) क्या किसी नई विदेशी कम्पनी ने भी इसके लिए आवेदन किया है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्रों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास भेजा गया था; और आयोग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई थी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की सिफारिशों पर कितने आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई थी; और

(ङ) कितने आवेदन पत्र अभी भी मंजूरी के लिए लम्बित हैं और उनका ब्यौरा क्या है; ये आवेदन पत्र कितने समय से लम्बित हैं और उनके बारे में निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन फैरा कम्पनियों सहित विभिन्न कम्पनियों से आशय-पत्रों की स्वीकृति के लिए प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	1982-83	1635
2.	1983-84	1545
3.	1984-85	2069

उन सभी स्वीकृत मामलों का, जिनके सम्बन्ध में आशय-पत्र जारी किए गए हैं, पूरा ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथलीन्यूजलैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

(ग) और (घ) इस अवधि में एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे गए 16 आवेदनों में से 4 मामलों को आवेदकों द्वारा अपने आवेदन वापस ले लिए जाने के कारण बन्द कर दिया गया और तीन मामले स्वीकृति आवश्यक न होने के कारण बन्द कर दिए गए थे। आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शेष नौ मामलों में से 7 मामले स्वीकृत कर दिए गए और एक प्रस्ताव सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। शेष एक मामले में किए गए प्रस्ताव को अब छूट दे दी गई है।

(ङ) आवेदनों पर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने तक लम्बित आवेदनों का ब्यौरा प्रकट नहीं किया जाता है। लम्बित पड़े सभी मामलों को निपटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसका सुनिश्चय करने के लिए, प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया गया है।

तेल की खोज के लिए "ड्रिलिंग रिग्स" किराए पर लेना

1130. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा तेल की खोज के लिए कितने "ड्रिलिंग रिग्स" का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने रिग्स खरीदे गये तथा कितने किराये पर लिए गये;

(ग) इनकी खरीद पर कितना धन व्यय हुआ तथा इनके किराये के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है और इन्हें किन देशों से प्राप्त किया गया है; और

(घ) रिग्स किराये पर लेने की शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग—तटीय—	54 (अपने)	2 (किराए पर लिये गये)
	अपतटीय—	8 (अपने) 6 (किराए पर लिए गये)
ऑयल इंडिया लिमिटेड	तटीय—	6 (अपने)
	अपतटीय—	1 (किराये पर लिये गये)

(ख) और (ग) **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग** : 13 तटीय रिग भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से खरीदे गए जिनकी कीमत के बारे में अभी बातचीत होनी है। लगभग 263 करोड़ रुपए की लागत के 6 अपतटीय रिग खरीदे गये इसमें जापान से 3, सिंगापुर से 2 तथा पश्चिमी जर्मनी से एक खरीदे गये।

1.38 से 1.70 लाख रुपये प्रतिदिन कार्य करने की दर से दो तटीय रिग किराये पर लिये गये जिसमें से एक इटली के तथा एक पश्चिमी जर्मनी की कम्पनी से लिये गये अमरीकी कम्पनियों के दस अपतटीय किराए पर लिए गये जिनकी दैनिक दर 16,689 से 87,000 अमरीकी डालर थी।

ऑयल इंडिया लिमिटेड :

26 करोड़ रुपए की लागत से मैसर्स बी० एच० एल० से 3 तटीय रिग खरीदे गये। मैक्सिन

कम्पनी का एक अपतटीय रिग प्रत्येक एफेक्टिव दिन के लिए 23,300 अमरीकी डालर के हिसाब से किराए पर लिया गया था।

(घ) महत्त्वपूर्ण शर्तों में ये शामिल हैं :—

(i) किराए पर लेने की अवधि

(ii) संविदा की अवधि के दौरान देय दर

(iii) ठेकेदार द्वारा अपेक्षित मात्रा में कार्मिक/उपस्करों की पूर्ति

(iv) उन्हीं दरों और शर्तों पर या आपस में सहमत शर्तों पर संविदा को एक वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प।

सातवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलना

1131. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नये शाखा डाकघर खोलने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के लिए प्रत्येक घटक डाक सर्किल (बहु राज्यीय डाक सर्किल की स्थिति में राज्य-वार) के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या शाखा डाकघरों की उचित पाई गई कमी तथा ऐसे डाकघरों को, जिन्हें 1983-84 और 1984-85 में खोलने की योजना थी किन्तु जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा विद्यमान रिक्त पदों को भरने और नये पदों के लिए भर्ती करने पर प्रतिबन्ध के कारण नहीं खोला जा सका, ध्यान में रखा जायगा ताकि बकाया कमी को पूरा किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों की बकाया कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1985-86 के लिए लक्ष्य सर्किलवार निर्धारित किये गये हैं न कि राज्यवार। ये लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय 31.3.1985 तक वैध थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1985-86 के दौरान खोले जाने वाले डाकघर का सर्किलवार लक्ष्य

1985-86 के दौरान खोले जाने वाले डाकघर

सर्किल का नाम		सामान्य	जनजातीय	पिछड़े	कुल
1.	आन्ध्र	82	15	10	107
2.	बिहार	148	25	25	1198
3.	दिल्ली	02	—	—	02
4.	गुजरात	47	16	10	73
5.	जम्मू व कश्मीर	—	—	38	38
6.	केरल	34	06	05	45
7.	कर्नाटक	35	04	10	49
8.	मध्य प्रदेश	118	40	25	183
9.	महाराष्ट्र	95	28	10	133
10.	उत्तर पूर्व	62	120	02	184
11.	उत्तर पश्चिम	79	10	02	91
12.	उड़ीसा	40	50	02	92
13.	राजस्थान	71	20	15	106
14.	तमिलनाडु	57	03	05	65
15.	उत्तर प्रदेश	162	20	30	212
16.	पश्चिम बंगाल	83	29	10	122
	आरक्षित	55	—	—	55
	कुल	1170	386	199	1755

टिप्पणी : डाकघर खोलने का कार्यक्रम नये पदों के सृजन पर लगी रोक संबंधी मितव्ययिता आदेश हटा लेने पर निर्भर करता है।

शहरी यूनिटों में परमानेंट स्टाफ में प्रादेशिक सेना के जवानों की नियुक्ति

1132. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के जवानों से उनके कार्यकाल के दौरान नियमित सैनिकों के कर्त्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना की शहरी यूनिटों में हाल ही तक जे० सी० ओज० को परमानट स्टाफ में शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, उक्त प्रथा समाप्त कर दी गयी है और नियमित यूनिटों के जे० सी० ओज० को परमानेंट स्टाफ में नियुक्त किया गया है जिसके कारण प्रादेशिक सेना के जवानों में कुंठा और असंतोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन के क्या कारण हैं और इस प्रथा को किस तारीख तक समाप्त किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) प्रादेशिक सेना यूनिटों को आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट मिलिटरी कार्यों पर लगाया जा सकता है। इन कार्यों के अंतर्गत उन्हें अनुषंगी और रक्षात्मक भूमिका सौंपी जाती है।

(ख) से (घ) शहरी यूनिटों के स्थाई स्टाफ में नियुक्ति के लिए प्रादेशिक सेना के जी० सी० ओ० और नियमित सेना के जे० सी० ओ० का एक निश्चित अनुपात निर्धारित है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नियमित सेना के जे० सी० ओ० की नियुक्ति प्रादेशिक सेना के जे० सी० ओ० के स्थान पर तभी की जाती है जब प्रादेशिक सेना में योग्य जे० सी० ओ० उपलब्ध नहीं होता।

दिल्ली गेट क्षेत्र स्थित एक्सचेंज से 1900 लाइनों का नई इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में स्थानान्तरण

1133. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गेट क्षेत्र में 1900 से अधिक लाइनों को नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में स्थानान्तरित किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी धन राशि व्यय होगी;

(घ) इनको कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा; और

(ङ) यह स्थानान्तरण किस सीमा तक उपयोगी होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। प्रथम चरण में अंतरित की जाएंगी।

(ख) इस अंतरण का मुख्य कारण दिल्ली गेट एक्सचेंज तथा वहां की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को राहत देना है।

(ग) 2930 टेलीफोनों के अंतरण के लिए केबिल बिछाने तथा अंतरित क्षेत्र में भूमिगत केबिलों में वृद्धि करने में लगभग 90 लाख रुपए खर्च होंगे।

(घ) 1891 लाइनें 21.6.85 को किदवई भवन "331" एक्सचेंज में अंतरित की गई थीं तथा लगभग 1039 लाइनें इस माह के अंत तक अंतरित कर दी जाएंगी।

(ङ) इस अंतरण से दिल्ली गट के "26" और "27" लेवल एक्सचेंज में 2930 लाइनों तक की राहत मिलेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल का उत्पादन और उसकी मांग

1134. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के अन्तिम वर्ष (1984-85) के अन्त में तेल की कुल मांग कितनी थी तथा मांग की तुलना में उक्त अवधि के दौरान कुल उत्पादन कितना था;

(ख) सातवीं योजना अवधि में तेल का कुल अनुमानित उत्पादन कितना होगा तथा कुल मांग कितनी होगी;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने तेल का आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 के दौरान कच्चे तेल की मांग और उत्पादन क्रमश: 35.56 मी० टन और 28.99 मी० टन।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान देशी स्रोतों से कच्चे तेल का कुल उत्पादन करीब 171 मी० टन होने की आशा है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा 239 मी० टन की है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल का निवल आयात 78.11 मी० टन था। जिसका मूल्य 18095 करोड़ रुपये होता है।

(घ) संभावना नहीं है।

दिल्ली और अन्य स्थानों पर सीमेंट की काला बाजारी

1135. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बाजार में विशेष रूप से दिल्ली, कलकत्ता और दूसरी जगहों में सीमेंट

की बहुत कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राजधानी में इस समय खुली बिक्री का सीमेंट 15 से 20 रु० प्रति बैग अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है और डीलर/स्टाकिस्ट इस प्रकार अधिक लगाई गयी राशि की रसीद नहीं देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो बड़ी मात्रा में खपत करने वाले केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध कराने और उक्त स्टाकिस्टों/डीलरों द्वारा राजधानी में की जाने वाली इस प्रकार की काला बाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1983-84 में 270 लाख मी० टन से बढ़कर 1984-85 में 301.7 लाख मी० टन हो गया है, इससे देश में सीमेंट की उपलब्धता में सुधार हो रहा है। किन्तु विशेष रूप से देश में उत्तरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में निर्माण कार्य की गति में बढ़ोतरी होने के कारण तथा मानसून के प्रारंभ होने से पूर्व ही निर्माण कार्य पूरा कर लेने की लोगों की उत्सुकता के कारण खुले बाजार में सीमेंट की मांग में हाल ही में वृद्धि हुई है। राजधानी सहित कुछ शहरी केन्द्रों को सीमेंट लाने ले जाने के लिए वैगन प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी। तब से सीमेंट की उपलब्धता संबंधी स्थिति में सुधार होने की जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) गैर-लेवी के सीमेंट के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

किन्तु, गैर-लेवी के सीमेंट के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी के बारे में सीमेंट उद्योग को सरकार की चिन्ता से अवगत करा दिया गया है।

आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाएं

1136. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में डाक-तार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1984-85 के अन्त तक इस नीति के अधीन राज्यवार ऐसे क्षेत्रों में लगाये गये टेलीफोनों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान किन स्थानों पर यह सुविधा मुहैया कराने की संभावना है, उनकी संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछड़े, जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उदारीकृत नीति के अंतर्गत मुख्यतः लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा संयुक्त डाक-तारघर जैसी दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) छठी योजना के दौरान देश में 1984-85 के अन्त तक 11774 लंबी दूरी के सार्वजनिक

टेलीफोन स्थापित किये गये हैं। राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1985-86 के दौरान कुल 2000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने की योजना है बशर्ते कि वित्तीय एवं साज-सामग्री संबंधी संसाधन उपलब्ध हो सकें। दूरसंचार सर्किल स्थानों का चयन कर रहे हैं।

विवरण

छठी योजना के दौरान 1984-85 के अन्त तक ग्रामीण, पिछड़े, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के राज्यवार आंकड़े।

क्र० सं०	सर्किल का नाम	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2890
2.	बिहार	1038
3.	गुजरात (गुजरात, दादरा, नगर हवेली, द्विव, दमन सहित)	305
4.	जम्मू एंड कश्मीर	66
5.	कर्नाटक	396
6.	केरल (केरल, मेह एंड मीनीकाय, लक्ष्यद्वीप, अमीनदिव, सहित	36
7.	मध्य प्रदेश	1414
8.	महाराष्ट्र (महाराष्ट्र, गोवा सहित)	714
9.	उत्तर पूर्व (जिसमें असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं)	104
10.	उत्तर पश्चिम (जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और चंडीगढ़ शामिल हैं)	379
11.	उड़ीसा	380
12.	राजस्थान	453

1	2	3
13.	तमिलनाडु (जिसमें तमिलनाडु और पांडिचेरी शामिल हैं)	1960
14.	उत्तर प्रदेश	1300
15.	पश्चिम बंगाल (जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	339
	योग :	11774

[हिन्दी]

टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

1137. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर तथा किस-किस तारीख से टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) इन समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है, कौन व्यक्ति इन समितियों के सदस्य बन सकते हैं, उसके चयन का मानदण्ड क्या है तथा उनकी सदस्यता की अवधि क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी विवरण-1 में दे दी गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) इन समितियों को गठन करने का उद्देश्य विवरण-2 में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य वही बन सकता है जो सामान्यतया टेलीफोन जिले के भौगोलिक कार्य क्षेत्र में रह रहा हो तथा दूरसंचार सलाहकार समिति के मामले में सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रह रहा हो।

सम्बन्धित दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिला अध्यक्ष द्वारा विभिन्न श्रेणियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजी गई नामों की सूची में से समिति के सदस्यों का नामांकन किया जाता है तथा संसद सदस्यों के अलावा अन्य नाम निदेशालय को सीधे भेजे जाते हैं । संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है ।

सलाहकार समिति का कार्यकाल आमतौर से दो वर्ष का होता है।

विवरण—1

सलाहकार समितियों के नाम तथा जिस तारीख से ये समितियां कार्य कर रही हैं

क्र० सं०	सलाहकार समिति का नाम	कब से कार्य कर रही हैं
1	2	3
	टेलीफोन जिले	
1.	आगरा	22.6.1985
2.	अहमदाबाद	15.11.1984
3.	अमृतसर	13.10.1983
4.	बंगलौर	30.11.1984
5.	बड़ोदा	22.6.1985
6.	बम्बई	16.10.1984
7.	कलकत्ता	20.9.1984
8.	कालीकट	22.6.1985
9.	चंडीगढ़	22.11.1984
10.	कोयम्बटूर	18.10.1984
11.	दिल्ली	19.5.1984
12.	एरनाकूलम	14.11.1984
13.	हैदराबाद	22.6.1985
14.	इन्दौर	22.6.1985
15.	जयपुर	12.10.1984
16.	जालन्धर	22.6.1985
17.	कानपुर	22.6.1985
18.	लुधियाना	1.11.1985
19.	मद्रास	16.10.1984
20.	मदुरै	22.6.1985
21.	नागपुर	22.6.1985

1	2	3
22.	वाराणसी	22.6.1985
23.	विजयवाड़ा	22.6.1985
24.	पुणे	27.10.1984
25.	पटना	19.7.1985
	राज्य/संघ क्षेत्र	
26.	आन्ध्र प्रदेश	22.6.1985
27.	अरुणाचल प्रदेश	22.6.85
28.	आसाम	30.10.1984
29.	गोवा, दमन और दीव	21.8.1984
30.	गुजरात	22.6.1985
31.	हरियाणा	29.10.1984
32.	हिमाचल प्रदेश	15.9.1984
33.	जम्मू एवं कश्मीर	22.6.1985
34.	लक्षद्वीप	22.6.1985
35.	मध्य प्रदेश	22.6.1985
36.	त्रिपुरा	25.10.1984
37.	मणिपुर	22.6.1985
38.	महाराष्ट्र	22.6.1985
39.	मेघालय	22.6.1985
40.	पांडिचेरी	22.6.1985
41.	राजस्थान	17.10.1984
42.	वेस्ट बंगाल	22.6.1985

विवरण — 2

1. टेलीफोन का इस्तेमाल करने वाली जनता और दूरसंचार विभाग को एक-दूसरे के नजदीक लाना।

2. जनता को विश्वास दिलाना कि उनकी दिक्कतों को उचित ढंग से समझा और दूर किया जा रहा है।

3. स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग को सलाह देना।

4. टेलीफोन सेवाओं का विकास करसे तथा उनमें सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में प्रचार करना।

5. जनता में सहयोग और धैर्य की भावना जागृत करके टेलीफोन उपस्कर और लाइनों की वर्तमान कमी को पूरा करने में विभाग की सहायता करना।

6. "ओ वाई टी" और गैर "ओ वाई टी" विशेष श्रेणियों की प्रतीक्षा सूची का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करके उचित और समान रूप से नियमों के अनुसार बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने से सम्बन्धित मामलों का निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना।

[अनुवाद]

थोक में औषधों के उत्पादन के लिए लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने की कसौटी

1138. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल स्थिति से थोक में औषधों के उत्पादन के लिए लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के मुकाबले में अर्थव्यवस्था के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या 40 प्रतिशत से अनधिक साम्य पूंजी रखने वाली विदेशी कम्पनियां अपनी विदेशास्थ मूल कम्पनियों की तुलना में अधिक दामों पर थोक में औषधों का उत्पादन कर रही हैं;

(ग) इन औषधों का ब्यौरा क्या है और हमारे देश में उनके द्वारा उत्पादित ऐसी औषधों के मूल्य में कितना अन्तर है; और

(घ) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फेरा कम्पनियों को औद्योगिक अनुमति/आशयपत्र तभी जारी किए जाते हैं जब निर्माण मूल अवस्था से किया जाए। अन्य मामलों में प्रपुंज औषध के निर्माण की अवस्था विनिर्दिष्ट करते समय स्वदेशी कच्चे माल की उपलब्धि और विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित उत्पादन लागत जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) से (ङ) कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में देश में प्रपुंज औषधों के उत्पादन की लागत, कच्चे माल की अधिक लागत व उपयोगिता सहित अन्य कारणों से सी० आई० एफ० मूल्यों से अधिक है।

बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ट्रैक्टरों का निर्माण

1139. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कौन-कौन सी कम्पनियां ट्रैक्टरों का निर्माण कर रही हैं; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) निम्नलिखित कम्पनियां बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में ट्रैक्टरों का उत्पादन कर रही हैं और उनका उत्पादन इस प्रकार है :—

क्रमांक	ट्रैक्टर-निर्माण करने वाले एकक	स्थान	उत्पादन संख्या में	
			1983-84	1984-85
1.	मै० बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन	पटना (बिहार)	26	7
2.	मै० आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	प्रतापगढ़ (उ० प्र०)	701	450
3.	मै० हर्ष ट्रैक्टर्स लिमिटेड	गाजियाबाद (उ० प्र०)	173	114
4.	मै० आयशर डीजल्स लिमिटेड	अलवर (राजस्थान)	161	703

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और अधिक सीमेंट कारखाने स्थापित करना

1140. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने किन-किन स्थानों पर तथा कब स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इन कारखानों पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राजस्थान में (गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र दोनों में) 28 पार्टियों को और उत्तर प्रदेश में 10 पार्टियों को सीमेंट कारखानों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरणों के रूप में स्वीकृतियां दी

गई हैं। इन कारखानों को निम्नलिखित जिलों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, अतः वह संभावित समय बता पाना कठिन होगा जब इन संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

राजस्थान

जिला	कारखानों की संख्या
1	2
1. नागौर	8
2. सिरोही	7
3. अजमेर	2
4. सीकर	4
5. चित्तौड़गढ़	2
6. रायपुर	1
7. जोधपुर	1
8. चित्तौड़	1
9. कोटा	1
10. उदयपुर	1
योग :	28

उत्तर प्रदेश

जिला	कारखानों की संख्या
3	4
1. देहरादून	4
2. पिथौरागढ़	2
3. अल्मोड़ा	1
4. पौड़ी गढ़वाल	1
5. मिर्जापुर	2
	—
योग :	10

(ग) चालू मूल्य स्तरों के अनुसार, संयंत्र के आकार, अपनायी गई प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करते हुए प्रति मी० टन सीमेंट पर औसत निवेश 600 रु० से 1500 रु० तक होता है।

बंगाल की खाड़ी में ड्रिलिंग

1141. **श्री आनन्द पाठक** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बंगाल की खाड़ी में आरम्भ किए गए ड्रिलिंग कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा तट दूर ड्रिलिंग कब आरम्भ की जाएगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने व्यधन स्थल निर्दिष्ट किये हैं तथा व्यधन कार्य आरम्भ करने के लिये प्रारंभिक कार्य चल रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बंगाल के अपतटीय क्षेत्र में 1985 के अन्त तक व्यधन कार्य आरंभ कराये जाने की आशा है।

देश में स्थानीय डाक के लिए हरे रंग के डिब्बों की व्यवस्था

1142. **श्री आनन्द पाठक**
श्री बाजुबन रियान } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ चुनिंदा शहरों में स्थानीय डाक के लिए हरे रंग के डिब्बों की प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) सरकार द्वारा देश के अन्य शहरों में ऐसी प्रणाली आरम्भ न करने पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां। सात चुनिन्दे शहरों अर्थात बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलूर और हैदराबाद में प्रायोगिक आधार पर हरे रंग के लेटर बाक्स पुनः लगाए गए हैं।

(ख) विभिन्न शहरों के पिछले अनुभव से पता चला है कि जनता स्थानीय पत्रों के हरे लेटर बाक्सों में पोस्ट नहीं करती है।

शीरे की कमी

1143. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने वाले मद्यसार उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने पर इस समय प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) क्या इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ शीरे की कमी के कारण मुख्य रूप से प्रतिबन्ध लगा है;

(ग) क्या औद्योगिक मद्यसार के उत्पादन पर भी शीरे की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो शीरे की पूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मद्य निषेध नीति के भाग के रूप में सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख मामलो को छोड़कर अल्कोहलिक पेय के आसवन अथवा मद्यकरण के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन और विद्यमान क्षमता के विस्तार करने पर 19.11.75 से प्रतिबन्ध लगाया है।

(ग) और (घ) शीरा, खन्डसारी के निर्माण से प्राप्त उप-उत्पाद है। इस प्रकार किसी भी दिए गए वर्ष में शीरा की उपलब्धता का निर्धारण खण्डसारी के उत्पादन द्वारा किया जाता है। खण्डसारी के मामूली से उच्च उत्पादन के कारण गत वर्ष की तुलना में चालू अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर 1984 से नवम्बर 1985) के दौरान शीरा के उत्पादन में भी मामूली सी वृद्धि हुई

है। इसके परिणामस्वरूप अल्कोहल का उत्पादन भी अधिक होने की आशा है। तथापि अल्कोहल की बढ़ी हुई मांग के कारण, कमी अनुभव की जा रही है। इसलिए, सरकार औद्योगिक प्रयोगकर्त्ताओं को परिशोधित अल्कोहल के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति दे रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए स्थापित ग्रुप का गठन

1144. **श्री अन्नत प्रसाद सेठी** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए सातवीं योजना में किए गए नियतन में की गई भारी कटौती के फलस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उच्च क्षेत्रीय अधिकारियों का एक ग्रुप स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ग्रुप के गठन का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में सातवीं योजना के दौरान दूर संचार प्रणाली का विकास

1145. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूर संचार प्रणाली के विकास के लिए कदम उठाए हैं और कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य मुख्यालय, भुवनेश्वर को सभी जिला मुख्यालय से एस० टी० डी० लाइनों के जरिये जोड़ने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने उप-ग्रामीण मुख्यालयों में एस० टी० डी० प्रणाली और प्रत्येक जिले में टेलीफोन सुविधाओं और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कर पाना तभी सभी संभव होगा जबकि योजना हेतु पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध हो।

(ग) उप-मण्डलीय मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था करने की योजना प्राथमिकता के अधीन नहीं आती। पंचायत मुख्यालयों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि भाग (घ) की शर्तें पूरी होती हों।

(घ) उड़ीसा के 13 जिला मुख्यालयों में से दो जिला मुख्यालय अर्थात कटक और पुरी के राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के साथ पहले ही एस० टी० डी० के साथ जोड़ दिया गया है। शेष जिला मुख्यालयों अर्थात बालासोर, बारीपाड़ा, भवानीपटना, बोलनगिर, छतरपुर (गंजम) धेनकनाल, क्योंझर, कोरापुट, फुलबनी, संबलपुर और सुन्दरगढ़ को राज्य की राजधानी, के साथ सातवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने की योजना है बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

पंचायत वाले मुख्यालयों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर छूट देकर खोले जाते हैं बशर्ते कि वे स्केटेगरी स्टेशन हों, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

—उप-मण्डलीय/तहसील मुख्यालय

—उप तहसील मुख्यालय

—ब्लाक मुख्यालय

—साधारण क्षेत्रों में 5000 अथवा अधिक और पिछड़े तथा पहाड़ी इलाकों में 2500 अथवा अधिक आबादी वाले स्थान।

—वे स्थान जहां पर पुलिस स्टेशन स्थित हों और जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

—मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० की दूरी पर स्थित दूरदराज के स्थान।

—पर्यटन/तीर्थ स्थल कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगरक्षेत्र

—विन्नीय व्यवहार्यता अथवा गारन्टी तथा किराए की शर्तों के आधार पर अन्य स्थान।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन

1146 **श्री बी० बी० रामैय्या** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के त्वरित विकास के हित में इस क्षेत्र के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने की एक योजना तैयार की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन कार्यालयों/व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शनों को बदलने का है जो फरीदाबाद, नोएडा आदि जैसे स्थानों जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ेंगे, स्थानांतरित होते है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) योजना तैयार की जा रही है।

(ख) किसी टेलीफोन प्रणाली के, स्थानीय क्षेत्र के भीतर एक एक्सचेंज से, दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति दे दी जाती है। तकनीकी कारणों से स्थानीय क्षेत्र से बाहर टेलीफोन शिफ्ट करना संभव नहीं होगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनेक टेलीफोन

प्रणालियों को शामिल किया जाएगा जिसके विभिन्न स्थानीय क्षेत्र होंगे। अतः दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के अधीन आने वाले फरीदाबाद एक्सचेंज से नोएडा टेलीफोन प्रणाली में टेलीफोन शिफ्ट करना संभव नहीं होगा क्योंकि ये दो पृथक स्थानीय क्षेत्र हैं।

हल्दिया में संयुक्त क्षेत्र की इकाई के रूप में पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स के संबंध में समझौता

1147. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री प्रियरंजन दास मुंशी } : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की इकाई के रूप में हल्दिया की पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स की इकाई जिसको लगाने में काफी देर हो गई थी, को लगाने में निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मानक संयुक्त क्षेत्र पैटर्न के आधार पर इस परियोजना को स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा गोयनकाओं के बीच एक समझौता हुआ है।

मैसर्स बजाज आटो-लिमिटेड द्वारा मूल्यों में वृद्धि

1148. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड पुणे ने अपने उत्पादों के मूल्यों में अनेक बार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो बजाज के उत्पादों, स्कूटरों और टम्पो के मूल्यों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति ली गई थी, और

(घ) मूल्यों में प्रति वर्ष वृद्धि करने के क्या कारण है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मै० बजाज आटो लि० टेम्पो का निर्माण नहीं करते है पिछले पांच वर्षों में बजाज सुपर तथा बजाज चेतक स्कूटरों के मूल्यों के संबन्ध में जानकारी अगले पृष्ठ पर दी जाती है:—

(उत्पादन शुल्क को छोड़कर कारखाने से निकलते समय का मूल्य रुपयों में)

	1981	1982	1983	1984	1985 (जुलाई)
बजाज	4750	5280	5280	5540	6490
सुपर	5100			6000	
बजाज	4900	5430	5430	5740	6730
चेतक	5250			6180	

(ग) दुपहिये स्कूटरों सहित मोटरगाड़ियों के मूल्यों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है और इसलिए सरकार से मंजूरी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पिछले 4-5 वर्षों में सामान्य मूल्य सूचकांक तथा इस्पात, अल्युमिनियम, अलौह धातुओं, टायरों इत्यादि से वृद्धि की तुलना में दुपहिये के मूल्यों में वृद्धि अधिक नहीं हुई है।

उद्योगों में ऊर्जा बचत की संभावना

1149. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में अधिक ऊर्जा प्रयोक्ता दस कारखानों के अध्ययन से पता चला है कि 30 करोड़ रुपये वार्षिक की बचत संभव है (बिजनैस स्टैंडर्ड, दिनांक 22.6.85) और यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे अध्ययन किए गए हैं, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला खनन, इस्पात और अल्मोनियम निर्माण आदि के संबंध में भारत में ऊर्जा के व्यय की दर संसार में सबसे अधिक है और यदि हां, तो क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम चालू किए गये हैं या किए जाने वाले हैं;

(ग) क्या इस मद में हो सकने वाली कुल बचत का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पेट्रोलियम के स्टाक कम होने की बात को ध्यान में रखते हुए 21वी शताब्दी की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार को दक्षिणी भारत में ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने वाले 10 एककों का विशिष्ट रूप से किसी प्रकार का अध्ययन किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने सरकार द्वारा गठित ऊर्जा का उपयोग एवं परिक्षण सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयीय कार्य दल की ओर से 200 उद्योगों का ऊर्जा लेखापरीक्षा से सम्बन्धित अध्ययन किए हैं, जिनमें 12 क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(ख) जी, हां। भारत में विकसित देशों की तुलना मे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग होता है।

(ग) अन्तर-मंत्रालयीय दल ने ऊर्जा परिक्षण सम्बन्धी उपायों का कार्यान्वियन करके वार्षिक आधार पर 1925 करोड़ रुपये (1982 के आंकड़े) बचत होने का अनुमान लगाया था।

(घ) इस देश में ऊर्जा के नए और पुनर्नवीकरण योग्य स्रोतों के उपयोग और उनके विद्रोहन के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग से सम्बन्धित कार्यदल द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए एक मसौदा तैयार किया है। योजना के अंतिम आयामों के सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ अब भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग विहीन जिले

1150. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उद्योग विहीन जिलों की कुल कितनी संख्या है; और

(ख) क्या उत्तर काशी, टिहरी गढ़वाल और चमोली जिले भी "उद्योगविहीन जिलों" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तर प्रदेश में ग्यारह उद्योग विहीन जिले हैं।

(ख) जी हां।

[**हिन्दी**]

सागर मध्य प्रदेश में पेट्रोल डिपो खोलना

1151. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री मध्य प्रदेश में तेल निगम के पेट्रोलियम उत्पाद डिपो के बारे में 24 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सागर, मध्य प्रदेश में पेट्रोल डिपो खोलने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : साधनों पर दबाव तथा तेल उद्योग द्वारा कार्यचालन आवश्यकता से भिन्न किसी भी भण्डारण स्कीमों को हाथ में लेने में लगातारी असमर्थता प्रकट करने के कारण सागर, मध्य प्रदेश में डिपो खोलने के बारे में कोई प्रगति नह हुई है।

[**अनुवाद**]

गुजरात की हजीरा उर्वरक परियोजना को गैस की सप्लाई

1152. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की हजीरा उर्वरक परियोजना को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्धारित समय पर गैस की सप्लाई न करने के कारण प्रतिदिन एक करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस असफलता का क्या कारण है; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) कृभको उर्वरक परियोजना को गैस की सप्लाई के लिए ओ० एन० जी० परियोजना को पूरा करने में कुछ देरी हुई है। इस परियोजनाओं में पानी में तथा भूमि पर पाइपलाइन बिछाने का काम शामिल है। इसे पानी में बिछाने का काम पहले ही पूरा हो गया है। भूमि भाग का एक काम प्रगति पर है। इसमें देरी होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. दो ड्रेजरों का पानी में डूबना

2. 200 टन वाले विंच का काम न करना। जिसके कारण कई व्यक्ति जख्मी हुए तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

3. विंच रस्से का टूट जाना।

(ग) काम को पूरा करने की वर्तमान योजना में मैसर्स मेकडर्मों की नौका द्वारा मिन्डोला नदी के बीच चार स्थानों पर पाइपों के "टाइनुन" द्वारा पाइपों को खींचने का काम शामिल है। ये दोनों काम मुख्य रूप से मौसम और लहरों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसके साथ-साथ एक वैकल्पिक आकस्मिक योजना तैयार की गई है जिसमें मिनडोल। नदी के बाहरी पथ से 25 किलो मीटर लम्बी दूरी तक भूमि पर पाइप लाइन बिछाने का काम शामिल है।

तेल लागत समीक्षा समिति का प्रतिवेदन

1153. **श्री बी शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल लागत समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल लागत समीक्षा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी जांच की जा रही है।

बिहार में भारी उद्योगों की स्थापना

1154. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करने के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में कितने भारी उद्योग हैं;

(ग) क्या सरकार का औद्योगिक रूप से पिछले संभागों में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उत्तरी बिहार में किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करने के सम्बन्ध में सरकार केवल जिला/राज्यवार आंकड़े रखती है।

1982-1984 के दौरान बिहार में उद्योगों के सम्बन्ध में 73 आशयपत्र और 64 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ग) और (घ) भारी इंजीनियरी और पूंजीगत सामान उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1982 से 1984 तक के वर्षों में बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का जिलावार ब्यौरा दिया गया है।

क्र० सं०	1982		1983		1984	
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1 2	3	4	5	6	7	8
1. औरंगाबाद	2	—	—	—	1	—
2. भोजपुर	2	—	1	—	1	1
3. खगरिया	—	—	—	—	—	—
4. नालन्दा	1	—	—	—	—	—
5. पूर्निया	—	—	2	1	1	—
6. सहरसा	—	—	—	—	—	—
7. भागलपुर	—	—	—	1	—	1
8. दरभंगा	—	—	1	—	—	—
9. चम्पारन (पूर्वी)	—	—	—	—	—	—
10. चम्पारन (पश्चिम)	2	—	1	—	—	—
11. पलामू	—	—	1	—	—	—
12. संथाल परगना	—	—	1	2	1	1
13. मुजफ्फरपुर	—	—	—	—	—	1

1 2	3	4	5	6	7	8
14. सारन	—	—	—	—	—	—
15. नवादा	—	—	—	1	—	—
16. गया	—	—	—	1	—	—
17. बेगूसराय	1	—	1	—	—	1
18. मुंगेर	—	—	1	—	1	—
19. पटना	—	2	2	1	—	3
20. रोहतास	1	—	—	—	—	—
21. सिवान	—	—	—	—	—	—
22. गोपालगंज	1	—	—	—	—	—
23. वैशाली	—	—	—	—	—	—
24. सीतामढ़ी	—	—	—	—	—	—
25. समस्तीपुर	—	—	—	—	—	—
26. मधुबनी	—	—	—	—	—	—
27. कटिहार	—	—	—	1	—	—
28. हजारीबाग	—	1	2	2	1	1
29. गिरीडीह	—	—	—	—	—	1
30. रांची	4	—	1	3	5	4
31. धनबाद	—	1	1	7	—	8
32. सिंहभूमि	4	5	3	9	4	3
33. एक से अधिक जिला/ कोई पिछड़ा क्षेत्र/कोई उद्योग-विहीन जिला	4	—	12	—	6	—
योग :	22	9	30	29	21	26

उद्योगों का कुल व्यापार और उनको दिए गए प्रोत्साहन

1155. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों का छठी पंचवर्षीय योजना में कुल व्यापार कितना था;

(ख) देश में सातवीं योजना अवधि में उक्त उद्योगों के कुल व्यापार का अनुमानित लक्ष्य कितना है; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना की अवधि में बड़े और लघु उद्योग क्षेत्र के कुल व्यापार से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के आधार पर संपूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर रिकार्ड की गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सात प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जो रोजगार, उत्पादन और निर्यात के रूप में अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए ब्याज की कम दर पर वित्तीय सहायता, किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई, उत्पाद शुल्क से राहत और अन्य राजकोषीय रियायतें, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों के लिए निवेश राज सहायता, परिवहन राज सहायता केवल क्षेत्र में निर्माण के लिए कुछ वस्तुओं का आरक्षण और केवल लघु उद्योग क्षेत्र से ही खरीदे जाने के लिए कुछ वस्तुओं के आरक्षण सहित अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

गया (बिहार), में भारी उद्योग और केन्द्रीय-पूंजी-निवेश राजसहायता योजना

1156. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार का गया जिला केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित केन्द्रीय पूंजीनिवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत आता है; और

(ख) क्या इस पिछड़े जिले में भारी उद्योग स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

[अनुवाद]

बिहार में कागज के छोटे संयंत्रों की स्थापना करना

1157. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के आदिवासी वन क्षेत्रों में लकड़ी तथा अन्य कच्चे माल जैसी संसाधनों की बहुलता को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार का बिहार में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कागज की और अधिक छोटे संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) प्रत्येक 10,000 मी० टन से कम की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाली 4 छोटी कागज मिलों के अलावा, जो 1.1.85 को बिहार राज्य में स्थापित की गई हैं, तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा 49,020 मी० टन कागज तथा गत्ते के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु 13 एककों को पंजीकरण-पत्र मन्जूर किए गए हैं।

स्वदेशी तटवर्ती पोतों की सप्लाई

1158. **श्री रेणुपद दास**
श्री अनुदेव आचार्य } : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने किन्हीं भारतीय शिपयार्ड को स्वदेशी तटवर्ती सप्लाई पोतों के लिए आर्डर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कथित आर्डरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सप्लाई किए जाने वाले पोतों का ब्यौरा शिपयार्ड-वार देते हुए उन भारतीय शिपयार्डों के नाम क्या हैं, जिन्हें आर्डर दिए गए हैं;

(घ) पोत कब तक सप्लाई किए जाने हैं; और

(ङ) कथित आर्डरों में कुल कितनी धनराशि का खर्च है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(ख) से (घ)

1. मझगांव डॉक्स लिमिटेड, बम्बई	अक्तूबर, 1983 से अप्रैल 1984 के दौरान 8 ओ० एस० बी०/4 ओ० एस० बी० प्राप्त किए जाने थे। अभी तक फरवरी 1984 तथा मार्च, 1985 में क्रमश: दो जलयान प्राप्त हुए हैं। शेष दो अभी प्राप्त होने हैं। शेष 4 के सम्बन्ध में औपचारिक संविदा पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
2. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापतनम	जुलाई, 1985 से अप्रैल, 1986 के बीच 4 ओ० एस बी० प्राप्त किए जाने थे। अभी तक कोई जलयान प्राप्त नहीं हुआ है।
3. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हावडा	अक्तूबर, 1985 से जनवरी, 1986 के बीच 2 ओ० एस० बी० प्राप्त होने थे।
4. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, कलकत्ता	अक्टूबर, 1985 से अप्रैल, 1986 के बीच 3 ओ० एस० बी० प्राप्त होने थे।
5. गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोआ	अगस्त, 1985 से अप्रैल, 1986 के बीच 3 ओ० एस० बी० प्राप्त होने थे।

(ङ) उपर्युक्त आर्डरों पर लगभग 140 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खरीद

1159. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों के क्या नाम हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तेल की खरीद का कुछ भाग वार्षिक आधार पर तथा कुछ भाग "आन दि स्पाट" के आधार पर होता है। इसलिए सातवीं योजना के लिए विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

बीमार उद्योगों को पुन: सक्षम बनाना

1160. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बन्द पड़े उद्योगों को पुनः खोलने और बीमार यूनिटों को पुनः सक्षम बनाने के लिए नीतियां तैयार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कितने बीमार यूनिट हैं ;

(ग) क्या उनमें सुधार हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी बीमार यूनिटों को पुनः सक्षम बनाया जाएगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ग) केन्द्र सरकार का रुग्ण एककों की समस्याओं का समाधान करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबन्ध में आवश्यक कानून को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, रूग्ण एककों से संबंधित नीति विषयक कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं को इस समस्या को सुलझाने के लिए जारी किए जा चुके हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्त की मुख्य-मुख्य विशेषताएं लोक सभा प्रश्न संख्या 204 में पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ख) बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून, 1984 के अन्त तक देश में 83,597 रुग्ण एकक थे।

(घ) संभावित रूप में जीव्य समझे जाने वाले रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में सहायता देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग-अलग एककों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। अतः ऐसे रूग्ण एककों की संख्या बता पाना संभव नहीं है, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान पुनरुज्जीवित किया जाएगा।

राज्यों में उद्योग विहीन जिले

1161. **श्री शरद डिघे** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी उद्योग स्थल निर्धारण नीति में सुधार करते समय "उद्योग विहीन जिलों" की सूची में केवल "क" श्रेणी के जिलों (जिनमें कोई बड़ी या मध्यम दर्जे की औद्योगिक एकक नहीं है) को शामिल किया है;

(ख) क्या इससे कुछ राज्यों को कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पिछले क्षेत्रों के पुनः वर्गीकरण के बाद उद्योग विहीन जिलों और विशेष अंचलों को श्रेणी "क" में रखा गया है।

(ख) कुछ राज्यों ने यह सुझाव दिया था कि जिन तालुकों/ब्लाकों में एक भी बड़ा या मझोला उद्योग नहीं है अथवा जिन जिलों में केवल एक या दो मझोले अथवा बड़े उद्योग हैं उन्हें भी "उद्योग विहीन जिलों" की सूची में सम्मिलित कर लिया जाए।

(ग) पिछले क्षेत्रों के औद्योगीकरण हेतु प्रोत्साहनों की विद्यमान योजना की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए सरकार ने एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति स्थापित की है।

इंजीनियरिंग उद्योग के उत्पादन में सुधार

1162. **श्री ब्रजमोहन महन्ती** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग में उत्पादन वर्ष 1983-84 की अपेक्षा वर्ष 1984-85 से कम हुआ है, यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा उनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या अप्रैल से जून 1985 की तिमाही के दौरान इस क्षेत्र में कुछ सुधार नजर आया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। इंजीनियरी उद्योग सहित निर्माणकारी क्षेत्र के उत्पादन सूचकांक में 1984-85 में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) जी, हां। इंजीनियरी उद्योग सहित निर्माणकारी क्षेत्र के उत्पादन सूचकांक में अप्रैल, 1985 में जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिन उद्योग समूहों में अधिक वृद्धि हुई वे हैं :—विद्युत मशीनें (13.9) और परिवहन उपकरण (16.7 प्रतिशत)।

तामलुक (पश्चिम बंगाल) सीधी डायल सेवा व्यवस्था प्रारम्भ करना

1163. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत तामलुक जिला मिदनापुर, (पश्चिमी बंगाल) में सीधी डायल सेवा व्यवस्था प्रारम्भ करने की योजना तथा कार्यक्रम क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) तामलुक में 200 लाइनों की क्षमता वाला एक मैनुअल एक्सचेंज है। किसी स्थान के लिए एस टी डी सुविधा प्रदान करना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है : —

(एक) उस स्टेशन में उचित किस्म का आटोमेटिक एक्सचेंज का होना;

(दो) उस स्टेशन के स्थानीय एक्सचेंज में एस टी डी सुविधा जोड़ने वाला उपस्कर लगाना;

(तीन) उस ट्रंक एक्सचेंज में स्विचिंग उपस्कर का होना जिसके साथ एस टी डी सुविधा जोड़ी जानी है;

(चार) उस स्थान को राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम का होना;

स्विचिंग और संचारण उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण देश के कुछ जिला मुख्यालय जैसे अनेक प्राथमिक स्टेशनों को भी अभी एस टी डी सुविधा के साथ जोड़ जाना है। तामलुक एक जिला मुख्यालय नहीं है। प्राथमिक शर्तें पूरी करने के बाद ही तामलुक में एस टी डी सुविधा प्रदान करने के मामले पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

नसीराबाद टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन आपरेटरों की कमी

1164. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नसीराबाद टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन आपरेटरों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं; और

(ग) क्या नसीराबाद टेलीफोन एक्सचेंज को सीधे डायल टेलीफोन द्वारा देश के अन्य भागों के साथ जोड़ने के लिए लगाए जाने वाले उपकरण अभी तक नहीं लगाए गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। ब्यावर के मंडल इंजीनियर को अध्यक्ष, नगर युवक कांग्रेस (आई) से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) नसीराबाद टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन आपरेटरों की कोई कमी नहीं है। इस एक्सचेंज के लिए टेलीफोन आपरेटरों के 9 पद मंजूर किए गये हैं वे सारे पद भरे हैं।

(ग) नसीराबाद और अजमेर के बीच एक सीधा डायलिंग सर्किट है। मौजूदा परियात के आधार पर अन्य स्थानों के लिए सर्किटों का औचित्य नहीं बनता। नसीराबाद में एस टी डी प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक मैनुअल एक्सचेंज है।

[अनुवाद]

टायरों की बढ़ती हुई मांग

1165. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान टायरों का उत्पादन घरेलू मांग से काफी अधि हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि रबर का आयात करने तथा घरेलू कीमतों को कम करने के लिए टायरों की मांग में वृद्धि की गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसके बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर (राजस्थान) के निकट उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1166. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सवाई माधोपुर के निकट गैर सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) स्वामित्व, उत्पादन क्षमता, जीरो तारीख आदि के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

स्थान	स्वामित्व	जीरो तारीख	उत्पादन क्षमता
सवाई माधोपुर राजस्थान	मै० जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०	1-10-85	अमोनिया 1350 ट० प्र० दि० यूरिया 2200 ट० प्र० दि०

तेल और गैस की खोज

1167. **श्री चिंतामणि जेना**
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर } : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान समुद्र तट से दूर और समुद्र में तेल और गैस के

भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) संभावित स्थानों से तेल और गैस की खोज करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य का विवरण नीचे दिया गया है —

	1982-83	1983-84	1984-85
तटीय क्षेत्र			
मानक लाइन कि० मी०	8944	9996	12466
लाइन किलो मी०	3332	3423	5045
अपतटीय क्षेत्र			
लाइन कि० मी०	27231	19874	23444

(ख) और (ग) उपर्युक्त आंकड़ों की व्याख्या की गई हैं तथा अन्वेषी व्यधन के लिए कई स्थानों का पता चला है। इन तीन वर्षों में कई तटीय तथा अपतटीय स्थानों में अन्वेषी कार्य किया गया है।

हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलना

1168. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों से हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने के बारे में प्राप्त अनुरोधों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) ये अनुरोध किन-किन शहरों के लिए प्राप्त हुए हैं; और

(ग) हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जो नीति अपनाई गई है, उसके अनुसार जिला मुख्यालयों में स्थित एक्सचेंजों और लम्बी प्रतीक्षा सूची वाले उच्च क्षमता के एक्सचेंजों को वरीयता दी जाती है।

विवरण

मैनुअल एक्सचेंजों को ऑटो एक्सचेंजों में बदलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त स्थानों के नामों के साथ अप्रैल, 85 तक प्राप्त अनुरोधों की संख्या का विवरण

स्थान का नाम	संख्या	विवरण
1. आगरा (उत्तर प्रदेश)	2	1. संजय प्लेस ट्रांसपोर्ट नगर 2. फाउण्ड्री नगर
2. नागपुर (महाराष्ट्र)	1	1. नागपुर महाराष्ट्र राज्य
3. पंचकूला (चण्डीगढ़)	1	1. पंचकूला
4, शिवगंगा (मद्रास सर्किल)	1	1 शिवगंगा
5. उड़ीसा	24	1. बाडपोखरी 2. फतेतुर 3. संतारगाडिया 4. कानसा 5. छतरपुर 6. बालंदपुडा 7. गोछापाडा 8. नुवापदार 9. स्मालबैरेज 10. कानिहा 11. आतमल्लिक 12. समकोई डैम (मौजूदा स्वचल एक्सचेंज) 13. सन्सदा 14. खमार कॉलिज 15. भुबन (मौजूदा स्वचल एक्सचेंज) 16. चेन्दीपाडा (मौजूदा स्वचल एक्सचेंज) 17. गारपोश 18. कसेंबिहल 19. बामरा (मौजूदा स्वचल एक्सचेंज) 20. रासगोविन्दपुर 21. बाई सिंह 22. तारकुट्टी 23. सन्तारा 24. गदूलिया
6. पंजाब	3	1. कौनी (फरीदकोट) 2. गोइंदवाल (अमृतसर) 3. हुम्बरान (लुधियाना)

[हिन्दी]

अल्मोड़ा जिले में चोनालिया और सोनी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

1169. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में चोनालिया और सोनी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर 1985-86 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) अल्मोड़ा जिले के चोनालिया और सोनी नामक स्थान आर्थिक सहायता के आधार पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किये जाने की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। तथापि, किराये और गारंटी के आधार पर यह सुविधा प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले संभावित घाटे की पूर्ति करने के लिए तैयार हो।

लोहाघाट, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्प की स्थापना

1170. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने लोहाघाट (उत्तर प्रदेश) में एक पेट्रोल पम्प स्थापित करने का निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह पेट्रोल पम्प किस अवधि तक जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 19 जून, 1985 को चुने गये डीलर को आशय पत्र जारी किया गया है। अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा कर डीलर शिप को शीघ्र ही आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

धारचूला (उत्तर प्रदेश) में तवाघाट से जिप्ती तक मोटर वाहन मार्ग का निर्माण

1171. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने धारचूला, (उत्तर प्रदेश) के सीमावर्ती क्षेत्र में तवाघाट से जिप्ती तक मोटर

वाहन मार्ग को महानिदेशालय सीमा सड़क से निर्माण कराने के सम्बन्ध में जनता के प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) टनकपुर से तवाघाट तक (लगभग 262 कि० मी०) सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने, श्रेणी —IX विनिर्दिष्ट (3·66 मीटर का वाहन मार्ग) के अनुसार किया था। तवाघाट से जिप्ती तक इस सड़क को बढ़ाए जाने की कोई सक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क विकास बोर्ड निधि से नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की मांग

1172. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक विभिन्न स्रोतों द्वारा खाना पकाने की गैस का कुल कितना उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) क्या बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा निर्माताओं से गैस सिलेण्डर खरीदने के लिए सामान्यत: क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि अनुमोदित गैस-सिलेण्डर निर्माताओं की उत्पादन क्षमता का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1985-86 के दौरान देश में 1.188 मि० मी० टन एल० पी० जी० के उत्पादन होने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा सिलेण्डरों की प्राप्ति सरकारी निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद की जाती हैं और सिलेण्डरों की सप्लाई के लिए अनुमोदित पार्टियों को आर्डर दिए जाते हैं। उन नई यूनिटों को प्रोत्साहनात्मक आर्डर दिये गये हैं जिन्होंने तेल उद्योग तकनीकी समिति से अनुमोदन और अन्य निर्धारित स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

(घ) से (च) सिलेण्डर निर्माताओं की रजिस्टर्ड उत्पादन क्षमता तेल उद्योगों की आवश्यकता से बहुत अधिक है। सिलेण्डर यूनिटों को सलाह दी गई है कि वे विविधिकरण को अपनाएं।

भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास के लिए धन का आबंटन

1173. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिक धन की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा और पुनर्वास की सुविधाएं जुटाने पर कितना धन खर्च हुआ है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों के परिवारों के पुनर्वास के लिए रु० 30 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की है।

(ग) राज्य सरकार ने मई, 1985 के अन्त तक राहत उपायों पर रु० 32 करोड़ की राशि खर्च की है।

उद्योगों में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाना

1174. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उद्योगों में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लाइसेंस देने में होने वाली देरी में कितनी कमी हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाती है और इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न उपाय किये गये हैं। हाल ही में किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों में उद्योगों के 25 व्यापक समूहों और 82 अनिवार्य बल्क ड्रगों तथा इनसे सम्बन्धित फार्मुलेशनों को लाइसेंस मुक्त करना, कुछ उद्योगों के मामले में बांड बैंडिंग की सुविधा देना, लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 35 लाख रु० और 45 लाख रु० करना, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार कम्पनियों के लिए आरम्भिक सीमा को 100 करोड़ रु० करना और औद्योगिक लाइसेंस देने के मामलों के निपटान के लिए अवधि निश्चित करना शामिल है।

(ग) लाइसेंस मुक्त किए गए उद्योगों के सम्बन्ध में उद्यमी को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में पंजीकरण करवाना होता है जो आमतौर 21 दिनों की अवधि में कर दिया जाता है। लाइसेंसिंग सीमा के बाहर होने के कारण कई औद्योगिक एककों को लाइसेंस लेने से छूट दी जाती है। जहां औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है उसके निपटान में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 1984 में निपटाए गए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार कम्पनियों के अलावा अन्य कम्पनियों के 1883 आवेदन-पत्रों में से लगभग 70 प्रतिशत आवेदन-पत्र 90 दिनों की अवधि में निपटाए गए थे। 90 दिनों के अन्दर निपटाए गए ऐसे आवेदन पत्रों के मामले में प्रतिशत 1983 में 38 प्रतिशत था। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार कम्पनियों के लिए आरम्भिक सीमा बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर देने और उद्योगों के 27 समूहों को एम० आर० टी० पी० की स्वीकृति लेने की आवश्यकता से छूट देने से एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में भी ऐसे परिणाम निकलने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों को विभागीय कैन्टीन स्टोर के माध्यम से बढ़िया किस्म की आवश्यक वस्तुओं का रियायती दर पर संभरण

1175. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारतवर्ष में सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की गृहस्थी की वस्तुएं और अन्य बढ़िया किस्म की आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर देने के प्रयोजनार्थ वर्ष 1985-86 के बजट प्राक्कलनों में 504.01 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है और तदनुसार 361.90 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन बनाए गए हैं; और

(ख) विभागीय कैन्टीन स्टोर से कौन-कौन सी वस्तुएं दी जाती हैं और कौन सी वस्तुएं रियायती दरों पर दी जाती हैं तथा यह निश्चित कैसे किया जाता है कि उनके द्वारा ली गई वस्तुओं का उनके लिए ही उपयोग होता है या वस्तुएं अन्य लोगों के लिए दी जाती हैं जिस पर सरकार को प्रतिवर्ष भारी व्यय का बोझ उठाना पड़ता है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) कैन्टीन स्टोर विभाग की विभिन्न कैन्टीनों के माध्यम से सामान की लगभग 3,000 मदें बेची जाती हैं। इनमें परेलू सामान, नहाने-धोने का सामान, शराब, खाद्यान्न, लेखन-सामग्री तथा कुछ विशिष्ट मदें शामिल हैं। कैन्टीन स्टोर विभाग रक्षा सेवाओं के ही नियंत्रणाधीन और उन्हीं के प्रबन्धाधीन यूनिटों के लिए इन मदों की बिक्री की व्यवस्था करता है। इस बात पर कड़ी नजर रखी जाती है कि यह बिक्री केवल प्राधिकृत उपभोक्ताओं को ही हो। इन मदों की अनधिकृत बिक्री/धारण की रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। कैन्टीन स्टोर विभाग मूलतः एक व्यापारिक संगठन है और यह हर वर्ष लाभ कमाता है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज

1176. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और योजना आयोग ने इस बात का निर्णय कर लिया है कि तेल की खोज का काम अनुकूल शर्तों पर विदेशी तेल कम्पनियों के लिए खुला रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस काम में शामिल किए गए देशों के नाम क्या हैं और दरें कितनी बढ़ाई गई हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया को उपरोक्त काम न सौंपे जा सकने के क्या कारण हैं जबकि उनका काम सन्तोषजनक था और उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा था; और

(घ) विदेशी कम्पनियों के साथ की गई उक्त व्यवस्था से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर क्या प्रभाव और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) तेल की खोज और उपयोग कार्य में लगी दो राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया था कि देश में चुने हुए क्षेत्रों में हाइड्रो कार्बनों की खोज और उपयोग के लिए ख्याति प्राप्त विदेशी तेल कम्पनियों को आमंत्रित किया जाए।

तेल की खोज और उत्पादन के लिए क्षेत्रों को पट्टे पर देने के वास्ते बोलियों के पहले दो दौर में एक ब्लाक यू० एस० ए० की शेवरान को दिया गया था। जोखिम सम्बन्धी राशि का निवेश विदेशी ठेकेदारों द्वारा किया गया था।

सरकार, तेल की खोज और उत्पादन के लिए क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिए बोली का तीसरा दौर आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सेवा शर्तों के विवरण अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं।

तेल मिल जाने पर, आयातित कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।

जंगली क्षेत्रों में माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली शुरू करना

1178. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जंगली क्षेत्रों में खुली तार लाइन की चोरी रोकने और जंगल की वृद्धि के कारण लाइनों की निरन्तर की जाने वाली मरम्मत से बचने हेतु जंगली क्षेत्रों में माइक्रोवेव

टेलीफोन प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) क्या उक्त उपकरणों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। विभाग ने अत्यधिक उच्च आवृत्ति दूरी में मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणालियों में जंगल के क्षेत्रों को शामिल करने की योजना तैयार की है।

(ख) देश में सातवीं योजना के दौरान मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणालियों के साथ 9000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें जंगली क्षेत्र भी शामिल हैं। तथापि, यह कार्य तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(ग) जी हां।

सुनाबेड़ा उड़ीसा स्थित मिग कारखाने के विस्थापितों का पुनर्वास

1179. श्री के० प्रधानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोरापुट में सुनाबेड़ा स्थित मिग कारखाने के सभी विस्थापितों का अब तक पुनर्वास किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है और कितने व्यक्तियों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ग) पुनर्वास किस किस्म का है; और

(घ) क्या उक्त व्यक्तियों में से किसी को रोजगार दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अनुसार 397 विस्थापित व्यक्तियों में से 86 को कम्पनी ने अर्ध कुशल/अकुशल रोजगारों में सीधे ही रोजगार दे दिया है। बाकी 311 व्यक्तियों को ठेकेदारों ने सफाई, सामग्री संचालन, निर्माण आदि के कार्यों पर लगा दिया है।

सुनाबेड़ा उड़ीसा स्थित मिग कारखाने का विस्तार

1180. श्री के० प्रधानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोरापुट (उड़ीसा) में सुनाबेड़ा स्थित मिग कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) विस्तार कार्य किस प्रकार का होगा;

(ग) विस्तार कार्य कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) विस्तार कार्य के बाद यदि कोई रोजगार की सम्भावनाएं हों, तो वे क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में विमान इंजनों के निर्माण और उनके ओवरहाल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्लांट और मशीनें तथा सिविल कार्य और सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्यक्रम लगभग 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इस विस्तार कार्यक्रम के कारण अधिक संख्या में कार्मिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।

तेल रिगों की खरीद

1181. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से विदेशों से कितने तेल रिग खरीदे गये हैं;

(ख) आदेशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने तेल रिगों की सप्लाई की है;

(ग) इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया; और

(घ) यदि अभी तक उनकी खरीद नहीं की गई है तो क्या उन्हें विदेशों से खरीदने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मार्च, 1985 में 1,607,178 अमरीकी डालर की लागत पर एक मोबाइल ड्रिलिंग रिग खरीदने के लिए मैसर्स इंगर सोल एण्ड, यू० एस० ए० को एक आर्डर दिया है।

(घ) विदेशों से 3 लैण्ड रिग्स खरीदने का आयल इंडिया लिमिटेड का प्रस्ताव है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 8 लैण्ड रिग खरीदने के लिए दो टेण्डर जारी किए हैं।

बंगलौर शहर में किराये के भवनों में डाकखाने

1182. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में किराये के भवनों में कितने डाकखाने चल रहे हैं;

(ख) विभाग द्वारा हर महीने कितना किराया दिया जाता है;

(ग) सरकार द्वारा बंगलौर शहर में सभी डाकखानों के लिए अपने भवनों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि राज्य सरकार इसके लिए भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर सहमत हो जाती है, तो क्या विभाग नये भवनों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 198 (केवल एक सौ अट्ठानबे)।

(ख) 1,24,591 रुपये (केवल एक लाख, चौबीस हजार पांच सौ इक्यानबे)।

(ग) विभागीय इमारतों का निर्माण एक चरणबद्ध ढंग से किया जाता है बशर्ते कि स्थान और निधि उपलब्ध हो तथा विभागीय इमारतों की वास्तव में आवश्यकता हो।

(घ) विभाग विभागीय इमारतों के निर्माण के लिए तभी कार्रवाई करता है जब निधि उपलब्ध हो जाए तथा इनकी वास्तव में आवश्यकता हो।

नागपुर टेलीफोन्स में कुव्यवस्था

1183. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागपुर टेलीफोन की कार्य प्रणाली दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि नागपुर में बड़ी संख्या में टेलीफोन प्रयोगकर्ता नागपुर टेलीफोन्स की कार्य प्रणाली की आलोचना कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नागपुर टेलीफोन्स की कथित कुव्यवस्था की पूरी जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। नागपुर टेलीफोन प्रणाली की टेलीफोन सेवाएं सामान्यतः संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। हालांकि, चार एक्सचेंजों में से इटवारी टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में ग्रीष्म ऋतु के दौरान उपस्कर की खराबी तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कमी आई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की गई और मंडल इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर का स्थानांतरण कर दिया गया था। उपस्कर की प्राथमिकता आधार पर जांच की गई और अब टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

गलत कालों के सम्बन्ध में टेलीफोन उपभोक्ताओं को छूट

1184 **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गलत नम्बर की कालों के सम्बन्ध में टेलीफोन उपभोक्ताओं को उचित छूट देने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव पर कोई विचार किया है;

(ग) क्या यह सच है कि नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज में पुराने उपकरणों के कारण गलत कालों आदि की समस्याएं बढ रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नागपुर के वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने का है: और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। समय-समय पर विभिन्न वर्गों से सुझाव मिलते रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर एक अध्ययन किया गया था। कुल कॉलों की तुलना में ऐसी कॉलें 0.8 प्रतिशत से भी कम रही हैं। अत: ऐसी कॉलों के लिए छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) 10,000 लाइनों वाले ई-10 बी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर सप्लाई किए जाने की सम्भावना है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए उप-समिति की स्थापना

1185 श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री श्री के० पी० सिंह देव की अध्यक्षता में एक वर्ष पहले एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक और उप-समिति का गठन किया गया है: और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां अलग से सदन के पटल पर रखी जा रही हैं।

(घ) इस विषय पर सरकार के सामान्य अनुदेशों की अपेक्षा के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने अन्य सभी सम्बन्धित मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधियों सहित एक 'अधिकार प्राप्त समिति" (उप-समिति नहीं) का गठन किया था जिससे कि अन्तर मंत्रालय विचार-विमर्श (जो बहुत-सी सिफारिशों के सम्बन्ध में बहुत जरूरी था) शीघ्र किया जा सके। इस अधिकार प्राप्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

(ङ) कई सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। शेष सिफारिशों पर, जिनका सम्बन्ध पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार से है, अन्तिम निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा। जिन सिफारिशों पर अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा निर्णय और कार्यान्वयन किया जाना है वे उन्हें पहले ही भेजी जा चुकी हैं।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण

1186. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की कमी है जिसके परिणाम-स्वरूप घरेलू गैस-कनेक्शन प्राप्त करने में बहुत समय लगता है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कुल मांग की तुलना में सिलेंडरों के निर्माण की क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या उक्त अवधि में कुछ सिलेंडरों का आयात करना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एल० पी० जी० सिलिंडरों की कोई कमी नहीं है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान एल० पी० जी० सिलिंडरों की कुल निर्माण क्षमता व मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	निर्माण क्षमता	मांग (लाखों में)
1983-84	99.00	50
1984-85	120.00	50

(ग) और (घ) वर्ष 1982-83 के दौरान सिलिंडरों की कमी को देखते हुए, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने दिसम्बर, 1982 में विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदा के

आधार पर ब्राजील के मैसर्स मिनास को 8 लाख सिलिंडरों के लिए आर्डर दिया गया था। इस आर्डर के प्रति 6.2 लाख सिलिंडर प्राप्त हुए हैं जिस पर 94,67,400 यू० एस० डालर की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में डिजिटल दूरसंचार व्यवस्था

1187. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डिजिटल दूरसंचार तन्त्र (डिजिटल टेली-कम्यूनिकेशन नेट वर्क) उपलब्ध कराने हेतु उड़ीसा में कोरापुट जिले को चुना था;

(ख) क्या यह सच है कि दूरसंचार सर्किल, उड़ीसा द्वारा उक्त जिले के विभिन्न स्थानों में टावर लगाने के लिए स्थान चुनने को छोड़कर, छठी योजना के अन्त तक उसे कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय ने सातवीं योजना के दौरान, उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) कोरापुट जिले में जिन स्थानों पर इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क शुरू किया जाना है उनका चयन कर लिया गया है और नेटवर्क योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

(ग) उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण इस योजना पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(घ) इस योजना को सातवी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा सकेगा बशर्ते कि उपस्कर तथा निधि उपलब्ध हो सके।

रक्षा मंत्रालय में लेखन सामग्री आदि की खरीद

1188. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/14/80/कल्याण, दिनांक 14-7-1981 के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी केन्द्रीय विभागों, उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित और/अथवा नियन्त्रित अन्य संगठनों के लिये लेखन सामग्री बिजली, सप्लाई का सामान और अन्य सभी वस्तुएं केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० नई दिल्ली से ही खरीदना आवश्यक है;

(ख) उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत आने वाले अनेक मंत्रालय के सभी कार्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या वायु सेना मुख्यालय और दिल्ली छावनी के कार्यालयों सहित उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सभी कार्यालय उपरोक्त निदेशों का पालन कर रहे हैं और उक्त सामान समिति से खरीद रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। सिवाय दिल्ली छावनी बोर्ड के।

(ख) दिल्ली/दिल्ली छावनी में स्थित अधीनस्थ फार्मेशनों के नामों को प्रकट करना, जनहित में आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ग) इस बात की पुष्टि की जाती है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के अलावा दिल्ली/दिल्ली छावनी स्थित रक्षा मन्त्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालय केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली से लेखन सामग्री खरीद रहे हैं।

(घ) दिल्ली छावनी बोर्ड को आदेश दे दिए गए हैं कि वे भी इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

सरकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद टेलीफोन सुविधा बहाल रखना

1189. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी सरकारी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर, यदि उसके परिवार के सदस्य अनुरोध करते हैं, तो सरकार उसे टेलीफोन सुविधा बहाल रखने की अनुमति देती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कार्यविधि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी सेवा निवृत्त होने वाला कोई भी अधिकारी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से 6 महीने पहले टेलीफोन कनेक्शन के लिए और "गैर ओ०वाई० टी०एस०एस०" श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा सकता है बशर्ते कि सेवानिवृत्ति होने के कम से कम एक वर्ष पहले उसका मूल वेतन 1600/-रु० प्रतिमाह रहा हो। सरकारी कर्मचारी को इस श्रेणी के अधीन किसी अन्य स्टेशन में पहले से यह सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। यह सुविधा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी/उसके पति को भी उपलब्ध होगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए रियायतें

1190. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की जा रही राज सहायता और रियायतों के वांछित परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किये गये उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ केन्द्रीय निवेश राजसहायता रियायती वित्त आदि की विद्यमान योजनाओं की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय समिति ने "इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1980 में प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अन्य ब्यौरा जैसे इकक का नाम निर्माण की वस्तु स्थान आदि इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वर्ष		
		1982	1983	1984
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश	9	25	23
2.	अण्डमान और निकोबार	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	2	3
4.	असम	1	22	8

1	2	3	4	5
5.	बिहार	—	6	6
6.	दादरा और नगर हवेली	—	—	1
7.	गोवा, दमन और द्वीप	7	3	10
8.	गुजरात	25	36	30
9.	हरियाणा	4	12	11
10.	हिमाचल प्रदेश	5	5	5
11.	जम्मू और कश्मीर	2	10	8
12.	कर्नाटक	16	27	19
13.	केरल	6	16	13
14.	मध्य प्रदेश	5	19	23
15.	महाराष्ट्र	21	23	39
16.	मणिपुर	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—
18.	नागालैण्ड	—	2	2
19.	उड़ीसा	2	3	5
20.	पाण्डिचेरी	1	5	3
21.	पंजाब	3	11	15
22.	राजस्थान	9	11	15
23.	सिक्किम	—	—	2
24.	तमिड़नाडु	15	35	32
25.	त्रिपुरा	—	—	1
26.	उत्तर प्रदेश	5	33	35
27.	पश्चिमी बंगाल	8	11	12
28.	राज्य का उल्लेख नहीं/किया गया एक से अधिक राज्य	1	—	2
		145	317	323

तेल की खोज

1191. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय विद्यमान कुओं से तेल का उत्पादन कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अभी तक जिन क्षेत्रों में तेल की गवेषणा नहीं की गई है वहां तेल की खोज के लिए कोई गहन प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) उत्पादन के आरम्भ होने के बाद भण्डार के दबाव में कमी आना सामान्य प्रक्रिया है। पुराना होने के कारण कुछ क्षेत्रों में तेल का बहाव घट रहा है। तेल का बहाव 5-10 प्रतिशत की दर से कम हो रहा है तथा यह चट्टान और ऑयल प्रापर्टी तथा भण्डार के पुराने होने पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाने की योजना है :—

1. नई भूकम्पीय अन्वेषण प्रौद्योगिक को लागू करना;

2. अल्पज्ञात भौगोलिक क्षेत्रों में स्थानों का गहन अन्वेषण।

3. उच्च प्रौद्योगिकी को आरम्भ करना तथा आंकड़ों के संसाधन में कम्प्यूटरों का अधिक प्रयोग करना

न्यायालयों में कम्प्यूटरों का आरम्भ किया जाना

1192. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री के० प्रधानी } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों के कार्यकरण में कम्प्यूटर आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में विनिश्चय करने से पूर्व विधि और तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो विधि विशेषज्ञों द्वारा इस मामले में व्यक्त की गई राय का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

बीमाकृत पार्सलों की चोरी

1193. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े पैमाने पर बीमाकृत पार्सलों की चोरी को देखते हुए इस गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए एक तंत्र बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितने मामले पकड़े गए; और

(ङ) की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है और समय-समय पर इसमें तेजी लाई जानी है।

(ग) जी हां। कुछ मामलों में कुछ बाहरी व्यक्ति तथा कुछेक विभागीय कर्मचारी पकड़े गए थे। मामलों की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई।

(घ) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पकड़े गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

1983-84	1984-85
122	92

(ङ) बीमाकृत पार्सलों की चोरी में पकड़े गए व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दंड दिया गया या उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई।

उत्तर बिहार में टेलीफोन सेवा

1194. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार राज्य, विशेषकर उत्तर बिहार में टेलीफोन

सेवाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि वहां टेलीफोन सेवाएं अधिकतर खराब रहती हैं; और

(ग) बिहार राज्य में टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। बिहार राज्य में, विशेष रूप से उत्तरी बिहार में टेलीफोन सेवा आम और पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) किसी भी खराबी की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) बिहार राज्य में टेलीफोन प्रणाली में और आगे सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में नए जंक्शन और प्राइमरी केबिल डक्टों को बिछाना।

2. मैन केबिलों का दबावीकरण और दबावीयुक्त नए केबिल बिछाना।

3. केबिल खाइयों को बंद करने से पहले उनमें पानी भरना।

4. वितरण नेटवर्क में जैली भरे केबिलों का प्रयोग।

5. जिन उपस्करों एवं केबिलों की कार्य अवधि समाप्त हो गई है उन्हें हटाना।

6. एक्सचेंज के आंतरिक उपस्कर की विशेष जांच।

7. बिजली फेल हो जाने की स्थिति से निपटने के लिए इंजिन आल्टरनेटरों को व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सीधी ट्रंक डायल द्वारा जोड़े जाने वाले शहर

1195. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985-86 के दौरान किन-किन शहरों को सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा जोड़े जाने का विचार है;

(ख) सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा जोड़े जाने के योग्य होने के लिए एक शहर के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं; और

(ग) क्या आजमगढ़ जिला इसका हकदार होने के लिए अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश के 29 शहरों को पहले ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है तथा 1985-86 के दौरान किसी नए शहर को एस० टी० डी० से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) किसी शहर से एस० टी० डी० प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है :—

(एक) उस स्टेशन में उचित किस्म का आटोमैटिक एक्सचेंज का होना;

(दो) उस स्थान को राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए अपेक्षित मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर के साथ विश्वसनीय संचारण माध्यम स्थापित करना।

(तीन) जिस ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के साथ स्टेशन को जोड़ा जाना है। वहां उचित टर्मिनेशन स्थापित करना;

(चार) उस स्टेशन के स्थानीय एक्सचेंज में अपेक्षित टर्मिनेशन उपस्कर स्थापित करना।

(ग) एस० टी० डी० सुविधा के लिए उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दी गई चार पूर्व निर्धारित शर्तों में से मद (एक), (तीन) और (चार) में दी गई शर्तें पूरी होती हैं। आजमगढ़ के मामले में मद (दो) अर्थात विश्वसनीय संचारण माध्यम और मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर वाली शर्त अभी पूरी की जानी है।

उत्तर प्रदेश के जिलों में बहु-पहुंच ग्रामीण रेडियो प्रणाली पर आधारित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

1196. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजममढ़ गोवखपुर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, बस्ती और गाजीपुर जिलों में बहु-पहुंच ग्रामीण रेडियो प्रणाली पर आधारित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 में उपर्युक्त प्रणाली पर आधारित कितने सार्वजनिक केन्द्र खोले जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) शून्य

(ग) इन योजनाओं का क्रियान्वयन अपने देश में निर्मित किये जाने वाले उपस्करों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। देवरिया की योजना के लिए मेसर्स आई टी आई को देशी एम ए आर आर उपस्कर की सप्लाई करने का आर्डर दे दिया गया है जिसे 1986-87 में प्राप्त हो जाने की संभावना है। अन्य जिलों के लिए दिये जाने वाले आर्डरों पर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के बड़े बाजारों में स्थित डाकखानों में तार सुविधा की व्यवस्था करना

1197. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बड़े बाजारों में स्थित कई डाकखानों में तार सुविधा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तार देने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का विचार सूरजपुर, अश्लादपुर, दुबारी, सियदि और लाटघाट ठेकमा डाकघरों में तार सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) किसी डाकघर में तार सुविधा तभी प्रदान की जाती है जब परियात द्वारा उसका औचित्य पाया जाए। अतः सभी डाकघर तार सुविधा पाने के पात्र नहीं हैं।

(ख) सूरजपुर, दुबारी, लाटघाट और ठेकमा में पहले से ही तार सुविधा उपलब्ध है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार आर्थिक सहायता देकर भी मर्यादपुर और सिपाह टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। तथापि, किराये और गारंटी की शर्तों के आधार पर तार सुविधा प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी के विभाग को होने वाले संभावित घाटे की पूर्ति करने को तैयार हो।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में अपतटीय ड्रिलिंग

1198. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल अपतटीय ड्रिलिंग परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं और भेजने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) ड्रिलिंग का लक्ष्य क्या है और कितने स्थलों पर ड्रिलिंग की जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बंगाल अपतट में अन्वेषी खुदाई करने का प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) बंगाल अपतट में खुदाई करने के लिए एक उथला जल जैक अप रिग किराये पर लेने के लिए विश्व व्यापी निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। छः निविदाएं प्राप्त हुई हैं। इन कम्पनियों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. रीडिंग एण्ड बेट्स ड्रिलिंग कम्पनी, यू० के०
2. पफरिशिआंस मेरिटाइमेस मेक्सिकेन्ससी, मेक्सिको]
3. पर्मागों इण्टरनेशनल कारपोरेशन, यू० एस० ए०
4. जापाटा आफशोर कम्पनी, यू० एस० ए०
5. फोरेक्स नेपट्यून इण्टरनेशनल इंक, फ्रांस
6. इस्सार, बम्बई

(ग) 1985 के अन्त तक खुदाई के शुरू किए जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में खुदाई करने के लिए पांच स्वतंत्र स्थानों का पता लगा लिया गया है।

अगरतला में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ

1199. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला न्यायपीठ में कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) क्या सरकार का अगरतला में गोहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) रजिस्ट्री ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 31-12-1983 को गोहाटी उच्च न्यायालय में लंबित मामलो की कुल संख्या 13,403 है।

(ख) जी नहीं।

अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सेवा शुरू करना

1200. **श्री अजय बिश्वास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) अगरतला के लिए एस० टी० डी० सुविधा सातवीं योजना अवधि के अन्त तक प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि निधि एवं उपस्कर उपलब्ध हो सके।

पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कम्पलेक्स का निर्माण

1201. **श्री अजय बिश्वास** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कम्पलेक्स का निर्माण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम्पलेक्स के निर्माण के लिए ओ० एन० जी० सी० अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कलकत्ता में अपना आवासीय व कार्यालय काम्पलेक्स स्थापित करने की योजना है। काम्पलेक्स के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट के विस्तार की योजना

1202. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट ने अपने विस्तार की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। सातवीं योजना अवधि के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट की विस्तार योजना में ही—टैंक वाल्वस, पावर सिलेंडर्स और कंट्रोल ड्राईव्स तथा डी० सुपरहीटरस और प्रैशर रिड्यूसिंग स्टेशन के विनिर्माण की परिकल्पना की गई है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज पालघाट का विस्तार

1203. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) क्या इस यूनिट की, इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज, संघटक और टेलीफोन उपकरण आदि बनाने की क्षमता होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पालघाट कारखाने में 1.5 लाख लाइनें बनाने के लिए उसका विस्तार किया जा रहा है जिसमें डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की 30,000 लाइनें (60,000 समतुल्य लाइनें), इलेक्ट्रानिकी निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज की 40,000 लाइनें और ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज की 50,000 लाइनें बनाई जाएंगी। इस कारखाने में घटक तथा टेलीफोन उपकरणों को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में उद्योग मंडल में एफ ए सी टी यूनिट का आधुनिकीकरण

1204. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में उद्योग मंडल स्थित एस ए सी टी यूनिट सबसे पुराना है और बेकार हो गया है;

(ख) क्या इस एकक का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उद्योग मंडल एकक देश का प्रथम प्रमुख उर्वरक कारखाना है। बाद में इस एकक का चरणों में विस्तार किया गया था। वुड गैसीफिकेशन संयंत्र मानसेन्टो सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्रों, इलैक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन संयंत्र जैसे पुराने और अप्रचलित संयंत्र समाप्त कर दिये गए थे।

(ख) और (ग) कुछ नवीकरण बाकी हैं जिनके ब्यौरे कम्पनी द्वारा तैयार किए जाने हैं।

केरल में उद्योग मंडल में अमोनिया संयंत्र की स्थापना

1205. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उद्योग मंडल में एकक अमोनिया संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) कम्पनी ने 900 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला नया अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सरकार ने प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित सिविल/आपराधिक मामले

1206. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल/आपराधिक कितने मामले लंबित; हैं और

(ख) जनता को कम खर्च पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31-12-1984 को 8583 सिविल मामले और 476 आपराधिक मामले लंबित थे।

(ख) सामान्यतया उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो कम खर्चीला न्याय दिलाने के लिए हैं, संलग्न विवरण में दर्शित हैं।

विवरण

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दण्ड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई, 1985 को 424 कर दिया गया है।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं : —

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जिनमें, एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं एक ग्रुप में रखा जा रहा है;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(5) सरकार ने भी उन राज्यों के, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मन्त्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन नियुक्ति की जाने पर विचार किया जाए।

(6) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा कर ली गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(7) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर

निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्च में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्त्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार की सिफारिश करना।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठन की है।

बिहार में खनिज तेल की गवेषणा

1207. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बेतिया और मधुबनी में खनिज तेल के लिए अनुसंधान और गवेषणा कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार में नालन्दा जिले में राजगिर पहाड़ियों और वनों के आसपास जैसे अन्य कई स्थानों पर खनिज तेल प्राप्त होने की संभावनाएं हैं और यदि हां, तो वहां तेल की गवेषणा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बेतिया क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षणों के आधार पर गण्डक-1 के एक कुएं की 5314 मीटर तक खुदाई की गई और यह परीक्षणाधीन हैं। मधुबनी क्षेत्र के एक कुएं (मधुबनी गहरा कुआं संख्या-1) को एक कुएं 6000 मीटर की गहराई तक की खुदाई के लिए रिलीज किया गया है। इसके

अतिरिक्त 1984-85 के क्षेत्रीय मौसम में दो भूकम्पीय पार्टियों द्वारा सर्वेक्षण किए गए। आंकड़े का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) राजगीर-नालंदा क्षेत्र को हाइड्रोकार्बनो की खोज के लिए सम्भावना वाला नहीं समझा गया है।

संचार मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

1208. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के दोनों विभागों में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित मदों का शत-प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त धारा में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय के दोनो विभागों में कितने प्रतिशत क्रियान्विति की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

(ख) संचार मंत्रालय के दूरसंचार तथा डाक विभागों में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 के विभिन्न उपबन्धों और उसके अधीन बनाए नियमों का उत्तरोत्तर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के कार्यान्वयन का प्रतिशत नीचे लिखे अनुसार है :—

क्षेत्र "क"	81-82	82-83	83-84
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
1	2	3	4
डाकतार निदेशालय, नई दिल्ली	64	66	67
सर्किल नई दिल्ली	33	68	63

1	2	3	4
बिहार	41	57	55
राजस्थान	57	62	72
उत्तर प्रदेश	51	66	68
मध्य प्रदेश	66	78	79
महाराष्ट्र	68	65	70
गुजरात	6	9	16
उत्तर पश्चिम	46	54	56
क्षेत्र "ग"			
आन्ध्र प्रदेश	28	29	26
केरल	17	18	19
कर्नाटक	1	2	1
उड़ीसा	10	11	15
जम्मू व कश्मीर	10	12	14
पश्चिम बंगाल	10	12	14
उत्तर पूर्व	8	9	9

[अनुवाद]

विधि मंत्रालय में हिन्दी का उपयोग

1209. श्री विजय कुमार यादव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सच है कि इस अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित मदों के अधीन कार्य शत-प्रतिशत हिन्दी में किए जाने की अपेक्षा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कार्यान्वयन के बारे में क्या स्थिति है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) संविधान के अनुच्छेद 343 में यथा उपबन्धित, संघ की राजभाषा हिन्दी है।

(ख) राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर बल दिया गया है और विधि और न्याय मंत्रालय, राजभाषा से सम्बन्धित संविधान के भाग 17, राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और इस बाबत राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का हर प्रयास करता है।

(ग) जी हां।

(घ) इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है।

औषध उद्योग की रुग्णता

1210. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उद्योग की रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार ने औषध उद्योग की वर्तमान रुग्णता की स्थिति को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) औषध उद्योग का आमतौर पर रुग्ण उद्योग के रूप में चित्रण करना सही नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट

1211. श्री विष्णु मोदी : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में पेट्रोल पम्प मालिकों के लाइसेंस के साथ मिट्टी के तेल का वितरण करने के लिए भी लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा पेट्रोल/डीजल तेल में मिट्टी के

तेल की मिलावट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोल पम्पों को दोहरे लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी उपबन्ध को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) बहु-उद्देशीय वितरक केन्द्रों (एम० पी० डी० सी०) पर पेट्रोल और एच० एस० डी० के साथ मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए अनुमति दी गई थी।

(ख) मिट्टी के तेल के साथ पेट्रोल/डीजल की मिलावट से सम्बन्धित शिकायतें समय-समय पर मिलती रही हैं।

(ग) और (घ) शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, तेल कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा मई, 1985 में यह सलाह दी गई कि वे एक वर्ष के अन्दर विद्यमान बहु-उद्देशीय केन्द्रों में मिट्टी तेल की सप्लाई को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दें।

[अनुवाद]

बड़ौदा टेलीफोन जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

1212. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा टेलीफोन जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता बढ़ाई जा रही है और इस समय किये जा रहे विस्तार कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में बड़ौदा टेलीफोन जिले में क्षमता को 6100 लाइनों द्वारा बढ़ाया जाएगा जिसके लिए फतेहगंज और अलकापुरी में कार्य चल रहा है।

घरेलू मछ निर्माण उद्योग में कच्चे माल का संकट

1213. श्री हरिहर सोरन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में घरेलू मद्य निर्माण उद्योग की कठिनाइयों का पता है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू मद्य निर्माण शालाओं में कच्चे माल के गम्भीर संकट को दूर करने के लिए शीरे का आयात करने का है; और

(ग) उद्योग को वर्तमान संकट से बचाने के लिए उसकी सहायतार्थ क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अखिल भारत आसवक संघ ने सूचित किया है कि चालू अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर, 1984 से नवम्बर, 1985) के दौरान शीरे की कमी के कारण आसवनियों को बन्द करने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) सरकार का शीरे का आयात करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आयात नीति 1985-88 के परिशिष्ट 5 के क्रम संख्या 1 के अनुसार, उसमें नि र्धारित कुछ शर्तों के साथ, वास्तविक प्रयोगकर्ता (औद्योगिक) कच्चे माल के रूप में इसका आयात ओ० जी० एल० के अधीन करते हैं।

(ग) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे (I) यह सुनिश्चित करे कि उपलब्ध सारे शीरे का लाभदायक उपयोग किया जा रहा है, (II) अल्कोहल के उत्पादन के लिए खण्डसारी शीरे के प्रयोग को प्रोत्साहन दें। (III) शीरा के लिए पर्याप्त और उपर्युक्त भण्डारण सुविधाओं का सृजन (चीनी कारखानों द्वारा) सुनिश्चित करें।

सरकार ने तीन कर्मकारी दलों का भी गठन किया है;

(I) शीरा और अल्कोहल पर उपकर पर कार्यकारी दल, (II) शीरा के भण्डारण पर कार्यकारी दल, और (III) क्षमता उपयोग पर कार्यकारी दल। अल्कोहल उद्योग में सुधार करने के लिए इन कार्यकारी दलों ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को भी सूचित कर दिया गया है।

भारत में उर्वरक संयंत्रों के लिए इटली द्वारा वित्तीय सहायता

1214. श्री हरिहर सोरन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली भारत के कुछ उर्वरक संयंत्रों का वित्त पोषण करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इटली द्वारा किन-किन उर्वरक संयंत्रों का वित्त पोषण किया जा रहा है; और

(ग) देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए इटली द्वारा किस सीमा तक वित्तीय सहायता दी गई ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इटली द्वारा वित्त रूप में पोषित उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरों तथा वित्तीय सहायता की सीमा, आपूर्तिकर्त्ताओं के ऋणों सहित संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	परियोजना	वित्तीय सहायता की सीमा	टिप्पणियां
1.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	थाल	यू० एस० डालर 0.652 मिलियन	आपूर्ति कर्ताओं का ऋण
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन	नामरूप-III	यू० एस० डालर 2.421 मिलियन	—वही—
			यू० एस० डालर 14.56	सरकारी ऋण
3.	इंडोगल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०	जगदीशपुर	यू० एस० डालर 40 मिलियन	—वही—
			यू० एस० डालर 40 मिलियन	ओ० ई० सी० डी० की शर्तों पर निर्यात ऋण

[हिन्दी]

मिलिटरी नर्सिंग सेवा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की अंग्रेजी और हिन्दी में छपाई

1215. श्री काली प्रसाद पाण्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलिटरी नर्सिंग सेवा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही मुद्रित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रश्न पत्र अंग्रेजी में छापे जाने के कारण हिन्दी भाषी क्षेत्रों खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिसंख्य उम्मीदवार मिलिटरी नर्सिंग सेवा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रश्न पत्रों को हिन्दी में अथवा हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित कराने का है; यदि हां तो कब; और

(घ) क्या प्रश्न पत्रों को हिन्दी में मुद्रित कराने में कोई कठिनाइयां हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ?

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकार के समक्ष इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

औषध निर्माण उद्योग में अपने उत्पादों के विपणन में समस्याएं

1216. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में औषध निर्माण उद्योग अपने उत्पादों के विपणन में गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं;

(ग) औषध निर्माण उद्योग की सहायता करने और उनके उत्पादों की विपणन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में औषध और दवाइयों के कारखानों की स्थापना

1217. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने मूल औषध कारखाने और दवाइयों के कारखाने स्थापित किए गए हैं;

(ख) उड़ीसा में ऐसे कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में कुछ ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना की सीमा तक (31-12-83 को) औषधों और भेषजों के निर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में डी० जी० टी० डी० के पास 253 एकक पंजीकृत हैं राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) औषधों और भेषजों के निर्माण करने हेतु सरकार को राज्य निगमों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। इन प्रस्तावों की औषध नीति 1978 के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है।

भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

1218. श्री एस० एम० भट्टम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योग का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करने के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम को दो पृथक कम्पनियों में विभक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और प्रयोजन क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक संयंत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव को सरकार द्वारा अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित अपीली/आरम्भिक मामले

1219. श्री एस० एम० भट्टम : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित (i) अपील से सम्बन्धित और (ii) आरम्भिक मामलों की स्थिति क्या है;

(ख) इनमें से कितने (i) एक वर्ष से (ii) दो वर्ष से (iii) तीन वर्षों से लम्बित हैं;

(ग) लम्बित मामलों को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उच्चतम न्यायालय में ऐसे लम्बित मामलों की स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क), (ख) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी इसके साथ संलग्न विवरण संख्या-1 में दी गई है।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम इसके साथ संलग्न विवरण संख्या-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित अपीली/आरंभिक मामले

न्यायालय का नाम	नियमित सुनवाई और ग्रहण किए जाने वाले लंबित मामलों की संख्या			नियमित सुनवाई वाले लंबित मामलों की संख्या		
	आरंभिक	अपील	योग	एक वर्ष से अधिक	दो वर्ष से अधिक	तीन वर्ष से अधिक
			(1-6-1985 को)			
उच्चतम न्यायालय	26044	53633	79677	31572	24900	18109
उच्च न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या					
	आरंभिक मामले	अपाली मामले	योग	एक वर्ष से अधिक	दो वर्ष से अधिक	तीन वर्ष से अधिक
			(31-12-1981 को)			
1	2	3	4	5	6	7
1. इलाहाबाद	86416	142536	228952	72859	129826	89282
2. आन्ध्र प्रदेश	40246	41010	81256	49101	30726	18115
3. मुम्बई	62627	40315	102942	72685	53173	38633
4. दिल्ली	38167	30990	69157	47684	35573	24090

1	2	3	4	5	6	7
5. गुजरात	15244	21705	36949	25273	17683	12975
6. हिमाचल प्रदेश	2090	6969	9059	6457	5312	3756
7. जम्मू-कश्मीर	10533	15274	25807	19014	12361	8123
8. कर्नाटक	72221	24543	96764	73492	53040	26432
9. केरल	49088	50909	99997	58322	29922	13293
10. मध्य प्रदेश	9667	41078	50745	21987	14690	10128
11. मद्रास	47715	86036	133751	83977	52451	31830
12. उड़ीसा	9203	15011	24214	15374	11094	7579
13. पटना	13985	43063	57048	38223	27691	20484
14. पंजाब और हरियाणा	9927	23781	33708	21313	15946	12043
15. राजस्थान	22931	25170	48131	33059	23826	17692
16. सिक्किम	18	18	36	10	5	1
			(30-6-1984 को)			
17. कलकत्ता	19479	106521	126000	110269	87851	71915
			(31-12-1983 को)			
18. गोहाटी	6208	7195	13403	9689	7208	4974

विवरण-2

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील

को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष, 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं हैं।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 जुलाई, 1985 को 424 कर दिया गया है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे-मोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं : —

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः अभी हाल में न्यायालय ने, जहां कहीं भी संभव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब उत्तर में दोनों पक्षकार अपने प्रति शपथ-पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं : —

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना;

(8) सरकार ने उन राज्यों के, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224 क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(9) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(10) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं : —

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से :—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रकाश डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च में निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्त्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करने जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निलंबित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(11) सरकार के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए, तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति

1220. **श्री एस० एम० मट्टम** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हैं और इस रूप में वे कब से कार्य कर रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : 25-7-1985 को, निम्नलिखित चार उच्च न्यायालयों में, उनके सामने दर्शित तारीख से कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कार्य कर रहे हैं :—

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	वह तारीख जिससे मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है
1.	आन्ध्र प्रदेश	5-7-1984
2.	गोहाटी	15-11-1984
3.	पंजाब और हरियाणा	29-11-1983
4.	सिक्किम	4-1-1985

उड़ीसा में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1221. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए क्या

मानदण्ड अपनाया जा रहा है;

(ख) क्या उड़ीसा में और उसके आसपास ड्रिलिंग कार्यों के उत्साहवर्धक परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार की निकट भविष्य में उड़ीसा में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल रिफाइनरियों के स्थानों का चयन विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर आधारित विभिन्न तकनीकी आर्थिक पहलुओं को देखकर किया जाता है। इस समय उड़ीसा में तेल रिफाइनरी स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। उड़ीसा सरकार से कोई भी प्रस्ताव इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

भोपाल गैस से पीड़ित लोगों को मुआवजा

1222. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनियन कारबाईड द्वारा भोपाल गैस से पीड़ित लोगों को मुआवजे की अदायगी के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : यूनाइटेड कारबाईड कार्पोरेशन के विरुद्ध प्रतिपूरक हानियों, दण्डात्मक हानियों, खर्च आदि के दावे के लिए यूनाइटेड स्टेट फैडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर्न, डिस्ट्रिक्ट, न्यूयोर्क में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। दूसरा पूर्व जांच सम्मेलन 7 अगस्त, 1985 की होगा। यूनाइटेड कारबाइड कार्पोरेशन के साथ कुछ बातचीत हुई है। इस बारे में हुई प्रगति और ब्यौरे इस समय बताना संभव नहीं है क्योंकि बातचीत गोपनीय और कोर्ट के निर्देशानुसार हो रही है जो मान्य होगी।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों में पूंजी निवेश

1223. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में उद्योग के क्षेत्र में नए निवेश क्यों नहीं किए जा रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशयपत्रों व औद्योगिक लाइसेंसों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और वितरित की गई वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियों से अनुमान लगाने पर पश्चिम बंगाल में निवेश सम्बन्धी वातावरण में बढ़ोत्तरी होना दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना हेतु जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या वर्ष 1980 में 23 लाइसेंसों से बढ़कर वर्ष 1984 में 93 हो गयी। जारी किए गए कुल लाइसेंसों में पश्चिम बंगाल का अंश भी

1980 में 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 1984 में 10.3 प्रतिशत हो गया इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में वित्तीय संस्थानों द्वारा उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1983-84 में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

खाना पकाने की गैस का उत्पादन

1224. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में खाना पकाने की गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गयी हैं;

(ख) इसकी मांग किस दर से बढ़ रही है और गत तीन वर्षों के दौरान उसके अनुपात में उत्पादन कितना बढ़ा है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एक लाख की आबादी वाले नगरों में भी गैस उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एल० पी० जी० के उत्पादन का 962,000 मी० टन प्रति वर्ष के विद्यमान स्तर (1984-85) से बढ़कर 1987-88 तक 1.8 मि० मी० टन प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान की एल० पी० जी० की मांग तथा उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :—

("000 मी० टनों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
उत्पादन	576	793	862
मांग	602	747	962

(ग) तेल उद्योग पहले ही उन सभी कस्बों में एल० पी० जी० का विपणन कर रहा है जिनकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक है।

औषधियों की कीमत निर्धारित करना

1225. कुमारी पुष्पा देवी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ औषध उद्योग 50 लाख रुपये का विक्रय उत्पादन की सीमा पार करने के बाद भी अपनी दवाइयों की बिना कीमत मंजूर हुए बिक्री कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ औषधि उद्योगों ने कीमत निर्धारित करने के बारे में आवेदन भी नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो औषधि बनाने वाली ऐसी एककों के क्या नाम है; और

(घ) ऐसी औषधि उद्योग के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) जी, हां। कुछ एककों द्वारा 50 लाख रुपये की बिक्री सीमा पार कर लिए जाने की सूचना सरकार के ध्यान में आई है। आगामी कार्यवाही करने से पूर्व कुल बिक्री और अन्य सम्बन्धित ब्यौरों का पता लगाने के लिए 200 से अधिक एककों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ एककों ने नोटिसों के उत्तर में सूचना भेज दी है और अन्यों ने 50 लाख रुपये की सीमा पार करने के पश्चात् उक्त सीमा से छूट प्राप्त करने पर फार्मूलेशनों के मूल्यों में संशोधन करने के सरकार के अधिकार के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। भारतीय औषध निर्माता संघ ने भी सरकार से अभ्यावेदन किया है। इन सभी अभ्यावेदनों/उत्तरों पर कानूनी परामर्श लेने के पश्चात कार्यवाही की जा रही है।

[दूरसंचार प्रणाली में फाइबर आप्टिक्स का प्रचलन

1226. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार प्रणाली में बड़े पैमाने पर फाइबर आप्टिक्स का प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फाइबर आप्टिक्स की पूर्ति करने का काम किन उद्योगों/एककों को सौंपा गया है; और

(ग) दूर संचार व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु फाइबर आप्टिक्स के निर्माण के लिए किए गए उपायो का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दूर संचार नेटवर्क में फाइबर आप्टिक केबिल प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। देशी विनिर्माण शुरू करने की व्यवहार्यता पर भी विचार किया जा रहा है। मैसर्स हिन्दुस्तान केबिल लि०, और मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने परस्पर सहयोग से देशी विनिर्माण शुरू करने के लिए पूछताछ की है और इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

[रक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

1227. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय में इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित मदों का काम सौ फीसदी हिन्दी में किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्रियान्विति की स्थिति क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) भारतीय संविधान की धारा 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा है और यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में किए गए प्रावधानों के अनुसार संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का तब तक प्रयोग जारी रहेगा जब तक सभी राज्यों के विधान मंडल और संसद के दोनों सदन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को समाप्त करने के लिए संकल्प पारित नहीं करते।

संविधान की इस अपेक्षा का पालन करने के लिए रक्षा मन्त्रालय के कार्य कलापों में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है। यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में बताए गए कार्यों की सभी मदों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाना है। रक्षा मन्त्रालय इस अपेक्षा का पूरी तरह पालन करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

दिल्ली में टेलीफोन सेवा

1228. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हल्की बूंदा-बांदी में भी टेलीफोन प्रणाली में खराबी आ जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्षा ऋतु में टेलीफोन प्रणाली के सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली शुरू करने के बाद अधिकतर गलत नम्बर मिलते हैं और कई बार जब व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं तो लाइन किसी और व्यक्ति के साथ मिल जाती है; और

(घ) दिल्ली में टेलीफोन की ऐसी तकनीकी खामियों को दूर करने और टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मामूली वर्षा से टेलीफोन

प्रणाली पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) मानसून के दौरान बड़ी मात्रा में होने वाली केबिल खराबियों को बचाने के लिए विभाग मानसून शुरू होने से कुछ महीने पूर्व तैयारी कर लेता है। निदेशालय इस सम्बन्ध में फील्ड यूनिटों को केबिल खराबियों का पता लगाने के लिए वाहनों को एकत्र करना, कैबिनेट, खम्बे, एम डी एफ कक्षों, तहखाने की जांच करना, जोड़ने वाली सामग्री एकत्र करना तथा विभिन्न उपकरणों की जांच तथा उन्हें कार्य योग्य रखने आदि मानसून के दौरान उठाए जाने वाले उपाय को अपनाने के लिए अनुदेश जारी करता है। अधिकांश केबिलों की उनके इंस्यूलेशन के लिए जांच की जाती है। सभी बड़े शहरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं और कर्मचारी रात दिन काम पर रहते हैं। उच्च स्तर पर टेलीफोन प्रणालियों की सख्त निगरानी की जाती है ताकि दोषों को जल्दी ठीक किया जा सके।

(ग) ऐसी कोई बात विभाग के ध्यान में नहीं आई।

(घ) लागू नहीं होता।

दिल्ली में टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली नेटवर्क में 1985-86 के दौरान लगभग 1,40,700 टेलीफोन लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

1229. **श्री मुरलीधर माने** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) मुम्बई उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31-12-84 को लम्बित मामलों की संख्या 1,02,942 थी।

(ख) सामान्यतया, उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में बताये गये हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए अगले पृष्ठ पर लिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दण्ड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई, 1985 को 424 कर दिया गया है।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जिसमें, एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जा रहा है;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(5) सरकार ने भी उन राज्यों के, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, मुख्य मन्त्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(6) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समायोजित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्च में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(7) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा कर ली गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई है और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

महाराष्ट्र में 1985-86 में डाकघरों का खोला जाना

1230. **श्री मुरलीधर माने :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने डाकघर खोले गए;

(ख) 1985-86 में कितने डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) महाराष्ट्र में 1985-86 के दौरान कितने डाकघर खोलने का विचार है और वे किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान

3267 डाकघर खोले गए और वर्षवार जानकारी इस प्रकार है :—

1982-83	1000
1983-84	2205
1984-85	62

(ख) 1985-86 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1755 शाखा डाकघर खोले जाने हैं बशर्ते कि पदों के सृजन पर लगी रोक सम्बन्धी मितव्ययिता आदेश हटा लिए जाएं/छूट दी जाए।

(ग) यदि मितव्ययिता आदेशों में छूट दी जाए तो 1985-86 के दौरान महाराष्ट्र में 133 शाखा डाकघर खोले जाएंगे। मितव्ययिता आदेश लागू होने के कारण शाखा डाकघरों के लिए स्थानों का अभी चयन नहीं किया गया है।

शनिवार को टेलीफोन कालों (एस० टी० डी०) और तारों के लिए जाने वाले शुल्क की दर

1231. श्री काली प्रसाद पाण्डे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रविवार को अवकाश का दिन होने के कारण टेलीफोन कालों (एस० टी० डी०) और टेलीग्रामों पर आधे दर पर शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या यह ध्यान में रखते हुए कि शनिवार अवकाश का दिन है सरकार रविवार को ली जाने वाली दरों की तरह ही शनिवार को भी आधे दरों की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। रविवार के दिन केवल पचास कि० मी० से आगे की साधारण ट्रंक कालों तथा एस० बी० एच० ट्रंक कालों की बुकिंग के लिए ही आधी दर वसूल की जाती है। तथापि, तारों के लिए रविवार को भी आधी दर नहीं ली जाती है। जहां तक उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के प्रभार का सम्बन्ध है, इसके लिए रविवार को आधी दर वसूल की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय सरकार का ट्रंक कालों की बुकिंग के लिए आधी दर चालू करने का कोई

इरादा नहीं है क्योंकि 5 दिन का सप्ताह केवल प्रशासनिक कार्यालयों में ही शुरू किया गया है जबकि प्रचालन कार्यालयों में अभी भी 6 दिन का सप्ताह होता है। 5 दिन का सप्ताह लागू कर देने के बाद शनिवार को परियात की मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं आया है। चूंकि रविवार को भी तारों के लिए आधी दर वसूल नहीं की जा रही है, अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों के लिए जाड़ों की वर्दी

1232. श्री एच० एन० नंजे गोड़ा : क्या पेट्रोलियम मंत्री तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और कर्मचारी यूनियन के जाड़ों की वर्दी के सम्बन्ध में हुए समझौते के बारे में 9 अप्रैल 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त वर्दियों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम अथवा सरकारी संगठनों ने उसमें भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि आवश्यक हो, तो अन्य निविदाओं से सस्ते दामों पर मिलने पर इन सामग्रियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकारी संगठनों से खरीदने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी संस्थानों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की निविदाओं के प्रति आवेदन किया है :—

1. मैसर्स एन० टी० सी०, नई दिल्ली।
2. मैसर्स काउनपोरे वूलन मिल्स, कानपुर।
3. मैसर्स भारत लैदर कारपोरेशन, नई दिल्ली।
4. मैसर्स भारतीय चरमोद्योग संघ, आगरा।
5. मैसर्स यू० पी० स्टेट डवेलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, आगरा।
6. मैसर्स नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. मैसर्स टनेरी फूटवियर कारपोरेशन, कानपुर।
8. मैसर्स तमिलनाडु स्माल स्केल, मद्रास।
9. मैसर्स हिन्दुस्तान चरम कला उद्योगिक उपदान समिति, आगरा।
10. मैसर्स पंजाब स्टेट लैदर डेवलपमेंट कारपोरेशन, चण्डीगढ़।

(ग) ठेका देने के बारे में निर्णय लेते समय आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य प्राथमिकता के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

भूमिगत केबल टेलीफोन की खराबी का मुख्य कारण होना

1233. **श्री चित मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगा है कि टेलीफोन खराब होने का मुख्य कारण भूमिगत केबल है (हिन्दुस्तान टाइम्स 17 जुलाई 1985);

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का पक्की खाइयां/पाइप बिछाने तक भूमिगत केबल बिछाना बन्द करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या के समाधान के लिए बेतार के फोन लगाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्षा ऋतु के दौरान टेलीफोनों में दोष-उत्पन्न होने का प्रमुख कारण भूमिगत केबिलें हैं।

(ख) मुख्य टेलीफोन केबिलें अर्थात जंक्शन और प्राइमरी केबिलें बिछाने के लिए डक्टों का निर्माण कराने का कार्यक्रम है। डक्ट के निर्माण में आने वाली भारी लागत को देखते हुए छोटे आकार की केबिलों को सीधे भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है। मुख्य केबिलों के लिए डक्टों का निर्माण किए जाने तक केबिल बिछाने का कार्य रोकने की कोई योजना नहीं है क्योंकि डक्ट कार्य पूरा होने में लम्बा समय लग जाता है। डक्टों का निर्माण होने तक दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार कार्य रोका नहीं जा सकता। फिर भी विभाग का खंबों पर छोटे आकार के एरियल केबिलों का प्रयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वितरण के लिए जो जैली भरे केबिल बिछाए जा रहे हैं उससे शुष्क कोर केबिलों की तुलना में कम दोष उत्पन्न होंगे। मौजूदा खंबों पर सभी प्रकार के केबिल लगाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव न होगा।

(ग) जी नहीं। वायरलैस फोन केबिल समस्याओं को दूर करने में किसी प्रकार सहायक नहीं होते हैं।

इम्फाल, मणिपुर में पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना

1234. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मणिपुर राज्य में पृथक् उच्च न्यायालय की मांग को दृष्टि में रखते हुए इम्फाल में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि मणिपुर के लोगों को निकटवर्ती राज्यों में उच्च न्यायालय की सुविधाओं के सम्बन्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) गोहाटी उच्च न्यायालय में 31 मई, 1985 को मणिपुर से सम्बन्धित कितने मामले लंबित थे ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) से (ग) सरकार इस समय मणिपुर के लिए पृथक् उच्च न्यायालय की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है। गोहाटी उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ इम्फाल में अधिविष्ट होती है और वह अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों का भी दौरा करती है। इस सम्बन्ध में मणिपुर की जनता की कठिनाइयां सरकार के ध्यान में हैं। यदि एक न्यायाधीश नियमित रूप से या अधिकांश समय इम्फाल में अधिविष्ट हो तो इन कठिनाइयों में काफी कमी आ सकती है। इसी उद्देश्य से गोहाटी उच्च न्यायालय में अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है।

(घ) उच्च न्यायालय से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लोहिया मशीन लिमिटेड कानपुर द्वारा स्कूटरों का निर्माण

1235. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्पा एक्सई स्कूटरों के प्रतिवर्ष निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित लोहिया मशीन टूल्स लिमिटेड, कानपुर की स्थापित क्षमता कितनी है और उक्त कम्पनी द्वारा स्कूटरों का वास्तविक देशीय निर्माण कितना है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि लोहिया मशीन लिमिटेड उपभोक्ताओं को देने के लिए वेस्पा एक्स ई स्कूटरों का केवल आयात करती है और वह इन स्कूटरों का देश में निर्माण करने के लिए अभी तक कोई कारखाना नहीं लगा सकी है; और

(ग) यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और इन स्कूटरों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने की शर्तों और निबन्धकों का उल्लंघन करने के कारण इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कम्पनी के पास एक लाख नग की स्वीकृत क्षमता है और अब तक इसने स्वीकृत चरण-बद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार 25 हजार स्कूटरों का निर्माण किया है।

(ख) कम्पनी ने पहले वर्ष में 60 प्रतिशत के नियोजित स्तर तक स्वदेशीकरण कर लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अधीन मामलों का दर्ज किया जाना

1237. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस ने दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 489क के अधीन अभियोजन के लिए पुलिस को कोई विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) जैसा कि तारीख 23, जुलाई 1985 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर में बताया गया है, दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम के अधीन नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संशोधन अधिनियम को प्रवृत्त करने और नियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी की जाने की सम्भावना है। यही भी उल्लेखनीय है कि जब संशोधन अधिनियम प्रवृत्त होगा तब किए जाने वाले संशोधन, मूल अधिनियम के भागरूप हो जाएंगे और मामले मूल अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए जाएंगे।

(ग) और (घ) जी हां। अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे, स्थानीय प्रचार माध्यमों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 489क के उपबंधों का व्यापक प्रचार करें और सभी पुलिस थानों आदि को उसकी प्रतियां उपलब्ध कराएं तथा उक्त उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

अधिकारियों की वर्दी के लिए कपड़े की खरीद

1238. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा अधिकारियों की वर्दी के लिए कपड़े की खरीद के बारे में 9 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निविदाओं सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सामग्रियों की सप्लाई के लिए ऐसी निविदाओं में सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम अथवा सरकारी संगठन ने भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो उसे ऐसे सरकारी क्षेत्रों में खरीदने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) "दो बोली" के आधार पर सीमित निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिसके प्रत्युत्तर में पांच पार्टियों से अर्थात् नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, मथुरा कोट्स, बाम्बे डाईंग, श्रीराम मिल्स और बिन्नी लिमिटेड से गर्मी की वर्दियों के लिए कपड़ा प्राप्त करने के लिए समूल्य बोलियां प्राप्त की गई थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को खरीद आर्डर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत पेट्रोलियम के इन्दौर स्थित डिपो में आग

1239. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारत पेट्रोलियम के इन्दौर स्थित डिपो में आग लग जाने के परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई और कितने मूल्य का पेट्रोल, डीजल और तेल जल गया;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त डिपो इन्दौर की सबसे अधिक घनी बसी कालोनी में स्थित है और लोग लम्बे समय से इसे यहां से स्थानांतरित करने की मांग करते रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट ने भी इस डिपो को स्थानांतरित करने के लिए कहा था और लोग इस सम्बन्ध में न्यायालय में भी गए थे;

(ग) इस डिपो को वहां से स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस डिपो को स्थानांतरित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में घनी आबादी वाली कालोनियों में ये डिपो न बनें ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) यद्यपि 6 मई, 1985 की आग लगने की घटना में कोई जान की हानि नहीं हुई थी, परन्तु लगभग 3.5 लाख रुपये के मूल्य के स्नेहक तेल/ग्रीज की और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की करीब 2.47 लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई थी। ठेकेदार की दो टैंक लारियों को भी क्षति पहुंची थी।

(ख) डिपो घनी आबादी की कालोनी में स्थित नहीं हैं और न इंदौर वाली आग लगने की इस घटना से पहले कभी इस डिपो के स्थानांतरण की मांग ही करते रहे थे। आग लगने की इस घटना से पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर-पीठ ने स्थानीय समाचार-पत्र में छपे डिपो के शीर्षस्थ डीजल टैंक के स्थानांतरण की खबर की ओर ध्यान दिया और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी की। अब इंदौर के जिलाधीश ने डिपो को पुनः स्थापित करने का परामर्श दिया है।

(ग) और (घ) इस डिपो के स्थानांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह विस्फोटों के मुख्य नियंत्रक और नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा वैध स्वीकृति दिए जाने पर ही काम कर रहा है और आग लगने के सम्बन्ध में दण्डाधिकारी की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को और इसके संबंध में कलक्टर, इंदौर के आदेशों को ध्यान में रखकर अग्नि-शमन और अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं। देश में कई डिपों उपयुक्त प्राधिकारियों से वैध स्वीकृति लेकर नगरपालिका क्षेत्रों के अन्दर काम कर रहे हैं और इन डिपुओं का स्थानांतरण न तो व्यवहार्य है और न उचित ही।

[अनुवाद]

मिराज-2000 मिलने से हल्के लड़ाकू विमानों के उत्पादन पर इसका प्रभाव

1240. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिराज-2000 की प्राप्ति से भारतीय वायुसेना की स्थिति पाकिस्तान को अमरीका से प्राप्त हथियारों के मुकाबले में कितनी सुदृढ़ हो जाएगी; और

(ख) क्या मिराज-2000 की प्रक्रिया हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० बंगलौर द्वारा हल्के लड़ाकू विमानों के प्रस्तावित निर्माण पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मिराज-2000 को जो भूमिका सौंपी गई है उसके अनुसार वह भारतीय वायुसेना की वायु सुरक्षा तथा प्रहार क्षमता की पर्याप्त रूप से पूर्ति करेगा।

(ख) वायुसेना में मिराज-2000 आ जाने से हल्के लड़ाकू विमानों के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इंडो गल्फ फर्टिलाइजर प्लांट जगदीशपुर (उ० प्र०) के लिए आयातित उपकरणों और सामग्री के डिजाइन और सप्लाई के लिए ठेका

1241. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर में स्थापित किए जाने वाले इंडो गल्फ फर्टिलाइजर प्लांट के लिए आयातित उपकरणों और सामग्री के डिजाइन और सप्लाई करने का ठेका अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित किए बिना इटली की एक कम्पनी, स्नम प्रोगेट्टी को दे दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित किए बिना स्नम प्रोगेट्टी को देने के कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विश्व स्तर पर मूल्यांकन के बाद अनुमोदित यूरिया/अमोनिया पर आधारित प्रौद्योगिकी मैसर्ज इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स और स्नम प्रोगेट्टी के बीच आयातित उपकरण को डिजाइन व पूर्ति के लिए संविदात्मक समझौते को दोनों कम्पनियों के बीच हुई बातचीत के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया। ठेका मैसर्ज आई० जी० एफ० सी० सी० ने मैसर्ज स्नम प्रोगेट्टी को दिया था न कि सरकार ने।

गुजरात में उद्योग विहीन जिले की घोषणा

1242. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग सहकारी दुग्ध डेरी को भी एक उद्योग मानता है और इस प्रकार ऐसे जिलों को जहां इसके अलावा कोई उद्योग नहीं है "उद्योग विहीन जिला" मानने से इन्कार करते हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि बनासकांठा जिले को "उद्योग विहीन जिला" घोषित किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात सरकार के अनुरोध की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :(क) यदि कोई दुग्धशाला (दुग्ध डेरी) दुग्ध आहार बनाने में कार्यरत है तो उसे एक औद्योगिक एकक के रूप में माना जाएगा। यदि उस पर निवेश किया गया है तो निवेश के द्वारा उसे मझोले अथवा बड़े उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार की दुग्धशाला होने से उस जिले को "उद्योग रहित जिला" नहीं माना जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए केंन्द्रीय निवेश राजसहायता सम्बन्धी समग्र योजना की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): महोदय, विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि·····

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मैं आपकी बात सुनता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे एक अनुरोध करना है।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा को पता चलना चाहिए कि मामला क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले मेरी बात सुनिए। मैंने यही कहा है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले मेरी बात सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या आपको मामले की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे बताइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रो० मधु दण्डवते से श्री बीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव मिला है। मैं तथ्य का पता लगाऊंगा मैं उन्हें लिखूंगा और बाद में देखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप देखिए कि रिकार्ड में क्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय केवल एक अनुरोध है

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकारी रिकार्ड में यह कहा गया है "जो माननीय सदस्य 'नहीं' कह रहा है जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता है···

अध्यक्ष महोदय: प्रो० साहब उसके अलावा भी कुछ है। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मुझे वादविवाद से उद्धृत करने से कैसे रोक सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैंने तो केवल यह कहा है···

प्रो० मधु दण्डवते : हमें चीनी उद्योगपतियों का एजेंट कहा गया है। मुझे इस पर आपत्ति है। श्री तिवारी और अन्य सदस्यों के संबन्ध में कहा गया है मुझे इस पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजित मत होइए। मैं याद रखूंगा···

प्रो० मधु दण्डवते : उनके विरुद्ध स्पष्ट मामला बनता है। या तो राव बीरेन्द्र सिंह सभा से बिना शर्त माफी मांगे या यह मामला सीधा विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए। कल का वादविवाद प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। जब मैं यह कह रहा हूं·····

प्रो० मधु दण्डवते : हां, मैं उत्तेजित होता हूं। जब मुझे उद्योगपतियों का एजेंट कहा जाएगा। तो मैं उत्तेजित हूंगा। मैं नहीं जानता कि आप उत्तेजित होंगे या नहीं। परन्तु मैं उत्तेजित होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : खेद है। उत्तेजित मत होइए। मैं इस मामलें में कार्रवाई पहले ही शुरू कर चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम जन प्रतिनिधि हैं। हम व्यापारियों के पिट्ठू नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, आप कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें। मैंने आपका नोटिस फेंका नहीं है। मैंने इसको नामंजूर नहीं किया है। मैंने केवल यह कहा है कि मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। आपने आज सूचना दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : कल दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी मिली है। मुझे रिकार्ड भी देखना है। मुझे मन्त्री जी से उत्तर भी मांगना है। इसके बाद मैं निर्णय लूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब पूरा वाक्य सरकारी वादविवाद से पढ़कर सुना दिया गया है तब आपको और क्या स्पष्टीकरण चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मुझे चाहिए। क्योंकि कार्यवाही के अन्तिम भाग में उन्होंने इसे स्पष्ट किया है। मैं उसे सुन रहा था। कल मैंने कहा था कि इसके पीछे उनका कोई बुरा उद्देश्य नहीं था···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने माननीय सदस्यों के बारे में कहा है। यही उन्होंने कहा है कि जो सदस्य ··

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं। आप मुझे इसे पढ़ने क्यों नहीं देते ? पहले मुझे पढ़ने दीजिए। उसे पढ़ना मेरा काम है। मैं गलत निर्णय नहीं दूंगा। मैं निर्णय के विरुद्ध नहीं जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप नहीं मानते कि स्पष्ट मामला बनता है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं देखूंगा। इसके बाद मैं आपके समक्ष आऊंगा। मैंने इसे स्वीकृत नहीं किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप जैसे विद्वान को इसे समझने में केवल दो मिनट लगने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ और बातें भी हैं। महोदय, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपके समक्ष आऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विचार करना है। मैंने पहले यही कहा है। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि पहले मेरी बात सुनिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इक्वेडोर सरकार द्वारा खालिस्तान सरकार जिसका कोई अस्तित्व नहीं है को मान्यता देने के बारे में कथित विचार किए जाने पर सरकार द्वारा सदन में एक वक्तव्य दिए जाने के लिए एक सूचना दी थी ·· **(व्यवधान)** साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा यह तोड़-फोड़ करने का प्रयास है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी कल आप बोल रहे थे। आप निश्चित हैं कि आपने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने निश्चित रूप से एक सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कल नहीं दिए थे।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने कल दी थी। आप पता लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

कृपया व्यवधान मत डालिए। मैं श्री तिवारी से बात कर रहा हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : हममें से कइयों ने सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल आप ड्रग्स का प्रश्न उठा रहे थे। कल न आपने कालिंग अटेंशन दी हुई थी, न 193 दिया हुआ था और न स्वैल साहब ने दिया हुआ था।

[अनुवाद]

श्री जी० जी० स्वैल : मैंने दिया है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय। इधर देखिए। मुझे यह स्पष्ट करना है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं मैं गलत बात नहीं करूंगा, अगर मेरी गलती होगी, तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

मुझे झूठी शान पसन्द नहीं है।

[हिन्दी]

अभी स्वैल साहब कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कल 2 बजकर 48 मिनट पर दिया है।

[अनुवाद]

वह इसे कल सभा में उठा रहे थे।

[हिन्दी]

कल न आपका कालिंग-अटेंशन था और न 193 था।

[अनुवाद]

इसके बावजूद, आप इसे सभा में उठा रहे हैं।

[हिंदी]

मुझे कोई एतराज नहीं है, आपने जो कालिंग-अटेंशन उठाया है उसको मैं देखूंगा। मैं इसको जरूरी समझता हूं। कल आपके कहे बगैर ही, जब श्री अमिताभ बच्चन ने ड्रग के मुताल्लिक मुझसे जिक्र किया और पूछा तो मैंने कहा, ठीक है, आप जरूर दो, मैं उसकी ताईद करूंगा—

[अनुवाद]

यह अपने लोगों तथा अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।

[हिन्दी]

इसलिए मैंने उसी वक्त कह दिया था कि कल आपका कोई नहीं था, मैंने पूरा देखा है।

[अनुवाद]

इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।

[हिन्दी]

एक बात और सुन लीजिए—

[अनुवाद]

मैं सभा में आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। आप सुनते क्यों नहीं ? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मैं एक बात बतलाना चाहता हूं—आपने कालिंग अटेंशन दिया है या दूसरी चीजें दी हैं—

[अनुवाद]

आप मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

मैंने सौ दफा कहा है और अब फिर कह रहा हूं – अगर अपने कालिंग-अटेंशन को ज्यादा जरूरी समझते हो तो मेरे साथ बात कर लिया करो, हर समय मेरा चेम्बर आपके लिए खुला है !

[अनुवाद]

मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी ! अगर उसमें कोई स्पेसीफिक सबजैक्ट डालना चाहते हैं, तो मुझसे बात कर लें ।

[अनुवाद]

सार्वजनिक हित के और लोक महत्व के किसी भी विषय को चर्चा से वर्जित नहीं किया जाएगा !

[हिन्दी]

यह आपको तय करना होगा । इसलिए एजीटेटिड होकर यहां कहने और करने की कोई आवश्यकता नहीं !

[अनुवाद]

आप किसी भी समय मुझसे मिल सकते हैं । आपका स्वागत है ।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने मेरे बारे में विचार व्यक्त किए हैं ! मुझे कहने का मौका दिया जाए । मैं हमेशा आपसे कक्ष में मिलता हूं और मैं कभी भी कोई मामला नहीं उठाता जब तक कि मैंने किसी ध्यानाकर्षण अथवा जो भी हों, की समुचित सूचना न दे रखी हो ! मैंने आज नोटिस दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : कल ऐसा नहीं था ।

प्रो० के० के० तिवारी : इस पर मैं आपका सुस्पष्ट विनिर्णय चाहता हूं क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कोई रूलिंग नहीं दे सकता ! आपका कालिंग एटेंशन मेरे पास है । उस पर मैं गम्भीरतापूर्वक विचार करूंगा और अपना निर्णय दूंगा !

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहें ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से रूलिंग नहीं दे सकता । मैं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करूंगा ।

[अनुवाद]

श्री जी० जी० स्वैल : क्या आप मुझे दो मिनट का समय दे सकते हैं ? आपने मेरा नाम लिया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है जो इलाहाबाद में इफको' कारखानें में होने वाली भोपाल की दुर्घटना से भी अधिक गम्भीर खतरे के बारे में है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि एक जांच दल वहां जाकर पता लगाए कि वहां क्या हो रहा है ! मैंने तीन या चार दिन पहले नोटिस दिया है ! आप कृपया इसे देखें ! वह एक गम्भीर मामला है !

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है एक-एक करके सारे सीरियस मैटर्स आ रहे हैं।

[अनुवाद]

इसमें समय लगेगा। परन्तु मैं इस पर विचार करूंगा !

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर कोई विस्फोट हो जाता है, तो बहुत देर हो जाएगी। किसी निरोधक कार्यवाही की आवश्यकता है !

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कह दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा !

श्री जी० जी० स्वैल : कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए ! सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको परेशान करने या आपकी कठिनाइयों को बढ़ाने की मेरी कोई मंशा नहीं है ! अध्यक्ष पद एक कठिन पद है ; मैं यह कहना चाहता हूं कि "नशीली" वस्तुओं पर मेरा प्रश्न संख्या 4 शुक्रवार को था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ! किसी कारणवश इसकी बारी नहीं आई ! इसी कारण मैं इसे कल उठाना चाहता था। यह ठीक बात है कि जब मैंने इसे उठाया था, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कह रहा हूं !

श्री जी० जी० स्वैल : मैंने नोटिस बाद में 193 के अन्तर्गत दिया था !

अध्यक्ष महोदय : मुझे वह मिल गया है !

श्री जी० जी० स्वैल : खालिस्तान को 'इक्वेडोर सरकार' द्वारा मान्यता दिए जाने के प्रयास के बारे में भी मैंने नोटिस दिया है !

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं निवेदन करूंगा कि इस पर एक पूरी चर्चा हो। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र है !

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए।

श्री जी० जी० स्वैल : आधा मिनट और। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र है और इसलिए हमें अवश्य··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैं आपसे असहमत हूं ! मैं सभा में विस्तारपूर्वक कहने की

अनुमति नहीं दे सकता ! जब चर्चा होगी तब आप विस्तारपूर्वक कह सकेंगे ! यह असंगत है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभी देश प्रेमी शक्तियों ने पंजाब समझौते पर राहत की सांस ली है ! आप जानते हैं कि पंजाब संकट से पंजाब को बहुत हानि हुई है। इससे जम्मू तथा काश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी धक्का लगा है और अब यह लड़खड़ाती हुई स्थिति में है !

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार जम्मू-कश्मीर में हुए नुकसान का मूल्यांकन करे और इसकी क्षतिपूर्ति करे···

अध्यक्ष महोदय : आपको लिखित रूप में कुछ देना होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उस कठिनाई के अतिरिक्त ··

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह असंगत है। इसकी अनुमति नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। यह असंगत है। (**व्यवधान**)**

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : केरल में दो महत्वपूर्ण बांधों— काल्लडा और इडामालया, में दरारें पड़ गई हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में कहा गया है कि इससे कोई खतरा नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : मैंने आन्ध्र प्रदेश में एक ही जगह सब सुविधाएं सेवा (सिंगल विंडो सर्विस) के बारे में सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे गृहीत कर लिया है। कार्य मंत्रणा समिति उस पर चर्चा करेगी।

श्री ब्रजमोहन महंती (पुरी) : महोदय मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक संवाददाता द्वारा विशेषाधिकार भंग किए जाने तथा सदन की निन्दा किए जाने के आरोप के बारे में एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही स्पष्टीकरण करने के लिए कह चुका हूं। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैंने चीन-अमरीका परमाणु, संधि जिसमें तकनीकी-परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई खण्ड नहीं हैं के बारे में सूचना दी है

अध्यक्ष महोदय : आपने किस नियम के तहत सूचना दी है ?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शांताराम नायक : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में भयंकर बाढ़ आ रही है ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसकी अनुमति नहीं है। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

12.12 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के संबन्ध में समिति का प्रतिवेदन तथा उस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का विवरण

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1217/85]

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1985

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम 1985, जो 27 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 428 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 18 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 591 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1218/85]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1985, तथा हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड जयपुर आदि के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 486 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1219/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1220/85]

(ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1221/85]

———

12.14 म० प०

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमन्, मैं प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 72वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट पूर्ति मंत्रालय-पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से सम्बन्धित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1985-86

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्रीमन्, मैं वर्ष 1985-86 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.15 म० प०

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : इस वर्ष देश में बाढ़ें अब तक मुख्यतः उत्तरी, उत्तर पूर्व तथा पूर्वी क्षेत्रों में ही आई हैं। ब्रह्मपुत्र तथा इसकी मुख्य सहायक नदियों कमशः बूढ़ी-दिहिंग, धनसिरी, पुथीमारी, मानस, बेकी, संकोश, रायदक, जलढाका तथा तीस्ता और निम्न गंगा क्षेत्र की नदियों जैसे महानन्दा, कोसी, कमला-बालान, बागमती तथा बूढ़ी गंडक में बाढ़ आई हुई है जिससे असम, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और ये नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। बागमती तथा लोअर गंगा क्षेत्र की अन्य नदियों में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति और खराब हुई है। यमुना नदी में जिसमें पानी बढ़ता जा रहा है तथा वह कल दिल्ली में चेतावनी के स्तर को छू गई। घाघरा, राप्ती तथा गंडक नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है। गंदा नदी में रुद्रप्रयाग से नीचे अपने पूरे मार्ग भर में पानी बढ़ रहा है और फरक्का में यह खतरे के स्तर को लगभग छू गई है। पिछले महीने, बरक घाटी में भी नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रहीं थी जिससे असम, मणिपुर तथा त्रिपुरा में भारी नुकसान हुआ। केरल, बम्बई, जम्मू व कश्मीर तथा

[श्री बी० शंकरानन्द]

गुजरात में स्थानीय रूप से भारी वर्षा हुई तथा आकस्मिक बाढ़ें आई हैं।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस वर्ष अब तक लगभग कुल 9.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा 181 लाख जनसंख्या बाढ़ों से प्रभावित हुई हैं। अब तक 340 व्यक्तियों के मरने की खबर है। बाढ़ों से हुए नुकसान का कुल मूल्य (29-7-1985 की स्थिति के अनुसार) 616 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष सम्पूर्ण मानसून की अवधि के दौरान बाढ़ों से कुल 152 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, 504 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे तथा 1,577 व्यक्तियों की जानें गई थी और कुल 1,653 करोड़ रुपए के नुकसान की सूचना थी।

मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में मजुली द्वीप-समूह से नदी के पश्चिमी पहुंच में गुमी-पलासबारी तक लगभग 400 किमी० के विस्तृत क्षेत्र में असम के बाढ़ में प्रभावित क्षेत्रों का 19 तथा 20 जुलाई, 1985 को दौरा किया। मैंने क्षेत्र बाढ़ नियन्त्रण उपायों के सम्बन्ध में असम के मुख्य मन्त्री, उत्तर पूर्व क्षेत्र के सम्बन्धित मन्त्रियों तथा अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

इस तरह भारी मात्रा में नुकसान तथा हानियों के मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण लोगों द्वारा अनियन्त्रित रूप में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का बढ़ता हुआ उपयोग तथा उस पर कब्जा करना और नदी के प्राकृतिक जल-मार्ग का अतिक्रमण करना है। इससे बचने के लिए, राज्यों को 1975 में एक माडल बाढ़ प्लेन, जॉनिंग बिल का सुझाव दिया गया था। तथापि, मणिपुर के अतिरिक्त किसी-भी अन्य राज्य ने इस उद्देश्य के लिए कानून लागू नहीं किया है।

मैंने पंजाब के राज्यपाल, राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपालों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस मानसून-मौसम के दौरान बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए काफी समय पूर्व लिख दिया था।

केन्द्रीय जल आयोग का विभिन्न बृहद अन्तर्राज्यीय नदियों पर 145 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का एक नेटवर्क है। मई 1985 से अब तक, सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों को एक हजार चार सौ से अधिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जा चुके हैं। इन पूर्वानुमानों में पिच्चासी प्रतिशत ±15 से० मी० की वांछनीय परिशुद्ध रेंज में सही पाए गये तथा ऐसे पूर्वानुमान बहुत उपयोगी सिद्ध हुए।

हाल ही में, असम सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में हाथ में लिए गए बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की मानीटरी करने के लिए सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय ने अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। मानीटरिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मन्त्रालय ने इन कार्यों के लिए तिमाही आधार पर केन्द्रीय सहायता रिलीज करने का निर्णय किया है। सहायता के लिए एक तत्काल उपाय के रूप में, असम सरकार द्वारा हाथ में लिए गए बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को शीघ्र करने के लिए 4 करोड़ रुपए की तदर्थ अग्रिम राशि पहले ही जारी कर दी गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने हेतु पहले ही कार्यवाही कर रहा है।

गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा एक व्यापक मास्टर योजना तैयार की जा रही है। 1985 के मानसून में बाढ़ की स्थिति तथा बेसिन राज्यों द्वारा की गई तैयारी की गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने 27 जून, 1985 को पुनरीक्षा की जिसके दौरान यह भी नोट किया गया कि पूर्वी-कोसी तटबन्ध तथा महानन्दा तटबंध में 1984 की बाढ़ों के दौरान आई दरारों का मरम्मत कार्य कर दिया गया है तथा तटबंधों को पुनः ठीक कर दिया गया है।

इस मानसून के दौरान अब तक की बाढ़ स्थिति तथा बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में राज्यवार रिपोर्ट का एक सारांश विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में बाढ़ की स्थिति (29-7-1985 की स्थिति के अनुसार)

इस वर्ष के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून केरल में 28 मई, 1985 को, अर्थात् 1 जून की सामान्य तारीख से चार दिन पहले आ गया था। 14 जुलाई तक मानसून सारे देश में छा गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम विज्ञान सम्बन्धी दृष्टि से देश को 35 सब-डिवीजनों में विभाजित किया हुआ है। 24 जुलाई तक 23 सब-डिवीजनों में वर्षापात अधिक अथवा सामान्य हुआ था। तथापि वर्षापात इन स्थानों पर कम हुआ था, अर्थात् (सामान्य से 20 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक कम) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (—35 प्रतिशत), नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में (—23 प्रतिशत), पूर्वी राजस्थान में (—43 प्रतिशत), पश्चिमी मध्य प्रदेश में (—48 प्रतिशत), गुजरात में (—37 प्रतिशत), मध्य महाराष्ट्र में (—21 प्रतिशत), तटीय कर्नाटक में (20 प्रतिशत)।

अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेशों में भारी वर्षापात् हुआ/विभिन्न तीव्रता की बाढ़ें आईं।

परिशिष्ट-एक में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा रखे जा रहे उन बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों की सूची दी गई है जहां 1985 की मानसून के दौरान 29-7-85 तक नदियों ने चेतावनी स्तर को पार कर लिया तथा जिसके लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को बाढ़ पूर्वानुमान भेजे गए थे। वर्तमान मौसम के दौरान भारी वर्षापात् बाढ़ों के कारण, 29 जुलाई, 1985 की स्थिति के अनुसार हुई क्षति का मूल्य 615.62 करोड़ रुपए बताया गया है। अब तक 340 लोगों के मर जाने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभावित राज्यों में बाढ़ के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है और राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार क्षति का ब्यौरा परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

असम : राज्यों को बाढ़ों के दो दौरों का सामना करना पड़ा : पहली 20-5-85 से 13-6-85 तक तथा दूसरी जो 16-6-85 से अब तक चल रही है। बाढ़ के इन दोनों दौरों के दौरान ब्रह्मपुत्र तथा

[श्री बी० शंकरानन्द]

इसकी सहायक नदियां नामशः बूढीदेहिंग, सुबनसिरी, कोपिली, धनसिरी, पगलाडिया, पुत्थीमारी, मानस, बेकी तथा संकोश ने विभिन्न स्थानों पर खतरे के अपने-अपने स्तरों को पार कर लिया था।

बाढ़ों के पहले दौर ने सोनितपुर, दारांग, बारपेटा, लखीमपुर, शिवसागर, केकरझार, डिब्रूगढ़ तथा कामरूप जिलों के भागों को प्रभावित किया। राज्य में कुछ स्थानों पर सड़क तथा रेल यातायात अस्त-व्यस्त हो गया। मारियागांव सबडिवीजन में कटाव के कारण दस परिवार प्रभावित हुए। कामरूप जिले में क्रमशः 31-5-85 और 6-6-85 को पुत्थीमारी नदी के दक्षिण तटबंध और वाम तटबंध में कटाव हुए। नोना नदी के दक्षिण तट के तट बंध में दरार पड़ गई। लखीमपुर जिले में ब्रह्माजन नदी के वाम-तट के साथ-साथ स्पायल बंध को जनता द्वारा 28 मई, 1985 को काट दिया गया। कूमोतिया के नव-निर्मित रिटायरमेंट में कटाव हो गया। तेलीपाड़ा के निकट पुराने ब्रह्मपुत्र डायक तथा सोनितपुर जिले में गमरन नदी के दक्षिणी तट में कटाव हुए। डिकरोंग नदी के दक्षिणी तट के 3.0 किलोमीटर तटबंध में केकरझार जिले में गंगाधर नदी के वाम तट में, तथा धेमाजी सब-डिवीजन में पगलाडिया नदी और कूमोतिया नदी के तटों में भी कटाव हुए। सोनितपुर तथा दारंग जिलों में बहुत से स्थानों पर साकटाला नदी में पानी बहकर बाहर निकलने से तटबंधों को क्षति पहुंची थी।

बाढ़ों के दूसरे दौरे ने सोनितपुर, गेलपाड़ा, नलबाड़ी, धेमाजी, कामरूप तथा बाड़पेटा जिलों के भागों को प्रभावित किया। जोरहाट सब-डिवीजन में जंजीमुख मुडोईजान लोक निर्माण विभाग सड़क में 18-6-85 को दरार पड़ गई थी। सोनितपुर जिले मे सोलंगी नदी के वाम तट के तटबंध को जनता ने 27-6-85 को काट दिया तथा नदी ने इस कटे हुए स्थान में से बहते हुए अपना मार्ग बदल दिया जिससे आस-पास के इलाके जलमग्न हो गए। सोनितपुर, कामरूप तथा बाड़पेटा तथा गोलपाड़ा जिलों में विभिन्न स्थानों पर तटबंधों में कटाव हुए। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट की सहायक नदी धनसिरी के दायां तट के सम्पूर्ण तटबंध में पजान से बोरपत्थर के बीच नदी के ऊपर से पानी बहने के कारण, सात स्थानों पर दरारें पड़ गई। कामरूप जिले में हाजो के साथ ब्रह्मपुत्र के दायां तट तटबंध में 4.97 किलोमीटर से 5.10 किलोमीटर तक 8-7-1985 को कटाव हो गया और पानी खेतों में बह निकला। नालाबाड़ी जिले में गायनदी के वाम तट में तथा सुबनसिरी नदी के डायक के 36 किलोमीटर पर भी कटाव होने की सूचना प्राप्त हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हाजो के वाम तट तटबंध को जनता ने 10-7-85 को काट दिया। धुब्री जिले में कुमारगंज पर डोवल की बहुत सी पहुंचों पर पानी बांध के ऊपर से बहने लगा और बाहर फैल गया। धेमाजी जिले में कूमोतिया डायक में दक्षिण तट पर 5.00 किलोमीटर और वाम तट पर 7.00 किलोमीटर के स्थान पर दरारें पड़ गईं। सिलघाट के पास ब्रह्मपुत्र डायक को 14 किलोमीटर पर जनता ने 21-7-85 को काट दिया था। लखीमपुर जिले में उतरी सहायक नदी दुरपांग का बायां तटबंध में कटाव के कारण 19-7-85 को दरार पड़ गई।

कुल मिलाकर, ब्रह्मपुत्र घाटी में तटबंधों में चौदह दरारें पड़ने और पांच स्थानों पर [illegible] की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

बारक बेसिन में, बारक नदी तथा इसकी शाखाएं/सहायक नदियों नामशः कटारवल, कुशियारा, लोंगई, सोनई, रुकनी तथा सिगला में मई, 85 के अन्तिम सप्ताह से बाढ़ आई हुई थी और ये नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही थीं। अन्नपूर्णाघाट पर बारक नदी ने बाढ़ के अपने पिछले उच्च स्तर को जो कि 1966 में 21.08 मीटर रेकार्ड किया गया था, पार करके 20-6-85 को 21.45 मीटर का स्तर प्राप्त कर लिया था। चांदखाड़ा पर लोक निर्माण विभाग सड़क पुल के स्थान पर लोंगई नदी ने भी 15-5-84 को रेकार्ड किए गए अपने पिछले 25.02 मीटर के उच्च बाढ़ स्तर को पार कर दिया तथा 18-6-85 को 25.04 मीटर के बाढ़ स्तर पर बह रही थी।

केन्द्रीय जल आयोग के जल विज्ञानी प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान संगठन का अन्नपूर्णाघाट में बारक नदी पर बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र है। यह पूर्वानुमान दिया गया था कि 19-6-85 को 21.00 बजे जल स्तर 21.49 मीटर होगा तथा 20-6-85 को 24.00 बजे 21.35 मीटर होगा और उसमें घटने की प्रवृत्ति होगी।

तारापुर इलाके तथा सिलचर स्टेशन यार्ड में रेलवे लाईन सहित पथरकनडी, करीमगंज, बदरपुर तथा सिल्चर नगरों के भाग प्रभावित हुए। करीमगंज जिले में लोंगई नदी की सहायक नदी नुरुलचेरा के दाएं तट के तटबंध को लोगों ने 28 मई, 1985 को तीन स्थानों पर काट दिया था। तटबंधों से पानी ऊपर बहता रहा तथा करीमगंज और कछार जिलों में अनेकों स्थानों पर दरारें पड़ीं।

बारक, लोंगई, सिगला, सोनई, नुरुलचेरा तथा कटखल की तटबंध प्रणाली में कुल 24 दरारें पड़ने की सूचना मिली है। अनेकों स्थानों पर कटाव होने के अतिरिक्त बारक, मदुरा तथा नुरुलचेरा की तटबंध प्रणाली में जनता द्वारा 13 स्थानों पर प्रणाली को काटने की भी सूचना मिली है। करीमगंज-धरमनगर तथा शिलांग-सिलचर सड़कों पर यातायात अस्त-व्यस्त रहा। करीमगंज में रेल-यातायात भी अस्त-व्यस्त रहा। 21 जून, 1985 को बचाव उपायों के लिए सेना को लगाया गया तथा असहाय लोगों को अधिक सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। सूचना मिली है कि बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है हालांकि पानी के तल के उतरने की प्रक्रिया धीमी है।

2. बिहार : बालतारा में कोसी नदी पहली बार 17 जुलाई, 1985 को खतरे का स्तर पार कर गई और उसमें अभी भी बाढ़ आई हुई है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालान तथा महानन्दा नदियों में भी बाढ़ें आईं और खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। सितम्बर, 1984 की बाढ़ों के दौरान पूर्वी कोसी तटबंध में 75 किलोमीटर के पास दरार पड़ गई थी। उक्त दरार को अब बन्द कर दिया गया है तथा अब स्थिति सुरक्षित बताई गई है। महानन्दा तटबंधों में दरारों को भरने के मरम्मत-कार्य भी पूरे हो गए बताए गए हैं। बिहार में गंडक दायां तटबंध के पिपरासी-पिपराघाट भाग में 983 में आई दरारों से हुई तीन अन्तरालों (थोंती अन्तराल, सेमरबारी, अन्तराल तथा भीथा अन्तराल) पर रिटायर्ड तटबंधों का निर्माण किया जा चुका है।

सूचना मिली है कि मुंगेर तथा गोपालगंज जिलों में भारी वर्षा हुई तथा जल स्तर बढ़ जाने और कटाव के कारण जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह में निर्मित बदुवा अपर नाला जलाशय (बदुवा नदी की सहायक नदी पर) में मुंगेर जिले में 1-7-85 को दरार पड़ी। गोपालगंज जिले में पुराने बंध

[श्री बी० शंकरानन्द]

के साथ मोतीहारी रिटायर्ड बंध को जोड़ने वाली सड़क भी टूट-फूट गई। महानन्दा के दायें तटबंध में कटाव के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। कटिहार जिले में रिटायर्ड बंध के पश्चिमी हिस्से में गंगा के कटाव की भी सूचना प्राप्त हुई है। 28-7-85 तक 6 जिलों में 129 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

3. जम्मू और कश्मीर : स्थानीय रूप से भारी वर्षापात तथा अकस्मात आई बाढ़ के कारण मकान टूटने और डूबने से 28 व्यक्तियों की जानें गईं।

4. केरल : जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह में भारी वर्षा/अभूतपूर्व बाढ़, समुद्री कटाव तथा भूस्खलन से पूरा राज्य प्रभावित हुआ और मकानों, फसलों, स्कूल-भवनों तथा निजी सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त 7337 किलोमीटर पी० डब्ल्यू० डी० सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, पुल, समुद्री दीवारें, लघु सिंचाई-संरचनाएं तथा बृहत सिंचाई परियोजनाओं की नहर प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचा। 102 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 16 से 19 जुलाई, 1985 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

5. महाराष्ट्र : जून, 1985 में, बम्बई शहर में भारी वर्षा हुई। बम्बई, (कोलाबा) में 17-6-85 को 35 सेमी० वर्षा रिकार्ड की गई जिससे शहर का आम जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। भारी वर्षा तथा भू-स्खलन से अब तक 75 व्यक्तियों के मरने की खबर है।

6. मणिपुर : इम्फाल तथा इरिल नदियों में मई, 1985 के अन्तिम सप्ताह में बाढ़ें आईं। इम्फाल नदी के तटबंध में 26-5-85 को दो दरारें आईं। विशेनपुर तथा इम्फाल जिलों में अनेकों पहाड़ी नालों से अकस्मात बाढ़ें आईं, जिसके फलस्वरूप अनेकों मकानों तथा धान की फसल को नुकसान पहुंचा। भारी कटाव हुआ जिससे कुछ स्थानों पर तटबंध तथा गांव प्रभावित हुए।

7. पंजाब : जलंधर, होशियारपुर तथा कपूरथला जिलों में 18 तथा 19 जुलाई, 1985 की रात को बहुत तेज वर्षा हुई जो मेघ विस्फोट सी प्रतीत होती थी। कुछ ही घंटों में वर्षा के पानी का इतना बहाव हो गया कि जो तटबंधों की अभिकल्प क्षमता से दुगना-तिगुना था जिससे तटबंधों के ऊपर से पानी बहने लगा।

वर्षा का बहता पानी जालंधर शाखा के अन्तर्गत जल-निकास क्रासिंग में से नहीं गुजर सका जिसके कारण पानी प्रतिप्रवाह में बहने लगा और नहर में प्रवेश कर गया तथा इस प्रकार अनेक स्थानों पर नहर में दरारें पड़ गईं।

अलवलपुर के पास, रेल लाइन के पूरी तरह बाढ़ग्रस्त होने के कारण 19 जुलाई को [illegible] जम्मू एक्सप्रेस असहाय खड़ी रही। लगभग 1200 यात्रियों को नावों द्वारा निकाला गया, जलंधर लाया गया तथा वहां से एक विशेष गाड़ी द्वारा उन्हें पठानकोट भेजा गया। जलंधर अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग में टूट-फूट हुई तथा पठानकोट एवं जलंधर के बीच रेल [illegible] रोक देना पड़ा क्योंकि 34 किलोमीटर रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी या बह गई थी। [illegible]

राजमार्ग, शहर की सड़कें, सम्पर्क सड़कें टूट-फूट गईं। पानी के बहाव के कारण स्तर, तटबंध, पुल तथा बन्ध क्षतिग्रस्त हो गए/बह गए।

स्वान नदी में आई अचानक बाढ़ से रोपड़ जिले में 10 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ तथा कुछ कच्चे मकान ढह गए।

8. त्रिपुरा : जूरी, गुंम्टी तथा मनु नदियों में 17 मई को बाढ़ें आईं और वे खतरे के निशान से ऊपर बहती रहीं। 26 से 28 मई, 1985 के दौरान बाढ़ों से चार बड़े पुल बह गए। तटबंधों को बड़ी मात्रा में क्षति पहुंची। एक लघु सिंचाई पम्प घर की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। 50 गांव जलमग्न हो गए तथा राज्य की राजधानी से 24 घंटे तक सम्पर्क टूटा रहा। केलाशहर में सड़क यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था।

9. उत्तर प्रदेश : नदी के उद्गम स्थल से 4 किलोमीटर अनुप्रवाह में राज्य के नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गोला नदी में भूस्खलन के समाचार मिले थे, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो गया तथा फलतः पानी एकत्र होने से एक झील सी बन गई। उसके बाद यह अवरोध 24-7-85 को फूट पड़ा। अन्यथा, राज्य में बाढ़ की स्थिति अब तक नियन्त्रण में है। राज्य ने बलिया जिले में घाघरा के पार तूतिपुर-श्रीनगर बंध वर्षाकालीन मौसम से पहले पूरा कर दिया है।

राज्य में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के अतिरिक्त, राज्य सरकारें स्वयं भी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन बाढ़ सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी कर रही हैं और बताया गया है कि उनकी यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

10. पश्चिम बंगाल : द्वारकेश्वर तथा गंधेश्वरी नदियों में 10 जुलाई, 1985 को बाढ़ें आईं। हुगली जिले में द्वारकेश्वर नदी के दाएं तटबंध में एक दरार पड़ी। फुलाहार नदी के बाएं तट पर बरीक-कान्ताला में भारी तट कटाव हुआ। कूच बिहार में बालाभूत में कालजनी नदी ने भूमि कटाव किया तथा उस क्षेत्र में जन-जीवन को प्रभावित किया और स्थानीय सड़क यातायात को अस्त-व्यस्त किया। जलपाईगुड़ी में कालजनी नदी की दाएं तथा दाएं तटबंधों में सिलतोरसा नदी के बाएं तट तथा मनसई नदी के दाएं तट में भी कटाव हुआ। जलपाईगुड़ी में भूत्रीवन में एक नई चैनल के जरिए मार्ग बदलने के कारण पना नदी के दाएं तट पर वन तथा जन जीवन के एक बड़े क्षेत्र में तबाही मच गई।

11. अरुणाचल प्रदेश : पम्सीघाट-जो नई सड़क पर तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए/बह गए। सड़क यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था जो बाद में पुनः चालू कर दिया गया।

12. गोवा, दमन और दीव : जून, 1985 में भारी वर्षापात के कारण अनेकों बंधों में दरारें आईं जिससे भूमि जल-आप्लवित हो गई तथा सड़कें टूट-फूट गईं।

परिशिष्ट—एक

1985 के मानसून के दौरान 29-07-1985 तक जहां नदी ने चेतावनी-स्तर को पार कर दिया, वहां पर केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र

क्रम सं०	नदी	केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र का नाम	चेतावनी स्तर मीटर	खतरे का स्तर मीटर	पिछले किसी भी वर्ष के दौरान अब तक का उच्चतम स्तर		इस मौसम में अब तक का अधिकतम स्तर		आज तक जारी किए गए पूर्वानुमानों की संख्या	29-7-85 को बाढ़ स्तर मीटर
					अधिकतम बाढ़ स्तर	वर्ष	मीटर	तारीख		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ब्रह्मपुत्र	डिब्रूगढ़	103.24	104.24	105.95	1977	105.48	6.7.85	131	105.18
2.	वही	नीमतीघाट	84.04	85.04	86.84	1977	86.26	29.6.85	64	86.00
3.	वही	तेजपुर	64.23	65.23	66.44	1980	65.84	27.7.85	50	65.72
	वही	गोहाटी	48.68	49.68	51.06	1962	49.81	12.7.85	26	49.73
			35.27	36.27	37.43	1954	36.10	29.7.85	57	36.10
					29.85	1972	29.22	29.7.85	109	29.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	बूढ़ीदिहंग	नहारकटिया	119.40	120.40	122.69	1973	120.26	25.7.85	6	119.05
8.	वही	खोवांग	101.11	102.11	103.69	1984	103.61	26.7.85	35	103.19
9.	सुबनसिरी	बडातीघाट	81.53	82.53	86.84	1972	82.68	15.7.85	7	82.18
10.	धनसिरी	गोलाघाट	88.50	89.50	90.68	1974	90.08	20.6.85	12	87.23
11.	वही	नुमालीगढ़	76.42	77.42	79.38	1974	79.22	20.6.85	109	77.69
12.	कोपिली	कामपुर	59.50	60.50	61.86	1973	61.20	19.6.85	20	57.36(27/7)
13.	वही	धर्मतुल	55.00	56.00	57.15	1974	55.20	23.6.85	3	54.20
14.	पगलादिया	एन० टी० रोड़ जिग	51.75	52.75	55.38	1984	53.50	1.6.85	59	52.37
15.	पुथीमारी	एन० एच० जिग०	50.81	51.81	54.54	1979	54.05	3.6.85	109	52.67
16.	मानस	एन० एच० जिग०	46.56	47.56	50.08	1984	48.31	29.7.85	56	48.31
17.	बेकी	रोड़ ब्रिज	43.38	44.38	46.00	1978	45.40	24.7.85	123	45.39
18.	बारक	सिलचर (अनपूर्णा घाट)	18.83	19.83	21.08	1966	21.45*	20.6.85	34	18.28
19.	कतखल	मुतिजुयारी	19.27	20.27	22.30	1981	22.27	19.6.85	22	16.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	सनकोश	गोलकगंज	28.51	29.51	32.00	1968	30.14	29.7.85	74	30.14
21.	जलढाका	मथाभंगा	48.20	48.70	49.60	1972	48.66	24.7.85	10	48.24
22.	तोरस	घुघुमारी	39.80	40.41	41.40	1984	40.02	24.7.85	12	39.92
23.	रायडाक	तुफानगंज	34.22	35.30	36.05	1984	35.45	24.7.85	24	35.00
24.	गंगा	हरिद्वार	293.00	294.00	296.23	1978	293.10	24.7.85	1	292.30
25.	वही	फरक्का	21.25	22.25	24.52	1980	21.74	29.7.85	4	21.74
26.	यमुना	दिल्ली रेलवे ब्रिज	204.00	204.83	207.49	1978	204.12	29.7.85	1	204.12
27.	घाघरा	इलगिन ब्रिज	105.07	106.07	107.18	1983	105.46	27.7.85	13	105.24
28.	वही	अयोध्या	9 .73	92.73	93.53	1983	92.16	27.7.85	13	92.05
29.	वही	तुरतीपार	63.01	64.01	65.09	1983	64.00	29.7.85	13	64.00
30.	वही	दरौली	59.82	60.82	61.66	1948	59.88	29.7.85	1	59.88
31.	राप्ती	गोरखपुर (बिरदघाट)	73.98	74.98	76.84	1974	74.33	29.7.85	2	74.33
32.	गंडक	खाडा	95.00	96.00	96.85	1978	95.75	25.7.85	41	45.45
33.	वही	रीवाघाट	53.41	54.41	55.04	1974	53.89	28.7.85	11	53.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	बूढ़ी गंडक	मुजफ्फरपुर (सिकन्दरपुर)	51.53	52.53	53.93	1975	52.06	29.7.85	3	52.06
35.	वही	समस्तीपुर	45.02	46.02	48.63	1984	46.17	29.7.85	11	46.17
36.	वही	रोसीरा	41.63	42.63	45.98	1974	42.89	29.7.85	14	42.89
37.	बागमती	बेनीबाद	47.68	48.68	49.56	1979	48.91	29.7.85	15	48.91
38.	वही	हयाघाट	44.72	45.72	48.06	1975	45.22	29.7.85	3	45.22
39.	कोसी	बसुआ	46.75	47.75	48.44	1979	47.55	29.7.85	25	47.55
40.	कोसी	बलतारा	32.85	33.85	35.37	1974	34.68	29.7.85	23	34.68
41.	कोसी	कुरसेला	29.00	30.00	31.85	1978	29.36	29.7.85	4	29.36
42.	अधवारा ग्रुप	कामतौल	49.00	50.00	52.38	1975	49.97	29.7.85	5	49.97
43.	वही	इकमीघाट	45.94	46.94	48.57	1975	46.47	29.7.85	4	46.47
44.	कमला बलान	झनझारपुर	49.00	50.00	51.83	1975	51.39	29.7.85	20	51.39
45.	महानन्दा	थीनग्रघाट	34.65	35.65	38.09	1968	36.22	26.7.85	22	35.13
46.	वही	जावा	30.40	31.40	33.40	1977	32.23	29.7.85	20	32.23

* इस वर्ष एक उच्चतम बाढ़ स्तर रिकार्ड किया।

परिशिष्ट – दो

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से 29 जुलाई, 1985 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर बाढ़/चक्रवात से हुई क्षति को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख में हैक्टेयर)	प्रभावित जनसंख्या (लाख	सलों को हुई क्षति		मकानों को हुई क्षति		मारे गए पशुओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	सार्वजनिक सुविधाओं को हुई क्षति (लाख रुपये में)	फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक जनसुविधाओं को हुई कुल क्षति (लाख रुपये में) (कालम 6+8+11)	रिपोर्ट की तारीख
				क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	मूल्य (लाख रुपये में)	संख्या	मूल्य (लाख रुपये में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम	5.23	19.93	0.60	44.86	109149	0.39	549	46	1035 80	1081.05	27.7.85
2.	बिहार	0.74	1.36	0.07	7.35	—	—	—	17	—	7.35	28.7.85
.3.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	19.7.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	3.7.85
5.	केरल	1.46	146.00	0.90	16150.00	478514	3290.00	19002	102	32636	52076.00	22·7.85
6.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	75	7592.60	7592.60	20.7.85
7.	मणिपुर	0.11	11.05	0.001	4.21	164	—	19	5	270.21	274.42	25.6.85
8.	पंजाब	2.13	10.00	2.06	—	—	—	—	55	75.00	75.00	28.7.85
9.	सिक्किम	0.001	—	0.001	—	—	—	23	1	—	—	1.7.85
10.	त्रिपुरा	0.02	3.00	0.02	243.07	13827	—	—	10	211.25	454.32	26.7.85
11.	पश्चिम बंगाल	0.006	—	0.006	1.00	462	—	—	1	—	1.00	25.7.85
12.	गोवा दमन और दीव	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7.85
	योग :	9.699	181.34	3.658	16450.79	602116	3290.39	19593	340	41820.98	61561.86	

12 16 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

12-18 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से देश की प्रगति में देशवासियों को हर क्षेत्र में प्रशिक्षित करने, शिक्षा देने और योग्य नागरिक बनाने की दिशा में दूरदर्शन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और निकट भविष्य में भारत द्वारा निर्मित अन्तरिक्ष इन्सेट बी-1 के माध्यम से स्कूलों और कालेजों में शिक्षा प्रदान करने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे बेसिक प्राइमरी शिक्षा से लेकर प्रौढ़ शिक्षा तक के कार्यक्रम की व्यवस्था है। दूरदर्शन के माध्यम से भारत में किसानों के लिए भी बड़े उपयोगी एवं मूल्यवान कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं और जिससे भारत जो आज भी कृषि प्रधान देश है और जिस पर देश की तीन-चौथाई जनसंख्या की जीविका निर्भर करती है उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्तम कृषि के लिए आधुनिकतम तरीकों के विषय में भी जानकारी कराई जाती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि दूरदर्शन मात्र मनोरंजन का ही साधन नहीं है

* दिनांक 30-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित

बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित करता है। प्रसन्नता की बात है कि इस संबंध में भारत सरकार दूरदर्शन केन्द्रों की बड़े व्यापक पैमाने पर और तेजी से स्थापना कर रही है किन्तु उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है वहां शिक्षा का प्रतिशत अब भी बहुत कम है और वहां के अधिकांश लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। वहां पर उपयोगी दूरदर्शन केन्द्र अब तक स्थापित नहीं किया जा सका जबकि बस्ती जनपद के चारों ओर के जनपदों में जैसे देवरिया, गोरखपुर, फैजाबाद इत्यादि में ये केन्द्र वर्षों से कार्यरत हैं।

मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से निवेदन करता हूं कि बस्ती जनपद के पिछड़ेपन और जनहित को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब बस्ती में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दो) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की आवश्यकता

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : श्रीमन् त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है, जहां इस समय एक सप्ताह में 16 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने भरी जाती हैं। खाड़ी देशों से केरल और केरल से खाड़ी देशों को सबसे अधिक संख्या में लोग आते जाते हैं। लेकिन इस हवाई अड्डे को अधिकारिक तौर पर इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं घोषित किया गया है क्योंकि यहां से बोइंग 747 और डी० सी० 10 जैसे बड़े विमान नहीं आ-जा सकते।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों के अनेक छोटे हवाई जहाज आसानी से ठहर सकते हैं। विकास कार्य, जैसे हवाई-पट्टी का विस्तार, रात को जहाजों के उतरने के लिए उतार की प्रकाश व्यवस्था और दूरसंचार उपकरणों का लगाया जाना, आदि पूरा तेजी से हो रहा है। इन कार्यों के पूरा हो जाने पर त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा किसी भी किस्म की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकेगा। मद्रास, मलेशिया और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों में सबसे अधिक यात्री केरल के ही होते हैं। इसलिए, आवश्यक है कि इन उड़ानों का संचालन त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से ही किया जाए।

भारी यातायात और विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाएं।

(तीन) पांच दिन का सप्ताह आरंभ किये जाने के कारण तुमकुर और बंगलौर के बीच चलने वाली रेल-गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता

***श्री जी० एस० बसवराजू** (तुमकुर) : श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर से रोजाना लगभग तीन हजार यात्री कर्नाटक की राजधानी बंगलौर जाते हैं। इनमें से 1500 व्यापारी और 1500 राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी और व्यापारी अपनी रोजाना की यात्रा के लिए पूरी तरह से गाडियों पर निर्भर हैं।

* कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातर।

[श्री० जी० एस० बसवराजू]

अब राज्य सरकार के कार्यालय भी अगस्त, 1985 से पांच दिन के सप्ताह की प्रणाली अपनाने जा रहे हैं। निस्सन्देह तदनुसार कार्यालयों के समय में भी परिवर्तन होगा। इससे राज्य और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में काफी चिन्ता व्याप्त हो गई है, क्योंकि वे यातायात के किसी अन्य साधन पर भरोसा नहीं कर सकते। अतः, यह आवश्यक हो गया है कि बंगलौर और तुमकुर के बीच चलने वाली गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया जाए। गाड़ी संख्या 224, जोकि तुमकुर से सुबह चलती है, सुबह 7.25 पर चलनी चाहिए और 9.30 बजे बंगलौर पहुंचनी चाहिए। गाड़ी संख्या 223, जोकि शाम को बंगलौर से चलती है, 6.30 म० प० बजे रवाना होनी चाहिए और रात 8-30 बजे तुमकुर पहुंचनी चाहिए।

इस समय गाड़ी संख्या 223 दोड्डावेले पर 40 मिनट रुकती है, ताकि गाड़ी संख्या 291 वहां से पास हो सके। इसकी बजाय क्रासिंग स्थल गोल्लाहाल्ली कर दिया जाए जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा होगी।

[हिन्दी]

(चार) बिहार में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने और बेगूसराय तथा बरौनी में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता

प्रो० चन्द्र भानु देवो (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में टेलीफोन की व्यवस्था में इधर कुछ समय से काफी गिरावट आई है। वस्तुतः आज के औद्योगिक युग में टेलीफोन मात्र एक विलासिता का आइटम नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रगति का मुख्य साधन है और इसके कार्यकलाप में किसी भी प्रकार की कमी या शिथिलता आर्थिक प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। मैं चाहूंगी कि दूर संचार मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें और टेलीफोन व्यवस्था में अधिक से अधिक कुशलता लाने के लिए विशेष प्रयत्न करें।

इसी संदर्भ में मैं बेगूसराय जिले के लोगों द्वारा दूरसंचार से संबंधित जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बेगूसराय जिला मुख्यालय है और बिहार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। इस प्रसिद्ध नगर के साथ ही बरौनी फर्टिलाइजर, थर्मल रिफाइनरी भी जुड़ा है, इससे इसका औद्योगिक क्षेत्र में महत्व और भी बढ़ गया है। इस समय बेगूसराय में जो टेलीफोन एक्सचेंज है वह मैनुअली आपरेटेड है, इसी वजह से यहां के लोगों को वास्तव में टेलीफोन की वैसी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है, जैसी होनी चाहिए। मैनुअली आपरेटेड टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र के रूप में बदलने का कार्य पहले शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ खास उपकरणों की कमी की वजह से यह प्रस्तावित स्वचालित टेलीफोन केन्द्र अभी तक नहीं बन पाया है। बेगूसराय में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का होना बहुत आवश्यक है और यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। बरौनी जैसे औद्योगिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वह बेगूसराय में एक समयबद्ध योजना के अंतर्गत स्वचालित टेलीफोन केन्द्र को स्थापित करने की दिशा में कारगर कदम उठाएं।

12.25 म० प०

(श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(पांच) मालिकों को समुचित मुआवजा देकर किरायेदारों को मालिकाना अधिकार देने का उपबन्ध करने वाला एक कानून लाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : आजकल हमें शहरों में जो एक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है जीर्ण-शीर्ण भवनों में रह-रहे किराएदारों की मकानमालिक उन भवनों की यह कह कर मरम्मत नहीं कराते कि उन्हें जो किराया मिलता है, उससे वे उनकी मरम्मत और रख रखाव नहीं कर सकते। परन्तु चूंकि सम्पत्तियों की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। अतः मकान मालिकों को चिन्ता नहीं होती। वास्तव में, इस खस्ता हालत से उन्हें लाभ ही होता है, क्योंकि वे आशा करते हैं कि इससे मकानों में पानी टपकने, आदि जैसी असुविधाओं के कारण किराएदार स्वयं मकान खाली कर देंगे और इस तरह किरायेदारों की उपेक्षा ज्यादातर जानबूझकर की जाती है।

लेकिन किरायेदार भी निकलते नहीं हैं। वे ज्यादा किराया नहीं दे सकते और इसलिए सुदूर उपनगरों में भी जाने में अनिच्छा दिखाते है। मकान मालिक उन्हें निकाल नहीं सकते क्योंकि किरायेदारों को किराया अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है। तथापि वे मरम्मत नहीं कराते क्योंकि मकान मालिक बीच में आते हैं। इस प्रकार उन्हें खस्ता मकानों में अपने जीवन को जोखिम में डालकर रहना पड़ता है। यह एक गम्भीर समस्या है, जिसका कि अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है।

इस स्थिति को समाप्त करने के लिए, सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके अन्तर्गत किरायेदारों को ऐसे मकानों का मालिकाना अधिकार मिले और मकान-मालिक को भी उचित और निर्धारित आधार पर मुआवजा मिले। किरायेदार मालिक के रूप में मिलकर सहकारी समितियां बनाकर मरम्मत/निर्माण-कार्य कर सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार इसे लागू करती है तो राज्य सरकारें भी उपयुक्त कानून बना सकती हैं। यह कदम सरकार द्वारा सही बनाई गई जमीन-जोतने वाले की नीति की ही तरह होगी और हमारे कई शहरों की समस्या को हल करने में सहायता करेगी।

(छः) कर्नाटक के कोलार जिले में सूखे और बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए वहां इलैक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : कर्नाटक के समूचे कोलार जिले में गम्भीर सूखे की स्थिति व्याप्त है वहां पेय जल उपलब्ध नहीं है। बोरिंग कुएं भी सूख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सारे जिले में एक भी नदी नहीं है। पिछले 15 वर्षों से वहां पर्याप्त वर्षा भी नहीं हुई है। गांव के गरीब लोग बेरोजगार हैं कृषकों पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ा है। वहां कोई फसल पैदा नहीं की जा सकती

[डा० वा० वेंकटेश]

भूमिगत जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। अत्यधिक गरीबी के अलावा लोग मस्तिष्क-ज्वर, कोढ़ और इसी प्रकार के संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं। सारे जिले में त्वचा के रोग तो आम हैं।

कोलार सोना क्षेत्र के अलावा वहां कोई बड़ा या मध्यम दर्जे का उद्योग नहीं है। शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से यह जिला कर्नाटक राज्य का बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। अगर तत्काल कुछ आवश्यक और ठोस उपाय न किए गए, तो इस जिले के लोग विलुप्त हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार को उसकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। वहां पर जल्दी ही छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग स्थापित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अतः, मैं माननीय उद्योग मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वहां अविलम्ब इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किया जाए।

(सात) मानव अस्थि-पंजरों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मानव अस्थि-पंजरों का निर्यात हमारे राष्ट्रीय गौरव और उच्च मानवीय मूल्यों पर एक घोर कलंक है। इस निर्दयतापूर्ण-व्यापार में लगे लोग बच्चों को चुराकर उन्हें मार देते हैं ., कब्रों से शव को निकाल लेते हैं। गंगा और अन्य नदियों में तैरते हुए शवों को निकाल लेते हैं, जिससे कि विभिन्न वर्गों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

विदेशों से मानव अस्थि पंजरों और हड्डियों की बढ़ती हुई मांग के कारण भारतीय निर्यातक इन मानव अस्थि पंजरों की मांग को पूरा करने के लिए छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और उनकी निर्दयता से हत्या कर देते हैं। अतः हमारे देश के कुछ भागों में छोटे बच्चों का चुराया जाना और उनका अपहरण करना, एक गम्भीर समस्या बन गई है।

ऐसा कहा जाता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा से मानव अस्थि पंजर निर्यातकों को सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश बिहार से ही सप्लाई किए जाते हैं।

यह हैरानी की बात है कि जानवरों के अस्थि पंजरों पर तो प्रतिबन्ध है, लेकिन मानव-अस्थि पंजर सप्लाई करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मानव अस्थि पंजरों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये, जैसी कि प्रो० टी० के० रेल, सहायक नियंत्रक, आयात और निर्यात विभाग, कलकत्ता को वर्ष 1976 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है।

(आठ) कालीकट में भारतीय स्टेट बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल के मालाबार क्षेत्र, जिसमें कासरगोड़, कालीकट, वायनड मल्लारपुरम, और पालघाट जिले आते हैं, में लम्बे समय से लोगों की यह मांग रही है कि उन्हें और अधिक बैंक सुविधाएं दी जाएं। इस क्षेत्र में स्टेट बैंक आफ इण्डिया गत अनेक वर्षों से

अच्छा काम कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ है कि बैंक आफ कोचीन के स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ विलय के बाद, राज्य में एक और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। आजकल मालाबार क्षेत्र, जोकि केरल के उत्तरी भाग में स्थित है, वे लोगों को केरल के दक्षिणी भाग त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ता है। इससे लघु उद्योगपतियों और उद्यमियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

मालाबार क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसके अनेक जिले बिना उद्योग वाले जिले घोषित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया का प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय कालीकट में खोला जाए।

12.32 म० प०

संघ लोक सेवा आयोग

32वें, 33वें और 34वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा श्री के० पी० सिंह देव द्वारा प्रस्तुत संघ लोक सेवा आयोग के 32वें, 33वें और 34वें प्रतिवेदन पर आगे विचार करेगी। डा० राजहंस बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं कल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहा था और मेरी बात समाप्त नहीं हुई थी। आज मुझे सिर्फ दो तीन बातें ही और कहनी हैं।

सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स से जो व्यक्ति यू०पी० एस० सी० की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं वे इसलिए पिछड़ जाते हैं कि दूसरी सारी योग्यताएं रखते हुए भी वे अपनी बात को अंग्रेजी में नहीं कह पाते। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं तकरीबन सारी दुनिया में घूमा हूं और कई बार घूमा हूं। यूरोप के किसी भी देश में, सिवाय इंगलैंड को छोड़कर, कहीं अंग्रेजी नहीं बोली जाती। मैं यहां आपको एक छोटा सा वाक्या सुनाना चाहता हूं।

एक बार मैं इटली में था और मुझे वहां बड़े जोर की प्यास लगी। मैं इस उम्मीद में था कि यहां सारे होटल और दुकान वाले अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह समझते होंगे। मैं एक जगह से दूसरी जगह प्यास की वजह से छटपटाता रहा : मैंने कहा—

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

[अनुवाद]

मुझे एक गिलास पानी चाहिए।

[हिन्दी]

कोई भी मेरी बात का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर एक दुभाषिए से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि आप "एकुआ" कहिए :

[अनुवाद]

यह इटालवी में पानी का समानार्थी शब्द है।

[हिन्दी]

उसके बाद जब एक होटल में जाकर मैंने "एकुआ" कहा तब मुझे पानी मिला। फ्रांस में भी कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। और न जर्मनी में कोई बोलता।

श्रीमन् मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं अंग्रेजी के साथ हूं लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, सुविधा नहीं मिली, यदि वे अंग्रेजी में नहीं बोल सकते तो इसमें उनकी क्या गलती है ? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में उनका चयन क्यों नहीं हो पाता ? मैं तो कहूंगा कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही नहीं, भारतवर्ष की तमाम भाषाओं में यू० पी० एस० सी० के इण्टरव्यू और पर्सनैलिटी टैस्ट होने चाहिए।

संसद में चाहे हम किसी भाषा में बोलें, हम तुरन्त एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। क्योंकि वहां हर इं रप्रीटर्स मौजूद हैं। यदि किसी प्रदेश विशेष का कोई उम्मीदवार यहां परीक्षा देने आये और वहां आकर अपनी भाषा में बात करना चाहे तो हमें इसमें क्या एतराज है कि वहां एक इंटरप्रीटर रखा जाए और वह उस परीक्षार्थी की बात को उन लोगों को समझा दे। यह नहीं होना चाहिए कि केवल मात्र अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का अवसर मिले और दूसरी भाषायें जानने वाले पीछे रह जायें जब कि हमने अपने संविधान में समस्त भाषाओं को एक-समान दर्जा प्रदान किया है।

आप सेण्ट्रल सर्विसेस की परीक्षा में एक मिनिमम डिग्री बी० ए० रखते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जीवन में ये मौका नहीं मिल सका कि वे बी० ए० पास कर सकें, परन्तु यदि उनको मौका दिया जाए, तो ऐसे लोग इन परीक्षाओं में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए श्रीमन् मेरा एक सुझाव यह है कि यह बी० ए० की डिग्री आवश्यक न की जाए।

दूसरी बात यह है कि बिहार जैसे प्रदेश में इम्तिहान होने के बाद तीन-तीन साल तक रिजल्ट नहीं निकलता है। शायद आप इस, बात को नहीं जानते होंगे कि बिहार में ऐसा होता है किसी विद्यार्थी ने इम्तिहान दिया है और वह एक ब्रिलियेण्ट स्टूडेण्ट है, लेकिन वह सिविल परीक्षा में इसलिए शामिल नहीं हो सकेगा क्योंकि उसका परीक्षाफल नहीं निकला है। इस एनामॅली को खत्म करना चाहिए।

सके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि वह एक प्राविजिनल एफेडेविट दे दे कि मैंने इम्तिहान दिया है, यदि चुन लिया जाऊं और उधर बी० ए० की परीक्षा में मैं फेल हो जाऊं, तो मुझे नाकाबिल करार दिया जाए। परन्तु उसे इसलिए डिबार नहीं कर दिया जाना चाहिये कि उसे बी० ए० की डिग्री नहीं मिली।

दो-एक बातें मैं और कहना चाहता हूं। सिविल सर्विसेस में आपने पहले मैक्सिमम ऐज 28 वर्ष रखी थी अब आपने उसे घटाकर 26 वर्ष कर दिया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। दूर-दराज और देहात में लोग देर से पढ़ाई शुरू करते हैं। देर से पढ़ाई इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। आज आदमी रोजी रोटी के लिये किस तरह तबाह और परेशान है यह चीज आपको गांवों में जाने पर देखने को मिलेगी। गांवों में पाठशालाएं नहीं होती हैं, बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई शुरू होती है और इस तरह उसे बी० ए० पास करते-करते 28 वर्ष लग जाएंगे, 30 वर्ष भी लग सकते हैं। तो उसको बी० ए० पास करने के बाद 3-4 साल का समय मिलना चाहिये जिससे वह जमकर तैयारी करे और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के बराबर हो सके। प्रोटेक्शन की पॉलिसी होनी चाहिये। जैसे कि आप जानते होंगे श्रीमन्, एक पहलवान से एक नवजात शिशु नहीं लड़ सकता है। इसलिये नवजात शिशु को प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैं कहूंगा कि हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये और उनके लिये ऐज ज्यादा होनी चाहिये। यह बात और भी ऐसी स्टेट्स के लिये लागू होनी चाहिये जहां कि लेंग्वेज में पढ़ाई होती है।

पब्लिक सर्विसेस कमीशन में जो सदस्य हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट में जो मैम्बर्स रखते हैं, उसके सम्बन्ध में मैंने तीनों रिपोर्ट्स में बड़े गौर से देखा है, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि क्या जरूरी है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के जो रिटायर्ड लोग है उन्हीं को रखा जाता है। एक अखबार का नुमाइंदा जिसे सारी दुनिया के बारे में पता है, उसको हम क्यों नहीं रख सकते ? एक पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर का मैनेजर जिसने रिजल्ट दिया है अपनी कम्पनी में, उसे एक्सपर्ट करके हम क्यों नहीं रख सकते। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ब्यूरोक्रेसी रीयलिस्टिक हो। हम जैसे आफिसर्स को बनाना चाहते हैं, वह ऐसे अफसर बनावें, जो गांव, देहात और शहर में रहने वाले हों, जनता के भावों को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उनकी भलाई के लिये तैयार हो जाएं।

मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, आई० ए० एस० आफिसर्स जो दिल्ली से पढ़कर जाते हैं या ऐसे ही दूसरे बड़े-बड़े कालेजों में पढ़कर जाते हैं, वह छोटे-छोटे शहरों में नहीं रहना चाहते। वे राजनीतिज्ञों का सहारा लेते हैं कि भाई मुझे तो ऐसी जगह ट्रांसफर करा दो जहां मच्छर न हों, बिजली हो, मेरी पत्नी को रहने में असुविधा न हो, जहां बच्चे आसानी से रह सकें। देहात में, अन-डैवलप्ड और अंडर-डैवलप्ड प्लेसेज में कोई नहीं रहना चाहता, तो क्यों नहीं हम देहातों के लोगों को अन-डैवलप्ड जगहों के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में आने का मौका दें ? वह लोगों कि भावना को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे।

आज भी हिन्दुस्तान दो भागों में बंटा हुआ है। जैसे मैंने कल कहा कि इंडिया और भारत। इंडिया का अर्थ है आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० ब्यूरोक्रेट्स, जो समझते हैं कि हम राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी देहात के लोग भूखे, नंगे और बेकार लोग,

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

जो समझते हैं कि हम गरीबी झेलने के लिए पैदा हुए हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मिनिस्टर्स को आपने भारत में रखा है ?

[अनुवाद]

श्री गौरी शंकर राजहंस : इण्डिया अर्थात् भारत।

[हिन्दी]

आज भी देहात में, गांव में एक कलैक्टर होआ है। कोई भी आदमी उनके दरवाजे पर चला जाये, चाहे यूनिवर्सिटी का बड़े से बड़ा प्रोफेसर हो, उसे पानी पीने के लिए कोई नहीं कहेगा। कलैक्टर अगर चला जाये तो लोग समझेंगे कि हमारा जन्म सफल हो गया। टाई-सूट पहनकर अगर कलैक्टर चला जाये तो लोग कहेंगे कि आज हम कितने सौभाग्यवान हैं। इस मनोवृत्ति को हमें बदलना होगा।

आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीच-बीच में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कांफरेंसेस हुई और सभमें सुधार की बहुत सी बातें आई। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेता हूं, कि डिप्टी कलैक्टरी की पोस्ट 50 हजार रुपये में बिकती है, डी० एस० पी० की पोस्ट 35 हजार रुपये में बिकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब अलग-अलग स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन्ज के साथ कांफरेंस किया तो क्या इस मामले पर विचार नहीं किया ? एक गरीब घर का लड़का 50 हजार रुपये और 35 हजार रुपये देकर क्या डिप्टी कलैक्टर और डी०एस० पी० बन सकेगा ? आप हिन्दुस्तान को कहां ले जा रहे हैं ?

मैंने पहले भी इसी हाउस में कहा था कि बिहार में एक प्रथा है एल० 1 , यानी लूट डिवाइडेड बाई० 4 । लूट में इंजीनियर्स, कंट्रेक्टर्स ब्यूरोक्रेट्स और हम जैसे पोलिटीशियन्ज हैं। एक इंजीनियर जिसकी तनख्वाह 1,000 रुपये है, अपने 4 बेटों को बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल में भेजता है जहां पर हर महीने एक का खर्चा डेढ़ हजार रुपये है। वह 6 हजार रुपये कहां से लाता है, कभी किसी ने पता करने की कोशिश की ? हमारी जो संस्था है, जो हमारा तरीका है, वह ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पैदा कर रहा है जो हम पर शासन करेंगे। वह शासन कहां से शुरू होता है, इस पर सोचा जाये।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात और कहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।

[अनुवाद]

या इस सम्बन्ध में कोई भी राज्य सेवा आयोग लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसका भारतीयकरण करना होगा।

मैं कहूंगा कि जैसे अमेरिका, कनाड़ा और दूसरे देशों में होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेट्री को बहाल करना है तो जरूरी नहीं है कि ज्वायंट सेक्रेट्री या एडीशनल सेक्रेट्री को ही सेक्रेट्री बायें। कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा प्रोफेसर यदि मिल जाये और इंटरव्यू देने को तैयार जाये तो उसे सेक्रेट्री बना दिया जाता है क्यों नहीं किसी अच्छे पत्रकार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सेक्रेट्री बना दिया जाये। इस पद्धति को बदलना होगा। यदि ब्यूरोक्रेट्स समझेंगे कि एक बार आई० ए० एस० में घुस गया तो मैं सेक्रेट्री होकर रिटायर होऊंगा, यदि वह सोचेगा कि मेरे वियोगी फिर हो सकते हैं तो इससे एफिशेंसी ज्यादा होगी।

पब्लिक सर्विस कमिशन को पीपुल्स ओरियंटिड होना चाहिए और उनमें सोशल संसिबिलिटी भी चाहिए और उन्हें समाज के दायित्व को समझना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यह अच्छा प्रशासन चल रहा है, या नहीं चल रहा इसका निर्णय यह खुद कर लें। आजकल पब्लिक सर्विस कमिशन में कौन बैठते हैं ? मेरे ख्याल से न लोगों का प्रभुत्व होता है या उनके जो चमचे आदि होते हैं, वह इसमें घुस जाते हैं···(**व्यवधान**)

मैं यह ठीक कह रहा हूं। ऐसा मैं रोज देखता हूं···(**व्यवधान**)

यदि किसी का चमचा नहीं है तो खुद चमचा बन जाये, नहीं तो उसका काम नहीं चलेगा। हाल यह है आजकल पब्लिक सर्विस कमिशन के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा है और कोई यह नहीं समझे कि ईमानदार लोग वहां बैठे हैं। जब ईमानदार ही वहां पर नहीं हैं तो काम कैसे चलेगा ? जैसे हर अधिकारी खुद होते हैं, वैसे ही अपने दूसरे अधिकारियों का वह चुनाव कर लेते हैं।

मैंने इसकी रिपोर्ट को पढ़ा है, पढ़ने से मालूम होता है कि हिन्दुस्तान का प्रशासन और ढीला हो जायेगा। रिपोर्ट में ऐसे धड़ाधड़ लिखा है जैसे कोई स्टैनो लिख रहा हो।

अनुवाद]

पृष्ठ 200 में यह लिखा है कि :

> "2 अगस्त, 1 78 को मुख्य इंजीनियर पद के लिए सिफारिश की गई थी लेकिन वह पद अभी तक भरा नहीं गया। पशुधन अधिकारी के मामले में 6-2-1980 को सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी तक भरी नहीं गई।" मुझे पता लगा है कि 20 मामलों में उन्होंने सिफारिश की, लेकिन वे पद अभी तक भरे नहीं गये हैं।

हिन्दी]

यह आपका सिस्टम है। इसमें इंटरव्यू कैसे होता है, इसको आप देखें। उसमें बड़ी-बड़ी एप्रोच होती हैं। पहले तो जजों, मजिस्ट्रेटों तक जाना बड़ा मुश्किल होता था, उनके पास जाने से सजा तक मिल जाती थी, लेकिन आजकल क्या होता है, वह एकदम से कह देते हैं कि वह मेरे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं और मेरे भाई हैं। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन का इम्तहान लेते हैं तो मेहरबानी करके पेपर्स ऐसी जगह भेजें जिन लोगों का कुछ करैक्टर हो। आप ऐसे नत्थूगैरों के पास पेपर्स भेज देते

[श्री मूलचन्द डागा]

हैं कि वह सारा काम चौपट कर देते हैं।

इस प्रकार यह जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसका तरीका भी ठीक नहीं है। इंटरव्यू में पूरे मार्क्स तो वह देंगे नहीं चाहे भले ही वह इम्तहान में फेल हो जाय।

अब आप देखिए, ये जो पेपर्स दिए हैं इन्होंने इसमें क्या कहा है। यह कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेडेयूल्ड ट्राइब्स को ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन इन पेपर्स से यह मालूम होता है कि अभी भी इनको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मिल नहीं रहे हैं। इसके आंकड़े देखिए कि कितनी जगहें खाली हैं जो भरी नहीं जा सकी हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि किस प्रकार से काम होता है।

[अनुवाद]

वे कहते हैं कि उन्हें इंजीनियर के पदों के लिए अनुसूचित जाति के 400 लोगों की आवश्यकता हैं। उन्हें केवल 200 प्रत्याशी ही मिलें। जब उन्हें ऐसे 367 लोगों की आवश्यकता थी तो 150 लोग ही मिले, 1980-81 में 388 के एवज में 112 लोग ही मिलें; बाद में 255 के स्थान पर 89 लोग ही उपलब्ध हुए, पहले जब उन्हें 339 लोगों की आवश्यकता थी तो 150 लोग ही मिले। कुछ वर्षों में उन्हें 350, 268 या 190 लोग ही मिलें।

[हिन्दी]

जो चार्ट खुद इन्होंने दिया है उसके अनुसार हर साल आप यह देखेंगे कि इनकी संख्या कम हुई है। किसी भी पोस्ट पर आपको आदमी नहीं मिले हैं। आप देखेंगे कि कितनी पोस्ट्स खाली रह जाती है। ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर किसी भी मामले में ले लीजिए, क्या आप यह बताएंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग जहां नहीं मिलते हैं वहां क्या दूसरे लोगों को आप ले लेते हैं? साइंटिफिक और टेकनिकल क्षेत्र में, टेक्नीशियंस में तो इनका नाम ही नहीं है। 299 की जरूरत है तो 163 हैं। 207 की जरूरत है तो आधे भी नहीं हैं। या तो हम शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अच्छा एजूकेशन नहीं दे रहे हैं या हम आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोग्रेस नहीं कराना चाहते। दूसरी बात यह है कि हम उन जगहों को खाली रख कर प्रशासन कैसे चलाते हैं? अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की इस रिपोर्ट को पढ़े तो आनन्द आएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। देखिए इसको, यह मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यह खुद इस बात को मानते हैं कि हमें पचास या सौ पोस्ट के लिए आदमी चाहिए, फिर अखबार में उसे निकालते हैं। फिर कहते हैं 240 की जरूरत है। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, बड़े-बड़े विद्वान यहां बैठे हैं, अच्छा है यह लंच आवर है, जो बूढ़े लोग हैं वह जितना ही कम लंच खाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। बड़े-बड़े संजीदा लोग इसलिए इस समय यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

चेयरमैन एक वृद्ध व्यक्ति है। इसीलिए वह इस पद पर हैं। उनके द्वारा दिये गये चारों पेपरों को मैंने पढ़ा है।

[हिन्दी]

इनके चार पेपर्स मैंने पढ़े हैं। उनको पढ़िए तो पता चलेगा कि यह प्रशासन कैसे चल रहा है। पहले मामले में क्या हुआ ? एक ड्राइवर को पनिश किया डिपार्टमैंट ने। उसके बाद मामला वहां गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि इसको सेंश्योर कर दो।

[अनुवाद]

चूंकि तत्कालीन संचार मंत्री ने, राष्ट्रपति की ओर से, अपनी नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से संघ लोक सेवा आयोग के विचारों से असहमति प्रकट की इसलिए 20-12-1980 को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से सलाह करने के पश्चात्, आयोग से अपनी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया।

तब, सरकार ने पुनः सारे मामले पर पुनर्विचार किया और यह पाया कि चूंकि तीसरे अधिकारी पर चूक करने का ही आरोप है, जबकि प्रथम अधिकारी को गलती करने के कारण लगाये गए आरोप से जांच अधिकारी/केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दोष-मुक्त कर दिया, यह उचित नहीं होगा कि तीसरे अधिकारी को किसी कदाचार के लिए जाए जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई निंदा की शास्ति उचित ठहराई गई हो दोषी ठहराया जाये। अतः तीसरे अधिकारी को दोष-मुक्ति के आदेश भारत सरकार ने 15-7-81 को जारी किये···

[हिन्दी]

दो तो बन गए और एक को रिटायर कर दिया। कह दिया एक वह छूट गया, वह छूट गया इसलिये तुम भी जाओ। हमारे मन्त्री जी बहुत अच्छे जवान हैं, लेकिन आप देखें कि कब यह काम शुरू किया और कितना समय लगा। 8 साल इस काम में लग गये। तो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन का यही काम है कि ऐसे छोटे-छोटे मामलों में ही लगा रहे ?

एक दूसरी जगह पर आप देखें कि एक ड्राइवर को निकाला गया। किसी की मेहरबानी उस पर हो गई तो कह दिया कि इसको नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते ? इसलिये कि वह कुसूरवार नहीं है। वह अपील में गया, उसने प्रेसीडेन्ड को दरख्वास्त दे दी। इस तरह से उसका केस फिर से कंसीडर किया गया और लिखा गया कि नहीं, वह अपनी ड्यूटी पर था, यह उतना कुसूरवार नहीं है, इसलिये इसको माफ कर दिया जाये। आप देखिये कि 1974 से लेकर अब जाकर तय हुआ है। क्या यही काम है पब्लिक सर्विस कमीशन का ? चार केसेज इसमें कोट किये गये हैं। एक हैवी मोटर विहिकिल ड्राइवर था, उसका केस 1974 के बाद आप देखिये कि कब जाकर तय हुआ। फाइल कितनी मोटी हो गई होगी। इस देश में एक बात सच है कि फाइल कभी भी भूखी नहीं रहती है, इन्सान भूखा रहता है। फाइलें खूब मोटी होती हैं, फाइलें खूब खाती हैं, खा-खाकर मोटी होती

[श्री मूलचन्द डागा]

जाती हैं और इन्सान दुबला होता है। कोई पूछे कि इस देश में क्या मोटा होता है तो हम कहेंगे कि फाइलें मोटी होती हैं और इन्सान दुबले होते हैं।

इसी तरह से आप देखिये कि नासिक में एक कन्ट्रोल आफिसर को एप्वाइन्ट होना था। पांच में से उन्होंने कहा कि यह एस० टी० आफिसर कांपिटेन्ट है और यू० पी० एस० सी० के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि जो सेकेन्ड आफिसर है वह ज्यादा कांपिटेन्ट है। आप देखिये कि गवर्नमेंट यू० पी० एस० सी० पर विश्वास नहीं करती है और यू० पी० एस० सी० को आप पर विश्वास नहीं है। यह कंफ्रन्टेशन होता है। आपने यू० पी० सी० एस० को कन्सल्ट क्यों किया और कन्सल्ट करने के बाद आप उनकी बात को मानते क्यों नहीं हैं? जब तक आपकी बात मान नहीं ली जाती तब तक आप लिखते रहेंगे कि री-कंसिडर करो। री-कंसिडर करने का मतलब है 6 महीने का टाइम। इस प्रकार का यू० पी० एस० सी० का जो काम है उसके सम्बन्ध में आप मेहरबानी करके विचार कीजिये।

दूसरी बात यह है कि यू० पी० एस० सी० में आप किस काडर के लोगों को रखना चाहते हैं?

1.00 म० प०

कोई व्यक्ति नून-मिर्च की दुकान करता हो, उसको यू०पी० एस०सी० का चेयरमैन बना दिया जाता है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। वे अब हमारा इन्टरव्यू ले रहे हैं। आप मेहरबानी करके पहले नार्म्स बनाइये। बिना नार्म्स के अगर काम होगा, तो वह अच्छा नहीं होगा। उससे आपका काम ठीक नहीं होगा।

इसके अलावा इसके अन्दर प्रमोशन और डायरैक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया, दोपहर के भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखें। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

1.01 म० म०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा अपना भाषण जारी रखेंगे। श्री डागा मैं समझता हूं कि आप समय का भी ध्यान रखेंगे। आप दूसरों की आलोचना करते हैं कि, वे अधिक समय लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पांच-सात मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही आपने काफी समय ले लिया है। कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिये ।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रोमोटीज के अन्दर पे कमीशन ने तो प्रोमोटीज को वेटेज दिया था। लेकिन आजकल क्या होता है कि कहीं-कहीं पर डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट 50 परसेन्ट, 40 परसेन्ट और 30 परसेन्ट कर लेते हैं लेकिन जो आफीसर 30-30 साल या 15-15 साल तक काम करने हैं, इतने साल काम करने के बाद उनका जो प्रोमोशन होता है, उसका उनको वेटेज नही दिया जाता है। जिन आदमियों को अनुभव होता है काम करने का और जो काम करने का तरीका जानते हैं और बड़े लम्बे समय तक काम करते हैं अपने कार्यालयों में अपने पदों पर, उन लोगों को वेटेज नहीं दिया जाता है और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट 50 परसेन्ट कर दिया जाता है इस तरह से कहीं-कहीं 50 परसेन्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 50 परसेन्ट बाई प्रोमोशन है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर आप विचार करें। जिन लोगों ने कई सालों तक काम किया है, उन लोगों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और ध्यान देना भी जरूरी है ।

एक सुझाव मैं और देना चाहता था। आप अपने यहां एड हाक एपाइन्टमेंट्स करते हैं और ये एड हाक एपाइन्टमेंट्स कितने सालों तक चलते हैं। आप एड हाक एपाइन्टमेंट्स बराबर करते रहते हैं जबकि कुछ समय के लिये ही आप एड हाक एपाइन्टमेंट्स कर सकते हैं और उसके बाद यू० पी० एस० सी० को रेफेन्स करना होता है। मैं इसमें से पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

34वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 47 के पैरा 27 में कहा गया है :

प्रतिवेद्य वर्ष में भी इस प्रकार के मामले बराबर होते रहे जहां आयोग के साथ परामर्श करने में असाधारण विलम्ब हुआ है या नियुक्तियां प्रारंभ से ही अनियमित रहीं। भारत सरकार द्वारा समय-समय फर अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद आयोग को यह देखकर खेद होता है कि इस मामले में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। कुछ ऐसे मामलों का विवरण परिशिष्ट XVII और XVII 'क' में प्रस्तुत है जहां पर आयोग के पास संदर्भ भेजने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और उनमें अनियमितताओं के होने के कारण आयोग ने उन नियुक्तियों को अनुमोदित मानने का निर्णय किया ।

(व्यवधान)

जो माननीय सदस्य आपस में बात करना चाहते हैं, वे बाहर जा सकते हैं। लाबी इसी उद्देश्य के लिए है। यह जगह आपस में बातचीत करने की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मूल चन्द डागा : यह माननीय सदस्यों के लिए है, अगर वे आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो बाहर जाकर कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

मैं यह कहना चाहता हूं कि परिशिष्ट XVII से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 34वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 279 (परिशिष्ट XVII) में बताया गया है कि वरिष्ट तकनीकी सहायक (फसल), कृषि मन्त्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के लिये आयोग से परामर्श लिये बिना नियुक्ति की तारीख 31-5-82 थी, अन्तिम तारीख जिसको निर्देश भेजा जाना चाहिये था, 30-5-83 थी। वह तारीख जिसको निर्देश भेजा गया है, एक वर्ष बाद है यानि 21-1-84। इसी प्रकार हिन्दी अधिकारी, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के पद के लिये नियुक्ति की तारीख 15-4-81 है; अन्तिम तारीख जिसको निर्देश भेजा जाना चाहिये था 14-4-82 है, लेकिन निर्देश नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष बाद यानि 19-5-83 को भेजा गया।

[हिन्दी]

जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेफरेंस मांगता है तो आपको एक साल देता है। आप एक साल में भी उसे रेफरेंस नहीं भेजते हैं। आप दो-दो तीन-तीन साल तक उनको उत्तर ही नहीं देते हैं। आपके विभागों में जो इस प्रकार के काम होते हैं उन कामों से कितना नुकसान होता है यह आप ही जान सकते हैं।

यह क्यों होता है ? कभी-कभी मिनिस्टर को अपने लोगों को लाना है तो एडहाक अपाइन्टमेंट कर दी जाती है। उस एडहाक अपाइन्टमेंट को करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफरेंस ही नहीं भेजते। वे कहते रहते हैं लेकिन आपके विभाग वाले परवाह ही नहीं करते। आपके यहां इस प्रकार से होता रहता है, इस प्रकार से काम चलता रहता है।

अगर हमको इस प्रशासन को ठीक करना है तो हमें एक कमेटी बिठानी चाहिये जो इन सारी रिपोर्टों की जांच करे और जांच करने के बाद इसमें आगे क्या सुधार किया जाये, वह सुझाव दे। ईमानदार और अच्छे लोगों को नौकरी में लाया जाये। योग्य लोगों को नौकरी में लाया जाये। ऐसे लोगों को नौकरी में लाया जाये जो काम करने वाले हों, निष्ठावान हों। किसी आदमी के बारे में जब कमीशन कहता है कि इसको निकालो तो यह नहीं निकालते। न यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये कहना मानते हैं न यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनका कहना मानता है। इस प्रकार से आज शासन चलता है। यह ठीक नहीं है। इस प्रकार की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत है। (**व्यवधान**) इसमें बिहार और आंध्र का नाम भी है। आंध्र का पहला नाम है। आंध्र बड़ा फेमस नाम है। वहां के लोग यहां विरोधी दल में बैठे हुए सज्जन हैं।

श्री नारायण चौबे : राजस्थान में क्या होता है ?

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान का तो बहुत गौरवशाली नाम है। तो यह जो आपकी स्थिति है स्टेट्स के अन्दर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसमें सुधार नहीं होगा तब तक हमारी सेवाओं में और नौकरियों में भी सुधार नहीं होगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति जी, आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। आज तीन रिपोर्टों पर चर्चा हो रही है। 1981-82, 1982-83 और 1983-84। इन तीनों पर गौर करने से पता चलता है कि जैसे कंप्यूटर होता है, उसी तरह से यह रिपोर्ट बनाई गई है। जो लैप्सेस फर्स्ट रिपोर्ट में हैं वे ही सेकण्ड रिपोर्ट में हैं और वही थर्ड रिपोर्ट में हैं। एक रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में अन्तर होना चाहिए। अगर एक रिपोर्ट में कुछ गलतियां रह गई हैं चाहे वह एडहाक अपाएंटमेंट्स की हो या रूल्स की हों, उनको भी देखा जाना चाहिए। एक ही चीज 5-6 साल लगातार चलती रहती है, एक सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरी के बीच में चलती रहती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हर रिपोर्ट में यह होता है। रिपोर्ट देनी है इसलिए पार्लियामेंट को रिपोर्ट बनाकर दे देंगे, लेकिन यहां तो पुरानी रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। अधिकतर पुराने वाक्य ही दोहराए जाते हैं, सिर्फ आंकड़े बदलते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग में कोई तबदीली नहीं होती। रिपोर्ट पार्लियामेंट को देनी जरूरी होती है, इसलिए रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, लेकिन सुधार के बारे में नहीं सोचा जाता, ऐसा हमको लगता है। अगर इस बारे में सोचा जाता तो पहली रिपोर्ट की गलतियां दोहराई नहीं जातीं। मेरा आग्रह है कि हर साल इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट किया जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा न होने से ही आज तीन साल की रिपोर्ट पर एक साथ चर्चा की जा रही है।

इसमें तीन कैटेगरी मुख्यत: राज्य सरकारों के अधीन रहती हैं, आई० ए० एस० आई०पी० एस० और आई०एफ०एस०, इन तीनों को डेपूटेशन पर या नियुक्ति पर भेजा जाता है, लेकिन डिसिप्लीनरी एक्शन कौन लेगा। इसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आई०ए०एस० अधिकारी के खिलाफ इन्क्वारी कमीशन बिठाया, क्योंकि उसने गलतियां की थीं। इन्क्वारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर उसको ससपेंड किया गया, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसको बहाल कर दिया। यह कहां तक उचित है। केन्द्र सरकार बिना सोचे, बिना राज्य सरकार से मालूमात किए कैसे उसको ससपेंड कर सकती है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। आई०ए०एस० आफिसर तमाम पालीटिकल लोगों पर अपना दबाव डालता है। यहां पर उसका नाम देना ठीक नहीं है, इससे बारे में आपको सोचना चाहिए। राज्य सरकारों को डिसिप्लीनरी एक्शन लेने का अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकार से जो सिफारिश की जाती है, उसको बिना सोचे-समझे रीइंस्टेट करना ठीक नहीं है।

इन लोगों के बारे में तो हमको सोचना चाहिए। ये, आई० ए० एस० आफिसर्स अपने आपको बड़ा समझते हैं, सुपरीटेंडिंग इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर के ऊपर लग.म लगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरीटेंडेंट इन्जीनियर को बुलाता है। एक मेडीकल इंस्टीच्यूट के प्रिंसिपल को बुलाकर डाटता है जबकि वह टैक्नीकल के बारे में कुछ नहीं जानता है। ये, दूसरे आफिसर्स पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। उनको इससे अलग करना चाहिए और टैक्नीकल आफिसर्स को लेना चाहिए। जैसा आन्ध्र सरकार ने किया है, वैसा ही करना चाहिए, पहले आइ०ए०एस० आफिसर्स ही सेक्रेटरी बनते थे लेकिन अब आइ०पी०एस० और आइ०एफ०एस० आफिसर्स को भी सेक्रेटरी बनने का मौका दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और एजुकेशन सर्विसेज राज्यों के लिए नहीं है। राज्यों में तो आइ० ए० एस०, आइ०पी०एस० और आइ०एफ०एस० के लोगों को यहां से भेजा जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

एजुकेशन सर्विसेज को लेकर के डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। इस ओर ध्यान देना जरूरी है ताकि आइ०ए०एस० आफिसर्स अपने आपको बड़े समझकर टैक्नीकल आफिसर्स को दबाने की कोशिश न करें। हमने प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में भी देखा है कि आइ० ए०एस० आफिसर्स चेयरमैन के तौर पर टैक्नीकल आफिसर्स जो उनसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, उनको दबाते हैं क्योंकि आइ० ए० एस० होने के कारण वे किसी के खिलाफ भी लिख सकते हैं। इस वजह से वे लोग सिर झुकाते हैं। मेरा कहना है कि टैक्नीकल सर्विसेज को भी इसमें लिया जाना चाहिए। आइ० ए० एस० आफिसर्स अपने आपको बड़े समझकर दूसरों के ऊपर राजा की तरह शासन चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एस० सी० और एस०टी० के रिजर्वेशन में भी कुछ सुधार होना चाहिए। आरक्षण के कारण अगर एक व्यक्ति आइ० ए०एस० में आता है तो उसके बेटे के लिए वह वंचित होना चाहिए नहीं तो उसके परिवार के सभी लोग आइ०ए०एस० में आ जायेंगे और जो देहातों में काम करते हैं उनके लड़के जो देहातों में ही पढ़ते हैं, वे आइ०ए०एस० में नहीं आ पायेंगे। **** का लड़का किसी अच्छे कालेज में पढ़ता है तो वह आइ० ए० एस० आफिसर हो सकता है। इसलिए जो एक बार आरक्षण से फायदा उठाता है कांस्टीच्युशन में उस परिवार को आरक्षण से वंचित करना चाहिए नहीं तो आरक्षण होने से **** का बेटा ही आ सकेगा।***(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम (गया) : ऐसे लोग हरिजनों में कितने है।***(व्यवधान) क्या एम० पी० होना अमीरी की निशानी है। लगता है काफी पैसे कमा लिए हैं।***(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरू भाई मेहता (अहमदाबाद) : क्या सदस्य अपनी नीति या बी० जे० पी० की नीति बता रहे हैं ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं अपनी नीति और बी० जे० पी० की नीति भी बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख मत कीजिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अमुक परिवार का है।***(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह जो कुछ बता रहे हैं उसे मैं समझने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसे समझें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : रिजर्वेशन पालिसी में थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए। एक ही फैमिली के लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। चालीस परसेंट ने अगर आरक्षण के कारण लाभ उठाया है तो

**कार्य वाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनका सोशल स्टेटस बढ़ गया है। उनकी इकानामिक कण्डीशन बढ़ जाती है, सुधर जाती है और इसलिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और सामान्य कैटेगरी में ले आना चाहिए। उसके बदले, समाज के दूसरे जरूरतमंद लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिनको उसका अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप रिजर्वेशन को बढ़ाइये लेकिन इस तरह मत बढ़ाइये कि वह सिर्फ कुछ फैमिलीज के लिए ही सीमित होकर रह जाए, उन की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बन कर रह जाए।

हम क्या देख रहे हैं कि एम० पी० का बेटा एम० पी० बनता है, एम० एल० ए० का बेटा एम० एल० ए० बनता है, या उनका बाप बनता है, उनकी मां बनती है, उनका ससुर बनता है, उनका दामाद बनता है और हमारे आन्ध्र प्रदेश में तो एक नहीं कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। दूसरी ओर, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन की पौलिसी को बदलने की आवश्यकता है। मैं किसी तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मगर आज तक का हमारा अनुभव यह बताता है कि सिर्फ कुछ फैमिलीज तक ही सिमट कर रह गयी है और इसका फायदा कुछ चन्द फैमिलीज ही उठा रही हैं, अब समय आ गया है कि हमें उनको रिजर्वेशन से हटाना चाहिए।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में यहां पर जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सब का यही कहना है कि हमारे ग्रामीण अंचल के कालेजों से, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से इंटरमीडिएट, बी० ए० आदि पास करके जो लोग आते हैं, उनको आई० एस० या आई० पी०एस०सी० जैसी यू०पी०एस०सी० की परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल पाती। क्या हमने कभी इसके कारण जानने का प्रयत्न किया है। इसका कारण यह है कि हमारे ग्रामीण अंचल में जितने स्कूल कालेज हैं। जितने विश्व-विद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कालेज हैं या डिग्री कालेज हैं, उनका दर्जा शहरी क्षेत्र के इंसटीट्यूशन्स से कम है। अब हर आदमी का बच्चा तो दिल्ली आकर पढ़ नहीं सकता, हर बच्चा पब्लिक स्कूलों में नहीं जा सकता, हर बच्चा मौडल स्कूलों में नहीं जा सकता, हर बच्चा लिटिल फ्लावर स्कूल में नहीं जा सकता या हर बच्चा मद्रास जा कर नहीं पढ़ सकता इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि देहाती क्षेत्रों से जितने लोग यहां परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल शहरी लोग ही इन कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन्स में पास होते रहें और ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों को कोई अवसर ही न मिले। रिपोर्ट से कुछ ऐसा ही आभास मिलता है कि ये परीक्षाएं सिर्फ शहरी लोगों तक ही सीमित होकर रह गई हैं।

इसलिए देहाती अंचल के कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, डिग्री कालेजों में पढ़े विद्यार्थियों के लिए कुछ आरक्षण अवश्य होना चाहिए ताकि इन कम्पटीशन्स में वे भी आगे आ सकें। दो पांव वालों और एक पांव वालों के बीच में जिस तरह से आजकल कम्पटीशन हो रहा है, उसको एकदम बंद कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर देहाती लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षण करने की नीति अपनाई जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के सभी

[श्री एस० बी० सिदनाल]

तीनों प्रतिवेदनों पर विचार व्यक्त करने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती अपेक्षित ढंग से नहीं की जा रही है जैसा कि विकासशील देशों में होना चाहिए। पहले लिखित परीक्षा होती है और उसके बाद नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय डिग्री धारकों चाहे उन्होंने विज्ञान में या चिकित्सा या इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हो की आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाती है। सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन करने का उनका ढंग ही गलत है, क्योंकि मौजूदा नौकरशाही का रवैया समाज के प्रति उदासीन है। यह तो अंग्रेजों की देन है और इसका अभी तक भारतीयकरण नहीं किया गया है। इसके स्वरूप इसके कार्य निष्पादन का और इसे जनोन्मुख बनाने के लिए इसका भारतीयकरण करना होगा। मेरी राय में समूची प्रणाली को बदलना होगा। जैसा कि श्री मूलचन्द डागा ने कहा है कि इसपर नए सिरे से विचार करने के लिए एक समिति होनी चाहिए और उन नई चुनौतियों के अनुसार नए सूत्र होने चाहिए जिन्हें हमने आधुनिक जीवन में स्वीकार किया है। जब हम गरीबों के लाभ के लिए इतने सारे कार्यक्रम बना रहे हैं तो उन्हें नीचे के स्तर से उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये वही हैं लोग जो वहां है। वे मुख्य लोग हैं जिन्हें उत्प्रेरणात्मक एजेंट के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना है कि सभी योजनाएं पूरी की जायें। महोदय, वास्तव में संविधान निर्माताओं ने अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों की तुलना में नौकरशाही को उनकी सेवा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया है। चूंकि भारत एक लोकतंत्रीयदेश है यहां प्रतिबद्ध संघाई होना चाहिए जिसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो ईमानदारी और पूर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से कार्य करें। यह देश की प्रगति में लगातार बाधक बन रहा है। सोवियत संघ में एक दल की सरकार है। वे कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वे उनको कार्यान्वियन कर रहे हैं। भारत में, हम स्थिर समाज से परिवर्तनशील समाज, परंपरागत समाज से आधुनिकतावाद की ओर बढ़ रहे हैं। इस संबंध में नौकरशाही की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी से पहले के दिनों में नौकरशाही मालिकों की इच्छा के अनुसार कार्य करती थी जिसमें विलंब होता था, उदासीनता का रवैया अपनाया जाता था और समुदाय की मदद नहीं की जाती थी। अब यह पूरी तरह से एक भिन्न रूप में आ गयी है। उन्हें अपने आपको कार्यक्रमों में अंतग्रंस्त करना पड़ता है। आजादी के बाद कार्यक्रम बढ़ गये हैं और हमने गरीबों को बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन नौकरशाह उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। महोदय, ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में एक अन्य पहलू है। जैसा कि मेरे बहुत से मित्रों ने पहले ही बताया है कि केवल शहरी विशिष्ट वर्ग का समाज इन अवसरों का लाभ उठा रहा है क्योंकि वह पब्लिक स्कूलों में शिक्षा ले सकता है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का संबंध है, वे यह भी नहीं जानते हैं कि आई० ए० एस० क्या है, आई०एफ०एस० क्या है और उन्हें कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं हमारे देश में यहां तक अज्ञानता और निरक्षरता है जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है कि केवल कुछ लोगों ने ही लाभ उठाने के लिए इसे एक पारिवारिक धन्धा बना रखा है। उनके पुत्र, दामाद, पुत्री, पुत्रवधू को लाभ मिला है। मैं नहीं जानता कि इन सेवाओं का स्वरूप क्या है और वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह अलाभ कर है। जब हम जिले में देखते है तो वे अभी भी अंग्रेजों और 'पट्टेवाला' की तरह बर्ताव करते हैं वे राजा की तरह कार्य करते हैं। 1980 में एक बार

जब मैं विधिवत् तरीके से निर्वाचित हुआ था तो मैं 20 सूत्री कार्यक्रम पर एक बैठक में उपस्थित था। जहां उपायुक्त के लिए एक विशेष कप और प्लेट रखी गई थी और सभी संसद सदस्यों तथा विधायकों के लिए साधारण कप और प्लेट रखी गयी थीं। यह अभी भी होता है। वे उस तरह का बर्ताव करते हैं। वे लोगों के निकट नहीं हैं और इसलिए प्रगति में लगातार बाधा आ रही है। इसलिए प्रणाली में परिवर्तन करना है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा में उनके आवेदन करने से पहले भारत सरकार को उन्हें दो वर्ष पहले प्रशिक्षण देना चाहिए चाहे यह प्राथमिक या अंतिम या मौखिक परीक्षा या व्यक्तिगत परीक्षा हो। जब तक हम उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक हम अच्छे परिणामों की आशा नहीं कर सकते। यदि हम सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को देखें तो हम यह पायेंगे कि आधे लोग ले लिए गये हैं और अन्य आधे लोगों को छोड़ दिया गया है। कि प्रतिवेदन में यह उल्लेख है स्थिति अच्छी है और भर्ती में वृद्धि हो रही है। महोदय, आरक्षण के बारे में इसे जारी रखना चाहिए। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब भी यदि आंकड़े देखे जाएं तो आधे लोगों को छोड़ दिया गया है इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बताया गया है कि पूरे देश में 60 शिक्षण कक्षायें चल रही हैं। इस देश के स्नातकों को देखते हुए वे अपर्याप्त हैं। शिक्षण कक्षाओं में शिक्षकों आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिये, उन विश्वविद्यालयों में जहां ये कक्षायें आयोजित की जाती हैं कुछ प्रोफेसरों को लेक्चर देने के लिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें कुछ भुगतान किया जाता है इसलिए वे कार्य करते हैं तथा लेक्चर देने के लिए वहां जाते हैं और उनमें से कोई भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाता है तथा उसका चयन नहीं होता है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए और विशेष शिक्षण (कोचिंग) संस्थायें स्थापित की जानी चाहिए और विशेष कक्षायें चलानी चाहिए। अन्यथा सरकारी मशीनरी में हम समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल नहीं कर सकते। देश में विशिष्ट वर्ग प्रभुत्व जमा रहा है और नौकरशाह लोगों से दूर रहते हैं। हालांकि नौकरशाही सुधार का एक साधन है तथापि कार्यक्रमों को लागू करने में यह बाधक बन गया है। इसलिए मेरी राय में लोक सेवा आयोग को पूरी तरह से एक नया रूप दिया जाना चाहिए और यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोचिंग कक्षा होने की अपेक्षा एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए अन्यथा जो हम चाहते है वह संभव नहीं होगा। नियम और विनियम जटिल बने हुए हैं। बहुत से विधान जटिल हैं। और नौकरशाही ही कानून के अन्तर्गत नियम और विनियम बनाती है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला तो है ही और इससे भ्रष्टाचार और बढ़ता है, तथा लाल-फीताशाही भी है तथा विलंब से कार्यवाही की जाती है इसलिए कोई विकास संभव नहीं है। इसे करने के लिये हमें पूरी तरह से स्वदेशी बनाना होगा। उनमें से बहुत से लोग अपने स्वभाव अपनी पृष्ठभूमि के कारण सरकार के कार्यक्रमों से पूरी तरह विमुख हैं और वे पूरे नहीं किये गये हैं इसलिये हमें समूची पद्धति को चयन पद्धति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना होगा, ताकि उन्हें वांछित स्तर तक लाया जा सके।

धन्यवाद।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों का

[श्री के० पी० सिंहदेव]

धन्यवाद करता हूं जो न केवल इस विषय में पूरी तरह से तैयार हो कर आये हैं बल्कि जिन्होंने इस विषय में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखायी है तथा अपने तीव्र उद्गार व्यक्त किये हैं और रचनात्मक तथा उपयोगी सुझाव दिये हैं।

मैं अपने साथियों में बहुत सौभाग्यशाली हूं जो इस सदन में केवल दो सत्रों में अर्थात पिछले और इस सत्र में सभी तीनों प्रतिवेदनों पर चर्चा कर लेने में सफल रहा हूं। मैं आने से पहले के कुछ सम्माननीय साथियों को जानता हूं जिन्हें इस प्रस्ताव को इस सभा में पहले पेश करने के लिये कई सत्रों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने अत्यधिक तर्कसंगत और अधिक विचार पूर्ण सुझाव, निष्कर्ष दिये हैं तथा कभी-कभी व्यंगात्मक विचार भी व्यक्त किये हैं। लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूं कि सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और इससे पहले कि मैं उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर देना शुरू करूं, मैं सीमित समय में एक बात बताने का प्रयास करूंगा कि महोदय, जो चर्चा की गई है, वह हमें सदस्यों के विचार और टिप्पणियां 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के प्रतिवेदन के बारे में हैं। यह वर्तमान स्थिति नहीं है और प्रतिवेदनों से यह बिलकुल स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों द्वारा पहले व्यक्त किये गये विचारों में उल्लिखित मुद्दों को ध्यान में रखा गया है तथा उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। इसलिये पिछले अर्थात 34वें प्रतिवेदन में, जिसे मई के महीने में संसद के सामने रखा गया था, आपने पाया होगा कि जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों का संबंध है उनके रिक्त स्थानों की पूरी सूचियां भेजी गई हैं और सफल उम्मीदवारों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले में सुधार हुआ है। इसका कहने का यह मतलब नहीं है कि सरकार इसमें और सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठायेगी। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये महत्वपूर्ण मुद्दों की हमें जानकारी है। और हम उनको सबसे अधिक महत्व देते हैं। महोदय, मैंने अपने पहले वक्तव्य में इसका उल्लेख उस समय किया है जब मैंने प्रस्ताव पेश किया था।

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले यदि मैं आपको संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो यह उपयुक्त होगा। आपकी आज्ञा से मैं प्राक्कलन समिति की 47वीं रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता हूं जिसने संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण की जांच की थी। उस समय प्राक्कलन समिति के सभापति मेरे पूर्वाधिकारी सम्माननीय श्री वेंकट सुब्बय्या संसद सदस्य और कार्मिक मंत्री भी थे :—

> "लोकतंत्रीय सरकार का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि लोकसेवाओं का प्रबंध और इनमें भर्ती के लिये एक ऐसी संस्था या प्राधिकरण हो जिसमें राजनैतिक कार्यपालिका का हस्तक्षेप न हो। मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्षपात या भाई भतीजावाद के बुरे प्रभावों से बचाने के लिये सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जायें और उनके साथ समान बर्ताव किया जाए। इन संस्थाओं (जिन्हें सिविल सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, या लोक सेवा बोर्ड आदि के नाम से पुकारा जाता है) का उद्देश्य भारत में बेहतर सिविल सेवा, 1924

से संबंधित आयोग (ली आयोग) के प्रतिवेदन में दिया गया है। आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है :

"जहां लोकतंत्रीय संस्थायें हैं। अनुभव से यह पता चलता है कि एक कार्य कुशल सिविल सेवा के लिए यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके इसे राजनैतिक या व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त रखा जाये और इसे वह स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदान की जाये जो एक निष्पक्ष और कार्य कुशल साधन के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये महत्वपूर्ण है। जिससे किसी भी राजनैतिक स्वरूप की सरकार उसकी नीतियों को प्रभावी बना सके। इन देशों में जहां इस सिद्धांत की उपेक्षा की गई है और जहां "लाभ कमाने की पद्धति" ने इसका स्थान ले लिया है वहां की सिविल सेवा अकुशल और अव्यवस्थित हो गई है तथा भ्रष्टाचार का बोल-बाला हो गया है।" इस प्रकार लोक सेवा आयोग लोक सेवाओं पर भ्रष्टकारी प्रभावों से बचाने में और योग्यता पद्धति को बनाये रखने में लोकतंत्र के उद्देश्य और पद्धति का समर्थन करता है और उसे बढ़ावा देता है। मैं अंतिम पैरा को भी उद्धृत करना चाहता हूं :

"भर्ती, अनुशासन, पदोन्नति, आदि जैसे सेवा के मामलों में कार्यपालिका को सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में भारत में लोकसेवा आयोग की स्थापना तुलनात्मक दृष्टि से हाल ही की उत्पत्ति है। वास्तव में इस देश में एक स्वतंत्र सेवा आयोग का सिद्धांत भारतीय सांविधानिक सुधारों के विकास के साथ आया है। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के उप-बंधों के अनुसार सबसे पहले 1926 में लोक सेवा आयोग (भारत) की स्थापना की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी : 1950 में संविधान के लागू होने के साथ संघीय (फेडरल) लोक सेवा आयोग का स्थान संघ लोक सेवा आयोग ने ले लिया। लोक सेवा आयोग संस्था को लोकतंत्र की प्राचीर के रूप में माना जाता है। यह लोक सेवाओं में योग्यता पद्धति का प्रतीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन से भाई भतीजावाद तथा राजनैतिक दुरुपयोग को समाप्त करना है। जबकि लोक सेवा आयोग आज की अधिकांश लोकतंत्रीय सरकारों के लिए एक आम बात है, यह विशेष रूप से नोट करना है कि भारत में लोक सेवा आयोग (संघ और राज्य) को संविधान द्वारा ही बनाया गया है न कि विधान मंडल के एक अधिनियम के द्वारा जैसा कि अधिकांश देशों में होता है। अतः एक कार्य कुशल लोक सेवा को बनाये रखने और उसके प्रबंध के लिए सरकार की सहायता करने हेतु संविधान निर्माताओं ने आयोगों को स्वतंत्रता, दी है, ऊंचा दर्जा प्रदान किया है और उनको गरिमा दी है।

श्री नारायण चौबे : महोदय, वह कब तक पढ़ते रहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने उद्धृत करने के लिए अनुमति ली है।

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने उनसे अनुमति ली है। यदि आप धैर्य रखें तो मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपको स्पष्ट करना चाहिए कि प्रतिवेदन में से इन सभी चीजों को उद्धृत करने का क्या उद्देश्य है।

श्री के० पी० सिंह देव : पूरे वाद-विवाद के दौरान आप अनुपस्थित रहे हैं। कृपया मेरी बात सुनने का धैर्य रखें। आप इसका महत्व जान जाएंगे।

प्रो० मधु दंडवते : वह पूरे समय अनुपस्थित नहीं रहे।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं विशेषकर आपको देख रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वह उपस्थित थे परन्तु खोए-खोए थे।

श्री के० पी० सिंह देव : हो सकता है, परन्तु आप अधिक अच्छी तरह से जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : इसके बाद, महोदय, आगे यह इस तरह है—

"संविधान ने संघ लोक सेवा आयोग को जो महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है—उससे इसके सदस्यों के निष्पक्ष होने की आवश्यकता को बल मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग की सूचना ठोस और संतुलित होनी चाहिए। आयोग के सदस्य न केवल सच्चरित्र और योग्य हों बल्कि इसके सदस्यों को निष्पक्ष और सक्षम होने के लिए उनकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध होनी चाहिए। न केवल यह सुनिश्चित करना ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आयोग अपने जटिल और नाजुक कृत्यों का निर्वहन करे—उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निष्पक्ष रूप से सही मूल्यांकन कुशलता के साथ करे—बल्कि आयोग के प्रति लोगों में विश्वास भी पैदा करे।"

महोदय, इसके बाद इस वर्ष के मार्च में किसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने 21 मार्च, 1985 को विशेषकर लोक सेवा आयोगों में कार्यात्मक दक्षता लाने के बारे में सभी मुख्य मंत्रियों को लिखना उपयुक्त समझा और अपने पत्र में उन्होंने ये महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। महोदय, आपकी अनुमति से मैं फिर से यह उद्धृत करना चाहता हूं—

"यदि आयोगों की उपयुक्त ढंग से व्यवस्था की जाती है तो उन्हें ऐसा कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होगी जिससे कि उनकी निष्पक्षता को दोष लग सके या संविधान में उनको जो दर्जा दिया गया है वह कम हो सके।

आयोगों को सुदृढ़ करने और उनकी कार्यात्मक दक्षता को सुधारने के लिए विशेष उपाय करने भी आवश्यक हैं; संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर कुछ पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होनी चाहिए।

चयन की पद्धति अभी भी पुरानी और अधिक समय लेने वाली है। आधुनिक तरीकों

को अपनाने की अधिक आवश्यकता है। जहां कहीं व्यावहारिक हो, कम्प्यूटरीकरण से अधिक सहायता मिल सकती है।

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता देनी चाहिए कि आयोग में सभी स्तरों पर प्रमाणित सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होने चाहिए। गोपनीय शाखाओं में काम करने वाले लोगों के बारे में विशेष रूप से छानबीन की जानी चाहिए।

सभी प्रकार के चयन में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों की सेवाएं नियमित रूप से ली जानी चाहिए। राज्य सरकारों को भी रिक्त पदों की सही संख्या को पहले से ही अधिसूचित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए और बाद में अनुपूरक सूची की मांग करने की प्रवृत्ति को ईमानदारी से रोकना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात तो यह होती यदि आयोग आंतरिक पुनरीक्षा करने के अपने तरीके और तकनीक स्वयं बनाते और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के साथ मिलकर नियमित रूप से कार्यवाही करते। सृजनात्मक अभिनव प्रक्रिया की तो हमेशा गुंजाइश रहती है।

प्रतिवेदन बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही वस्तुपरक रहे हैं। उनमें कोई भी बात गुप्त नहीं रखी गई है। उनमें कमजोरियों को प्रकाश में लाया गया है और विशिष्टताओं का भी उल्लेख किया गया है। सरकारी या किसी अन्य विभागों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों या किन्हीं भी सम्बद्ध कार्यालयों में यदि कोई चूक रही हैं; तो प्रतिवेदनों में उनको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को, चाहे उनका संबंध तदर्थ नियुक्तियों या विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों और सत्यापनों में हुई देरी अथवा विभागीय, पदोन्नति समितियों की बैठक करने, भर्ती नीतियों, साक्षात्कारों आदि से क्यों न हो; बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, कुछ सदस्यों ने केवल आयु संबंधी छूट, कुछ पदों के लिए आयु में छूट देने की सीमा बढ़ाने, आदि सम्बन्धी 32वें और 33वें प्रतिवेदनों के बारे में उल्लेख किया है; उठाए गए दूसरे मुद्दे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, उनकी अपनी ही भाषाओं में परीक्षा लेने, स्थायी करने, पदोन्नति, देश भर में पदों का समान वितरण करने तथा परीक्षा केन्द्रों, आदि के लिए 37 से अधिक विश्वविद्यालयों में सुविधा देने से संबंधित हैं। इन सभी बातों पर बार-बार विचार किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग तथा सरकार इनमें सुधार लाने के लिए बराबर प्रयत्नशील रही है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए व्यक्तिगत मुद्दों के बारे में मै माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि यहां पर न तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और न अधिकारीगण ही उपस्थित हैं और उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने से सम्मानित सभा या माननीय सदस्यों की न तो ख्याति बढ़ती है और न विश्वसनीयता। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं। वे सभी प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ रहे हैं। उन्होने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के उत्तरदायी पदों पर काम किया है। ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारी रहे हैं जो अनुसूचित जाति के भी थे। इसमें अनुसूचित जन-जाति के सदस्य और महिला सदस्य भी रही हैं परन्तु

[श्री के० पी० सिंह देव]

वे दिसम्बर, 1984 में सेवा निवृत हो गए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आयोग के सदस्य गणमान्य व्यक्ति रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं वर्तमान सदस्यों की पृष्ठभूमि बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का लाभ वही परिवार उठा रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : इसके लिए मुझे 37 साल पुराना अभिलेख और चयन किए गए व्यक्तियों की समस्त सूचियां देखनी होंगी। इसका उत्तर इस समय उपलब्ध नहीं है किन्तु माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का उत्तर मैं दूंगा, जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है।

माननीय सदस्य, श्री राजहंस ने कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मेरे अपने राज्य उड़ीसा से चयन किए गए उम्मीदवारों की संख्या अधिक नहीं है। इस संदर्भ में, मैं यह बताना चाहूंगा कि बिहार की आबादी देश की कुल आबादी की 10 प्रतिशत है और वहां से 1980 से 1982 के बीच 12.39 व्यक्ति चुने गए हैं। वर्ष 1980 में 18, 1981 में 19 और 1982 में उनकी संख्या 18 थी। मध्य प्रदेश की आबादी कुल आबादी की 7.68 प्रतिशत है और इस प्रदेश से 1.40 प्रतिशत उम्मीदवार चुने गए हैं। उड़ीसा की आबादी कुल आबादी की 3.88 प्रतिशत है और इस राज्य से 4.72 प्रतिशत उम्मीदवार चुने गए हैं। राजस्थान की आबादी कुल आबादी की 5.45 प्रतिशत है और वहां से केवल 8.18 प्रतिशत उम्मीदवार चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी कुल आबादी की 16.32 प्रतिशत है और वहां से केवल 17.12 प्रतिशत उम्मीदवार चुने गए हैं। इन आंकड़ों से आपको स्थिति मालूम हो जाएगी।

सदस्यों द्वारा, विशेषकर श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही द्वारा दूसरा मुद्दा यह उठाया गया है कि तदर्थ नियुक्तियों का अनुमोदन मंत्री स्तर पर होना चाहिए। तदर्थ नियुक्तियां न करने के कड़े अनुदेश सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दे दिए गए हैं और यदि किसी परिस्थितिवश ग्रुप 'क' सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियां करनी ही पड़ें तो प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री की सहमति सामान्यतः ली जाती है और यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद के लिए की जानी है जिसका वेतन 2250 रुपये या उससे अधिक हो तो उसके लिए स्वीकृति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से लेनी होती है।

सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए और अधिक केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई है। 1983 में ही तीन जनजाति बहुल क्षेत्रों अर्थात् ऐजवाल, कोहिमा और रायचूर में ऐसे केन्द्र खोले गए हैं। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर केन्द्र निर्धारित किए जाते हैं, किन्तु हम विशेषकर श्री विजय एन० पाटिल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अवश्य विचार करेंगे। श्री पाटिल ने एक नया केन्द्र खोलने के लिए एक नाम बताया है जहां तीनों राज्य सम्मिलित होते हैं और जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं। हम

देखेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है।

अनेक सदस्यों ने बताया है कि शिक्षण केन्द्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं और वे दिखावामात्र हैं। वे यह जानना चाहते थे कि इन केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी उम्मीदवार ने कभी कोई विशेष सफलता प्राप्त की है। 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों के 55 उम्मीदवार चुने गए थे। और 1983 में 47 उम्मीदवार सफल हुए थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया था।

श्री के० पी० सिंह देव : जी, हां। विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों से संबंधित आंकड़े मैं सभा पटल पर रखा सकता हूं। और भारतीय पुलिस सेवा के बारे में भी यही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे ने कल किसी परिपत्र का जिक्र किया था।

श्री के० पी० सिंह देव : संघ लोक सेवा आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रशासन के मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप की शिकायत इस सभा के सदस्यों ने तथा विधान सभा सदस्यों ने भी की है। कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के और भी अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा वे अपनी निजी शिकायतें यदि कोई हों, तो दूर कर सकते हैं। जहां तक स्थानान्तरण और नियुक्ति संबंधी मामलों का सम्बन्ध है, माननीय संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की सेवाएं लेना आवश्यक नहीं है। इससे राजनैतिक हस्तक्षेप ही बढ़ेगा।

श्री नारायण चौबे (पिदनापुर) : केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ऐसा क्यों होना चाहिए ?

प्रो० एन० जी० रंगा : आपके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वांछनीय नहीं है कि वे हमारे पास आएं।

श्री नारायण चौबे : अनेक किसान आपके पास आते हैं। मजदूर संघों के अनेक व्यक्ति आपके पास आते हैं। सरकारी कर्मचारी आपके पास क्यों नहीं आ सकते हैं ? क्या वे दास हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : इस प्रकार की परेशानी से हमें बचाया जाए।

श्री अमल दत्त : इस विशेष नियम से सरकार किसको संरक्षण देने जा रही है ?

श्री के० पी० सिंह देव : क्या मुझे अपना भाषण समाप्त करने का अवसर देंगे, महोदय ? आप अपनी बात कह चुके हैं। अब मुझे कहने दीजिए। मैं आपके मुद्दे का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय सदस्य श्री नारायण चौबे ने कहा था कि तस्कर, व्यापारी और प्रत्येक व्यक्ति किसी संसद सदस्य के पास जा सकता है। वे संसद सदस्यों के पास पहुंच सकते हैं। हम तस्करों और ऐसे ही

[श्री के० पी० सिंह देव]

अन्य उद्योगपतियों का समर्थन नहीं करते हैं। किन्तु सरकारी कर्मचारियों की सरकारी सेवा में बने रहने तक आचरण संबंधी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हम अनुशासन बनाए रखना चाहेंगे और बातचीत तथा नियन्त्रण के माध्यमों को बनाए रखना चाहेंगे। इसलिए सरकारी सेवा में रहते हुए हमें कुछ नैतिक आदर्शों का पालन करना पड़ता है।

एक और भी मुद्दा है। यह कहा गया था कि केवल उच्च आय वर्ग के लोगों को, जिन्होंने पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाई है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना जाता है। मेरे पास 1972 से 1974 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं जो आयु घटाने के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिश के लिए आधार माने गए थे, जिनसे ग्रामीण लोगों को विशेष लाभ होगा।

3.00 म० प०

मैं उद्धृत करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूं।

एक और मुद्दा है, जिसका उल्लेख अधिकांश सदस्यों ने किया है। वह यह है कि उच्च सेवाओं के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण और चयन बहुत ही उच्च स्तर का होना चाहिए क्योंकि उन लोगों को ही सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन करना होता है चाहे कोई भी सरकार हो और कोई भी दल सत्तारूढ़ हो। इसीलिए हमारे प्रधान मन्त्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए हैं कि क्षेत्र तथा प्रशासन दोनों में अधिकारियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य व्यवस्था हो। जिससे कि क्षेत्र तथा प्रशासन में आने वाली रुकावटों अथवा कठिनाइयों के बारे में आपस में तालमेल रखा जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता-पूर्वक और सम्मानपूर्वक विचार किया जाता है और इसीलिए प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सुधार हो रहा है। किन्तु हम इतने सुधार से संतुष्ट नहीं हैं। यह सतत चलने वाला मामला है और हम देश की और सम्मानित सभा के सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह देव द्वारा दो प्रस्ताव पेश किए गए हैं। मैं संघ लोक सेवा आयोग के 32वें और 33वें प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पहला प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा, संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि से सम्बन्धित 32वें प्रतिवेदन तथा 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि से सम्बन्धित 33वें प्रतिवेदन और उनमें उल्लिखित आयोग की सलाहों को न माने जाने के मामलों के

सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन, जो क्रमश: 2 मार्च, 1983 और 2 मई, 1984 को सभा पटल पर रखे गए थे, पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संघ लोक सेवा आयोग के 34वें प्रतिवेदन से संबंधित दूसरा प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 8 मई, 1985 को सभा पटल पर रखे गए संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित 34वें प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3·02 म० प०

नई कपड़ा नीति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला मद अर्थात् नियम 193 के अधीन चर्चा को लेते हैं। मैं अब प्रो० मधु दण्डवते से चर्चा आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 193 के अधीन वस्त्र नीति पर चर्चा करूंगा जिसकी घोषणा सरकार ने 7 जून, 1985 को की है। सर्व प्रथम मैं यह पूर्णत: स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कभी कोई वस्त्र उद्योग की बात करता है तो उसका ध्यान विशेष रूप से संगठित मिल क्षेत्र की ओर रहता है। लेकिन यह आवश्यक है कि उस तथ्य को समझ लिया जाए कि वस्त्र उद्योग में 120 लाख व्यक्ति नियुक्त हैं जिनमें से 13 लाख कर्मचारी संगठित मिल क्षेत्र में, 32 लाख विद्युत करघा क्षेत्र में और 75 लाख हथकरघा क्षेत्र में हैं, और जिनमें से हथकरघा क्षेत्र में अधिकांशत: देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नियुक्त हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि इन तीनों क्षेत्रों अर्थात् संगठित मिल क्षेत्र, विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र के लिए संतुलित नीति बनायी रखनी होगी।

सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी नयी वस्त्र नीति की विभिन्न बातों का विश्लेषण करने से पूर्व मैं इस सभा को और विशेषकर माननीय मन्त्री को दिनांक 9 मार्च, 1981 को सरकार द्वारा उद्घोषित वस्त्र नीति के उद्देश्यों की याद दिलाना चाहता हूं। 1981 को वस्त्र नीति के दस्तावेज में जो विभिन्न उद्देश्य प्रतिपादित किए गए थे उनको कसौटी पर मैं वर्तमान नीति के औचित्य अथवा औचित्य का मूल्यांकन करना चाहता हूं। विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं जिन्हें मैं 1981 के दस्तावेज से उद्धृत कर रहा हूं :—

[प्रो० मधु दंडवते]

(1) बढ़ती हुई जन संख्या की कपड़े की आवश्यकता को समुचित रूप से पूरा करने के लिए स्वीकार्य किस्म के कपड़े का उत्पादन बढ़ाना;

(2) पंचवर्षीय योजना की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप, वस्त्रउद्योग के सभी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और संतुलित विकास करना;

(3) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हथकरघों का अधिकतम संभव विकास करना तथा खादी, हौजरी और प्राकृतिक रेशम क्षेत्रों का तेजी से विकास करना···जिससे कि रोजगार के अधिक अवसर बढ़ सकें और छोटे बुनकरों तथा उस क्षेत्र में अन्य लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

(4) देश के कमजोर वर्ग के लोगों को कपड़ा वितरण करने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ और कारगर बनाना।

(5) कृत्रिम रेशे के रूप में कपास की प्रधानता को बनाए रखते हुए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय खपत व्यापार को ध्यान में रखते हुए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कृत्रिम रेशे और धागे के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा इसके लिये प्राकृतिक और कृत्रिम धागे और रेशे का अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना।

(6) विश्व बाजार के लिए प्रतियोगी दरों पर स्वीकार्य स्तर के रेशे का अतिरिक्त उत्पादन करना।

6 जून, 1985 को मन्त्री महोदय द्वारा घोषित नयी वस्त्र नीति पर वस्त्रोद्योग के बारे में 981 के दस्तावेज में दिए गए इन विभिन्न उद्देश्यों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये। जब ह दस्तावेज मन्त्री महोदय द्वारा प्रेस सम्मेलन में जारी और घोषित किया गया था; तब उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आपका नीति सम्बन्धी दस्तावेज विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है ? क्या आप विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित करेंगे ? और हमें यह बताया गया है कि वस्त्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन गोपनीय माना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इस देश में, रक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझौतों को गोपनीय नहीं समझा जाता है; वे सुलभ होते हैं और उन पर चर्चा होती है ! किन्तु जहां तक वस्त्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह अजीब बात है कि इसे गोपनीय समझा जाता है ! इसलिए, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं; तो माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखें जिससे कि जो यह जानना हैं चाहते कि विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों की रूपरेखा क्या है, विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर किस प्रकार से कार्यवाही की गई है, वे उसके सम्बन्ध में अपने-अपने निष्कर्ष निकाल सकें और इससे यह भी पता चल सकेगा कि इस प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार पर डाले जाने वाले विभिन्न दबावों के बारे में रुख का भी पता चलेगा

इसलिए मैं मांग करता हूं कि वस्त्र के बारे में विशेषज्ञ समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है, उसे सभा-पटल पर रखा जाए।

जहां तक नई वस्त्र नीति के मूल्यांकन का सम्बन्ध है शुरू में इसके बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह नीति वस्त्रों के बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए वरदान है, और विद्युत करघा और हथकरघा के लिए अभिशाप है तथा यह वस्त्रोद्योग के कपड़ा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात है यह नीति इस सरकार विशेषकर इस नयी सरकार की सामान्य प्रवृत्ति और नीति के अनुरूप ही है, कि वह समाज के समृद्ध वर्गों के व्यक्तियों को प्रसन्न करना चाहती है तथा उनकी तुलना में उपभोक्ताओं, औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के हितों की उपेक्षा करना चाहती है। मुझे इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता होगी, यदि मेरी बात को गलत सिद्ध कर दिया जाये, किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं इसे स्वयं ही सही सिद्ध कर सकता हूं।

अब ये आधारभूत मूल्यांकन हैं और वे वस्त्रोद्योग में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के कतिपय विश्लेषण पर आधारित हैं। वस्त्रोद्योग में हो रही असमान प्रतियोगिता के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हमारे यहां संगठित मिल क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र हैं।

देश में इस उद्योग को संगठित मिल उद्योग को प्रथम छूट यह दी गई थी कि उन्हें उस नियंत्रित कपड़े के समस्त सामाजिक दायित्वों से मुक्त कर दिया जो कि मिल मालिकों को कम से कम लाभ देता है। उनके कन्धे से समग्र उत्तरदायित्व उतार दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि उनके क्षमता विस्तार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा; कोई रोक नहीं लगेगी, वे उत्तम गुणवत्ता वाला उत्पादन कर सकते हैं; वे उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन कर सकते हैं और उसका निर्यात भी कर सकते हैं तथा देश में खपत के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं, परन्तु ये नियंत्रित कपड़े के बारे में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कपड़े का सम्पूर्ण भार हथकरघा पर लाद दिया गया है। एक स्थान पर, मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया बताते हैं कि स्वयं हथकरघा उद्योग प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा है कि उन्हें नियंत्रित कपड़े का समस्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह उत्तरदायित्व उनको उपलब्ध कराये गये संसाधनों और प्रौद्योगिकी के उनके स्तर के अनुरूप होना चाहिये। केवल यह कहना कि हम नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन का समस्त भार हथकरघों पर डाल रहे हैं और यह हथकरघा उद्योग के लिए बड़ा वरदान है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? यदि आप जाकर हथकरघा उद्योग के कुछ एक संगठनकर्त्ताओं से मिलें जो उनके संघों की, उनकी सहकारिताओं की मुख्य शिकायत यही है कि हथकरघा उद्योग के वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर पर यदि आप इस समग्र भार को उन पर लाद देंगे और उन्हें आवश्यक अनुदान और आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं करते हैं तो, उस स्थिति में, सम्भावना यह होगी कि जैसी कि विगत में संगठित मिल उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग बीमार रहा है, वही बीमारी यहां हथकरघा उद्योग को हस्तान्तरित कर दी जाएगी। बस यही सब होने की संभावना है। तथा योजना आयोग की वर्तमान विचारधारा यह है और यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशें भी जब वे हमें भारी ऋण देते हैं तो एक चर्चा हुई थी कि क्या वे शर्तें हैं या केवल सुझाव थे, क्या वे शर्तें थीं अथवा सुझाव—ये सब राज-सहायता के बारे

[प्रो० मधु दंडवते]

में थे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि "आपको उन विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायताओं को कम करना चाहिए जो कि अनेक क्षेत्रों और वर्गों को भेदभावपूर्ण ढंग से दी जा रही है।" और इसलिए स्पष्ट है कि हथकरघा क्षेत्र को दी जाने वाली राज सहायता पर कुठाराघात होगा जिसके परिणामस्वरूप, हथकरघा उद्योग के वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर पर, उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता न दिये जाने पर, यह सम्भावना है कि वे सम्भवतः बीमार पड़ जायें? और इसीलिए उनके ऊपर लादा गया भारी भार उनके लिये वरदान बनने के बजाय सम्भवतः घातक बन जाए। संगठित मिलों और विद्युत चालित करघों की उत्पादन क्षमता पर लगे सभी प्रतिबन्ध उठा लेने चाहिए। मैं वास्तव में मिलों और शक्ति चालित करघों के साथ लड़ाई नहीं चाहता हूं परन्तु जब कभी एक ओर हथकरघे और दूसरी ओर विद्युत चालित करघे और मिल क्षेत्र के बीच टकराव होता है तो सदैव हथकरघे को ही हानि उठानी पड़ती है। जब आप संगठित मिलों और विद्युत चालित करघों की क्षमता के विस्तार पर से सभी प्रतिबन्धों को हटा लेते हैं तो इस असमान प्रतियोगिता में हथकरघों का विनाश अवश्यम्भावी है। और इसलिये संगठित मिलों और विद्युत चालित करघों पर से भी सभी प्रकार के क्षमता प्रतिबन्धों को हटा लेने की अनुमति देने से हथकरघा क्षेत्र के लिये और अधिक मुसीबतें उत्पन्न हो जायेंगी।

मैं आपको याद दिलाता हूं कि सुन्दरम समिति ने हथकरघे की समस्याओं की गहराई में जाकर कहा है कि एक अकेला विद्युतचालित हथकरघा छः हथकरघों को बेकार कर देता है। उन्होंने देश के विभिन्न भागों से एकत्रित आंकड़ों के बल पर समस्या का सांख्यिकीय अध्ययन किया और उनकी आम राय यह थी कि विद्युत चालित एकल करघे के एकल संस्थान से छः हथकरघे बेकार हो जाते हैं। आज, क्या हो रहा है? बहुत से प्राधिकृत विद्युत करघे हैं और अवैध विद्युतकरघों की संख्या बहुत बड़ी है। अवैध विद्युत चालित करघों की समस्या से वर्तमान सरकार कैसे निपटने वाली है? उन्होंने यह तो कहा नहीं है कि सभी करघों को प्राधिकृत होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : उनको चाहिए कि वे सभी अपने आपको पंजीकृत करा लें।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने ठीक कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह यह है कि उन्हें स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिये। चाहे वे वैध और अवैध रूप से खड़े हो गये हों, चाहे कैसे भी बने हों, उनको तो केवल इतना चाहिये कि वे स्वयं को पंजीकृत करा लें।

मैं जनसंख्या वृद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है। सरकार का यह कहना है कि एक बार जब आप पैदा हो जाते हैं तो आपको चाहिये कि पैदा हुए व्यक्ति के रूप में आपका पंजीयन हो जाए। बस इतना ही है। उसके आगे कोई पाबन्दी नहीं है। क्या यह जनसंख्या नियन्त्रण अथवा जनसंख्या नियोजन के प्रति सही रुख है? यह तो केवल अव्यवस्थित नियोजन होगा। विद्युत चालित करघों के मामले में ठीक यही होने जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बच्चे पहले ही पैदा हो गये हों तो क्या किया जाए?

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो ठीक है। वे तो जैविक आवश्यकताओं के कारण पैदा हो चुके हैं, जैविक संयोग के कारण नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संयोग भी होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह बताना चाहता हूं कि संगठित मिलों, विद्युतचालित करघों और हथकरघों के मध्य सन्तुलन बनाये रखने हेतु कोई समन्वित नीति है ही नहीं। कितने विद्युतचालित करघों को अनुमति दी जानी चाहिए। कितने विस्तार की अनुमति दी जाए। कितने प्राधिकरण की अनुमति दी जाए ? तीनों के बीच सन्तुलन कैसे बनाये रखा जाए, जिससे कि तीनों के बीच की असमान प्रतियोगिता वास्तव में हथकरघा उद्योग को नष्ट न कर दे ? यह सावधानी नहीं बरती गई है। न केवल क्षमता प्रतिबन्धों को दूर किया गया है, बल्कि मिलों और विद्युतचालित करघों को भौतिक एवं वित्तीय सहायता भी दी गई है जो कि हथकरघों के लिए घातक है। और फिर यह भी एक विशेष कारण के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में, भारी उद्योग के और विनाश का कारण बनता है जो कि देश में ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक संख्या में रोजगार प्रदान करता है।

हमें यह पता करने का प्रयास करना चाहिये कि मिलों और विद्युत चालित करघों के बीच क्या झगड़ा है, क्या टकराव है। भविष्य में विद्युत चालित करघा क्षेत्र को मिल क्षेत्र के समान समझा जायेगा। इससे विद्युतचालित करघे असमान प्रतियोगिता के कारण नष्ट हो जायेंगे। उदाहरण स्वरूप कराधान के प्रश्न को लीजिए। मानव निर्मित रेशे और धागे पर लेवी लगाई जायेगी। यदि विद्युतचालित करघों के मालिक मानव निर्मित रेशे या धागें चाहते है तो उस मामले में क्योंकि लेवी लगा दी गई है तो वे भी अप्रत्यक्ष रूप से इस लेवी की चपेट को सहेंगे जो कि मानव निर्मित रेशे और धागे पर लगाई गई है। जब वे उसको खरीदते हैं तो उनका उत्पादन और अधिक महंगा हो जायेगा। जब उत्पादन महंगा हो जायेगा तो विद्युत चालित उद्योग में बीमारी के कीटाणुओं के प्रवेश कर जाने की सम्भावना रहेगी। इसको दूर करने के लिए क्या किया जायेगा ? कपड़ा उद्योग में देश के कई शक्तिशाली उद्योगपति हैं। आजकल उन्होंने विद्युतचालित करघा क्षेत्र से इस प्रकार के गुप्त प्रबन्ध कर रखे हैं कि वे विद्युतचालित करघा उद्योग में ही सारा कपड़ा तैयार करने के लिए धागा उन्हें दिलवा देंगे और वे उसे लाभकारी मूल्य पर बेच देंगे। मिल उस पर अपनी मोहर लगाकर सरकार को दिखा देगी कि यह कपड़ा मिल उद्योग में तैयार किया गया है। इस ढग से गुप्त लेन-देन चल रहा है। यह तो पहले से ही चला आ रहा था। नई नीति के आने से यही सम्भावना बढ़ी है कि यह विशेष गुप्त लेन-देन बहुत ही अधिक फैल जायेगा। जब विद्युतचालित करघे वाले यह पायेंगे कि करघों को चलाना लाभकारी नहीं है, क्योंकि धागा महंगा हो गया है, क्योंकि धागे पर प्रत्यक्ष रूप से लेवी लगा दी गई है तो, उन्हें और अधिक कीमतों पर धागा खरीदना पड़ेगा और उस स्थिति में उन्हें मिलों के साथ गुप्त समझौता करना पड़ेगा। मिल की मोहर लगा दी जायेगी और असल उत्पादन विद्युतचालित करघों में होगा। और विद्युतचालित करघों के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के बजाय मुझे डर है कि भविष्य में, इनको संगठित मिलों के एजेन्ट के रूप में कार्य करना पड़ेगा और यही होने की सम्भावना भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम विद्युतचालित करघे का विकेन्द्रीकृत क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

[प्रो० मधु दण्डवते]

फिर एक और भी बात है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में सभी कारखानों में एक प्रोसेसिंग विभाग होता है। और हमारे यहां देश में एक स्वतन्त्र प्रोसेसिंग वस्त्र उद्योग भी है। पहले क्या पाबन्दियां थीं ? एक विशेष प्रकार की पाबन्दी यह थी कि किसी मिल-विशेष में जो कपड़ा बनता था तो वह उसी मिल के प्रोसेसिंग विभाग में प्रोसेस की प्रक्रिया से गुजरता था। अतः पहले विद्युतचालित करघों पर तैयार किया जाने वाला कपड़ा और हथकरघों में तैयार होने वाला कपड़ा, कपड़ा मिलों के प्रोसेसिंग विभाग को कतई नहीं जाता था। प्रोसेसिंग के लिए वह कपड़ा प्रोसेसिंग उद्योग को जाया करता था जो कि एक स्वतन्त्र उद्योग था। नई तकनीक और नई नीति से क्या होगा ? उन्होंने सीमा को हटा दिया है। अब चाहे कपड़ा हथकरघे में तैयार किया गया हो या विद्युत चालित करघे पर अथवा कपड़ा मिल में यह सारा कपड़ा वस्त्रमिल के प्रोसेसिंग विभाग को भेजा जा सकता है। मुझे डर है कि इसके परिणाम स्वरूप देश में वस्त्र उद्योग के स्वतन्त्र प्रोसेसिंग उद्योग को हानि पहुंचने की सम्भावना है। अतः मैं मन्त्री महोदय को चेतावनी देता हूं कि नई कपड़ा नीति, कपड़ा उद्योग और प्रोसेसिंग उद्योग में और भी अधिक बीमारी पैदा कर देगा। इस खतरे के होने की सम्भावना है।

अब हम उत्पादन लागत पर विचार करेंगे। कपड़ा नीति पर दृष्टिपात करते हुए, उपभोक्ता यह देखना चाहेगा कि क्या नीति मिल मालिक-उन्मुख है या उपभोक्ता-उन्मुख है, क्या यह उद्योग उन्मुख है, क्या उपभोक्ता-उन्मुख है। हमारा अनुभव क्या रहा है ? हम एक विकासशील देश हैं और यह जानकर आपको आघात लगेगा कि हमारे देश में कपड़ा मिलों में तैयार किए जाने वाले कपड़े की 4000 से भी अधिक किस्में हैं। क्या भारत जैसा विकासशील देश 4000 किस्म के कपड़े के अनावश्यक भार को सहन कर सकता है ? मैं समझ सकता हूं कि एक सौन्दर्यपरक भावना से तो यह ठीक है, परन्तु हमारे जैसे देश में, सौन्दर्य प्रेमियों की भी अपनी सीमाएं हैं। हम 4000 से अधिक कपड़े की किस्मों के अनावश्यक व्यय भार को वहन नहीं कर सकते हैं। कुछ हदबन्दी तो होनी ही चाहिये। चीन जैसे देश में—यह बात नहीं है कि मैं यह मानता हूं कि उस पद्धति को यहां भी लागू किया जाना चाहिये— यह अनुभव करते हुए कि वह एक गरीब और विकासशील देश है, वे देश का विकास करना चाहते हैं और यह भी चाहते है कि विकास का लाभ गरीबों को मिलना चाहिये, इसलिए उन्होंने वहां बनने वाले कपड़े की किस्मों को जानबूझकर सीमित कर दिया है। हमारे देश में कपड़ों की किस्मों पर कोई पाबन्दी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन की लागत बढ़ गई और जब यह बढ़ती है तो उपभोक्ता को भुगतनी पड़ती है। अतः विशेषकर इस लागत पहलू को, जहां तक गैर-नियन्त्रणशुदा कपड़े का सम्बन्ध है, ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह बात नोट करने की है।

एक पहलू से तो कामगार का भी घनिष्ट सम्बन्ध है। मेरे मित्र और उग्र विचार धारा वाले श्रमिक नेता श्री दत्ता सामन्त उस समस्या पर भली प्रकार प्रकाश डालेंगे। परन्तु मैं एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा और वह है आधुनिकतम प्रौद्योगिकी जिसे मिलों के लिए आयातित किया जा रहा है। हमें बताया जाता है कि मिलों को स्वायित्व प्रदान करके आधुनिक

बनाया जाना चाहिये, उनका उत्पादन ऐसा होना चाहिये कि हम अन्य देशों में निर्यात हेतु मण्डियां खोज सकें। उसके परिणामस्वरूप, कपड़ा नीति में क्या सुझाव दिए गए हैं ? उन्होंने मिलों के आधुनिकीकरण हेतु उच्च आधुनिक प्रौद्योगिकी के आयात का सुझाव दिया है। स्पष्टतः इसका अर्थ होगा विदेशी मुद्रा व्यय और उसका प्रबन्ध करना होगा। अतः, निर्यात को सुधारने के बहाने, उनका कथन है कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे और उसे अपनायेंगे, वे कम्प्यूटरों का आयात करेंगे और इस आधुनिक उद्योग में जो बढ़िया कपड़ा तैयार होगा, उसे विदेशों को निर्यात कर दिया जायेगा। वे इस तथ्य को पूर्णतया भूल गये हैं कि हम अपने देश में निर्यात को ऐसे समय पर बढ़ावा देने की बात सोच रहे हैं जब हमारे क्रेताओं की मण्डियों में उनके ही देशों में मन्दी छाई हुई है। हम उस कारण पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारे खरीददारों को अपने ही देशों में मन्दी का सामना करना पड़ रहा है और हम अपने निर्यात को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उसके लिये अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार करने हेतु हम आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा का उपयोग करेंगे। इसका सीधा परिणाम क्या निकलेगा ? यह समस्या हमारे देश की ही नहीं है। अमरीका और पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों में भी कार्मिकों के हित में ये समस्याएं महत्वपूर्ण बन गई हैं। विज्ञान के प्रति निष्ठावान होने के नाते मैं ,उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग चाहता हूं परन्तु मैं यह भी विश्वास करता हूं कि गांधी जी के देश में हम व्यक्ति तथा मशीन के बीच संतुलन बनाये रखें। तथा यह संतुलन इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के हितों के विरुद्ध कोई आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए। यदि आप देश में युक्तिसंगत व्यवस्था लाना चाहते हैं तो इस पर ध्यान देना होगा कि यह कार्यवाही किसी को कष्ट देकर न हो। अब देखिये वे क्या करना चाहते हैं ? वे देश में उच्च प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहते हैं। उस प्रौद्योगिकी से श्रमिक बेकार होंगे। अपने नीति वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि "यदि इसके कारण श्रमिक बेकार होते हैं तो हम उनको मुआवजा देंगे।" यह उसी तरह की बात है कि यदि रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं तो हम पर्याप्त मुआवजा देंगे, आप शांतिपूर्वक मर सकते हैं। यही बात कार्मिकों से कही जा रही है कि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी आयात करेंगे, मशीनों का आयात करेंगे, उनका आधुनिकीकरण करेंगे कम्प्यूटर युक्त और आधुनिकतम मशीनरी में इतने व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी, तथा उनके काम समाप्त कर दिये जायेंगे परन्तु यह कार्य हम क्रमिक ढंग से करेंगे। वे क्रमिक रूप से सेवा निवृत होते जायेंगे और हम नये कार्मिक भर्ती नहीं करेंगे। अतः मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि प्रौद्योगिकी के तथाकथित आधुनिकीकरण से देश में बेरोजगारी के बीज पैदा होंगे। अतः इससे रोजगार की क्षमता नष्ट होगी। ऐसा ही होने जा रहा है।

फिर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे कपड़ा उद्योग के आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद एककों पर विचार करेंगे तथा उन्हें बन्द करने की अनुमति देंगे। मिल मालिक अत्यन्त खुश हैं। अंधा व्यक्ति एक आंख की मांग कर रहा था। उन्होंने उसे दो आंखें दे दी हैं। ठीक यही कार्य किया गया है। उनका कहना है कि आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद मिलों को बंद होने दिया जायेगा। निःसन्देह नगण्य मुआवजा दिया जायेगा। परन्तु देश में मिलों के बंद होने के साथ बेरोजगारी बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में असंतोष बढ़ेगा। पहले ही वर्तमान वस्त्र नीति में अनेक विकार एवं विकृतियां हैं, मूलभूत मामलों को लेकर कई हड़तालें हुई हैं। जिसके परिणामस्वरूप हजारों मजदूरों को काम छोड़कर गांव जाना पड़ा। केवल बंबई नगर में 60,000 से अधिक कपड़ा मजदूर बेरोजगार हो गये। उनमें से तो बहुत से मेरे

[प्रो० मधु दण्डवते]

निर्वाचन क्षेत्र में आ गये हैं। वे खेती के काम में लग गये। वे भूमिहीन श्रमिक हैं इस तरह से औद्योगिक मजदूरों को किसान बनाया जा रहा है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में होना तो यह चाहिये कि अधिक संख्या में मजदूरों को कृषि पर आधारित उद्योगों अथवा अन्य उद्योगों में खपाया जाये। पर अब प्रक्रिया यह है कि बंबई अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर काम कर रहे कपड़ा मजदूर विपरीत दिशा में चल रहे हैं। वास्तव में यह पीछे की ओर जाना है। आप कह सकते हैं कि यह प्रतिगामी क्रम है। परन्तु यह क्रम शुरू हो गया है। इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके बाद मैं उद्योगों के पुनर्गठन को लेता हूं। पहले उद्योगों का गठन तीन भागों में था, अर्थात संगठित मिलें, हथकरघे तथा विद्युत करघे। उसके परिणामस्वरूप उनपर उनको हथकरघा तथा विद्युत करघे की समस्याओं से अलग रखकर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता था। परन्तु जहां तक सामान्य तंत्र का प्रश्न है यह समान है। वस्त्र आयुक्त का क्षेत्राधिकार सभी पर है।

मैं मंत्री महोदय को कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहूंगा तथा मुझे उम्मीद है कि प्रो० रंगा जो कपड़ा उद्योग के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मेरा समर्थन करेंगे कि हथकरघा, विद्युत करघा तथा संगठित क्षेत्र के लिए पृथक वस्त्र आयुक्त होना चाहिए तथा इन तीनों क्षेत्रों को अपनी नीतियों के अन्दर विकसित करने के अवसर दिये जाने चाहिए। वे इस सुझाव को परीक्षण के रूप में लागू करके देखें।

अब, श्रीमान, ढांचे का नया पुनर्गठन क्या है? अब पुनर्गठन मिल क्षेत्र, हथकरघा क्षेत्र तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों के रूप में नहीं होगा जैसाकि पहले था अपितु यह निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं अर्थात कताई बुनाई, तथा परिष्करण के रूप में होगा। उत्पादन की तीन प्रक्रियाओं में पुनर्गठन किये जाने पर हथकरघों तथा विद्युतकरघों पर पहले जैसा विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। तीनों क्षेत्रों के बीच अन्तर समाप्त हो जायेगा तथा मुझे भय है कि उसके परिणामस्वरूप तीनों क्षेत्रों को हानि होगी।

हथकरघा के बारे में मुझे एक महत्त्वपूर्ण बात कहनी है। यदि हथकरघा उद्योग को संरक्षण देना है तो उसके उत्पादों को आरक्षण देना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मैं प्राक्कलन समिति—1977-78 के प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे एक छोटा पैरा पढ़ने की अनुमति दें। यह गृह मंत्री महोदय के भाषण जैसा लम्बा नहीं है। यह अत्यन्त संगत है।

प्राक्कलन समिति, 1977-78 के प्रतिवेदन में कहा गया है :

"समिति नोट करती है कि हथकरघा उद्योग को अधिक शक्तिशाली विद्युत करघों तथा मिल क्षेत्र से संरक्षण देने के लिए सरकार कुछ मदों को हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित रखने की नीति का पालन करती रही है, तथा इस समय डिब्बा बंद वस्तुओं का उत्पादन एकमात्र हथकरघा उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।"

"समिति को यह जानकर निराशा हुई कि आरक्षण आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा तथा उन आरक्षण आदेशों के विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा भारी मात्रा में उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं।

समिति समझती है कि अधिलंघन करने पर दण्ड से बच जाने के कारण आरक्षणों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भी स्वीकार किया कि कई क्षेत्रों में इन आदेशों का अभी तक प्रभावी ढंग से पालन नहीं हुआ।

समिति अनुभव करती है कि यह अत्यन्त निराशा की स्थिति है तथा इसका अविलम्ब निदान किया जाना चाहिए।"

उत्पादनों का आरक्षण मात्र सांकेतिक है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक रूप में उत्पादनों का कोई आरक्षण नहीं है। इससे देश का बड़ा अहित होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो० मधु दण्डवते : हथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त सुन्दरम समिति ने 1977 में कहा था कि हथकरघा उद्योग का समग्ररूपेण नियंत्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 1981 से 1984 तक विद्युत करघों में केवल पांच प्रतिशत की वृद्धि हो। अब इस पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता तथा इस विश्लेषण के अनुसार—कामगार वर्ग तथा लघु उद्योगों के हितों पर ध्यान देते हुए—हथकरघा तथा विद्युत करघा क्षेत्र के हितों पर ध्यान देते हुए—मैं कह सकता हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कपड़ा नीति केवल मिल मालिकों को लाभ पहुंचाती है— विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्रों को इस नीति से हानि होती है—उत्पादन लागत पर नियंत्रण करने से इनकार करके यह नीति गरीब उपभोक्ताओं को तथा देश के श्रमिक वर्ग पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः आवश्यकता इस बात की है : मेरा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है —कि कृपया योजना के लक्ष्यों पर एक बार फिर ध्यान दें, योजना में गिनाई गई प्राथमिकताओं पर ध्यान दें तथा पूरी कपड़ा नीति को निर्धारित योजना प्राथमिकताओं के आधार पर पुनर्गठित करने की चेष्टा करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तभी आप कामगारों, लघु उद्योग क्षेत्र तथा मिलों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही संतुलित रवैये की आवश्यकता है।

मुझे उम्मीद और विश्वास है कि पूरे तंत्र तथा नीति का पुनर्गठन किया जायेगा।

श्री मुरली देवरा (बंबई दक्षिण) : शुरू में ही मैं प्रो० दण्डवते को कपड़ा नीति पर वाद-विवाद शुरू करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं प्रायः आश्चर्य करता हूं कि प्रो० दण्डवते बंबई से चुनाव के लिए खड़े क्यों नहीं होते। आज उन्होंने मुझे सही उत्तर दिया है। बंबई नगर तथा कपड़ा मजदूरों के बारे में उनकी जानकारी के अभाव से सही उत्तर मिल गया है। अपने तर्क में उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तीन बार कहा है कि असमान प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : बंबई का निर्वाचन क्षेत्र मैंने अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया है।

श्री मुरली देवरा : यदि वह सभा में बोलतीं तो वह आपसे भिन्न बात कहतीं। यह आप भली प्रकार जानते हैं। कपड़ा उद्योग ने देश की अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का $11\frac{1}{2}\%$ भाग कपड़ा उद्योग से आता है। जैसा कि प्रो० दण्डवते ने बताया

[श्री मुरली देवरा]

है कि यह उद्योग तीन क्षेत्रों अर्थात विद्युत करघा, हथकरघा तथा मिल क्षेत्रों में बंटा हुआ है। प्रो० दण्डवते ने असमान प्रतिस्पर्धा की बात कही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि विद्युत करघा तथा मिलों में क्या अंतर है। मिल के करघे भी विद्युत करघे हैं—वे बिजली द्वारा चलते हैं। इस नीति द्वारा हथकरघा को पृथक रखा गया है तथा विद्युत करघों और मिलों में अंतर कम किया गया है। प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है कि बंबई में बहुत सी मिलें बंद हो गई हैं। 150 से अधिक मिलों का प्रबन्ध ग्रहण किया गया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 450 करोड़ से अधिक की हानि हुई है। इसका समाधान क्या है ? समाधान यह है। बंबई की मिले विद्युत करघों से बहुत अधिक कपड़े का उत्पादन करती हैं। प्रो० दण्डवते, आपने कहा था कि यदि यह नीति क्रियान्वित की जाती है, तो अधिक कपड़ा उत्पादक विद्युत करघों से कपड़ा बनवायेंगे। यह सच नहीं है। कपड़ा मिलों में हड़ताल के समय 1982-83 के दौरान कपड़े की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हुई थी। यह इसलिए था कि बंबई नगर के कपड़ा उत्पादक भिवंडी, मालगांव, धुलिगा अन्य सभी स्थानों पर चले गये और वहां जाकर कपड़ा बनाने लगे। या तो वे अपने ही उत्पादन गृहों में अथवा अपनी निजी कम्पनियों के उत्पादन गृहों में वस्त्र का उत्पादन कर रहे थे। आज आवश्यकता तो इस बात की है और जैसा कि कपड़ा नीति में सही रूप से परिभाषित किया गया है : मिल क्षेत्र तथा विद्युत करघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र अलग रखा जाना चाहिये। महोदय, 72 लाख व्यक्ति हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

3.35 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

यह नितान्त आवश्यक है कि उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिये जायें, उनके लिए धागा सुरक्षित हो तथा उन्हें बहुत से मैंटर प्रोत्साहन दिये जायें।

मैं माननीय सदस्यों को एक बात बताना चाहता हूं—पहले ये उद्योग उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे रेशे के अनुसार अर्थात् सूत, कृत्रिम तथा विस्कोस के आधार पर वर्गीकृत थे। ये सभी भिन्न क्षेत्र हैं। इसके कारण उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हुई तथा उसका स्वस्थ विकास नहीं हो पाया। आज नयी नीति के बाद—एक पावरलूम अथवा हथकरघा को जो भी रेशा उनके पास उपलब्ध है—उसे बनाने की उन्हें अनुमति है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सूत की ओर दिलाना चाहूंगा। पहले योजना आयोग के लोग समझते थे कि सूती कपड़ा गरीब लोगों के लिए है तथा कृत्रिम संश्लिष्ट रेशे से बना कपड़ा धनी लोगों के लिए है। आज यह स्थिति नहीं है। आज यदि आप पूरे विश्व पर दृष्टि डालें तो कपड़े का 60 प्रतिशत उत्पादन सूती वस्त्र का है तथा शेष 40% कृत्रिम वस्त्र का। भारत में 88 प्रतिशत कपड़ा सूती तथा विस्कोस तथा 12 प्रतिशत कृत्रिम रेशे से बनाया जाता है। हमारा कपड़े का प्रति व्यक्ति उत्पादन पिछले 20 वर्ष में 18.8 मीटर से घटकर 16.8 मीटर रह गया है। यह कमी कहां से आई ? यह कपड़ा तस्करी द्वारा आया। यदि हम बम्बई के समाचार पत्रों के विज्ञापन देखें तो पता चलता है कि 20 करोड़ मीटर कपड़े की तस्करी होती है, तथा तस्करी द्वारा भारत लाया जाने वाला कपड़ा कृत्रिम होता है। इसकी तस्करी क्यों होती है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में कपड़े का मूल्य हांगकांग तथा अन्य देशों में कपड़े के मूल्य का दस गुना अधिक है। अतः

यह वास्तव में आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा भारत के मूल्य में अन्तर को कम किया जाए। नयी कपड़ा नीति द्वारा यही किया जा रहा है। इससे तस्कर हतोत्साहित होंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, यह है कि भारत उष्ण देश है। जहां पर तीन तरह के कृत्रिम वस्त्र हैं एक नाइलोन दूसरा विस्कोस तथा तीसरा पोलिस्टर। नाइलोन हमारे देश की जलवायु की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, विस्कोस उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि विस्कोस के लिए मूलभूत कच्चा माल बांस तथा लकड़ी है तथा सौभाग्य से भविष्य में वनों को काटने की अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : बांस की आवश्यकता रक्षा कार्यों के लिए है।

श्री मुरली देवरा : अतः भारत के लिए अत्यन्त उपयोगी कृत्रिम धागा पोलिस्टर है। पोलिस्टर धागे के लिए कच्चा माल भारत में शीघ्र ही उपलब्ध होने लगेगा। जिसके लिए बम्बई हाई की गैस तथा देश भर में बन रही तेल-शोधन शालाएं धन्यवाद की पात्र हैं। आज देश में 45,000 टन पोलिस्टर धागा बनता है। अतः आगामी चार वर्षों में उत्पादन बढ़ेगा। यदि सरकार अपनी घोषित कपड़ा नीति के अनुसार धागे पर शुल्क घटाती है तो कोई हानि नहीं होगी क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से उन्हें अधिक शुल्क मिलेगा।

शुल्क में एक तिहाई कमी करने से भी उन्हें उतनी ही वसूली होगी जितनी तीन वर्षों में उत्पादन तिगुना हो जाने से होती। इससे तस्करी में कमी आएगी और अधिक से अधिक लोगों को अच्छी किस्म का कपड़ा मिलेगा।

बम्बई में कई मिलें बन्द कर दी गई थीं और राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 19 अक्तूबर 1983 को बम्बई में कुल 13 मिलों का अधिग्रहण किया, जिसका कारण यह था कि इससे वे श्रमिकों को नौकरियां देते रह सकेंगे किन्तु दुर्भाग्य से, मैं कहूंगा कि आधुनिकीकरण और यौक्तिकीकरण के रूप में इन मिलों को मजदूरों की छंटनी करने की भी इजाजत दी गई। लेकिन यदि मिलों को वास्तव में प्रोत्साहन दिया जाए और गैर-पंजीकृत तथा अवैध रूप से चलाये जा रहे विद्युत करघों से होने वाली अस्वस्थ प्रतिद्वंद्विता से इनकी रक्षा की जाए तो इससे इनकी स्थिति को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

प्रो० मधु दण्डवते ने पूछा कि आप इन विद्युत करघों के विरुद्ध कैसी कार्यवाही करने जा रहे हैं ? जिस क्षण विद्युत करघों का पंजीकरण किया जाता है उसी क्षण से उन्हें उद्योगों को नीति तथा स्थानीय उद्योग निदेशक के नीति संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है। मुझे खुशी है कि उन्हें भी अन्य मिलों के समान ही उत्पाद-शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि उन्हें सूत के लिए अधिक शुल्क और अधिक मूल्य देना होगा। यह ठीक नहीं है। आज संयुक्त मिल सूत के लिए अधिक शुल्क दे रही है। लेकिन यदि इस सूत का उपयोग विद्युत करघे में किया जाता है तो उसके लिए वे अधिक शुल्क नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने ही कारखाने में कताई बुनाई करता हूं तो मुझे अधिक शुल्क देना पड़ता है जब मैं बम्बई नगर से बाहर के विद्युत करघे से कपड़ा बुनवाता हूं तो मैं कम शुल्क देता हूं अतः इस अन्तर को रोका जाना चाहिए।

[श्री मुरली देवरा]

एक पैरा में यह कहा गया है कि श्रमिकों के लिए पुनर्वास कोष आरम्भ किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ आशंका है और बम्बई तथा अन्य नगरों के लोग कह रहे हैं कि मिल मालिकों को मिलें बन्द करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। माननीय वस्त्र मन्त्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि किसी मिल मालिक को अपनी मिल बन्द करने की इजाजत नहीं दी जाएगी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। मन्त्री महोदय ने 15 करोड़ रुपये की धनराशि देने का वायदा किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह राशि पर्याप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें कि ये मिलें रुग्ण न हों और मिल मालिकों को अपनी भूमि बेचने की इजाजत न दी जाए। यदि बम्बई में मिलों को बन्द करने और उन्हें अपनी भूमि बेचने की इजाजत दी गई तो इंडिया यूनाइटेड जैसी मिलों के मालिक तथा बम्बई में ऐसे अन्य कई मिल मालिक मिलों को वर्षों तक चलाने की बजाय उस भूमि को बेचकर अधिक मुनाफा कमायेंगे। अतः मिलों को बन्द करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैं दो छोटे सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार वस्त्र मन्त्रालय बनाया गया है। अतः मुझे आशा है कि हमारी नई सरकार की एक ही स्थान पर सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की नई नीति की भांति, वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित सभी कुछ, चाहे वह संश्लिष्ट धागा हो या रेशम, विद्युत करघे की बात हो या हथकरघे की, इसी क्षेत्र में माना जाएगा। आज जब हमारा कहना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में वस्त्र का कुल 14,5000 लाख मीटर वस्त्र तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, संश्लिष्ट धागों को बड़ी भूमिका निभानी होगी। पेट्रोलियम मन्त्रालय संश्लिष्ट धागा इकाई का प्रायोजक प्राधिकरण है। यदि संश्लिष्ट धागों का प्रयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, मेरा सुझाव है कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि समूचे वस्त्र विभाग की देखरेख एक ही विभाग, अर्थात् वस्त्र विभाग को करनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है। 19 अक्तूबर 1983 को जब बम्बई के 13 मिलों का अधिग्रहण किया गया, यद्यपि उस समय श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह वाणिज्य मन्त्री थे, दुर्भाग्य, से उस समय वित्त मन्त्रालय ने इन मिलों को चलाने के लिए धन नहीं दिया और इसलिए इन मिलों के शुरू होने में करीब 6-7 महीने लग गए। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि भविष्य में ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वस्त्र मन्त्री महोदय ने जो नीति बनाई है, वित्त मन्त्रालय को उचित रूप से उसे कार्यान्वित करना चाहिए। यदि वित्त मन्त्रालय उसका कार्यान्वयन नहीं करता तो इससे बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जाएगी। मेरे माननीय सहयोगी श्री दत्ता सामंत इस बारे में कुछ और अधिक कहेंगे। बम्बई वस्त्र बाजार तथा अन्य वस्त्र बाजारों में पहले ही से मन्दी है क्योंकि शुल्क में कमी, जिसकी घोषणा की गई थी, का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिला है। उसके कारण वे देश के विभिन्न भागों में गोदामों में पड़े कपड़े का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मुरली देवरा : मेरा अन्तिम मुद्दा हथकरघा विकास निगम के सम्बन्ध में है। इस निगम का वास्तविक उद्देश्य यह देखना है कि बुनकरों को उचित ढंग से धागे की सप्लाई की जाए। मैं आपको

बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को यह देखना चाहिए कि हथकरघा क्षेत्र को जितने धागे की जरूरत पड़े, उन्हें दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति जी, मैं टैक्सटाइल मन्त्री जी और सरकार को नई नीति की घोषणा के लिये बधाई देना चाहता हूं और जो लक्ष्य उन्होंने इस नीति की घोषणा के सम्बन्ध में रखे हैं, जिस की जिन्होंने कल्पना की है, मैं समझता हूं कि उस नीति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कल्पना व्यावहारिक और सही तौर पर है। इस सम्बन्ध में मैं इस नीति के अन्तिम वाक्यों को पढ़ना चाहता हूं जो कि मैं समझता हूं कि वह इस कपड़ा नीति की मूल भावना को प्रकट करता है।

नई नीति से भारत में वस्त्र उद्योग की आवश्यक पुनसंरचना में सुविधा होगी। देश में उत्पादन, रोजगार तथा निर्यातों में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण योगदान करने ने लिए वस्त्र उद्योग साधन होगा और जनसंख्या के सभी वर्गों की कपड़ा सम्बन्धी जरूरतों को यह उद्योग पूरा करेगा।

संक्षेप में इस नीति का यही उद्देश्य मुझे दिखता है। 1978 की कपड़ा नीति की चर्चा करते हुए दण्डवते जी ने कहा कि उस नीति में जो मूलभूत भावना थी उसके विपरीत यह नीति जाती है। मैं समझता हूं कि दण्डवते जी ने दोनों का मिलान करने में कहीं एक अतिशादी दृष्टिकोण अपनाया है। उस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, जो भावनाएं थीं उनमें भी यह था कि हैंडलूम और खादी के क्षेत्र को कपड़ा नीति में एक महत्वपूर्ण और प्रारम्भिक स्थान दिया जायेगा और इस नीति को देखने से स्पष्ट होता है कि अगर किसी चीज को सबसे अधिक महत्व दिया गया है तो वह हैंडलूम और खादी को दिया गया है।

उसी 1978 की नीति में एक दूसरा पैराग्राफ था कि कंट्रोल का कपड़ा या नियंत्रित कपड़ा धीरे-धीरे मिल सेक्टर से हटा करके बिलकुल, हैंडलूम सेक्टर को दे दिया जाएगा कम से कम समय मे और ये दोनों बातें इस वर्तमान समय में पूरी तरह से लागू की गई हैं कि जो नियन्त्रित कपड़ा है उसका पूरा उत्पादन हैंडलूम सेक्टर में होगा। मिलों में बिलकुल नहीं होगा न पावर लूम सेक्टर में होगा। खादी और हैंडलूम की तरक्की के लिए जो भी अधिक से अधिक सहायता और सहयोग दिया जा सकता है उसका पूरा विवरण इस नीति के पैराग्राफ 14 और 15 में दिया हुआ है। मैं उसे पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए, उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को उसमें काम देने के लिए, उनके द्वारा तैयार किए गए माल की बिक्री करने के लिए और बुनकरों और मजदूरों की आय में सुधार करने के लिए, हथकरघा उत्पादन वस्तुओं का आरक्षण अधिनियम 1985 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जितने भी आवश्यक कदम हो सकते हैं उनकी चर्चा इन पैराग्राफ 14 और 15 में दी गई है।

यही नहीं, बुनकरों को अधिक से अधिक सहायता देने के लिए सरकार कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट

[श्री श्याम लाल यादव]

फण्ड की स्कीम पहली दफा चालू करने जा रही है। उनके वर्कशेड के लिए और रेजीडेंस के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम बनाई गई है हालांकि उस के अन्तर्गत केवल 50 हजार वर्कशेड और हाउसेज बनाने की कल्पना है। मैं समझता हूं सारे देश में हैंडलूम सेक्टर में जितने लोग लगे हुए हैं उनको देखते हुए यह बहुत कम है और उस के लिए जो धन आबंटित किया जाता है वह और कम है। मैं नहीं देखता कि इस पचास हजार की स्कीम के लिए जो समय निर्धारित है उसके अन्दर आप उसे पूरा कर पाएंगे। मेरा अनुरोध है कि अगर उस स्कीम को चलाना है तो उसके लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तब यह स्कीम कामयाब हो सकेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्कशेड और हाउसेज की जो व्यवस्था की जाय, वह जिन शहरों में या जिन क्षेत्रों में वह बुनकर रहते हैं वहां ऐसी जगह यह व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे मकान उनके लिए बनने चाहिए जहां वह सरलता से जा कर रह सकें और काम कर सकें। जो शहरों में उनके मकान हैं या जहां उनके हथकरघे लगे हुए हैं, इतनी घनी आबादी वहां हो गई है कि वहां काम करना और करघों को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहां उनके स्वास्थ्य का भी प्रबन्ध नहीं हो सकता, उनके लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो केवल शेड और हाउसेज बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनके रहने लायक उनको बनाया जाय और वहां पानी, बिजली और सफाई की भी व्यवस्था की जाय। इसलिए नये सिरे से नयी जगहों में इनकी व्यवस्था होनी चाहिए जहां ये बुनकर जाकर रह सकें और काम कर सकें। ये काम हैं जो 78 की वस्त्र उद्योग की नीति के जो पहले दो उद्देश्य घोषित किए गए, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, उसकी पूर्ति के लिए इसमें इनको प्रमुख स्थान दिया गया है। अगर इसको सही रूप से लागू किया गया तो मुझे विश्वास है कि हैंडलूम सेक्टर तथा खादी में जो लगे हुए हैं उनकी तरक्की होगी और उनका उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ेगा।

एक चीज और है। हथकरघा उत्पादन के लिए 1985 में जो नियम बनाए गए उनको लागू करने के लिए एक अच्छी मशीनरी बननी चाहिए तथा केन्द्र के मातहत उसको रखकर चलाना चाहिए ताकि सही रूप में सारे देश में कानून का पालन किया जा सके तथा इस बात पर भी निगाह रखी जाए कि कहीं उस कानून के विपरीत उत्पादन तो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कपड़ा बना लेते हैं जो पावरलूम सेक्टर में ही बना सकते हैं। उनके क्षेत्र में इस प्रकार से जो अतिक्रमण किया जाता है, उसको भी रोकना पड़ेगा।

तीसरी महत्वपूर्ण बात इस नीति में यह थी कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को कपड़े की आपूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा। इस सदन के सामने अभी माननीय सदस्यों ने एस० टी० सी० की कार्याविधि के सम्बन्ध में कहा है कि किस तरह से अधिक से अधिक मिलों को लेकर कारपोरेशन चला रही है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। 1978 में एक बात इस संबंध में कही गई थी कि मिल्स या पावरलूम्स जो है, उनकी कैपेसिटी का पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए। इस नीति का एक मुख्य अंग यह रखा गया है कि मिल और पावरलूम की जो कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए। इसको करने के लिए मैं समझता हूं बड़ा

सराहनीय निर्णय किया गया कि पावरलूम और मिलों को एक समान स्तर दिया गया, दोनों में एक समान कपड़ा बनेगा। देवरा साहब ने कहा कि बम्बई में इतने लम्बे समय तक कपड़ा मिलों की हड़ताल चली फिर भी देश में कपड़े की कमी नहीं हुई क्योंकि पावरलूम सेक्टर में कपड़ा बनाया जाता था। दोनों को एक साथ करना बड़ा अच्छा होगा और इससे हैंडलूम सेक्टर को लाभ होगा।

इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो वर्तमान नीति है उसके अन्तर्गत सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। एक विशेष महत्वपूर्ण बात और की गई है कि सिल्क यार्न को एक विशेष स्थान दिया गया है। सिल्क यार्न विशेषकर हमारे शहर में तथा अन्य कई शहरों में उपयोग किया जाता है परन्तु उसकी आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं होती है तथा उसके दाम बढ़ जाते हैं। मन्त्री जी अभी हाल में हमारे शहर में गए थे तथा उन्होंने स्वयं लोगों की कठिनाई को देखा था और उन्होंने उसकी आपूर्ति की उचित व्यवस्था भी कराई है। सिल्क के उत्पादन को हमें बढ़ाना होगा। सेरिकल्चर को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना होगा। उत्तर भारत में भी सेरिकल्चर के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोत्साहन राज्य सरकारों की तरफ से दिया जाए ताकि सेरिकल्चर में तरक्की हो सके। सिल्क यार्न का प्रोडक्शन बढ़ने से देश को बहुत लाभ पहुंचेगा। तात्कालिक रूप से इसकी कमी को आप बाहर से आयात करके पूरा कर सकते हैं। (व्यवधान)

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो नीति निर्धारित की गई है वह स्वागत योग्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे। हां, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस नीति को चलाने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि राज्य सरकारों के इसमें बहुत से दायित्व हैं अतः उन पर आपका कोई नियन्त्रण होना चाहिए। आपको इस प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांत दें जिससे कि इस नीति को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारें भी अपना सहयोग दे सकें। हैंडलूम सेक्टर के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को बहुत अधिकार हैं। सहकारी समितियों का दायित्व बढ़ाने की भी आपने कोशिश की है। मार्केटिंग के सेक्टर में उनका विशेष योगदान हो सकता है इसलिए सहकारी समितियों पर भी इस प्रकार का नियन्त्रण रहे जिससे कि वे ठीक प्रकार से काम कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस वस्त्र नीति का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): सभापति महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि वस्त्र उद्योग का हमारे देश में एक मुख्य स्थान है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक लोगों को इसी क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग 120 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 75 लाख लोग हथकरघा उद्योग मे कार्यरत हैं। सरकार ने नीति सम्बन्धी पिछले वक्तव्य की कतिपय त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से इस नई नीति की घोषणा की है। परन्तु जब तक सरकार पूरी तरह समर्पित और वचनबद्ध नहीं होगी, इससे कोई अधिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अब तक सरकार प्रति मीटर कपड़े पर 2 रुपये आर्थिक सहायता दे रही थी। इस सम्बन्ध में, महोदया, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार अर्थात आन्ध्र प्रदेश सरकार तक ने जनता कपड़ा योजना आरम्भ की है जिसके माध्यम से वह हथकरघा बुनकरों को पूर्ण रोजगार

[श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव]

उपलब्ध कराती है और उनके द्वारा निर्मित सारे कपड़े को खरीदकर निर्धन उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है अर्थात लागत मूल्य के केवल 50 प्रतिशत पर। अन्य कल्याणकारी योजनाओं, जैसाकि दो रुपये प्रति किलो चावल योजना और आवास पर 80 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना के अतिरिक्त हमारी राज्य सरकार ने गरीब उपभोक्ताओं की सहायता करने, निर्धन लोगों को धोतियां और साड़ियां कम कीमतों पर उपलब्ध कराने तथा साथ ही साथ राज्य के बुनकरों की सहायता करने के लिए जनता वस्त्र योजना पर आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी प्रकार, यदि भारत सरकार सम्पूर्ण देश के हथकरघा बुनकरों को आर्थिक सहायता देने के लिए अधिक राशि व्यय करने को तैयार है तो हमारी नई वस्त्र नीति का बुनियादी उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा। महोदया, सरकार इस सम्बन्ध में शुल्क में अनेक रियायतें देना चाहती है और मैं अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये रियायतें वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचे। पहले भी जब कभी कुछ रियायतें दी गई हैं, उनका लाभ मिल मालिकों ने ही उठाया है, उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। इस प्रकार पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार कृपया यह सुनिश्चित करे कि रियायतों का लाभ निश्चित रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचे। हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार ने कुछ मदों को हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के लिए हथकरघा आरक्षण विधेयक अधिनियम लाकर अच्छा काम किया है। अब वस्त्रों के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा की काफी आय हो रही है और यदि पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाए तो देश वस्त्रों के निर्यात से और अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकेगा तथा इस सम्बन्ध में हथकरघा क्षेत्र की भूमिका को और अधिक व्यापक बनाया जाए। साड़ियों, धोतियों, कमीज का सफेद कपड़ा और 120 काउंट वाली साड़ियों को हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिये। यद्यपि सूट और कमीज का कपड़ा विद्युत करघों के लिए आरक्षित किया गया है, परन्तु मानव-निर्मित धागे से बने कपड़े और मिश्रित कपड़े को मिलों के लिए आरक्षित किया जाए ताकि ये एक-दूसरे के क्षेत्र का उल्लंघन न करें और सम्बन्धित क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार दिया जा सके।

4.00 म० प०

यद्यपि सरकार ने धागा बैंकों पर काफी धन व्यय करने की इच्छा व्यक्त की है परन्तु दुर्भाग्यवश मेरी अब तक की सूचना के अनुसार चिराला जैसे क्षेत्र में भी, जो हथकरघा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार का कोई बैंक नहीं खोला गया है। हम सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए देश भर में हथकरघा बुनकरों को धागा सप्लाई किया जाए।

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि सरकार हथकरघा कालोनियों में कामगारों के लिए शेड बनवाना चाहती है। मुझे आशा है कि इस कार्य को पूरी शक्ति से आरम्भ किया जाएगा और सरकार की इस इच्छा को यथासंभव कार्यरूप दिया जाएगा। इस संबंध में मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आन्ध्र में लम्बे रेशे की और अतिरिक्त लम्बे रेशे की कपास काफी मात्रा में होती है और वहां

विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में कताई मिल स्थापित करने की काफी गुंजाइश है। अतः हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह आन्ध्र प्रदेश में कुछ और कताई मिलों की स्थापना पर विचार करे और आवश्यक अनुमति प्रदान करे। इसके अतिरिक्त विद्युत करघों का विनियमन भी राज्य सरकारों की सलाह से किया जाना चाहिए। अब चूंकि नई वस्त्र नीति में विद्युत करघों पर लगे कुछ प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है इसलिए इससे हथकरघा बुनकरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

अतः राज्य सरकारों से भी इन मामलों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

हथकरघा आरक्षण वस्तु अधिनियम को लागू करते समय सरकार को आवश्यक नियम बनाने चाहिए ताकि कानून के किसी भी उल्लंघन को बहुत ही सख्ती से निपटा जा सके! पहले भी कुछ नियम थे कि वे अन्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेंगे परन्तु उनका उल्लंघन किया गया। यह बात सरकार के ध्यान में भी आयी होगी। अतः कम से कम भविष्य में, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, ऐसी गलतियां फिर से न हों और सरकार को उपबन्धों को इस प्रकार से अन्तर्निहित करने चाहिए कि उनका फिर किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो पाये।

इन शब्दों के साथ मैं महोदया आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, पिछले तीन-चार सालों से कपड़ा मिल के मजदूर काफी दुविधा और परेशानी में थे। लम्बे अर्से से यह सुनने में आ रहा था कि नई कपड़ा मिल नीति आयेगी तो शायद उससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस नई कपड़ा मिल नीति से तो कुछ ऐसा लगता है कि आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ में अटक गये। पहले तो खतरा सिर्फ नौकरी जाने का था, लेकिन इस नई नीति से तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को पूरा लाइसेंस दे दिया गया है, जिसको चाहें निकाल दें, जिस विभाग को बन्द करना चाहें बन्द कर दें, जितने लोगों को निकालना चाहें निकाल दें, जितने लोगों की छंटनी करना चाहें कर दें। नई टैक्सटाइल पालिसी ऐसी पालिसी लगती है जैसे फ्री मार्केट पालिसी हो, खुले आम मुकाबला हो, जो बड़े सरमायेदार हैं उनको हिन्दुस्तान में खुले आम मोनोपोली बनाने की इजाजत दे दी गई है। मैं तो यह समझता हूं कि जहां पहले सिर्फ कपड़ा मिल मजदूरों के हालात खराब थे, वहां इस नई पालिसी के आने के बाद उनके हालात तो बद से बदतर हो गये, लेकिन हैण्डलूम और पावरलूम के मजदूरों का भी नुकसान होने वाला है।

एन० टी० सी० के ऊपर 650 मिलियन मीटर कन्ट्रोल्ड कपड़ा बनाने का बोझा था, जिसको वह बनाने के लिए तैयार नहीं था। आज से कुछ साल पहले हिन्दुस्तान की कपड़ा मिलों के ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि वे कुछ कन्ट्रोल्ड क्लाथ बनाएंगी लेकिन उन्होंने बाद में शोर मचाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह जिम्मेवारी उन कपड़ा मिलों से हटकर एन० टी० सी० की मिलों पर आ गई। अब वह एक बोझा है, जिसको कोई ढोने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसमें कोई मुनाफा नहीं है। वह बोझा अब हैन्डलूम के मजदूरों को दे दिया गया है। कोई अच्छी चीज हैन्डलूम के मजदूरों को दी जाती, तो बात समझ में आती। जो 1 करोड़ 20 लाख कपड़ा बुनने वाले मजदूर हैं, उनमें से 72 लाख मज-

[श्री ललित माकन]

दूरों के लिए जो उपहार मिला है, इस कपड़ा नीति से, वह उपहार नहीं बल्कि वह बोझा है। कपड़ा मिलों ने अपने कन्धे से बोझा उतार कर एन० टी० सी० की मिलों के कन्धे पर डाल दिया और एन० टी० सी० ने अपने कन्धे से यह बोझा उतार कर हैन्डलूम के कन्धे पर डाल दिया। तो मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के 72 लाख मजदूरों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा आने वाला है और इस नीति से लाखों की संख्या में हिन्दुस्तान के अन्दर बेरोजगारी होने वाली है। अगर किसी को फायदा हुआ है इस कपड़ा नीति से, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। उनको खुलेआम छूट दे दी गई है कि वे जब चाहें अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट को चाहें तो बन्द कर सकते हैं और चाहें तो खोल सकते हैं। अभी पिछले सैशन के अन्दर हमने कुछ सवाल उठाये थे बिरला मिल के बारे में और दिल्ली क्लाथ मिल के बारे में। मुझे नहीं मालूम कि जो वायदे पिछले सैशन के अन्दर हमारे मंत्री महोदय ने दिये थे, उन वायदों का क्या होगा। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है लेकिन यह जो छूट दे दी गई है कि आप अपनी कैपेसिटी कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं और अपने शरीर का कोई हिस्सा अगर खराब हो जाए, तो उसको अगर काट कर फेंकना चाहें, तो काट कर फेंक सकते हैं और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और मूकदर्शक की तरह देखती रहेगी। उसको ठीक करने की बजाय, उसमें मरहम पट्टी लगाने की बजाय, उसको काट कर फेंक देने की उसको छूट है और मिल मालिक तो उसी विभाग को चलाना चाहते हैं, जिस विभाग में मुनाफा हो और उस विभाग को बन्द कर देना चाहते हैं, जिस विभाग में उनको नुकसान होता है और उस विभाग से, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको दौलत चाहिए। इस बात की छूट इस पालिसी में दे दी गई है।

बिरला मिल के बारे में पिछले सैशन में हमने शोर मचाया था कि 3 साल से एक मीटर कपड़ा भी उसमें नहीं बना है और सिर्फ स्पिनिंग डिपार्टमेंट चलता है और वीविंग डिपार्टमेंट नहीं चलता है। इस कपड़ा नीति के बाद उनको खुली छूट दे दी जाएगी कि वीविंग डिपार्टमेंट को बन्द कर दिया जाए। यही बात आपने इस पालिसी के अन्दर कही है और इस पालिसी के अन्दर आपने कहा है कि आप जब चाहो कैपेसिटी बढ़ा लो और जब चाहो कम कर दो। जब वे देखेंगे कि कपड़े की इस समय जरूरत है कि हम ज्यादा पैदा करें, तो कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और जब देखेंगे कि जरूरत नहीं है, तो मजदूरों की छंटनी कर दी जाएगी या ले आफ कर दिया जाएगा। तो चारों तरफ से जो नुकसान है, वह मजदूरों का नुकसान है और चारों तरफ से अगर किसी को फायदा है, तो वह सिर्फ मिल मालिकों को फायदा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कह देना कि जो कमजोर मिल होगी या सिक मिल होगी, उसके बारे में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। इससे जबर्दस्त असुरक्षा आज हिन्दुस्तान के लाखों मजदूरों में पैदा हो रही है। कपड़ा उद्योग हिन्दुस्तान का सबसे पुराना उद्योग है और इन कपड़ा मिलों ने करोड़ों रुपया कमा कर हिन्दुस्तान में दूसरे बड़े-बड़े उद्योग बना लिये हैं और अन्दर ही अन्दर से इस उद्योग को खोखला कर दिया है। आज यह कहा जा रहा है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करना होगा और कपड़े को बाहर भेजना होगा। आज हम यह देखते हैं कि इन कपड़ा मिलों की मशीनें पुरानी पड़ गई हैं। मैं

मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मिलों को माड़ेनाइजेशन करने की जिम्मेवारी क्या मजदूरों की है या मिल मालिकों की है। अगर माड़ेनाइजेशन नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेवारी मिल मालिकों की है, जोकि करोड़ों रुपया खा गये और समय पर माड़ेनाइजेशन नहीं किया और उसकी जिम्मेवादी मजदूरों पर क्यों थोपी जा रही है। समय पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था मिलों के अन्दर और समय पर जो माड़ेनाइजेशन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और कई सालों तक माड़ेनाइजेशन नहीं हुआ और करोड़ों रुपया दूसरे उद्योगों में लगा दिया। जिन मिलों ने करोड़ों रुपये पैदा किये थे, आज उन मिलों को खोखला करके बन्द करना चाहते हैं। और यह जो कपड़ा नीति है, मैं समझता हूं कि यह मिल-मालिकों के हित में है।

डी० सी० एम० के बारे में पिछले सैशन के अन्दर वायदा किया गया था। अंजैया साहब तो यहां नहीं हैं, हमारे टेक्सटाईल मंत्री यहां बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले सैशन में जो यह कहा गया था कि अगर मिल-मालिक इसको बंद करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे, इस कपड़ा नीति के बाद उस वायदे का क्या भविष्य है ?

बिरला मिल के बारे में भी पिछले सैशन में कहा गया था कि अगर वे वीविंग डिपार्टमेंट नहीं चलायेंगे तो हम उसके राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचेंगे। यह बात अंजैया साहब ने इस फ्लोर पर कही थी। मैं जानना चाहूंगा कि उस वायदे का अब भविष्य क्या है ?

इसके अलावा इस कपड़ा नीति के अन्दर यह कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिये जाएं, पावरलूम को जो फिसकल रिलीफ हैं उनको कम किया जाए क्योंकि इसको कम करने से कपड़ा सस्ता होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ अर्से पहले सीमेंट इंडस्ट्री ने यह वायदा किया था कि हम 50 रुपये बोरी के हिसाब से सीमेंट देंगे। इसके बाद वे 63 रुपये बोरी पर आ गये। अब वे यह सोच रहे हैं कि 63 रुपये से बढ़ा कर 68 रुपये बोरी कर दें। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इसके दाम कम नहीं होंगे और जनता को सस्ता कपड़ा नहीं मिलेगा। अगर आप पीछे की, पास्ट को देखें तो पायेंगे कभी भी चीजों के दाम सस्ते नहीं हुए।

जहां तक हैण्डलूम का ताल्लुक है, हैण्डलूम के बारे में यह कहना कि यह प्रोडक्ट रिजर्व्ड है ठीक नहीं होगा। क्योंकि आज तक जितने प्रोडक्ट रिजर्व्ड किये गये वे सब कागजों पर रह। अभी पिछले दिनों कामर्स मिनिस्ट्री के एक स्टडी ग्रुप ने एक रिपोर्ट दी है। यह दो-चार महीने पहले की बात है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिजर्व्ड प्रोडक्ट क्या होंगे यह न हैण्डलूम वीवर्स को मालूम है, यह न पावरलूम वीवर्स को मालूम है। इसको व्यवहार में लाना बिल्कुल असंभव है। यह कह देना कि यह रिजर्व्ड प्रोडक्ट है यह केवल कागजी कार्यवाही है। इससे हैण्डलूम के वर्कर्स को कोई प्रोटक्शन मिलने वाला नहीं है। नतीजा यह होगा कि जो कपड़ा हैण्डलूम में बनना चाहिए, वह पावरलूम वाले बनायेंगे। पावरलूम वालों को कपड़ा सस्ता पड़ेगा और हैण्डलूम का कपड़ा मंहगा होगा। इससे हैण्डलूम वालों का कपड़ा मार्केट में बिकेगा नहीं।

इसके अलावा आपने एन० टी० सी० की 650 मिलियन मीटर कपड़ा बनाने की जिम्मेदारी फिक्स की है और उनसे कहा गया है कि वे इतना कपड़ा बनाएं जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी। जो कपड़ा हैंडलूम वाले बनायेंगे उससे एन० टी० सी० जो कपड़ा बनायेगी, वह सस्ता होगा।

[श्री ललित मकन]

जो कपड़ा हैंडलूम वीवर बनायेंगे, वह कपड़ा किसी भी कीमत पर सस्ता नहीं हो सकता क्योंकि हैंडलूम वीवर कपड़ा बनायेंगे उसके अन्दर मेनपावर ज्यादा लगेगी और जो कपड़ा मिलें बनाती हैं उनमें मेनपावर कम लगती है। इस वजह से हैंडलूम का कपड़ा मंहगा होगा और वह बाजार में बिकेगा नहीं। एन० टी० सी० उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। बड़े-बड़े मिल-मालिक हैंडलूम वीवर का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। जो उनके कन्धों पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है, मैं समझता हूं कि इससे उनकी कमर बिल्कुल टूट जायेगी।

आखिर में पावरलूम के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले बजट के बाद जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, स्पिनिंग स्टेज के ऊपर, उससे क्या हुआ ? हिन्दुस्तान के 32 लाख हैंडलूम वीवर जो इतनी तेजी के साथ हैंडलूम को बढ़ा रहे थे, उसका कारण यह था कि उनकी एक्साइज ड्यूटी कम थी और जो कम्पोजिट मिल चलती थीं, स्पिनिंग स्टेज पर उनकी ज्यादा थी। इसी वजह से जबर्दस्त तरीके से उनके अन्दर बढ़ोतरी हुई। अब आप दोनों को एक जगह पर ले आये हैं। इस कपड़ा नीति के बाद और पिछले बजट के बाद उनके अन्दर डिप्रेशन आया और बहुत से लोग तो उठ ही नहीं सके हैं।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पावरलूम वीवर, कम्पोजिट मिल का कभी कम्पोजिट मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि कम्पोजिट मिल हैं उनकी कई जगह पर एडवान्टेजिज हैं। उनको रुई का ट्रांस्पोर्ट नहीं करना पड़ता है। उनको ओवटराई नहीं देनी पड़ती है, सेल्स टेक्स नहीं देना पड़ता है। ये सारे एडवान्टेजिज मिल को हैं जो पावरलूम को नहीं है। यह जो इस पालिसी के अन्दर कहा गया है कि हम तीनों सेक्टरों में, कम्पोजिट मिल, हैंडलूम और पावरलूम के बीच कम्पीटीशन चाहते हैं यह एक ऐसा कंपीटीशन है कि एक तरफ तो एक हट्टा-कट्टा आदमी हो और दूसरी तरफ एक लंगड़ा आदमी हो और तीसरा आदमी जिसकी दोनों टांगें ही न हों, इस प्रकार का यह मुकाबला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो नीति सरकार ने बनाई है, इसके बारे में पुनर्विचार किया जाए। यह कह देना कि सिक मिल्स के बारे में सोचेंगे नहीं, यह कह देना कि कंपोजिट मिल्स को ही ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें और फ्री मार्केट पालिसी को एक तरह से आधार बना देना, मैं समझता हूं कि लाखों लोगों, लाखों मजदूरों को बेकार करना होगा। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि हैंडलूम और पावर लूम सेक्टर के बारे में पुनर्विचार करें और तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, तभी यह ठीक हो सकेगा। सरकार का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ यह नहीं देखा जाना चाहिए कि मुनाफा होगा या नहीं होगा, एन० टी० सी० के बारे में यह नहीं देखा जा सकता कि मुनाफा हो या न हो। अगर सरकार यह सोचने लगे कि मुनाफा होना चाहिए तो फिर रेलवे में घाटा है तो उसको भी टाटा-बिड़ला को दे दीजिए, डी० टी० सी० में घाटा है, उसको भी किसी टाटा-बिड़ला को दे दीजिए, पी० एण्ड टी० में घाटा है, उसको भी दे दीजिए। आज जो हिन्दुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा मकसद है वह है रोजगार देना, यही सरकार की नीति भी रही है। मैं समझता हूं कि फ्री मार्केट पालिसी लाखों लोगों का रोजगार छीनने की पालिसी होगी, यह बिल्कुल गलत है, इसको सुधारा जाना चाहिए। इन पुरजोर शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदया, अपनी टिप्पणी करने से पहले, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चूंकि आप पीठासीन हैं और संसदीय कार्य मन्त्री मौजूद नहीं हैं, कि इस चर्चा का समय बढ़ाया जाएं ! बहुत से सदस्य, सदन के दोनों पक्षों की तरफ से, बोलना चाहते हैं ! कोई विशिष्ट समय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इसके लिए निश्चित नहीं किया गया था। कृपया समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें।

सभापति महोदया : इस प्रस्ताव के लिए तीन घंटे का समय निश्चित किया गया है ! अभी काफी समय बाकी पड़ा है ! हम इस पर 6 बजे के बाद विचार करेंगे !

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : आप सदन की राय ले सकती हैं।

सभापति महोदया : अभी नहीं। हम 6 बजे देखेंगे कि कितने सदस्य बाकी बचे हैं और तब निर्णय करेंगे !

श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदया, श्री मुरली देवरा ने बिरला, एमबैनिस, पंढार, मोदी, मफतलाल, श्रीराम इत्यादि के केस की बड़ी योग्यता से वकालत की है। मैंने श्री सी० वी० राधाकृष्णन्, भारतीय कपड़ा मिल संघ के महासचिव का वक्तव्य पढ़ा। यह मेरा कथन नहीं है, यह किसी कम्यूनिस्ट अथवा विरोधी दल के सदस्य का कथन नहीं है ! यह 23 जुलाई, 1985 के 'फाइनेंशल एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ वक्तव्य है और वह भी किसी छोटे व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि भारतीय कपड़ा मिल संघ के महासचिव जैसे पदाधिकारी का वक्तव्य है ! इसमें कहा गया है :

> "वाणिज्यिक अनुसंधान ब्यूरो ने टिप्पणी की है 'मिल उद्योग की लगभग सभी मांगें, पावरलूम उद्योग के साथ समानता, फाइबर के प्रयोग की स्वतन्त्रता, फाइबर की समुचित उपलब्धता, आधुनिकीकरण के लिए रियायती तथा आसान शर्तों पर मशीनरी का आयात, चालू न करने योग्य एककों को बन्द करने की अनुमति, इत्यादि, सरकार द्वारा मान ली गई हैं। वास्तव में यह सच है।"

भारतीय कपड़ा मिल संघ के महासचिव ने स्वीकार किया है कि सभी मुख्य मांगें, जो मांगें मिल मालिकों द्वारा रखी गयीं थीं, सरकार द्वारा इस नई कपड़ा नीति में मान ली गई हैं।

भारत जैसे देश में किसी कपड़ा नीति का आंकलन सबसे पहले इस बात से किया जाना चाहिए कि कौन-से समुदाय अथवा जनता के कौन-से वर्ग को इससे लाभ पहुंचेगा ! इस देश के करोड़ों गरीब लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के, जो न केवल कुपोषण के शिकार हैं बल्कि अर्ध नग्न हैं ! वे या तो अर्ध रोजगार हैं या बिल्कुल बेरोजगार हैं। अगर नई कपड़ा नीति, जिससे नई आशा की उम्मीद की जाती है, सस्ता कपड़ा, इन लाखों लोगों की उपभोक्ता क्षमता के अन्दर उपलब्ध कराने के लिए कुछ नहीं करती, तो ऐसी नीति का क्या लाभ है यह मेरी समझ में नहीं आता ? अगर केवल

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

उन्हीं लोगों जिनका मैंने नाम पढ़ा था या उन जैसे कुछ अन्य लोगों को इससे लाभ पहुंचता है तो हमें इस तरह की नीति की आवश्यकता नही है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि उत्पादन बढ़ जायेगा। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। अब हमारे पास 270 लाख टन खाद्यान्न का बफर भण्डार होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे देश में लाखों लोग नहीं हैं जो अर्द्धनग्न तथा भुखमरी से त्रस्त नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बफर स्टाक हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति भी अधिक खाद्यान्न का उपभोग करने योग्य हो गया है। क्योंकि क्रय शक्ति नहीं है इसलिए वह खरीद नहीं सकता। अतः आपको कपड़े के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे अधिक रोजगार मिले। अगर इससे अधिक रोजगार प्राप्त होगा तो इससे अधिक आमदनी होगी। अगर लोगों की आय अधिक होगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। केवल तभी वे किसी कपड़ा नीति से लाभ उठा सकेंगे, जो सरकार बनाने का विचार कर रही है। परन्तु यहां हम दूसरी ही स्थिति देखते हैं। मैं अपने पूर्व वक्ताओं द्वारा की गई आलोचना को दोहराना नहीं चाहता। मैं उन मुद्दों से सहमत हूं। मैं समयाभाव के कारण उन्हें नहीं दोहराना चाहता। परन्तु मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को एक बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि सरकार की नई नीतियों को लागू करते समय, जैसा कि हमने बजट पर चर्चा के समय फरवरी और मार्च में कहा था, ऐसी कई बातों की, जो देश की नीति की पारम्परिक रूप से अंग हैं, जो इस देश में किसी चीज का पारम्परिक प्रतीक बन गई हैं, उपेक्षा की जा रही है क्योंकि आप नए दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, नई प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, आधुनिकीकरण आदि की बात कर रहे हैं। इस मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई बातों को, जिनका सरकार ने बल्कि मुझे कहना चाहिए, किसी हद तक सम्पूर्ण देश ने इन तमाम वर्षों में समर्थन किया है, चुपचाप अलविदा कह दिया गया है, जान-बूझ कर अलविदा कहा गया है।

अब जहां तक हथकरघे का सम्बन्ध है, मैंने कभी भी उत्पादन के लिए हथकरघे का समर्थन नहीं किया है क्योंकि आधुनिक स्तर से यह है भी नहीं। 21 वीं शताब्दी की बातें करने वाले हथकरघा जैसी चीज को, जो कि प्राचीन है, उपेक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। परन्तु हम अपने देश की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। यह भारत है। यह जापान नहीं है। यह कोई और देश भी नहीं है। इस देश में गांधी जी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि यह हथकरघा एक विशेष बात का प्रतीक बन गया है। आंशिक रूप से यह इस देश में उस समय जब हम अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे जान-बूझकर विदेशी कपड़े की भरमार का विरोध करने का प्रतीक था। हमारे जैसे देश में बेरोजगारी बहुत है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जहां काफी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वहां यह हथकरघा ग्रामीण भारत में लोगों द्वारा अपनी रोजी-रोटी कमा कर जिन्दा रहने और लोगों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने का प्रतीक बन गया था। यदि सत्ता पक्ष इसे नष्ट करना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह उनका काम है कि लोगों के पास जाएं और स्थिति स्पष्ट करें।

प्रो० मधु दंडवते : यह उनकी संपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उनकी संपत्ति न हो। परन्तु यह सच है। कांग्रेस पार्टी के झण्डे पर हथकरघे का चिन्ह है। मेरे विचार में उनके लिए इसका कुछ महत्व है। इसका उनके लिए कुछ महत्व होना चाहिए। हमारे देश में सदा यह धारणा रही है कि मानव द्वारा किए गए उत्पादन और मशीन द्वारा किए गए उत्पादन में इस प्रकार का सन्तुलन रखा जाना चाहिए कि जब तक हमारा देश, जो अभी विकासशील है, एक निश्चित स्थिति तक न पहुंच जाए, इनमें एक उचित सन्तुलन होना चाहिए जिससे हमारे देश के निर्धन लोगों को सहायता मिले। अब इस नीति से मिल-क्षेत्र को लाभ होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा है उनकी सभी मांगे पूरी कर दी गई हैं और इस देश को तबाह करने के लिए तथा इकाइयों को रुग्ण घोषित कराने के लिए इनकी सारी करतूतों को भुला दिया गया है। श्री देवरा ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा 150 मिलों का अधिग्रहण किए जाने की बात कही है। उनका अधिग्रहण क्यों करना पड़ा ? उन्हें रुग्ण किसने घोषित किया ? इन मिलों को कौन बन्द कर रहा था जिसके कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उनका अधिग्रहण करना पड़ा ? इन मिल-मालिकों की सभी करतूतें माफ कर दी गई हैं। उन्हें मिलों के आधुनिकीकरण से किसने रोका था ? उन्होंने आई० डी० बी० ई० द्वारा पेश की गई राशि क्यों नहीं ली ? जूट मिल मालिकों की तरह कपड़ा मिल मालिकों ने कभी आधुनिकीकरण की परवाह नहीं की। उन्होंने धन वहां से निकाल लिया और अन्य कार्यों पर कहीं और खर्च कर दिया और इसके बाद उन्होंने सरकारी वित्तीय संस्थाओं से धन ले लिया, उन कम्पनियों को तबाह कर दिया, उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया, उन्हें बन्द कर दिया। इन सभी बातों को भुला दिया गया है। अब इस मिल क्षेत्र द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है। अब इसका शिकार कौन होगा ? क्या गरीब लोगों को कपड़ा मिलेगा जोकि इस मानव निर्मित धागे से, सिंथेटिक धागे आदि से बना होगा ? उन्हें नहीं मिलेगा। उस कपड़े को खरीदने की उनकी क्रय शक्ति नहीं है। वे केवल कंट्रोल के कपड़े को खरीदने की आशा रख सकते हैं, जिसका सारा भार हथकरघा क्षेत्र पर डाल दिया गया है। इसका अर्थ हुआ, अब हथकरघा क्षेत्र रुग्ण होगा। यह हथकरघा क्षेत्र को रुग्ण बनाने का एक तरीका है। इन बड़ी कपड़ा मिलों ने संगठित मिलों ने कंट्रोल का कपड़ा बनाने से इन्कार कर दिया है क्योंकि इससे इन्हें कोई लाभ नहीं होता। वे कहते हैं, इससे उन्हें घाटा होता है। उन्होंने इस कपड़े को बनाने का भार एन० टी० सी० की मिलों पर डाल दिया है। वे कहते हैं एन० टी० सी० मिल इस कंट्रोल के कपड़े के कारण घाटे में जा रही हैं। अब सारा भार हथकरघा क्षेत्र पर डाल दिया गया है। इस प्रकार यह हथकरघा क्षेत्र को रुग्ण बनाने का एक तरीका है। और कुछ नहीं है। और अब मिलों द्वारा विभिन्न किस्म का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने वाला कपड़ा केवल कस्बों और शहरों के सम्भ्रांत लोगों के लिए होगा या शायद उसका निर्यात किया जाएगा इस देश की वस्त्र नीति का यह मापदण्ड नहीं होना चाहिए।

एक भद्र पुरुष ने, जो अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, हिसाब लगाया है कि पांच वर्षों में एक मिलियन अर्थात 10 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह उनका हिसाब हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री जी, आपकी तरह हर कोई अपना हिसाब लगाता है। आप ठीक-

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

ठीक हिसाब नहीं दे सकें हैं कि हथकरघा क्षेत्र में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। वस्त्र मन्त्री कहते हैं सत्तर लाख। छठी योजना का प्रलेख कहता है चौरासी लाख। वस्त्र मन्त्रालय के सचिव ने मई के अपने प्रसारण में कहा है 100 लाख/1980 की आर्थिक जनगणना में कहा गया है 18.68 लाख। 1981 की जनगणना में कहा है 14.4 लाख। इसमें कुछ तो समानता होनी चाहिए। ये सब तो ठीक नहीं हो सकते। (व्यवधान) क्या हम औसत निकाल लें ?

प्रो० मधु दंडवते : कम्प्यूटर क्या कहता है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हथकरघा क्षेत्र कपड़ा उपलब्ध कराता आ रहा है। हमने कम पूंजी और अधिक रोजगार की सम्भावनाओं के कारण इसको प्रोत्साहित किया है। और मेरे विचार में अब आप वास्तव में हथकरघा-विरोधी नीति और खादी विरोधी नीति अपनाने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में मेरे कांग्रेसी मित्रों का क्या दृष्टिकोण है।

प्रो० मधु दंडवते : नए कांग्रेसी खादी नहीं पहनते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अब केवल एक बात और कहूंगा उसके बाद हथकरघे के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। यदि आप हथकरघे के प्रति गंभीर हैं तो क्या कारण है कि आपकी नई नीति में यह तो कई बार दोहराया गया है कि यदि मिल मजदूर विस्थापित होते हैं, नौकरी से निकाले जाते हैं, उनकी छंटनी होती है या बेरोजगार होते हैं तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उनका पुनर्वास किया जाएगा और उसके लिए एक विशेष निधि स्थापित की जाएगी आदि आदि और उन्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा—आपने जब इन बातों को कई बार दोहराया है तो आप यह आश्वासन हथकरघा मजदूरों को क्यों नहीं देते जो बेरोजगार होने वाले हैं ? उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वे बेरोजगार नहीं होने वाले बल्कि उन्हें और अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस सम्बन्ध में एक खण्ड का उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें कभी भी और अधिक रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : इस तथ्य मात्र से ही कट्रोल कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को सौंपा जा रहा है यह सुनिश्चित हो जाता है कि पांच लाख से दस लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : वे उस कपड़े के बोझ तले ही दब कर मर जाएंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आप उनके बारे में यह सोच सकते हैं परन्तु ऐसा कुछ नहीं होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : नहीं आपको हथकरघा क्षेत्र की समस्या की जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अकेले एक राज्य तमिलनाडु में ही लगभग 120 करोड़ रुपये की हथकरघा द्वारा उत्पादित वस्तुएं जमा हुई पड़ी हैं। उन्हें बेचा नहीं जा सकता। कपड़े का आखिर

एक ही बाजार है और उस बाजार में प्रतिस्पर्धा चल रही है। आप संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं आप हथकरघे को कुछ संरक्षण दीजिए। परन्तु वह संरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है क्योंकि मिल क्षेत्र पर या विद्युत करघा क्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे जितना मर्जी चाहे उत्पादन कर सकते हैं। और जिस धागे से मर्जी चाहे कर सकते हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये हथकरघे का बाजार से बाहर हो जाना निश्चित है ?

एक माननीय सदस्य : कट्रोल के कपड़े के बारे में क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे या तो कट्रोल के कपड़े के बोझ के कारण डूब जाएंगे या उनका कपड़ा कोई नहीं खरीदेगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं स्पष्ट करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक विद्युत करघा क्षेत्र का सम्बन्ध है यहां बहुत कुछ कहा गया है। विद्युत-करघों के साथ मुख्य समस्या यह है कि संगठित मिल क्षेत्र को गैर-कानूनी ढंग से बेनामी ढंग से, चोर दरवाजे से विद्युत करघा क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए। आप विद्युत करघे के कामगारों की स्थिति के अतिरिक्त सब चीजो में समानता लाए हैं। जहां तक शुल्क, ड्यूटी और करों का संबंध है आपने मिलों के साथ समानता ला दी है परन्तु सबसे बुरी दशा तो विद्युत करघों के मजदूरों की है जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, इस वेतन से भी वे भूखों मरते हैं। उनके लिए कोई सेवा-शर्तें नहीं हैं, कोई श्रम कानून नहीं है। आपने कोई वायदा भी नहीं किया है। विद्युत करघों की स्थापना के बाद उनका पंजीकरण नहीं होना चाहिए। पहले विद्युत करघों की स्थापना करना फिर पंजीकरण कराना इस सबको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। हम जानते हैं उनका पंजीकरण कैसे होता है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि यदि आप विद्युत करघों को मिलों की बनायी एजेंसी के रूप में कार्य करने देने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि मिलों पर से हटाए गए प्रतिबन्धों के बावजूद उनके लिए विद्युत करघों से काम कराना सस्ता पड़ता है, इसलिए यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो इसके दो या तीन तरीके हैं। विद्युत करघों की सहकारी क्षेत्र में स्थापना में सहायता दी जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इस समय सहकारी क्षेत्र में कोई नहीं है। हथकरघे तो सहकारी क्षेत्र में हैं परन्तु विद्युत करघे नहीं हैं। उनकी स्थापना भी अवश्य ही सहकारी क्षेत्र में होनी चाहिए। इनके मजदूरों को भी संगठित क्षेत्र में मजदूरों के समान वेतन मिलना चाहिए, अच्छी सेवा शर्तें होनी चाहिए श्रम संरक्षण मिलना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा है अपंजीकृत विद्युत करघों की स्थापना नहीं करने दी जानी चाहिये। परन्तु आपने अपनी नीति में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।

इसके बाद, अन्त में यह मैं कहूंगा कि इस नीति में मिल क्षेत्र की रुग्णता का कारण, जो कि स्वयं मिल-मालिकों ने कहा है, नियन्त्रण और विनियमन उपायों की भरमार है यही बात कर दाता, बड़े कर दाता, जो सदा आय कर की चोरी करते हैं, कहते हैं। आपको याद होगा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कर बहुत लगाए गए हैं और कई किस्म के विनियम आदि हैं। इसलिए सब कुछ खत्म कर दीजिए। अब इस मामले में भी यही बात कही गई है। यह हरी झण्डी क्या दिखाई गई है ?

[श्री इन्द्र जीत गुप्त]

आधुनिकीकरण के लिए नई प्रौद्योगिकी । परन्तु उन मालिकों के लिए कुछ नहीं कहा गया जो इन मिलों को रुग्ण बनाते है । क्या उनका भी आधुनिकीकरण होगा ? उन लोगों के सम्बन्ध में यहां आश्वासन दिया गया था कि इस कुप्रबन्ध को जारी नहीं रहने दिया जाएगा । (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वह इसमें लिखा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लिखा तो कुछ भी जा सकता है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कुप्रबन्ध और अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था को दूर किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि फरवरी के बाद से कितने लोगों को हटाया गया है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : इस नीति पर घोषणा के बाद विचार किया जा रहा है । केवल दो महीने हुए हैं । आप मुझसे यह आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं आपको कुप्रबन्ध दूर करने के विषय में उदाहरण दूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नई प्रौद्योगिकी की सहायता से आधुनिकीकरण का अर्थ होगा बड़े पैमाने पर यौक्तिकीकरण और श्रमिकों का विस्थापन । आप केवल यह वायदा कर रहे हैं कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया जायेगा । बस । उत्पाद-मिश्र एक आमूल परिवर्तन है । किसके लाभ के लिए ? यह इस देश के आम आदमी के लाभ के लिए नहीं है । समाज के सम्भ्रांत वर्ग के लाभ के लिए और उस विदेशी बाजार के लिए जिसमें आप प्रवेश करने का स्वप्न देख रहे हैं और जिसमें आप कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे । निर्धन लोगों के लिए उत्पादन की कोई जिम्मेवारी नहीं । मिल बन्द करने या छंटनी को रोकने के सम्बन्ध में जितने कानूनी प्रतिबन्ध थे सब हटा लिए गए हैं ।

इस समय कानूनी उपाय हैं परन्तु आप अपनी नीति में कह रहे हैं कि इन बातों को रास्ते में आड़े नहीं आने दिया जाएगा । आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों का बन्द करना आवश्यक है चाहे वे सरकारी क्षेत्र में क्यों न हों । इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या वे रुग्ण हुई हैं या नहीं, वे आर्थिक दृष्टि से अक्षम कैसे बनीं, उनके आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने की आशा है या नहीं ? इस प्रकार आपने इन आर्थिक दृष्टि से अक्षम या रुग्ण इकाइयों की जिम्मेदारी से पूर्णतया छुटकारा पा लिया है ।

अत: महोदया मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह सारी नीति हमें पीछे ले जाने वाली नीति है । यह बिल्कुल पीछे ले जाने वाली नीति है । इससे निर्धन लोगों को कपड़ा सस्ता नहीं मिलेगा जैसा कि सोचा गया था । इसका एक ही हल है—क्योंकि श्री मुरली देवरा ने पूछा था, "इसका क्या हल है ?"—मेरा हल उन्हें पसन्द नहीं आएगा, फिर भी वह यह है कि वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को, सम्पूर्ण उद्योग को तबाही से बचाने का एक ही उपाय है—यदि सरकार में साहस हो तो वह इसका अधिग्रहण कर ले पूरे उद्योग का अधिग्रहण कर ले ।

श्री मुरली देवरा : सम्पूर्ण उद्योग का ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां। सबका राष्ट्रीयकरण कर लो और फिर चलाओ।

श्री मुरली देवरा : अब तो चीन राष्ट्रीयकरण खत्म कर रहा है। यहां तक कि चीन भी राष्ट्रीयकरण खत्म कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप 'यहां तक कि चीन भी' की क्यों चिन्ता है ? केवल आप चीन से भयभीत नजर आते हैं।

सभापति महोदया : इस प्रकार की इधर-उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं अनुमति नहीं देती हूं। अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार टुकड़ों में अथवा इस प्रकार का हल नहीं होना चाहिए जैसा वे छोटे रास्ते से अथवा आधे दिल से या आंशिक रूप से करना चाहते हैं। इस सबका अर्थ है कि इस सम्पूर्ण वस्त्र नीति को भारत की ठोस आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता और वे छोटे से समृद्ध वर्ग के लिए इतने बड़े निर्धन वर्ग को बलि पर चढ़ा रहे हैं और इसके पीछे उनका वही बजट दर्शन है मुझे लगता है यहां भी उसी बात को दोहराया जा रहा है।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस नीति को अस्वीकार किया जाए और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श से एक नई नीति बनाई जाए। क्या उन्होंने उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श किया था। मेरा तात्पर्य इस सभा में परामर्श करने से नहीं है। मेरा तात्पर्य उद्योग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित व्यक्तियों से है। हमें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने किससे परामर्श किया ? उन्होंने किस की राय ली ? क्या कारण है कि इस नीति की घोषणा के बाद सिवाए बड़े मिल मालिकों के, सबने – हथकरघा क्षेत्र ने, विद्युतकरघा क्षेत्र ने इसका विरोध किया है ? सब यही शिकायत कर रहे हैं कि वे डरे हुए हैं, सब यह अनुभव कर रहें हैं कि मुट्ठी भर बड़े मिल मालिकों के लिए उनकी बलि दी जा रही है। इस नीति का इस देश में यह कैसा स्वागत हो रहा है ? सरकार को इस सभा में व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान करते हुए इस पर पुन: विचार करना चाहिए। वे इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं और उनके पास इसकी पुनरीक्षा करने और इस देश के लोगों के हितों के अनुरूप इसे पुन: बनाने का समय भी है।

सभापति महोदया : श्री कुमार मंगलम।

एक माननीय सदस्य : उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कपड़े का केवल उपभोक्ता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप केवल मुरली देवरा के कहे अनुसार चलते हैं।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : सभापति महोदया, जहां तक नई वस्त्र नीति का संबंध है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। क्योंकि समय की मांग है कि स्वीकार्य किस्म का कपड़ा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कपड़े की कीमतें आकाश छू रही हैं। किसी भी किस्म के थोड़े से अच्छे कपड़े की कीमतें, जरूरी नहीं वह खादी ही हो, पर खादी की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। अतः इस नीति का यह उद्देश्य रखना बहुत आवश्यक था और मैं इसका स्वागत करता हूं और इस सम्बन्ध में जो अन्य छोटे-मोटे मुद्दे उठाए गए है वे वास्तव में इसके समक्ष कहीं नहीं ठहरते।

सभापति महोदया, जहां तक इस नीति के तीन पहलुओं पर किए गए विचार का सम्बन्ध है -- पहला है उद्योग को इसकी निर्माण प्रक्रिया के चरणों—अर्थात कताई, बुनाई और संसाधन की दृष्टि से देखा जाएगा। आप चाहे इसे विद्युत करघा या हथकरघा या मिल के वर्गीकरण के अनुसार लें या कताई, बुनाई और संसाधन के दृष्टिकोण से लें उससे वास्तव में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। महत्त्व तो इसके उद्देश्य का है ? इसमें कहा गया है कि उद्योग विभिन्न किस्म के धागे का इस्तेमाल कर सकता है। मेरे विचार में यह स्वागत योग्य परिवर्तन है। यह बिल्कुल उचित समय है जब भारत को चूकना नहीं चाहिए और हमें पुराने दिनों की भांति यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि भारत केवल खादी का उत्पादन करेगा।

जहां तक तीसरे का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरे अपने कुछ अलग विचार हैं। इसमें लिखा है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए क्षमता बढ़ाने या कम करने के संबंध में उद्योग व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायेगा। यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है परन्तु जब कार्यान्वयन करना पड़ता है तो हम देखते हैं कि प्रभावित करने वाले इन मधुर शब्दों का प्रयोग पूंजीपति मजदूरों का शोषण करने के लिए करते हैं। मेरे विचार में जब तक सरकार कानून द्वारा और स्वयं सचेत रह कर पूर्ण सावधानी से यह सुनिश्चित नहीं करती कि इसका इस्तेमाल मजदूरों से छुटकारा पाने, मजदूरों का शोषण करने के लिए और यह पक्का करने के लिए नहीं होगा और यह नहीं कि केवल समृद्ध लोग ही कपड़ा उद्योग से धन कमाएं, तब तक इस पहलू से नाजायज फायदा उठाये जाने की संभावना है। अन्य दो महत्त्वपूर्ण पहलू मेरे विचार में हानिकारक नहीं हैं, वे स्वागत योग्य है। यहां तक कि मुख्य उद्देश्य भी प्रशंसनीय है।

जहां तक बुनकर क्षेत्र का सम्बन्ध है—संगठित विद्युत करघों अर्थात् मिलों को तथा असंगठित विद्युत करघों को मिलाना और यह कहना, कि उनकी अन्तर्निहित शक्ति तथा सामर्थ्य के आधार पर उन्हें प्रतिस्पर्धा की अनुमति दे दी जानी चाहिए, गलत है क्योंकि यह इस उक्ति के समान है जैसे भारत के मध्यमवर्ग को कहा जाए कि वे पूंजीपतियों की बराबरी करें। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मसला है। ऐसा करना वैसा ही है जैसा भारत के औसत मध्यमवर्गीय व्यक्ति से कहा जाए कि एक महीने में लाखों रुपये कमाने वाला अमीर आदमी अगर 13 रुपये किलो टमाटर खरीद सकता है तो वह क्यों नहीं खरीद सकता ? इस बारे में जो भी कहा जाए वह कम होगा। मंत्री महोदय को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस रवैये के कारण बहुत शीघ्र ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि 75 लाख हथकरघा कामगारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अलावा सातवीं योजना में 32 लाख विद्युत करघा कामगारों

को भी आर्थिक सहायता देने पर विचार करना पड़ेगा। अगर विद्युतकरघा उद्योग के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो रुग्ण हथकरघा उद्योग को सहभागी के रूप में रुग्ण विद्युत करघा उद्योग का साथ मिलेगा।

विद्युत करघा उद्योग को सहकारी समितियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका उल्लेख किया है। मैं इसका तहेदिल से स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें। केवल विपणन कार्यों के लिए ही विद्युतकरघा सहकारी समितियां नहीं होनी चाहिए बल्कि संसाधन तथा अन्य कार्यों के लिए भी सहकारी समितियां होनी चाहिए ताकि हथकरघा क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके। अन्यथा बहुत शीघ्र ऐसा समय आएगा जब आधुनिक हथकरघा उद्योग रुग्ण उद्योग हो जाएगा।

मुझे यह देखकर दुख होता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य हथकरघा पर जोर देते हैं। वे नहीं जानते कि वस्त्र नीति में हथकरघा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। मेरे ख्याल से हथकरघे के आधुनिकीकरण का अभिप्राय करघे में सुधार करना ही नहीं बल्कि मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के विभिन्न तरीकों में भी सुधार लाना है। इसके अलावा, कुछ समय बाद हथकरघा क्षेत्र को असंगठित विद्युत करघा क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है। मुख्य समस्या यह है कि कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में धनवान, शक्तिशाली गिनी-चुनी मिलें तथा उनके मिल मालिक हैं। विद्युत करघों का एक छोटा हिस्सा मिलों का खुशामदी बना हुआ है। कुछ हथकरघा उद्योग जो विद्युतकरघा क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और कुछ हथकरघा उद्योग ऐसे भी हैं जो विद्युतकरघे में परिवर्तित होने का स्वप्न तक नहीं देख सकते। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सारी नीति को केवल इसलिए नामंजूर नहीं कर देना चाहिए कि इसमें विस्तृत ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। इसमें सभी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें मिलों से कहा गया है कि वे सुधार लाएं। वस्त्र नीति में यह इच्छा व्यक्त की गई है कि मिलें कार्यकुशल बनें। रुग्ण मिलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे पहले की तरह अब भी वही सब कर सकती हैं। मिलों से पैसा निकाल कर उन्हें रुग्ण बना दें और फिर राष्ट्रीय वस्त्र निगम की तरह उनका अधिग्रहण किया जाए। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर मिलों में प्रबन्ध सही नहीं हुआ तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। हमें इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए। यही नहीं इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वे मिलों में लगी अपनी पूंजी कम कर सकते हैं लेकिन उन्हें कामगारों के हितों की रक्षा करनी होगी। मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस मामले में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कामगारों के लिए पूर्व प्रबन्ध किए बिना अर्थात् उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा या कहीं और खपाया जाएगा उन्हें पूंजी कम करने की अनुमति दे दी जाए। किसी भी मिल को उसमें लगी पूंजी को कम करने की अनुमति देने से पूर्व वस्त्र मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होगा कि इससे एक भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। यह कहना काफी नहीं है कि, "मैं तुम्हें छंटनी के एवज में मुआवजा दूंगा"। बेरोजगारी एक रोग है। इसने हमारे देश पर अपना प्रभाव डाला है। बेरोजगारी के कैंसर को देश के अन्य भागों में न फैलने दिया जाए। बेरोजगारी आर्थिक रूप से हमें मिटा देगी।

एक और बात यह कहनी है कि केवल मिलों के मामले में प्रौद्योगिकी की चर्चा की गई है।

[श्री पी० आर० कुमार मंगलम]

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह विद्युतकरघा, हथकरघा तथा हथकरघा में भी विद्युत के प्रयोग से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी पर विचार करें। दक्षिण भारत में ऐसा किया गया है।

अन्त में, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में सहकारी हथकरघा क्षेत्र में 9 करोड़ रुपये की लागत का माल पड़ा हुआ है लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतकरघे भी हैं और हथकरघे भी। दोनों को लग रहा है कि यह नीति उन्हें खत्म करने के लिए है। मंत्री जी को चाहिए कि वह स्पष्ट करें कि नीति की गलत व्याख्या की जा रही है तथा उसे गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। यह नीति तो हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्र को उस अंधकार से निकालेगी जिसमें वे काफी समय से पड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मिलों द्वारा कुछ विद्युतकरघों की बेनामी इस्तेमाल करने से सारे हथकरघा क्षेत्र के साथ ऐसे सौतेले बच्चे की तरह, जिसे रजिस्ट्रेशन द्वारा वैधता तो दे दी गई है लेकिन जिसे अभी भी अछूता माना जा रहा है, का सा व्यवहार किया जा रहा है। इस नीति को मंजूर करने का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि विस्तृत ब्यौरों का हिसाब-किताब लगाते समय विभिन्न क्षेत्रों से विचार-विमर्श किया जाए तथा उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं नयी टैक्सटाइल पालिसी के संबंध में अपने कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। काफी समय से एक नयी वस्त्र नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और पिछले महीने हमारे टैक्सटाइल मंत्री महोदय ने नई टैक्सटाइल पालिसी घोषित की तथा राष्ट्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। इस नीति में जहां एक ओर कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की बात कही गई है, उत्पादकता बढ़ाने की बात कही गई है, अच्छे किस्म का कपड़ा देशवासियों को देने की बात कही गई है वहीं दूसरी ओर जो हथकरघा उद्योग है, हैण्डलूम उद्योग है उसके उत्पादन के हितों का संरक्षण करने की बात भी कही गई है। अच्छा तो यह होता कि अन्तिम रूप में स्टेटमेन्ट देने के पूर्व इस सदन की राय जान ली जाती और यहां पर चर्चा हो जाती।

फिलहाल जो मुख्य मुद्दे इस नयी नीति में सरकार की ओर प्राथमिकता के रूप में उठाए गए हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पैरा 19.6 में लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधुनिकीकरण के कार्यक्रम क्रियान्वित करने में श्रमिकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो—मैं समझता हूं यह एक प्रशंसनीय काम है जो इस बात को दर्शाता है कि जहां हम माडर्नाइजेशन प्लान्ट लगा रहे हैं, कपड़ा मिलों को आधुनिक करने में और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में नयी टेक्नालाजी का प्रयोग कर रहे हैं वहीं श्रमिकों के हितों का भी पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे।

इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि आधुनिकीकरण

करने के बाद मिलें कौन-सा कपड़ा बनाएंगी ? वह कपड़ा हमारे देश के आर्थिक सामाजिक ढांचे के अनुरूप होगा या निर्यात के लिए अधिक से अधिक मात्रा में कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं इस प्रकार के कपड़े का निर्माण तो नहीं करने लग जाएंगे जो देश के आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा न कर सके ? इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक ढांचे को देखते हुए, देश की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए मिलों को स्पष्ट निर्देश होने चाहिएं कि किस तरह की आधुनिकता लाई जाए और किस किस्म का कितना कपड़ा मिलों में बनाया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने हथकरघा उद्योग को विशेष रियायतें दी हैं, उनके संरक्षण का विशेष उल्लेख करके आपने दर्शाया है कि हमारी सरकार देश में हैण्डलूम कपड़ा बनाने के लिए वचनबद्ध है, उसको वह प्राथमिकता देती है क्योंकि जहां इसमें अच्छे किस्म के कपड़े का निर्माण होता है वहीं साथ ही साथ रोजगार के साधन भी इस उद्योग के साथ सैकड़ों वर्षों से जुड़े हुए हैं। जैसी कि आपने भावना व्यक्त की है कि 650 मिलियन मीटर कपड़ा अभी एन० टी० सी० की मिलों के माध्यम से और पावरलूम के माध्यम से बनता आया था वह हैण्डलूम के माध्यम से बनेगा और उससे दस लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार सुलभ हो सकेगा। यह निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कदम है। किन्तु दूसरी ओर यदि गरीब व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप देखा जाए और दस मीटर कपड़े की आवश्यकता पर-कैपिटा मानी जाए तो 650 मिलियन मीटर कपड़ा केवल साढ़े 6 करोड़ आबादी के लिए ही पर्याप्त हो सकेगा जबकि आज भी हमारे देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जोकि गरीबी की सीमा से नीचे रहते हैं तो इन लोगों की आवश्यकता के लिए कपड़े का निर्माण कौन करेगा ? इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तीन हजार मिलियन मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा सुझाव है जहां आप हैण्डलूम के माध्यम से करीब 650 मिलियन मीटर कपड़ा बनाना चाहते हैं। पावरलूम के माध्यम से कपड़ा बनाने की हमारे पास अभी भी गुंजाइश है और एन० टी० सी० के माध्यम से कंट्रोल का कपड़ा बनाने की हमारे पास गुंजाइश है, क्योंकि बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए हमारे देश को तीन हजार मिलियन मीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण से इस स्थिति के बारे में पता चलता है।

दूसरी बात, पावरलूम पर रिस्ट्रिक्शन लगा कर एक योजनाबद्ध तरीके से उसको विकसित करने की बात कही है। उनको जो सुविधाएं दी जाती थीं या उनका दुरुपयोग जो बड़े-बड़े मिल-मालिक करते थे, उन पर रोक लगाकर आपने हैण्डलूम के हितों की रक्षा की है; यह निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कदम है। हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि जो सुविधाएं हमने वापिस ले ली हैं, उससे उनकी उत्पादन क्षमता और रोजगार की सुलभता पर किसी तरह से भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए उनके हितों की रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। मेरा यह भी सुझाव है कि उसमें कन्ट्रोल का कपड़ा भी बनाया जा सकता है या अन्य नीति के अन्तर्गत विशेष प्रकार का कपड़ा योजनाबद्ध तरीके से बनाने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में दिया जा सकता है।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार उन्होंने हैण्डलूम के साथ-साथ रेशम का उत्पादन और रेशम के उत्पादन से बनने वाले कपड़ों की ओर विशेष

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

रूप से ध्यान देकर अपनी बात टैक्सटाइल पालिसी में कही है। इसके लिए भी हमारी सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को कुटीर उद्योगों के साधन उपलब्ध होंगे, ऐग्रीकल्चर के अन्तर्गत उनमें एक नये प्रकार के वन के आधार पर उद्योगों की भावना बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर उससे प्राप्त उत्पादन को, उससे प्राप्त कच्चे माल को हम अपने बुनकरों के माध्यम से प्रोसेस करवाकर लघु और कुटीर उद्योगों में एक अच्छी वस्तु तैयार करने की ओर ध्यान दिला सकेंगे। आज आवश्यकता है, इन सब नीतियों में हमें आधुनिक तकनीक और अच्छे होशियार दक्ष कारीगर और उनको समय पर अच्छा माल उपलब्ध कराने की। इन सबके बीच में एक को-आर्डिनेशन की आवश्यकता है। कच्चा माल तैयार हो जाता है, लेकिन मार्केट नहीं मिल पाती है। हैण्डलूम और खादी के कपड़े के कच्चे माल के लिए वे लोग तरसते रहते हैं। उनकी क्षमता को देखते हुए अच्छा माल न मिलने की वजह से हम उनकी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आपने नेशनल हैंलूम डवेलपमेंट कारपोरेशन बनाया है और जो के० वी० आई० सी० भी काम करती है, इनको सेन्ट्रल एजेंसी के रूप में और मार्केटिंग कन्सोर्टियम के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उससे रोजगार के साधन उपलब्ध करा पाएंगे। अच्छे किस्म का कपड़ा बना पाएंगे। काफी अच्छी मात्रा में निर्यात भी कर पाएंगे, क्योंकि विदेशों में रेशम के कपड़े की ही नहीं हैण्डलूम के कपड़े की भी मांग है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। धन्यवाद,

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदया, इस नई वस्त्र नीति को पढ़ते समय मुझे एक बात महसूस हुई कि इसमें सभी प्रकार के आंकड़ों का नितांत अभाव है। इसीलिए हमें दूसरे कागजात यह जानने के लिए पढ़ने पड़े कि मिलों के बंद होने से या मिल निर्मित वस्त्रों की कीमतें गिरने से बाजार के अभाव में कुछ हथकरघा क्षेत्र के बन्द होने से कितने लोग प्रभावित होंगे। नीति में इसका कम से कम कुछ उल्लेख तो किया जाना था क्योंकि कहा जा रहा है कि इस नीति द्वारा भारतीय कपड़ा क्षेत्र में बहुत परिवर्तन किए जाएंगे—इससे मिलों में काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के कामगारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनकी संख्या कितनी है? इस नीति के अन्तर्गत मिलों के आधुनिकीकरण की स्वीकृति दी गई है अगर मिलों को इसकी अनुमति दी गई तो कितने कामगारों की छंटनी होगी? हथकरघा कामगारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सबका उल्लेख नहीं किया गया है। अभी-अभी वस्त्र मंत्री महोदय ने बताया है कि 5 लाख से 10 लाख और हथकरघा कामगारों को रोजगार मिलेगा।

5.00 म० प०

यह बात वस्त्र नीति में शामिल की जा सकती थी और तब हम इस नीति को अलग परिपेक्ष्य में देख सकते थे तथा यह जानने का प्रयास करते कि यह निष्कर्ष सही है अथवा नहीं। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ये निष्कर्ष किन धारणाओं पर आधारित हैं। एक धारणा यह हो सकती है कि अगर उत्पादन शुल्क में कमी करके मानव निर्मित फाइबर की कीमतें कम की गईं तो मिश्रित वस्त्र अथवा नकली फाइबर की कीमतें कम हो जाएंगी। यह धारणा भ्रांतिपूर्ण है। दूसरी धारणा यह

है कि अगर कीमतें कम हो गईं तो बाजार-भाव बढ़ जाएंगे और यह वस्त्र अधिक बिकेगा। यह धारणा भी भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वस्त्रों की बिक्री उनकी कीमतों पर निर्भर न होकर लोगों की खरीद-क्षमता पर निर्भर करती है। भारत में 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अतः अगर खरीद की सामर्थ्य नहीं होगी तो वे किसी भी किस्म के बनावटी फाइबर से निर्मित कपड़ा खरीदने की बात सोच भी नहीं सकते। स्वभावतः इसकी खरीद उच्च आय वर्ग तक ही सीमित रहेगी और वे तो इसे खरीदते ही हैं। अगर इनकी कीमतों में 2-3 रुपये की कमी की भी गई तो भी वे उसे अधिक नहीं खरीदेंगे। अतः कीमतें घटने पर अधिक बिक्री, राजस्व के स्थायी रहने तथा अधिक लोगों को रोजगार मिलने की बात भ्रांतिपूर्ण है। नीति में उस प्रौद्योगिकी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी स्वीकृति दी जाएगी। स्वचालित करघों, तकवे रहित करघों का कुछ उल्लेख किया गया है। अगर गैर-स्वचालित करघों के स्थान पर स्वचालित करघों की स्वीकृति दी गई तो कितने कामगारों को रोजगार से हटाया जाएगा? मान लो सभी मिलों को स्वचालित मिलों अथवा तकवे रहित मिलों के लिए धन दिया जाए तो मिल में काम करने वाले लगभग 7 लाख लोगों में से कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? कितने लोगों की छंटनी की जाएगी? इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इन आंकड़ों के बिना हम नीति की सही आलोचना कैसे कर सकते हैं? इस नीति के बारे में अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों तक ही हमारी जानकारी सीमित है। नीति का प्रकाशन बहुत धूमधाम से किया गया तथा कपड़ा उत्पादन क्षेत्र के उच्च अधिकारियों ने इसका स्वागत किया है। बिरला, मफतलाल, टाटा आदि ने इसका स्वागत किया है क्योंकि उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, कामगारों की छंटनी करने और अपनी मनमरजी करने, कपड़ा मिलें बंद करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। अतः उन्होंने इस नीति को बहुत पसंद किया है, कहा जा रहा है कि यह आजादी हर क्षेत्र को दी जाएगी। मान लीजिए विद्युतकरघा मालिकों को कहा जाए कि वे आधुनिकीकरण आदि कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास ऐसा करने के लिए साधन हैं। अगर वे स्वतन्त्र रूप से काम कर रहे हैं तो क्या उनके पास साधन होंगे। अतः या तो आप विद्युतकरघों को मिलों पर और अधिक आश्रित बना रहे हैं या फिर आप उन्हें ऐसी खयाली स्वतंत्रता दे रहे हैं जिसका उपयोग वे कभी नहीं कर सकेंगे। यह कहा जाता है कि हथकरघा, विद्युतकरघा तथा करघा को परस्परिक भागों में न बांट कर कातना-बुनना, तैयार करना स्तरों के आधार पर बांटा जाएगा। लेकिन यह विभाजन मिलों के मामले में ही किया गया है, हथकरघा तथा विद्युतकरघों के मामलों में नहीं। आर्थिक मजबूरियों के कारण उन्हें कपड़ा तैयार करने के मौजूदा तरीके के अनुरूप ही कार्य करना होगा। हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध कराने की बात की गई है। लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। वक्त आने पर जब हम वस्त्र मंत्री से इस बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि कृषि मंत्री ने कपास की पैदावार के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई तथा सरकार ने कपास उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया। फलस्वरूप कपास की पैदावार कम हुई है और उसकी कीमत बढ़ गई और हथकरघा क्षेत्र में कम कपड़ा तैयार किया गया। महोदय, मैं इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि स्पष्ट उल्लेख है कि इस नीति पर विचार करते समय उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों पर भी जरूर विचार किया है। उन्होंने योजना आयोग से सातवीं पंचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए कहा है।

योजना आयोग ने केवल 117 करोड़ रु० दिये हैं, जो विभाग की मांग का केवल 20% है।

[श्री अमल दत्त]

अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमें समझाएं—हम अज्ञानी हैं और हमें मालूम नहीं है—प्रत्येक वर्ग में कितने धन की आवश्यकता है। चूंकि 550 करोड़ रुपये की जगह उन्हें केवल इस राशि का 20 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है, क्या वह अभी भी इस नीति को क्रियान्वित करने की स्थिति में हैं? पिछली नीति भी कोई बुरी नीति नहीं थी क्योंकि उस नीति का मुख्य उद्देश्य भी भारत की आम जनता को उचित दर पर कपड़ा उपलब्ध कराना था। 1981 की कपड़ा नीति का यह प्रथम उद्देश्य है। मंत्री महोदय, इस नीति को इस प्रकार से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्होंने ही इसे पहली बार बनाया हो। ऐसा नहीं है। सभी कपड़ा नीतियों का हर समय यही उद्देश्य रहा है। 1978 में भी, कपड़ा नीति का यही मुख्य उद्देश्य था। परन्तु उन नीतियों को विभिन्न रुकावटों के कारण लागू नहीं किया गया है। रुकावटों को वह किस प्रकार से दूर करेंगे? एक रुकावट रास्ते में यह है कि आप मिल मालिकों को विशेषकर शक्तिशाली वर्ग के मिल मालिकों को छूट दे रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार का आधुनिकीकरण, किसी भी किस्म की तकनीक तथा जहां से भी चाहें उसका आयात कर सकते हैं। स्वदेशी कपड़ा मशीन निर्माताओं को नई मशीनें बनाने के इस खास कार्य को भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि ये इन मशीन निर्माताओं के भी हित में नहीं है। ये मिल मालिकों से कह रहे हैं कि वे किसी भी देश से आयात कर सकते हैं, इसका कोई प्रश्न नहीं है कि वह मशीनरी कितनी आधुनिक होगी। सम्भवतः, प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात है कि जापान और कोरिया जैसे कुछ देशों में कपड़ा मिलें बहुत कम कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं क्योंकि वे सभी मिलें स्वचालित हैं तथा इलेक्ट्रोनिक माइक्रो प्रोसैसर आदि द्वारा नियंत्रित हैं। अतः हमारे देश में, एक मिल को, जो आजकल लगभग 3,000 या 4,000 लोगों की भर्ती करती है, केवल 300 या 400 लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता होगी और मिल को इनसे भी कम लोगों द्वारा चलाया जा सकेगा। क्या आपने कभी इस सम्भावना पर भी विचार किया है? जब श्रमिकों की छंटनी की जाएगी तब उनका हक आप किस प्रकार दिलाना सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल, मैंने माननीय श्रम मंत्री से पूछा है कि आप किस प्रकार यह निश्चित करेंगे कि भविष्य निधि तथा अन्य राशियों की शेष राशियां श्रमिकों को मिल गई हैं। बम्बई कपड़ा हड़ताल से काफी लोग नौकरी से वंचित हो गए हैं और बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें अभी तक अपने पैसे भी नहीं मिले हैं, किसी अतिरिक्त सुविधा, या मुआवजे की बात तो छोड़ ही दीजिए।

अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह लगभग 15 करोड़ रुपये पुनःस्थापन कोष में रखेंगे। परन्तु योजना आयोग द्वारा इस मंत्रालय के आवंटन को घटाकर इसकी मूल मांग को 20 प्रतिशत किए जाने के बाद, कोष की धनराशि भी घटाकर 3 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से हथकरघा क्षेत्र में दस या पांच लाख और लोगों को रोजगार दिलाएंगे? किस प्रकार वह इस उद्योग को अधिक रुई उपलब्ध कराएंगे? किस प्रकार वह सुनिश्चित करेंगे कि मिल क्षेत्र से छंटनी किए गये लोगों को समुचित मुआवजा दे दिया गया है? इन सबके लिए पैसा कहां है?

और इसके बाद, यह हिसाब लगाया गया है कि मिलों के आधुनिकीकरण पर लगभग 2,500

करोड़ रुपये की लागत आयेगी। धन कहां से आयेगा ? यह सस्ता ऋण पहले ही 1976 से मौजूद है। 8 वर्षों में, 1976 से 1984 तक, केवल 350 करोड़ रुपये ही आई० डी० बी० आई० द्वारा बांटे गए हैं। पैसा कहां से आयेगा और किस प्रकार से यह आधुनिकीकरण होगा ? जैसा कि पहले ही बहुत से लोगों ने बताया है कि यह आधुनिकीकरण अगर होता है, केवल हमारे देश के चुनिंदा लोगों के एक छोटे से वर्ग को लाभान्वित करेगा और सम्भवत: निर्यात उद्योग को जिससे कुछ चुनिंदा लोगों का सम्बन्ध है। इसके लिए भी, मैं नहीं समझता कि आपके पास नीति को क्रियान्वित करने के लिए क्षमता तथा वित्तीय साधन है।

5.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने चाहे जो कहा हो, परन्तु सरकार द्वारा हाल में बनाई गई कपड़ा नीति एक महत्त्वपूर्ण नीति वक्तव्य है और कोई भी सरकार द्वारा किया गया एक अकेला नीति परिवर्तन गत दो दशकों में इतना प्रभावकारी नहीं रहा जितना कि यह कपड़ा नीति वक्तव्य रहा है।

नई कपड़ा नीति का समर्थन करते हुए मैं अपने आपको हथकरघा उद्योग तक सीमित रखूंगा जो भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से पहले और बाद में हथकरघा इतिहास के साथ घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हो गया है। आजादी से पहले और बाद का हथकरघा इतिहास भारतीय ग्रामीण जनता के आंशिक रोजगार तथा बेरोजगारी के विरुद्ध संघर्ष का युद्ध रहा है।

यह परम्परागत कुटीर उद्योग कठोर श्रम साध्य है तथा देश के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। 1 करोड़ से भी अधिक लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस उद्योग पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। ग्रामीण रोजगार तथा आय की दृष्टि से इस उद्योग का स्थान कृषि के बाद आता है।

केरल में हथकरघा का परम्परागत उद्योगों में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। उत्तर केरल में ही अकेले इस उद्योग पर एक लाख परिवार निर्भर हैं। हम कैसे इस परम्परागत उद्योग की उपेक्षा कर सकते हैं चूंकि इससे परिवार के सभी सदस्यों को काम करने का अवसर प्राप्त होता है ?

केरल में 1976 के हथकरघा गणना के अनुसार राज्य में 90,030 करघे (लूम) थे जिसमें 63,169 करघे (लूम) घरेलू उद्योग तथा 26,861 अन्य दूसरे संस्थानों में थे। 40.50 प्रतिशत करघे राज्य के अकेले कन्नानोर जनपद में थे। 1980-81 में केरल में हथकरघा कपड़े का कुल अनुमानित उत्पादन 9 करोड़ मीटर है जिसका मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपये है।

केरल से निर्यात किए गए हथकरघा की क्वालिटी तथा मूल्य सम्बन्धी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्यातकों द्वारा निर्यात का अधिक हिस्सा बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा बंगलोर आदि स्थानों से निर्यात किया जाता है। जैसे भी हो, 25.30 करोड़ रुपये मूल्य का हथकरघा केरल से प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है।

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

कम वेतन तथा बेहतर औद्योगिक सम्बन्धों से आकर्षित होकर, कन्नानोर के समान हथकरघा उत्पादों का उत्पादन तमिलनाडु में भी किया जा रहा है।

केरल में हथकरघा उद्योग का कायाकल्प करने का एक उपाय राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति का सख्ती से पालन करना है।

कपड़ा नीति वक्तव्य में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कंट्रोल के कपड़े का समूचा उत्पादन हथकरघा उद्योग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा नीति निर्णय है जिसकी सबको प्रशंसा करनी चाहिए। इस उद्योग को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी बड़े कदम के बारे में शंका पैदा होती है कि क्या बुनकरों को सारा वर्ष लगातार काम दिलाने की गारंटी की तरफ गम्भीरता से ध्यान दिया गया है।

लगातार रोजगार के लिए समय पर समुचित मात्रा में सूत का उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। हथकरघा शिखर समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों को समुचित तथा समय पर बुनकरों को सूत बांटने का कार्य सौंपना चाहिए।

बुनकरों द्वारा सूती कपड़े की रंगाई तथा प्रोसैसिंग की सुविधा के लिए और अधिक आम सेवा केन्द्र खोलने चाहिए।

एक और महत्त्वपूर्ण समस्या जिसका इस उद्योग को सामना करना पड़ता है, वह बुनकरों के पास भंडार का इकट्ठा होना तथा इस जमा हुए भंडार के कारण उत्पन्न मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। आयात करने वाले देशों में उपभोगताओं की फैबरिक की किस्म, डिजाइनों आदि के बारे में उनकी पसंद जानने के लिए एक कुशल विपणन आसूचना व्यवस्था (मार्किट इंटैलिजेंस प्रणाली) स्थापित करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। "उपभोगताओं की पसंद के डिजाइनों तथा उनके निर्देशनों के मुताबिक उत्पादन" करने की तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए।

सहकारिता तथा केन्द्रीय राज्य स्तर के निगमों के माध्यम से हथकरघा के विकास में तेजी लाने की बात वास्तव में सराहनीय है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी क्षेत्र को ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए और समय पर ऋण उपलब्ध कराना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण बात है। सातवीं योजना में उद्योग को पूरी तरह से पुनर्गठित करने के लिए उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस समय, केवल 40 प्रतिशत बुनकर केरल में सहकारी क्षेत्र में हैं। लूमों का बहुसंख्यक भाग सहकारी क्षेत्र तथा सरकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सहकारी क्षेत्र में सारे उद्योग को लाने के लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिए।

आवश्यकता के समय हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए कंट्रीब्यूटरी थ्रिफ्ट फंड का प्रावधान निश्चित ही उद्योग को प्रगति की तरफ ले जायेगा।

'वर्कशैड-कम-हाउसिंग स्कीम' के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को कार्य तथा रहने के लिए

बेहतर स्थान दिलाने का कार्य भी बुनकरों की कठिनाइयों को कम करने की तरफ एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

कुल मिलाकर, यह बिल्कुल शंकारहित बात है कि नई कपड़ा नीति परम्परागत कुटीर उद्योग, जो लाखों ग्रामीण लोगों को सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है, को बढ़ाने तथा उसे पुनर्जीवित करने की एक निर्भीक तथा नवीन कोशिश है। यह जनता के सभी वर्गों के लोगों की कपड़े की आवश्यकता को पूरा करने में भी सहायक होगी।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपनी सरकार की नई कपड़ा नीति में निहित आशय तथा मुख्य उद्देश्य की सराहना करनी चाहिए। इसका लक्ष्य उत्पादन तथा उत्पादकता को इस तरह से बढ़ाना है कि हम स्वीकार्य क्वालिटी तथा उचित मूल्य पर कपड़े का उत्पादन करके अपने देश की बढ़ती हुई जनता की कपड़े की आवश्यकता को पूरा कर सकें। जब हम इस नीति के आशय तथा इसके उद्देश्यों का स्वागत करें, तो इस नीति को क्रियान्वित करने पर भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है।

आजादी से पहले तकलियों की रफ्तार 8,000 चक्कर प्रति मिनट थी। अब इनकी गति 13,000 चक्कर प्रति मिनट है। ओपन-एण्ड तकलियां जो पश्चिम जर्मनी में प्रयोग होती है, 90,000 चक्कर प्रति मिनट घूमती हैं। अतः आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। चाहे यह हमारे देश को रास आता हो या न आता हो, हमें बलिदान करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अतः आधुनिकीकरण परम आवश्यक है। परन्तु साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इससे रोजगार पर प्रभाव न पड़े।

हमारे राष्ट्रपिता ने खादी को अपनाया तथा गोरों का विरोध करने के लिए 'तकली' अथवा कातने का शस्त्र अपनाया था। लोगों की सम्पूर्ण आर्थिक दशा कपड़ा नीति पर निर्भर है। कपड़ा उद्योग ने 1942 से 1947 तक बहुत मुनाफा कमाया था। परन्तु अब इस देश में यह एक रुग्ण उद्योग बन गया है। क्यों? सरकार को इसकी गहराई में जाना चाहिए। मिल मालिक कहते हैं कि सरकारी नीति के कारण मिलें रुग्ण हुए हैं। हमें यह अध्ययन करना होगा कि इसका क्या कारण है।

नई कपड़ा नीति का उद्देश्य लोगों को स्वीकार्य क्वालिटी तथा उचित मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध कराना है। यह बात बिल्कुल ठीक है। परन्तु साथ ही हमें यह देखना है कि गरीब कपास उत्पादकों की दशा क्या है। संसद सदस्य के रूप में हमें यह मालूम होना चाहिए कि उनकी दशा क्या है। इस वर्ष कपास उत्पादकों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 20 की कपास का मूल्य गत वर्ष 6000 रुपये प्रति कैंडी था। परन्तु इस वर्ष यह 4,200 रुपये प्रति कैंडी है। इसका अर्थ है कि उत्पादकों को 100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक का घाटा हुआ है। हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? नीति में मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय कपास निगम तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम उनके उद्धार के लिए सामने आएगा। क्या वे उनके उद्धार के लिए सामने आए हैं? कितनी मात्रा है जो भारतीय कपास निगम ने तमिलनाडु में खरीदी है? मैं तिरुनेलवली क्षेत्र से आता हूं। वहां उन्होंने 58 गांठें भी नहीं खरीदी हैं। इस प्रकार भारतीय कपास निगम कार्य कर रहा है। प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि हमें इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित कर देना चाहिए—हथकरघा, पावरलूम तथा संगठित क्षेत्र—और तीन

[श्री कादम्बुर जनार्दनन]

आयुक्त नियुक्त कर देने चाहिए। भारतीय कपास निगम में अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम में भी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह देखें कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय वस्त्र निगम किस प्रकार कार्य कर रहा है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम किस प्रकार कार्य कर रहा है, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम किस प्रकार कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम में ऐसी मिलें हैं जो 20 प्रतिशत 'वेस्ट बोन्डा' का उत्पादन कर रही हैं। परन्तु तमिलनाडु में यह स्थिति नहीं है।

'कुप्रबन्ध' की संज्ञा के बारे में मैं अपना सुझाव दूंगा। अगर कोई मिल 30 दिन के अन्दर कपास उत्पादकों को उनका भुगतान नहीं करता तो इसका अर्थ है कि मिल में कुप्रबन्ध व्याप्त है। 1974 तक कपास उत्पादकों को भुगतान करने में कोई विलम्ब नहीं होता था। परन्तु अब ऐसी बात नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पावरलूम तथा संगठित क्षेत्र के साथ समान व्यवहार न करें। यह बात हमारे गले नहीं उतरती है। पावरलूम के लोग अर्द्ध कच्चा माल खरीद रहे हैं, अर्थात्, सूत, कताई मिलों से। अतः उसमें सूत कताई की लागत तथा मिल का नफा और बिक्री कर तथा ट्रेड ब्याज व कमीशन भी शामिल है। चार अतिरिक्त भार पावरलूम बुनकरों पर पड़ जाते हैं। मैं वास्तविक पावरलूम बुनकरों की बात कर रहा हूं; मेरा मतलब बेमानी पावरलूम मालिकों से नहीं है। परन्तु संश्लिष्ट (कम्पोजिट) मिलों पर, अर्थात्, वह मिल जो कताई, बुनाई तथा संसाधन करती है, ये चार बोझ नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा पावरलूम बुनकरों को, संगठित क्षेत्र के समान नहीं देखा जाना चाहिए। संगठित क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। क्या हम तीन पावरलूम मालिकों या पांच पावरलूम मालिकों को संगठित क्षेत्र के समान मानते हैं? अतः इन सब चीजों के सम्बन्ध में मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह कपास उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। देश में पैदा की जाने वाली कम से कम 50 प्रतिशत कपास भारतीय कपास निगम द्वारा खरीदी जानी चाहिए। जब तक हम इसे अनिवार्य नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। चाहे फैडरेशन अथवा भारतीय कपास निगम के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत, जिसका अर्थ है 40 लाख कपास गांठें, खरीदी जानी चाहिए। यहां पर नीति सख्त तथा कठोर है। इस तरह से आप कपास उत्पादक की सुरक्षा नहीं कर सकते क्योंकि आप **मैन-मेड फाइबर** को 50,000 टन से बढ़ाकर 1,50,000 टन करने जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा बनाई गई फाइबर और प्राकृतिक फाइबर के बीच प्रतिस्पर्धा है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कपास उत्पादकों को कृत्रिम फाइबर की प्रतिस्पर्धा से रक्षा करें। जब आप कृत्रिम फाइबर पर उत्पाद शुल्क घटा रहे हैं तो आपको कपास फाइबर पर भी उत्पाद शुल्क घटाना चाहिए। 60 से नीचे काऊंट के कपास धागे पर से उत्पाद शुल्क की छूट होनी चाहिए। केवल तभी कपास व्यापार, कपास उत्पादक तथा कपास कताई मिलों को बचाया जा सकेगा। इसके बाद मैं ओटाई मशीनों के आधुनिकीकरण पर आता हूं। यह एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा है और हमारे देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। आज, जब जापान और चीन तमिलनाडु से कपास खरीदते हैं तो वे ओटाई की त्रुटि की शिकायत करते हैं। जब हम ओटाई कारखानों के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, एक या दो ओटाई मशीन वाले कारखानों तक को लाइसेंस दे दिया जाना

चाहिए। अब, ओटाई कारखानों में जिनमें 6 से कम ओटाई मशीनें हैं उन्हें कारखाना चलाने पर प्रतिबन्ध है। हमारे पास 1904 का एक ओल्ड प्लांट ब्रादर्ज ओटाई कारखाना अखोला में, या अमरावती, या गंटूर या गदान्ची या तमिलनाडु में हैं। अतः सरकार को ओटाई के आधुनिकीकरण में पूरी सहायता प्रदान करनी चाहिए और उतनी ही नई नीति से कपास उत्पादकों की रक्षा की जानी चाहिए तथा मेरी यह इच्छा है कि नई नीति को स्वीकार्य क्वालिटी का कपड़ा भारत के लोगों को उपलब्ध कराने में सम्पूर्ण सफलता मिले। मैं मंत्री महोदय को बिग मेटुर मिल के बारे में अवश्य बताना चाहूंगा जो युद्ध के दौरान कपड़ा उत्पादन करती थी तथा कपड़े की आपूर्ति करती थी। मेरे पिता भी एक कपड़ा व्यापारी थे। अब वह मिल रुग्ण है। उत्पादन अब बन्द हो चुका है। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और मैं इसलिए मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि कच्चे माल का भुगतान उनके परिसर में आने के 30 दिन के भीतर हो जाए क्योंकि जहां भुगतान में विलम्ब है वहां कुप्रबन्ध है। इन शब्दों के साथ मैं इस नीति का स्वागत करता हूं, परन्तु साथ ही मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह कपास उत्पादक के हितों की सुरक्षा करने वाली नीति पर भी गौर करें।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, कपड़ा उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से नीति बनाने में जो कड़ा परिश्रम किया गया है उसके लिए हम सभी मंत्री महोदय के आभारी हैं। हालांकि, इस नीति को क्रियान्वित करने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को इससे नुकसान न हो। महोदय, हमारे संविधान के एक मार्गदर्शी सिद्धांत में यह प्रावधान है कि राज्य का काम अधिकार दिलाने के लिए प्रभावकारी उपबन्ध बनाएं। संविधान के वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का एक मामले में दिया यह निर्णय कि नियोजक को जब वह चाहें अपने एकक को बन्द करने का मूल अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 41 का उल्लंघन करता है। अब मिल मालिक द्वारा अपने एकक को बन्द करने का अधिकार स्पष्टतः राज्य के काम के अधिकार के दायित्व के प्रतिकूल है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, काम के अधिकार के लिए प्रभावकारी उपाय करने सम्बन्धी राज्य के दायित्व पर इसका क्या प्रभाव है, नीति की फिर से जांच करें। क्या नीति में थोड़ा परिवर्तन इस हद तक सम्भव नहीं है जिससे मिल मालिकों द्वारा अपने एककों को बन्द करने के मामले पर अंकुश लगाया जा सके ? यह एक पहलू है जिस पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं।

दूसरा पहलू पावरलूम को संगठित क्षेत्र के समान मानने से सम्बन्धित है। संविधान का अनुच्छेद 41 में जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या की है, यह बताया गया है कि असमान के साथ समान व्यवहार एक असमानता है। अगर आप समानता के नाम पर यह कहते हैं कि आप जाकर अशोक होटल में ठहर सकते हैं तो यह समानता नहीं है। असमान प्रतिस्पर्धा कर सकें उसके लिए पहले आपको समान स्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्या ऐसी समान स्थितियां यहां उपलब्ध हैं ? यहां मेरे एक मित्र ने टिप्पणी की थी--एक पावरलूम और एक कपड़ा मिल के बीच क्या अन्तर है ? अन्तर यह है कि कपड़ा मिल के मामले में फालतू पूंजी (सरप्लस वैल्यू) संगठित निजी पूंजी में केन्द्रित हो जाती है। पावरलूम के मामले में ऐसा नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण से इसकी जांच करनी चाहिए

[श्री हकमाई मेहता]

—क्या पावरलूम को प्रोटेक्टिव टैरिफ की शक्ल में और सुरक्षा की आवश्यकता है या अन्य चीजों का जो उन्हें पहले मिलती रही हैं।

अब तीसरा मुद्दा आता है। यह राष्ट्रीय वस्त्र निगम से सम्बन्धित है। यह नीति रुग्ण मिलों तथा अलाभदायक एककों को बन्द करने की अनुमति देता है। इसी तरह की बातों की अनुमति राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बारे में भी दी गई है। मजदूरों की छंटनी अथवा एककों को बन्द करना हमारे संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप नहीं है। अगर राष्ट्रीय वस्त्र निगम को भी ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो इसका क्या असर होगा ? यह हमें इसकी याद दिलाता है:

"अन्य क्षेत्रे कृतं पापम्,
तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति।
तीर्थक्षेत्रे कृतम् पापम्,
वज्रलेपो भविष्यति॥"

फिर भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम को स्थापित करने के उद्देश्यों में एक उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना था। अगर राष्ट्रीय वस्त्र निगम को भी श्रमिकों की छंटनी अथवा अपने एककों को बन्द करने की अनुमति दी जानी है तो श्रमिकों का क्या होगा ? अतः, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि नई कपड़ा नीति पर आप एक बार फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नई नीति से बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होगी फिर से विचार करें।

महोदय, मंत्री जी ने नई नीति के उद्देश्यों को बताया है। मुझे विश्वास है कि जब वह जनसाधारण को उचित दर पर कपड़ा दिलाने के मुख्य उद्देश्य के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने रोजगार प्रदान करने आदि जैसे अन्य उद्देश्यों को गौण नहीं बना दिया होगा। उन्होंने कहा है कि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में उद्योग की रोजगार एवं निर्यात सम्बन्धी सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखा जायेगा। रोजगार दिलाने के इस उद्देश्य को निर्धन वर्गों को उचित दर पर कपड़ा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के मुकाबले गौण नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार के अवसरों को पैदा करना एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए जिसे भूला नहीं जा सकता है। नीति में नियन्त्रित मूल्य के कपड़े को हथकरघा क्षेत्र में अंतरित करने की बाध्यता को बताया गया है। इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि सरकार इस तथ्य पर गम्भीर रूप से ध्यान दे कि संगठित कपड़ा मिलों ने उन बाध्यताओं का कभी भी पालन नहीं किया जो उनके लिए निर्धारित की गई थीं। नियंत्रित कपड़े के बारे में क्या हुआ ? वे अदालत में गये तथा नियंत्रित मूल्य के कपड़े का उत्पादन करने की बाध्यता के बारे में उन्हें अन्तरिम राहत दी गई। जब उन्हें धागों को लच्छे के रूप में पैक करने के लिए कहा गया था ताकि हथकरघा उद्योगों को कच्चा माल दिया जा सके तो उन्होंने इस बात को भी नहीं माना। सरकार ने यह जरूरी कर दिया था कि बिक्री के लिए पैक किया गया 50 प्रतिशत धागा लच्छे के रूप में पैक किया होना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने नहीं माना और उन्होंने अदालत की शरण ली।

महोदय, अगर कपड़ा मिलें सामाजिक दायित्वों की अवज्ञा करती रहेंगी तो कब तक हम उन्हें एकपक्षीय सुविधाएं तथा संदेह लाभ देते जाएंगे। जब सरकार ने कपड़ा मिलों को कुछ सहायता एवं सुविधाएं देने का सोच ही लिया है तो क्यों न हम उनसे सामाजिक अनुशासन की आशा करें कि वे इस तरह का व्यवहार करें जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा न मिले। सिर्फ उन्हीं मिलों को ये फायदे दिये जाएंगे जो कि किसी भी श्रमिक की जबरन छुट्टी अथवा किसी इकाई को बन्द नहीं करेंगे। प्रोत्साहन सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े होने चाहिएं। मुझे विश्वास है कि सरकार कपड़ा नीति को इस प्रकार से लागू करेगी कि अर्थ-व्यवस्था में डार्विन के सिद्धान्त को बढ़ावा न मिले तथा निदेशक सिद्धान्तों में रखे गये सभी सामाजिक उत्तरदायित्वों का पूरी तरह पालन किया जाये।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि मुझे कितना समय मिलने वाला है। इसलिए निश्चित ही मैं जहां तक टैक्सटाइल पॉलिसी के अच्छे आस्पेक्ट्स हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको बनाया गया है, इसलिए मैं केवल उन्हीं बातों का यहां पर जिक्र करूंगा जिससे काफी बड़ी मात्रा में शंकाएं और कुशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन पर कुछ प्रकाश आ सके।

श्रीमन्, ये पालिसी जो बनी है और घोषित हुई है, इससे पहले एक जांच कमेटी बनी। यह सब इसलिए हुआ कि पिछले वर्षों में लगातार एक के बाद एक मिल इस देश में बन्द होती रही हैं और कई ऐसी मिलें हैं जो चल भी रही हैं, लेकिन लड़खड़ाती हुई चल रही हैं, यह सबसे बड़ा कंसीडरेशन था। बेरोजगार मजदूरों ने इस देश में प्रदर्शन किए, आवाजें उठाईं जिसके नतीजे में जांच कमेटी बनी, और ये नीति घोषित हुई। लेकिन उन मजदूरों का ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य ही है क्योंकि उनका क्या भविष्य होगा, इस नीति में, इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा गया है। केवल इतना काफी नहीं है कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। यदि कोई यूनिट वाएबल नहीं हो सकेगी, किसी भी तरह से तो मजदूरों के हितों की पूरी-पूरी सुरक्षा की जाएगी, यह कैसा सिद्धान्त है? उपाध्यक्ष जी, सर्वमान्य सिद्धान्त यह है कि जब तक मर्ज का सही डायगनॉसिस न हो, तब तक अच्छा इलाज नहीं हो सकता है। इस देश में टैक्सटाइल इंडस्ट्री का यही दुर्भाग्य रहा है कि या तो समझ नहीं पाए, यानी डायगनॉसिस नहीं कर पाए या मैं यह कहूंगा कि समझने के बाद भी उस मर्ज का इलाज नहीं किया गया जिसके कारण आज हमारे देश की यह इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंची है। वह उद्योग जिसका कच्चा माल मिलने में कोई रुकावट नहीं, जिसको इस देश में इतने सस्ते मजदूर प्राप्त हों और जिसके लिए मार्केट भी मौजूद हो, जो सबसे पुराना उद्योग था, जिसने इस देश में अपने नफे से कई नये उद्योगों को जन्म दिया था, वह उद्योग अचानक धीरे-धीरे घाटे में आता चला जाये और सरकार पर जिम्मेदारी डाली जाये कि वह उनको चलाये। वास्तविक मर्ज को कभी देखने की कोशिश नहीं की गई। बराबर यह कहा गया कि इसका नवीनीकरण होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं सब उसको स्वीकार करेंगे।

दूसरा कारण इस देश में जो बड़े जोर-शोर से कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग में

[श्री के० एन० प्रधान]

मजदूरों की संख्या का बाहुल्य है। बहुत अधिक संख्या में हैं। तीसरे सरसरी तौर पर मिस-मैनेजमेंट की बात कही गई। बल्कि इस नीति में भी जहां इसका जिक्र किया गया है उसमें मैनेजमेंट को कहा गया है कि इनकम्पीटेंट और नैग्लीजैंट।

जहां तक मजदूरों की संख्या की बात है, मैं उसके आंकड़े देना चाहता हूं जो यह साबित करेंगे कि इस देश में मजदूरों की संख्या मोर दैन सफीशियेंट तो कही जा सकती है लेकिन बाहुल्य या बहुत अधिक नहीं कही जा सकती।

इस देश में 1951 में 378 मिलें थीं जिसमें एक करोड़ स्पिंडल और 1 लाख 95 हजार लूम्स थे और मजदूर 8 लाख थे। उसके बाद 1961 में 479 मिल थे, स्पिंडल 1 करोड़ 36 लाख 63 हजार और लूम्स 1 लाख 98 हजार और मजदूरों की संख्या वही 8 लाख। 1981 में मिलें 664 थीं, स्पिंडल 1 करोड़ 80 लाख, लूम्स 2 लाख और मजदूरों की संख्या वही की वही 8 लाख। आज देश में 700 से ज्यादा मिलें हैं स्पिंडल 2 करोड़ 25 लाख, लूम्स 2 लाख 20 हजार और मजदूरों की संख्या वही है।

घाटा मजदूरों की संख्या से नहीं है, बल्कि इन कम्पीटेंट, नैग्लीजैंट, सारे के सारे बेईमान और डिस-ओनेस्ट मैनेजमेंट की वजह से यह कपड़ा उद्योग आज इस स्थिति में पहुंचा है। इन्होंने लागत खर्च की जो फिगर्स बताई हैं, उसमें हमेशा बेईमानी की है। खरीददारी चाहे कच्चे माल की हो, चाहे बने हुए माल की बिक्री हो, उसमें उन्होंने बराबर बेईमानी की है, जिसकी वजह से आज यह उद्योग इस स्थिति में पहुंचा है।

अगर इस बात को जिम्मेदारी से संभालते, अगर बेईमान मैनेजमैंट वालों को कम से कम इतनी ही रोक लगा दी जाती कि जो यहां के मुनाफे का पैसा आपने अपनी दूसरी इण्डस्ट्री में लगाया उसको मदद न की जाती है, उनको हमारी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्ज बराबर फाइनेन्स करती रही हैं, उसकी वजह से वह बराबर इसमें से पैसा खींचते रहें हैं, और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ इस नीति को यह सोचकर लागू किया गया कि मजदूर चूंकि ज्यादा अपने हितों की रक्षा करने लायक आज भी नहीं है, उन पूंजीपतियों का आज भी बोलबाला है, तो इसमें चेन्ज होने वाला है।

हमारे इस पालिसी स्टेटमैंट में पैरा चार नीति का मुख्य रूप से निर्देशक है जिसमें कहा गया है—

> "वर्तमान वस्त्र नीति के अन्तर्गत अनेक उद्देश्य रखे गये हैं। जब कि इनमें प्रत्येक उद्देश्य महत्वपूर्ण है, परन्तु उद्देश्यों की विविधता ने वस्त्र उद्योग के मुख्य कार्य अर्थात् बढ़ती हुई जनसंख्या की कपड़े सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायोचित कीमतों पर स्वीकार्य क्वालिटी के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि को अवरुद्ध कर दिया।

अब से वस्त्र उद्योग के प्रति दृष्टिकोण का मार्गदर्शन इस मुख्य उद्देश्य को लेकर होगा। इस मुख्य उद्देश्य के अनुसरण में उद्योग में रोजगार और उसकी निर्यात संभाव्यता को ध्यान में रखा जायेगा।"

रोजगार को क्या ध्यान में रखा जायेगा, यह मुख्य मुद्दा है जिसको हैंडलूम सेक्टर में और मिल के सैक्टर में बराबर ऐसी आशंकाएं की जा रही हैं।

अभी इसमें कंट्रोल क्लाथ के बारे में भी कहा गया है, लेकिन सही मायने में यह कंट्रोल क्लाथ जब मिलों के पास था तो मिलें बीमार हो गईं, उसके बाद एन० टी० सी० को दिया, उसको भी घाटा हुआ और अब हैंडलूम सेक्टर पर इसका बोझा डाला जा रहा है। यह ऐसा प्रोसैस है जैसे बोझा पहले हाथी पर लादा गया हो वह जब नहीं सम्भाल पाया तो घोड़े पर लाद दिया, जब घोड़ा भी नहीं सम्भाल पाया तो उससे छोटे पशु पर लाद दिया गया, यह सोच कर कि यह बेचारा गरीब बोल नहीं पायेगा और इसकी कमर ज्यादा मजबूत है। भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या इतनी जबर्दस्त हो, वहां पर जब तक रोजगार को महत्व नहीं दिया जायेगा, कोई नीति इस देश में कामयाब नहीं होने वाली है।

[अनुवाद]

श्री आर० एस० माने (इचलक रांजी) : उपाध्यक्ष महोदय, नई कपड़ा नीति के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं यद्यपि इसमें काफी कमियां हैं तथा विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रति काफी अन्याय हुआ है।

औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता तथा कपड़े के निर्यात से राजस्व एकत्र किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए कपड़ा उद्योग राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नई कपड़ा नीति में यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि उचित दर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिक से अधिक कपड़ा उपलब्ध कराने का लक्ष्य होगा। नई नीति की घोषणा हाल ही में की गई है इसका उद्देश्य विपणन को सही करना एवं कपड़ा उद्योग को नयी दिशा प्रदान करना है।

मार्च 1981 में कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी। उस समय, कपड़ा उद्योग तीन भागों में बंटा हुआ था, अर्थात् मिश्रित मिल क्षेत्र, विद्युतकरघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र। इस नीति में कपड़ा उद्योग तीन भागों में बंटा है, अर्थात् कताई, बुनाई एवं संशाधित (तैयार) करना। इससे भारतीय विद्युतकरघा क्षेत्र को खतरा पैदा हो गया है।

जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में 7 लाख 40 हजार पंजीकृत विद्युतकरघा मिले हैं। और इनमें लगभग 30 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है तथा अकेले विद्युतकरघा क्षेत्र से ही लगभग 2 करोड़ लोगों का जीवन-निर्वाह हो रहा है। इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि यह नई कपड़ा

[श्री आर० एस० माने]

नीति नहीं है, मैं इसे 'राष्ट्रीय मिल कल्याण नीति' कहूंगा। इसका कारण है, संगठित मिल क्षेत्र को पहले से ही वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

देश में स्थित 7 लाख 40 हजार पंजीकृत विद्युतकरघा मिलें जो कि असंगठित क्षेत्र में हैं और जो कि ग्रामीण इलाकों में हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया गया है।

कराधान के मामले में विद्युतकरघा क्षेत्र को मिल क्षेत्र के समान ही समझा गया है। यह बहुत ज्यादा अन्याय है। कर लगाने के उद्देश्य से विद्युतकरघा क्षेत्र को मिल क्षेत्र के साथ मिला दिया गया है। यह हमारे विद्युतकरघों के प्रति अन्याय है। इसके मिलाने से, विद्युतकरघा क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो जायेगा।

हथकरघा क्षेत्र को भी ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है परन्तु इस क्षेत्र के हितों को नई कपड़ा नीति द्वारा पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। यह संरक्षण क्यों दिया गया है। इसका कारण है कि हमारा देश महात्मा गांधी का देश है। तथा जनता एवं जनता की सहानुभूति हथकरघा क्षेत्र के प्रति जरा भी अन्याय को सहन नहीं करेगी। परन्तु विद्युतकरघा क्षेत्र के बारे में क्या किया गया है? उसे कुछ भी नहीं दिया गया है। इस नीति में विद्युतकरघा क्षेत्र को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है तथा मिलों को और भी अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया जा रहा है। कताई मिलों के बारे में मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर में, लगभग 19 प्रस्तावित कताई मिलें पंजीकृत की गई हैं। प्रबन्धकों द्वारा करोड़ों रुपये एकत्र किए गये हैं। इन प्रस्तावित कताई मिलों को चलाने वाले मुख्य लोग कृषक और ऐसे ही अन्य लोग हैं। परन्तु सिर्फ चार लाइसेंस ही जारी किये गये हैं तथा अन्य को केवल पंजीकृत माना गया है। बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है तथा एन० सी० डी० सी० उत्तरी भारत तथा नार्दन स्टेट बैंक आफ इण्डिया हम कताई मिलों को कुछ भी प्रदान नहीं करते। यह बहुत बड़ा अन्याय है। विद्युतकरघा क्षेत्र हमारे देश का राष्ट्रीय महत्व का उद्योग है। भारत में कृषि के पश्चात, विद्युतकरघा क्षेत्र अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है। इस उद्योग का ध्यान रखा जाना चाहिए।

लाईसेंस विस्तार के बारे में मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि विद्युतकरघों का अनिवार्य पंजीकरण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तथा छोटे विद्युतकरघा मालिकों के लिए तकलीफें पैदा करता है। इस अनिवार्य पंजीकरण को नई कपड़ा नीति से हटा देना चाहिए।

पुनर्वास कोष एवं बचत कोष का मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं सरकार तथा माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं। विद्युतकरघा क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारी मांगों के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिए। मिलों की तुलना में विद्युतकरघों में ज्यादा मुसीबतें हैं। दूसरे इन बाधाओं से होने वाली हानि का उत्पाद शुल्क में कोई व्यवस्था करके पूरा किया जाये।

सूत बैंक की स्थापना करना विद्युत करघा क्षेत्र की अत्यधिक एवं अत्यन्त आवश्यकता है। यह बैंक 'नाबार्ड' के तरीकों पर आधारित होना चाहिए जोकि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। कतिपय उत्पादन क्षेत्रों में कुछ आरक्षण विद्युत करघा क्षेत्र के लिए किए जाने चाहिए। विद्युत करघा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करके छोटे विद्युत करघा मालिकों को पर्याप्त कार्यशील पूंजी एवं धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विद्युत करघा क्षेत्र के लिए निर्यात कार्यालय की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इन सुझावों एवं सिफारिशों के साथ मैं नई कपड़ा नीति का स्वागत करता हूं, तथा माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे 'जून 1985 कपड़ा नीति' पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया गया है।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर 'भारत का मैनचेस्टर' के नाम से जाना जाता है। कोयम्बटूर में 100 कपड़ा मिले हैं जिनमें लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधि होने के कारण मैं उनकी समस्याओं को जानता हूं। मैं उनकी कुछ समस्याओं को बताना चाहूंगा।

कुल निर्यात का 20 प्रतिशत कपड़ा उद्योग से होता है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति कपड़ा उद्योग से अपनी जीविका चला रहे हैं। भारत में तकलियों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे देश में 595 कताई एवं 280 मिश्रित मिले हैं।

प्रारम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि कपड़ा उद्योग में रुग्णता कोई आज की समस्या नहीं है। यहां तक कि 1951 में भी 151 अलाभप्रद कपड़ा इकाइयां थीं। 1968 में इस प्रकार की रुग्ण कपड़ा इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना की गई थी। 1968 में 16 रुग्ण कपड़ा मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई थीं। 1985 में 125 रुग्ण कपड़ा मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन हैं। 1983-84 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 137 करोड़ रुपये का घाटा हुआ तथा अप्रैल 1984 से दिसम्बर 1984 की अवधि में इसे 131 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इससे कपड़ा उद्योग में लगातार हो रही रुग्णता का पता चलता है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना के 17 वर्ष पश्चात भी यह रुग्णता बढ़ती जा रही है। 1978 में भारत सरकार ने एक कपड़ा नीति घोषित की थी, तथा 1981 में एक और कपड़ा नीति की घोषणा हुई। चूंकि इन दोनों नीति-वक्तव्यों का कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकला इसलिए 6 जून, 1985 को सरकार ने नई कपड़ा नीति की घोषणा की है।

कपड़ा उद्योग में रुग्णता के बारे में मैं आपको दो या तीन मूल कारण बताऊंगा। कपड़ा उद्योग देश का सबसे पुराना उद्योग है। कपड़ा मशीनरी पुरानी हो चुकी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आई० डी० बी० आई० ने कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 355 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार ने कपड़ा सम्बन्धी मशीनरी पर आयात शुल्क में भी कमी की है। फिर भी कपड़ा उद्योग का

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० के० कुप्पुस्वामी]

आधुनिकीकरण किए जाने में काफी कुछ करना बाकी है।

दूसरे, कपड़ा मिलों को लूट लेने के पश्चात, मिल-मालिकों ने उन्हें बंद कर दिया है तथा उन्होंने पूरे देश में विद्युत करघे लगा लिए हैं। विद्युत करघा उद्योग में भारी वृद्धि होने का यही मुख्य कारण है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 1985 की कपड़ा नीति ने सभी हथकरघा क्षेत्रों का पंजीकरण किए जाने की मांग की है। इससे असंगठित क्षेत्र में बेनामी हथकरघा मिले सामने आयेंगी। मैं विद्युत करघा क्षेत्र के लिए भी लाइसेंस प्रणाली शुरू करने का सुझाव दूंगा। बेनामी नामों पर विद्युत करघा आरम्भ करने के लिए मिल-मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

कोयम्बटूर में बहुत सी मिलें बंद हैं, विशेष रूप से बड़ी-बड़ी मिलें जैसे कि वसंत मिल, हरि मिल, जनार्दन मिल आदि-आदि। 10,000 कपड़ा मिल मजदूर बेकार हो गए हैं। चूंकि जिन मिलों का राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अधिग्रहण किया है वे मुनाफे में चल रही हैं। इन मिलों का अधिग्रहण करने में भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 10,000 कपड़ा मिल श्रमिकों तथा उनके परिवारों को निराश्रित होने से बचाना चाहिए। अगर यह व्यवहार्य नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि इन मिलों के श्रमिकों को मिला कर तुरन्त सहकारी समितियां बनाई जायें तथा इन मिलों को फिर से चालू करने का काम इन समितियों को सौंप देना चाहिए। बंद कपड़ा मिलों के श्रमिकों का पुनर्वास करने के लिए, तुरन्त पुनर्वास कोष की स्थापना की जानी चाहिए। इन मिलों को चलाने के लिए श्रमिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तुरन्त ही सरकार को इस प्रकार की इकाइयों के प्रबन्धन में बंद मिलों के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य से अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान बनानी चाहिए। नई कपड़ा नीति के अनुसार, कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई जाएगी। यह पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि कोयम्बटूर में प्रादेशिक सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए। इस सलाहकार समिति में कपड़ा मिल के श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।

हथकरघा उद्योग में 75 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और देश के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत इसी से प्राप्त होता है किन्तु इस उद्योग में पूरी तरह से अव्यवस्था व्याप्त है। तमिलनाडु में 20 लाख हथकरघा बुनकर हैं वे अपनी जीविका के लिए लड़ रहे हैं। वे मृत्यु एवं जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो करोड़ों रुपयों का हथकरघा निर्मित वस्त्र सड़ रहा है और दूसरी तरफ हथकरघा बुनकरों को सूत उचित मूल्य एवं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। उन्हें विद्युत करघे का सामना करना पड़ता है। विद्युत करघे हथकरघा बुनकरों से धोखा कर रहे हैं। विद्युत करघा क्षेत्र में बने कपड़े पर हथकरघा कपड़े का ठप्पा लगाकर उसे बाजार में बेच दिया जाता है। हथकरघा कपड़े का निर्यात भी काफी मात्रा में कम हो गया है। मैं मांग करता हूं कि नई कपड़ा नीति को तुरन्त ही उत्साह एवं उमंग से लागू किया जाना चाहिए। इसे कागजों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के शाखा दफ्तर कोयम्बटूर इरोड, सेलम तथा मदुरई में स्थापित किए जाने चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं तिरुप्पुर में हौजरी उद्योग के बारे में कहूंगा जोकि

बनियानों आदि के निर्यात के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इसमें लघु स्तर के क्षेत्र में 1300 बनियान बनाने वाली इकाईयां हैं। इनसे काफी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है। कपड़ा समिति अधिनियम 1963 को 1973 में संशोधित किया गया था जिससे कपड़ा समिति कपड़े तथा सूत पर उपकर लगा सकती है। 1975 में बनाए गए नियमों के अनुसार, उत्पादन मूल्य पर एक प्रतिशत उपकर लगाया जा रहा है। विद्युत करघा उत्पादन तथा हथकरघा कपड़े को उपकर से मुक्त कर दिया गया है क्योंकि अपेक्षित सूत पर उपकर लगता है। जब मिल में बनियान का कपड़ा बनाया जाता है तो उस पर कोई उपकर नहीं है। होजरी उद्योग बनियान के सूत, बनियान के कपड़े तथा बनियानों पर उपकर दे रहा है। देश में उत्पादित सूत का सिर्फ 10 प्रतिशत ही बनियान सूत है। बनियान उद्योग में कम पूंजी की जरूरत होती है और इससे बहुत से लोगों को नौकरी मिलती है। बनियान निर्माताओं की ओर से इस उपकर को हटाने की लगातार मांग रही है। कपड़ा समिति ने अपने 24-5-1984 के पत्र में आश्वासन दिया है कि बनियान उद्योग को इस उपकर से मुक्त कर दिया जायेगा। कपड़ा समिति के उपाध्यक्ष ने 4-2-1985 के अपने पत्र में फिर से इस बात को दोहराया है कि बनियान इकाइयों को इस उपकर से मुक्त कर दिया जाएगा। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस सम्बन्ध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। भूतपूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था कि होजरी इकाइयों पर से इस उपकर को हटा दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बनियान इकाइयों को उपकर से मुक्त कराने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने को सुनिश्चित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.54 म० प०

दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा सभा का अवमान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सदन को ज्ञात है आज दिन में लगभग 12 बजे एक दर्शक जिसने अपना नाम एन० देवसहायम, पुत्र श्री सोलोमन बताया है, ने सदन में कुछ पर्चे फेंके तथा दर्शक दीर्घा से नारे लगाए। 'वाच एन वार्ड' अधिकारी ने उसे तुरन्त हिरासत में लिया तथा उससे पूछताछ की। दर्शक ने एक वक्तव्य दिया है तथा अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए खेद प्रकट किया है। ऐसा करने के लिए उसने क्षमा भी मांगी है।

मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए सदन के ध्यान में लाता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम एन० देवसहायम पुत्र श्री सोलोमन बताने वाले व्यक्ति, जिसने आज लगभग 12.00 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके और

[श्री एच० के० एल० भगत]

चिल्लाया और जिसे सुरक्षागण अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में लिया है, ने गंभीर अपराध किया है और वह इस सभा का अवमान करने का दोषी है।

सभा यह भी संकल्प करती है कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए स्पष्ट खेद को ध्यान में रखते हुए उसे आज सभा के उठने पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम एन० देवसहायम पुत्र श्री सोलोमन बताने वाले व्यक्ति, जिसने आज लगभग 12.00 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके और चिल्लाया और जिसे सुरक्षागण अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में लिया है, ने गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा का अवमान करने का दोषी है।

सभा यह भी संकल्प करती है कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए स्पष्ट खेद को ध्यान में रखते हुए उसे आज सभा के उठने पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.57 म० प०

नई कपड़ा नीति के बारे में चर्चा (—जारी)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : चूंकि इस राष्ट्रीय कपड़ा नीति पर बहुत अधिक सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि शाम के 6.45 बजे तक बैठने के बाद हम इस चर्चा को कल फिर जारी रखेंगे ताकि और अधिक सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें। अतः इस सदन में उपस्थित सदस्यों की राय से हमने सदन का समय 6.45 बजे तक बढ़ा दिया है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की कार्रवाई शाम के 6.45 बजे तक होगी ताकि और सदस्य इस विषय पर बोल सकें। समय को देखते हुए मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक समय न लें।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : पिछले 7-8 महीनों से बम्बई और अहमदाबाद के मजदूर कुछ नई चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बम्बई में हड़ताल के कारण, अहमदाबाद में कई मिलें बन्द हो गई हैं। प्रधानमन्त्री द्वारा एक सार्वजनिक सभा में आश्वासन दिया गया था—क्योंकि बहुत से मजदूरों ने उसमें भाग लिया था— कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था का पता लगा रहे हैं जिसमें मजदूरों सहित सभी लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। हम मजदूरों से प्रतीक्षा करने के लिए कहते रहे।

मैं समझता हूं कि पिछले छः महीने से, राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण से, हम यहां संसद में प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा जिससे निश्चय ही मजदूरों के हितों की रक्षा होगी क्योंकि इसकी मांग बहुत अधिक है। यह ठीक ही कहा गया है कि यह केवल शहरों में लगभग 12 लाख कपड़ा मजदूरों के लिए ही नहीं है। यह कृषि उद्योग के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख मजदूर विद्युत चालित क्षेत्र में काम करते हैं।

मिल मालिकों की संस्था तथा काटन मिल फैडरेशन द्वारा दिया गया एक सुझाव मेरे पास है। आपकी नीति दस्तावेज पुरानी हैं परन्तु वे देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं इसलिए मिलें रुग्ण पड़ी हैं। (**व्यवधान**) परन्तु वे पढ़ने में अच्छी लगती हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : और आपको भी।

डा० दत्ता सामंत : उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्हें मानव निर्मित कृत्रिम रेशे का सूती कपड़े से पूरी तरह विविधकरण करना चाहिये। तब पूरी प्रौद्योगिकी और मशीनरी का आयात होगा। मजदूरों के औचित्य के बारे में उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया है। चूंकि मजदूर अधिक हैं, उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। इसके बाद वे कहते हैं कि विद्युत करघा भी उनके रास्ते में आ रहा है। अतः दोनों पर बराबर कर लगाये जाने चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी मांग सरकार से की है या सरकार को सुझाव दिये हैं उनको देखते हुये मैं नहीं समझता कि यह वस्त्र नीति इस देश की सरकार की नीति है बल्कि यह तो मिल मालिकों के संघ की नीति है जिसे सरकार अपना रही है। यह बड़े दुख और खेद का विषय है कि मुझे इसका उल्लेख करना पड़ा है। (**व्यवधान**) श्री कान्ति कुमार, मनोहर लाल शाह, इन सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है और उन्होंने बहुत ही ठीक कहा है कि उद्योग बीमार हो गए हैं; 10 वर्षों में 100 मिलें बीमार हो गई हैं और सरकार ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया है (**व्यवधान**) उन्होंने कहा, कि मिल मालिक कहते हैं और सरकार उसे स्वीकार कर रही है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यही है। सरकार जिस नीति की सिफारिश कर रही है वह वास्तव में खेदजनक है।

6.00 म० प०

महोदय, जहां तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है सरकार को मजदूर वर्ग के लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। लगभग एक करोड़ दो लाख मजदूर प्रभावित हैं। सरकार मजदूरों को एक पैसा भी नहीं देना चाहती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और फैक्टरी अधिनियम जो ब्रिटिश काल में आरंभ किए गए उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है। हालांकि वे 50-60 वर्ष पहले शुरू किए गए हैं। गरीब श्रमिक वर्ग या हथकरघा उद्योग में लगे पिछड़े वर्ग के मजदूरों की इन अधिनियमों के अनुरूप रक्षा नहीं की गई है। आप मजदूरों की रक्षा के लिए कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है।

एक अन्य मुद्दा है जिसे मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। मेरे पास बम्बई की कम्पनियों तथा फैक्टरियों के सभी रिकार्ड हैं 13 मिलों को राष्ट्रीयकृत किया गया है। 43,000 मजदूरों में से लगभग

[डा० दत्ता सामंत]

23,000 मजदूर अभी भी बेरोजगार हैं। मिलों के राष्ट्रीयकृत करने से पहले भी लगभग 10,000 मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया। एक लाख नौ हजार मजदूरों में से लगभग 20,000 मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया गया। तीन मिलें, मुकेश मिल, सीताराम तथा ब्रेडबरी मिलें स्थायीरूप से बन्द कर दी गई हैं। सीताराम मिल के स्थान पर अब वे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि हमें लचीला होना चाहिए। लेकिन शहरों में मिल मालिक मिलों को चला रहे हैं। परन्तु मैं सच्चाई से बताता हूं कि अभी भी बम्बई में लगभग 70,000 मजदूर बेकार हैं। विस्तार में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है।

अहमदाबाद में 50,000 मजदूर नौकरियों से निकाल दिए गए हैं। आइ०एन०टी०यू०सी० उन्हें लाने में असफल हुई है। महाराष्ट्र में भी कुछ यूनियनें मजदूरों को अपने साथ मिलाने के लिए दबाव डाल रही हैं हालांकि एक प्रतिशत भी मजदूर उनसे सम्बन्धित नहीं हैं। इस समय गुजरात में 30 मिलें बन्द पड़ी हैं। और मुख्य मन्त्री ने आपसे कहा है कि इन मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से अपने हाथ में ले लिया जाए। मैं विस्तार से नहीं जानता हूं लेकिन समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि इन मिलों को लेने से 150 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस सदस्य भी इसके साथ सहमत हैं।

कोहिनूर मिल्स में 76 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है जिसमें से 20 करोड़ रुपये मारुति कारों को दिए गए और सेन्ट्रल बैंक से ऋण लिया गया। इसके परिणामस्वरूप देनदारी 50 करोड़ रुपये की हो गई। इसके कारण 20 हजार मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। आप उनके लिये क्या कर रहे हैं? मुकेश मिल पहले से ही बन्द पड़ी हुई है। मैंने यह मामला पहले भी उठाया था। सीताराम मिल ब्रेडबरी मिल तथा अन्य तीन या चार नियोजकों ने भविष्य निधि के लिए पैसा इकट्ठा किया है लेकिन उन्होंने उसे जमा नहीं कराया है। सीताराम मिल के आधे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। मिल मालिक सामान्य मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। वे मजदूरों और सरकार को धोखा दे रहे हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रीयकरण पर कितना धन व्यय किया गया। बम्बई के मिल मालिक करों का भुगतान सही ढंग से नहीं करते हैं। वे कितना आय कर देते हैं? वे कर के रूप में सरकार को एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यह राष्ट्रीय हानि है। और साथ ही मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। यह स्थिति बम्बई की लगभग 100 फैक्टरियों में है।

आखिरी प्रश्न जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं वह धोखाधड़ी के बारे में है जो वे सरकार के साथ करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप उन्हें संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इसके विपरीत आपको उनकी धोखाधड़ी प्रकट करनी चाहिए। आप इन लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। अब आप उन्हें सूती कपड़े के स्थान पर मानव निर्मित रेशे का उत्पादन करने की अनुमति दे रहे हैं। आप उन्हें फैक्ट्री बन्द करने की अनुमति दे रहे हैं। आप उन्हें मजदूरों को हटाने की अनुमति दे रहे हैं। इस नीति से सरकार मिल मालिकों के कपटपूर्ण रवैया को स्वीकार कर रही है। उन्होंने एक भी शब्द नहीं

कहा है। वे इस तर्क पर पुरानी मशीनें रखते हैं कि धन उपलब्ध नहीं है। सरकार को कपटपूर्ण व्यवहारों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने भी मिल मालिकों की कपटपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया है जो केवल मजदूरों को ही धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि सरकारी धन को भी बर्बाद कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की बातें निरन्तर रहेगी तो क्या आप आशा करते हैं कि मिल मालिक मिलों को ठीक तरह से चलायेंगे। भविष्य में आप इस प्रकार की चीजों को किस तरह से अनुमति देंगे ? मेरा विचार है कि इस समय 1 लाख 50 हजार मजदूर बेरोजगार हैं। सरकार ने एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। प्रतिवेदन में उन्होंने यह बताया है कि 1984 में कपड़ा मिलों के 11 लाख मजदूर बेरोजगार थे। 1985 में उन्होंने 9 लाख बताये हैं। 2 लाख मजदूर चले गए हैं। दिल्ली में डी० सी० एम० से 1,5000 मजदूर, बिरला मिल से 5,000 मजदूर, मोदी मिल से 10,000 मजदूर निकाले गए और कानपुर में कई हजार मजदूरों को निकाला गया। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी नीति में मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की है। सरकार द्वारा या मिल मालिक द्वारा एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन वे प्यार से यह दिखाने के लिये बात करते हैं कि सरकार मजदूरों के साथ है।

आपने चार बार मुआवजे और पुनर्वास का जिक्र किया है। परन्तु उसके लिए अभी तक धन की व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों से मजदूर मर रहे हैं। मुआवजे और पुनर्वास के लिए धन लेवी लगाकर इकट्ठा किया जाएगा जब इन सब मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और प्रक्रिया में परिवर्तन आदि के बाद इन मिलों को चलाना शुरू किया जाएगा। देश के कपड़ा मजदूरों को भूखा बनाया जा रहा है। जो अपनी कमजोरियों के कारण नहीं बल्कि प्रबन्धकों की गलती के कारण भूखे मर रहे हैं।

इसके बाद आपने कहा है कि आप मजदूरों को एक महीने का वेतन देंगे। क्या सरकार इस राशि को मुआवजा और पुनर्वास के लिये देना चाहती है ? मैं समझता हूं कि यह चौंकाने वाली बात है। इससे पता चलता है कि सरकार को इस देश के श्रमिक वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम आदि के उपबन्ध लागू ही नहीं हैं। और उन मजदूरों के लिए कोई सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो मर रहे हैं। जो भी मिल मालिक सुझाव देते हैं उन्हें आप किसी न किसी तरह मान लेते हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में मार्च 1985 तक 619 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई। और आपने इन मिलों के आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ रुपये खर्च किये। ये मिलें कैसे चल रही हैं ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है। आधुनिकीकरण के नाम पर धोखाधड़ी दे रही हैं। 99 प्रतिशत मामलों में मिल रुग्णता कृत्रिम है जब वे उद्योग को बर्बाद कर देते हैं तो उसके बाद आप उसे अपने हाथ में ले लेते हैं। अब आप कहते हैं कि इसके बाद आप कोई मिल नहीं लेंगे। मजदूरों के बारे में क्या होगा ? और आपने कहा है कि यदि कोई मिल को बीमार बनाएगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। बजट पर वाद-विवाद के दौरान भी इस तरह का भाषण दिया गया था। क्या आपने किसी मिल मालिक को बाहर निकाला है ? यदि स्थिति ऐसी ही रही तो मजदूरों की ही हानि होगी और मैं नहीं समझता कि आप उनके साथ न्याय करेंगे !

[डा० दत्ता सामंत]

इस नीति में आपने कहा है कि आप हथकरघा को महत्व देंगे। सहकारिता आदि गठित की जाएंगी। राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा निर्मित कपड़ा अब हथकरघा द्वारा तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय कपड़ा निगम प्रत्येक मीटर पर 8 आने का नुकसान उठा रहा है मैं महसूस करता हूं कि ऐसे धीमी और पुरानी प्रौद्योगिकी के साथ हथकरघा को भी नुकसान होगा। फिर आप मानव निर्मित रेशा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि वह बहुत सस्ती होगी तो मैं नहीं समझता कि हथकरघा बीमार होगा। जैसा कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि आप विद्युत चालित करघा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन यदि उसी प्रकार के कार्य हुये तो मैं नहीं समझता कि यह सही होगा। बड़े मिलों तथा छोटे उद्योग के मामले में उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों में सदा ही अंतर होता है। मैं नहीं कहता कि आप विद्युत चालित करघा को स्वतन्त्र छोड़ दें। परन्तु उसके कार्यों में कुछ अन्तर रखें अन्यथा बड़े घराने उनका शोषण करेंगे। वह कह रहे हैं कि वे लोगों के लिए सस्ता कपड़ा और निर्यात के लिये बढ़िया कपडे का उत्पादन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे मजदूरों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं और जो कुछ उन्होंने किया है उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। यदि यही बात है तो क्यों आपको विश्वास है कि मिल मालिकों को जिन्होंने धोखा किया है, ये सभी रियायतें देने के बाद वे ठीक तरह से व्यवहार करेंगे ? यदि ये बातें साबित हो जाती हैं। यदि राज्य सरकार इसके लिये तैयार हो जाती हैं तो उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाये। मिल मालिकों के विरुद्ध उनकी धोखाधड़ी के रवैये के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए ? ये आर्थिक धोखाधड़ी हैं। मजदूरों की भविष्य निधि का भी भुगतान नहीं किया गया है। आप फिर से इन बड़े घरानों मफतलाल, रेलायन्स, तथा अन्य बड़े मिल मालिकों पर विश्वास कर रहे हैं—आप उसी तरह की आर्थिक व्यवस्था का फिर से पालन कर रहे हैं। सीमेंट के मामले में क्या हुआ था ? आपने तीन लाइसेंस दिए थे। आपका उत्पादन 3 करोड़ टन से बढ़कर 3.3 करोड़ टन हो गया परन्तु सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिये मुझे चिन्ता है यह समूची नीति से जिसे सरकार ने यहां रखा है वह मिल मालिकों की नीति है जिसमें चोर बाजारी करने वाले और धोखा देने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और श्रमिक वर्ग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो कि पहले से ही इस देश में उत्पीड़ित है। इस नीति का उद्देश्य लाभदायक नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस नीति पर पुनर्विचार किया जाए। मैं जानता हूं कि उनके बहुमत के कारण वे हमारी आलोचना की परवाह नहीं करते हैं फिर भी मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सम्बद्ध समितिया बनायें और यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों के हितों की रक्षा की जाए।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : आपने मुझे पहले से ही आश्वासन दिया है कि आप इस नीति के कार्यान्वयन में अपना पूरा सहयोग देंगे।

डा० दत्ता सामंत : इस तरह नहीं। यदि मजदूर मर रहे हों तो मैं किस प्रकार आपका समर्थन कर सकता हूं ? आप उन्हें कुछ दें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हम इसका कोई तरीका निकालेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्होंने शासकीय गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन किया है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं डा० दत्ता सामंत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा।

***श्रीमती बसव राजेश्वरी** (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थ व्यवस्था को मजबूत तथा स्थिर रखने के लिए इसका बहुत बड़ा दायित्व है। यह बहुत पुराना क्षेत्र है जहां लाखों लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। अब सरकार कपड़ा नीति में परिवर्तन कर रही है। और फिर वह कभी तो मजदूरों को खुश करेगी और कभी वस्त्र उद्योग के प्रभावशाली लोगों को खुश करेगी। मिल मालिकों आदि के अलावा इसने कभी-कभी हथकरघा बुनकरों की सहायता भी की है। अब नई कपड़ा नीति की घोषणा 6 जून 1985 को की गई है।

कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार विस्तार से प्रकट किए हैं। और इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती। मैं अपने राज्य कर्नाटक के कपास और सिल्क उत्पादकों की मुख्य कठिनाइयों को बताना चाहती हूं।

कपड़ा नीति में परिवर्तन से कपास उत्पादकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। विद्युतचालित करघा और हथकरघा क्षेत्रों के सामने आ रही रुकावट के बारे में हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक मिल में और विद्युतचालित करघा में कच्चे कपास की कुछ मात्रा का उपयोग जरूरी था। परन्तु अब ऐसे प्रतिबन्ध नहीं है। इससे कपास उगाने वाले कृषकों को बहुत धक्का लगा है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में कृत्रिम कपड़े का प्रभुत्व हो रहा है। हमारे देश में अधिक इसकी बहुत अधिक तस्करी हो रही है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने नीति में संशोधन किया है और सरकार की नई नीति के अनुसार मिलों को हर प्रकार का माल इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गन्ने के बाद कपास एक महत्वपूर्ण रिकार्ड नकदी फसल है। कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कपड़ा नीति में तुरंत परिवर्तन करना चाहिए।

एक समय मिलों तथा हथकरघों को काफी अधिक मात्रा में कपास की आवश्यकता पड़ती थी। परन्तु अचानक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और कच्चे कपास की मांग काफी गिर गई है। इससे कपास उत्पादकों की कमर टूट गई है क्योंकि वे किसी और किस्म की फसल नहीं उगा सकते। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें।

दूसरे मैं रेशम उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कराना चाहती हूं। मेरा राज्य सिल्क उद्योग का घर है। यह सिल्क की अधिक मात्रा का उत्पादन करता है। केवल कर्नाटक में 25 लाख से अधिक व्यक्ति रेशम उद्योग में लगे हुए हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से सरकार ने इस उद्योग का बहुत विस्तार किया है। परन्तु सरकार की रेशम आयात करने की नीति रेशम उद्योग के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है। सरकार का कहना है कि कच्चे रेशम का आयात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में रेशम उपलब्ध नहीं है। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करती। मैं महसूस करती हूं कि केन्द्र को रेशम उत्पादक राज्यों के परामर्श से ही रेशम के बारे में आयात नीति निर्धारित करनी चाहिए।

---

* कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

देश के विभिन्न भागों में रेशम केन्द्र खोले जाने चाहिए। बनारस में बुनकरों की स्थिति वास्तव में दयनीय है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को बनारस में रेशम केन्द्र खोलने चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे केन्द्रों को कच्चा रेशम शीघ्रता से प्राप्त होता रहे। इससे बुनकरों की समस्याएं सुलझ जायेंगी और वे प्रगति कर सकेंगे।

तीसरे माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में ओटने और तैयार करने के बारे में कहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को इस संबंध में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के बेल्लारी और रायचूर में लम्बे रेशे वाली और विशेष लम्बे रेशे वाली रुई पैदा होती है वहां ओटने और तैयार करने की बहुत सुविधाएं होनी चाहिए। किसानों की यह मांग उचित है और सरकार को इसके लिए अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिए। अन्यथा उत्पादित रुई कई महीनों तक बेकार पड़ी रहेगी। गर्मियों में रुई के जलने का डर रहता है और इससे किसानों को भारी नुकसान होगा।

कर्नाटक रुई निगम ने रुई का क्रय मूल्य निर्धारित किया है। इसका समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। कर्नाटक रुई निगम को चाहिए कि वह उन किसानों से रुई खरीदे। आज वहां लाखों क्विंटल रुई सड़ रही है। किसान असमंजस में है, कि वे क्या करें। उसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। स संबंध में, मैंने माननीय मंत्री महोदय से रुई खरीदने का अनुरोध किया था। उन्होंने रुई खरीदने की भरपूर चेष्टा की। किन्तु दुर्भाग्यवश यह निरंतर चलने वाली समस्या है। हर साल किसानों को यही परेशानी होती हैं। 80 से कम काउन्ट की रुई कोई नहीं खरीदता। ऐसी रुई को भारतीय रुई निगम भी नहीं खरीदना चाहता है। इसीलिए पूरे रायचूर और बैल्लारी में रुई की खरीद बिल्कुल बन्द हो गई है। जिला अधिकारियों ने किसानों को ऋण देने के लिए मना कर दिया है। ये किसान दुविधा में पड़े हैं। न तो उन्हें नया ऋण मिल रहा है और न वे पुराना ऋण लौटा पा रहे हैं। अब बोने का मौसम आरम्भ हो गया है। रुई उत्पादकों में किसी न किसी प्रकार का विश्वास तो पैदा ही करना पड़ेगा। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि उचित मूल्य पर रुई खरीदने के लिए तत्काल कदम उठाये।

मेरे राज्य के अनेक किसानों ने सहकारिता के क्षेत्र में धन जमा किया है और वे लोग कताई मिलों का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें लाइसेंस जारी करने के लिए यथा शीघ्र प्रबंध किया जाना चाहिये। किसानों को और भी सुविधायें दी जानी चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि धागा तैयार करने के लिए कपास के प्रभुत्व को बनाये रखा जा सकेगा। और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य कृत रेशों और धागों का प्रचलन बढ़ेगा।

आग से होने वाली भारी हानि से बचने के लिए जहां रुई बहुत अधिक पैदा होती है, वहां अग्नि शमन दल लगाये जायें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और किसानों की सहायता करेंगे जो अपने देश की अर्थ व्यवस्था के मेरुदंड हैं। महोदय, बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नयी कपड़ा नीति का स्वागत करते हुए मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। यह महत्वपूर्ण उद्योग कई वर्षों से चरमरा रहा था और रुग्णता में पहुंच रहा था। इस उद्योग में चाहे टैक्नोलाजी, क्वालिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात हो, जितनी तेजी से परिवर्तन आए उतने शायद दूसरे किसी उद्योग में देखने को नहीं मिले। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नयी कपड़ा नीति की घोषणा की गई जो कि वास्तव में एक बहुत ही सूझ-बूझ का फैसला है तथा जो अनेक बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली है। जिन बाधाओं के कारण मिलें रुग्ण होती जा रही थीं, उनसे अब मुक्ति मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह एक साहसिक कदम है। प्रैक्टिकल और प्रैगमेटिक व्यू को लेकर और दुनिया की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया के बाजार किस तरह से तरक्की कर रहे हैं और उनके मुकाबले में हम कहां खड़े हो सकते हैं, यह नीति उसकी सूचक है। पावरलूम और प्रोसेसिंग केन्द्रों के अन्दर जो हदबंदी की है, जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, वह बहुत ही सूझबूझ की बात है। इन सब बातों में से प्रश्न यह उठता है कि कपड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने और कंपीटीशन पैदा करके दुनिया के बाजार में खड़ा होने की जो मूल भावना है उसको अर्जित कर पायेंगे या नहीं। सवाल इस बात का है कि जिस तरह का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा है और जो लोग इस नीति को इम्पलीमेंटेशन करने में लगे हैं, वे प्रोफेशनल नहीं हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जो मूल भावना इसमें रखी है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रैगमेटिक अप्रोच आपने लिया है, उसका हश्र पहले जैसी नीतियों की तरह न हो जाए।

आपने सबसे पहले इस बात को महसूस किया कि राष्ट्रीयकरण करना किसी बीमारी का इलाज नहीं है। बात भी सही है क्योंकि हमारी तमाम योजनाएं इसी कारण पूरी नहीं हो पा रही थीं कि हम सिर्फ रुग्ण मिलों को लेते जा रहे थे और उसमें घाटा उठाते जा रहे थे। लेकिन इसके साथ-साथ आपको एन० टी० सी० की तरफ भी ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी नीति के अन्दर जो बात झलकती है, वह इस बात के कारण झलकती है कि आपने एन० टी० सी० के अंडर सब मिलें लीं और उसमें आप निरन्तर घाटा उठाते आ रहे हैं।

मैं एन० टी० सी० की मिलों की कार्य-प्रणाली के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं वहां आपकी एडवर्ड मिल, ब्यावर में, एन० टी० सी० के अंतर्गत चल रही है। जब मैं संसद्-सदस्य नहीं था, तब भी पिछले तीन सालों से लगातार, युवक कांग्रेस के माध्यम से मिल के अंदर हो रही गड़बड़ियों की तरफ आपका ध्यान दिलाता रहा हूं। जब यहां संगमा जी मंत्री थे तो उनको भी कई मर्तबा पत्र लिखे और आपके आने के बाद भी मैंने इस मिल के बारे में आपको बताया लेकिन वही ढाक के तीन पात। आपने रिपोर्ट उन्हीं से मांगी जिनकी हम शिकायत कर रहे थे। आपने जांच उन्हीं से करवाई जिनके ऊपर हमारे द्वारा आरोप लगाये जा रहे थे। माननीय मंत्री जी, आपकी मूल भावना अच्छी है। आपने बीमारी का इलाज यह ढूंढ लिया है कि रुग्ण मिलों को टेक-ओवर कर लेने से कोई बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। फिर भी इस निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें इस बात को देखना होगा कि मिस-मैनेजमैंट के कारण जो फैक्टरियां नुकसान में जा रही हैं और आपने जो निर्णय लिया है, उसके पीछे भी मूल भावना यही रही होगी कि आपकी मिलें

[श्री विष्णु मोदी]

घाटे में चल रही थीं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज भी कई मिलों में वही हालत है। आप ब्यावर की कृष्णा मिल को ही ले लीजिए। पहले उस मिल की हालत अच्छी थी लेकिन उस मिल के मालिकों ने उस मिल को इस हालत में पहुंचा दिया कि वह बंद हो गई। इस कारण 2600 और 3000 के बीच मजदूर सुबह की रोटी और शाम के खाने के लिए तरस रहे हैं। हमने कई मर्तबा कोशिश की और राज्य सरकार ने भी लिख कर दिया, उसकी सीक्योरिटी देने की बात कही लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आज भी यदि वह मिल टेक-ओवर कर ली जाए तो मैं मजदूरों की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिल प्रौफिट में चलेगी। लेकिन आपकी एन० टी० सी० में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपना कमीशन खाते हैं और वे किसी भी मिल को प्रौफिट में नहीं आने देना चाहते। शायद इसी कारण आपने यह फैसला लिया कि आगे आप किसी मिल को नहीं लेंगे।

अच्छी बात है, जिस मूल भावना को लेकर आप यहां आये हैं, हमें उम्मीद है कि आप इसका इम्पलीमैंटेशन अच्छी तरह से करेंगे और इस हाउस में जो शंका या आशंका व्यक्त की गई है, जो कुछ हैंडलूम और पावरलूम के बारे में कहा गया है, मैं आपका ध्यान राजस्थान के अजमेर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले किशनगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं जो आज पावरलूम का सबसे बड़ा सैन्टर है। जहां तक हैंडलूम और पावरलूम पर एक ही लेवी और ड्यूटी रखे जाने का सम्बन्ध है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस ड्यूटी मे डिफरैंस रखें नहीं तो यह इंडस्ट्री भी डूब जाएगी अथवा सिक होती चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*कुमारी डी० के० तारा देवी (चिकमंगलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। इसके अलावा, वस्त्र उद्योग में 70 प्रतिशत की मूल मांग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की है। नई वस्त्र नीति से रुग्ण मिलों को फिर से चालू करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। संयुक्त मिलों, विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्रों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम इस वस्त्र नीति में शामिल किए गए हैं।

इस नई वस्त्र नीति की घोषणा के बाद से देश के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। अनेक लोगों ने विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्रों के बारे में अनेक सन्देह और आशंकाएं व्यक्त की हैं। हो सकता है कि उन दोनों क्षेत्रों का उत्पादन न बढ़े इसलिए सरकार को इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

नयी वस्त्र नीति उद्योग का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के कपड़े का उत्पादन बढ़े जिसे लोग पसन्द करें और जो उचित मूल्यों पर बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकार ने रुग्ण मिलों की स्थिति को सुधारने के लिए उनका विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने जैसे अनेक कदम उठाये हैं।

आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति को प्रति वर्ष लगभग 13.7 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। वस्त्र उत्पाद के सम्बन्ध में यह मांग पर्याप्त है। किन्तु एक ओर हम लोग देखते हैं कि अपने देश के करोड़ों लोगों के पास तन ढकने को पर्याप्त कपड़ा नहीं है और दूसरी ओर सैकड़ों मिल रुग्ण होते जा

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहे हैं। स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि इनमें से अनेक मिल बन्द होने की स्थिति में हैं। मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े मिलों में पड़े हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में परस्पर विरोधी प्रवृत्ति है। यदि लोगों की पसंद के कपड़ों का उत्पादन किया जाएगा और उन्हें उचित दरों पर बेचा जाएगा तो कोई भी यह विचार कर सकता है कि आम व्यक्ति उसे खरीद लेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश निर्धन ग्रामीणों मे खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी हम यही स्थिति देखते हैं। इस समय वस्त्र उद्योग क्षेत्र में अनेक रुग्ण यूनिट हैं। इसीलिए यदि पाबंदी हटा दी जाती है, तो ये यूनिट ढंग से काम कर सकेंगे और उन्नति करेंगे। ऐसा करने से नयी वस्त्र उद्योग नीति के प्रथम और बहुत ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। किन्तु इससे किस वर्ग को लाभ होगा ? हो सकता है कि इससे किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचे और विशेष प्रकार के उपभोक्ता पैदा होंगे।

आजकल संयुक्त मिल लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन करते हैं जबकि 70 प्रतिशत मांग का उत्पादन विद्युत करघा, हथकरघा और खादी उद्योगों द्वारा किया जाता है। इसलिए नयी वस्त्र नीति को उस क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।

हम वस्त्र उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण की बातें करते हैं। क्या इससे आम निर्धन जनता को लाभ होगा। कृषि, विज्ञान, उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने में भारी सफलता मिली है। इतना होने के बावजूद इसका लाभ निम्न स्तर के लोगों को नहीं मिल पाया है। बल्कि यह लाभ केवल एक विशेष वर्ग उठा रहा है।

किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि किसी समय हमारे हथकरघा क्षेत्र का कपड़ा मानचेस्टर के बने कपड़ों का मुकाबला करता था। इतना ही पर्याप्त नहीं कि यह मानकर हथकरघा क्षेत्र को राज सहायता दी जाए कि इसका लोप हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हजारों बेसहारा बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के साधन प्राप्त हो सकें।

हथकरघा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं।

1. कुछ अच्छे किस्म के धागे केवल हाथ से चलाए जाने वाले कताई करघों के लिए आरक्षित रखे जायें।

2. हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन के लिए विपणन की सुविधा प्रदान की जाए।

3. पर्यटन केन्द्रों, स्कूलों, अस्पतालों जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार करोड़ों रुपये मूल्य के हथकरघे के कपड़े ही खरीदे। इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया जाए और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही केवल हथकरघा पर तैयार सामान ही खरीदें।

4. हथकरघा क्षेत्र को सस्ती दरों पर धागा उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त धागा उपलब्ध कराने के लिए बिक्री केन्द्र भी खोले जाने चाहिए।

5. अन्त में मैं यह बात और कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों की बड़ी भारी मांग है। हथकरघा पर बनी, छपी और रंगीन वस्तुएं विदेशी ग्राहकों को भी लुभाती

[कुमारी डी० के० तारा देवी]

हैं। हथकरघा निगम को चाहिए कि वह, एक विशेष फैशन और डिजाइन कक्ष खोले। वह कक्ष बुनकरों को बताएगा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किन-किन नये डिजाइनों और रंगों आदि की भारी मांग है।

*श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदया, भोजन के पश्चात् वस्त्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारा देश अपने हथकरघा उद्योग और अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। बुनकरों ने ऐसी साड़ी बनाई थी जो एक दियासलाई के बक्स में आसानी से रखी जा सकी और उसे ब्रिटेन की महारानी को भेंट किया गया था। वही बुनकर जिनकी कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं था आज भूखे मर रहे हैं और कठिनाई का जीवन बिता रहे हैं। गत 35 वर्षों के दौरान उनके उत्तरोत्तर के लिए उत्तरदायी है। इस अवधि के दौरान बुनकरों और हथकरघा उद्योग के लिए कुछ नहीं किया गया। इस समय जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आने ही वाला है, यह देखकर आश्चर्य होता है कि जिस वस्त्र नीति की घोषणा इस समय की गई है; वह उस बजट भाषण से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है; जो भाषण वित्त मंत्री ने 16 मार्च को दिया था और जिस वस्त्र नीति की घोषणा 6 जून को की गई है। वह एक जैसी ही है। महोदय, ये सारे दस्तावेज केवल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए उपयोगी हैं। नीति सम्बन्धी ये वक्तव्य दलित, कमजोर वर्ग के लोगों, हरिजनों, गिरिजनों और हथकरघा श्रमिकों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं। हथकरघा श्रमिकों, जो ग्रामीण समाज का एक अंग हैं; को अपने करघों का परित्याग करने तथा कहीं अन्यन्त्र जीविका की तलाश करने के लिए विवश होना पड़ा था। जीविका की तलाश में ऐसे लगभग 20,000 श्रमिक बम्बई पहुंच गए हैं। ऐसे 30,000 व्यक्ति कलकत्ता में हैं। हथकरघा श्रमिकों की यह स्थिति है और उनकी दयनीय दशा पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।

महोदय, आंध्र प्रदेश कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहां बहुत अधिक कपास पैदा होती है। अपने नीति सम्बन्धी वक्तव्य में माननीय मन्त्री महोदय, ने कहा है कि कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। किन्तु वस्तुस्थिति क्या है ? गत वर्ष कपास का मूल्य 650/- रुपये प्र० कि० था जो इस वर्ष घटकर 450/- रुपये प्र० कि० रह गया है। शायद इसी लाभकारी और समर्थन मूल्य से सरकार का तात्पर्य है। सरकारी तरीके विचित्र हैं। वे जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें कोई ताल-मेल नहीं है। आप एक बात समझ लें। जब तक किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की रक्षा नहीं की जायेगी, तब तक हमारे ग्रामीण समाज का ढांचा नहीं बदल सकता। यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक करोड़ बीस लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। कपास को लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिये और वह मूल्य कपास के उत्पादन पर किये गये श्रम और उठाई गई परेशानियों के अनुरूप होना चाहिये। कृषि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिये। हथकरघा सहकारी समितियों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में ही कपड़ा मिलें और हथकरघे स्थापित किये जायें। हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में तभी कुछ पुनरुद्धार किया जा सकेगा। हमारी सरकार तभी हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने का विचार करेगी। सरकारी

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नीति केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों की सहायता करने की है, जो बड़े-बड़े शहरों में ठहरते हैं और विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, सरकार की नीति दीर्घकाल से उपेक्षित हथकरघा उद्योग को सहायता करने की कदापि नहीं है। इस नीति से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। यह नीति हथकरघा श्रमिकों की पहुंच के परे है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि इस नीति से इन श्रमिकों को किसी प्रकार का लाभ होगा भी कि नहीं। महोदय, आज यह हो रहा है कि ये बड़े उद्योगपति नये यूनिट स्थापित करने के नाम पर सरकार से करोड़ों रुपयों का ऋण लेते हैं और यह कहकर कि उद्योग रुग्ण हो गया है, एक ओर तो सरकार को ठगते हैं और दूसरी ओर जनता को। सरकार बड़े उत्साह के साथ, अविलम्ब इन रुग्ण यूनिटों का अधिग्रहण कर लेती है और करोड़ों रुपयों का घाटा उठा लेती है। इसके लिये किसे दोषी ठहराया जाय ? हमारी सरकार देश के पूंजीपतियों की मदद क्यों कर रही है ? इन निर्धन श्रमिकों को उनकी दयनीय दशा से उबारने के लिये अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ? अभी-अभी माननीय डाक्टर दत्ता सामंत कह रहे थे कि कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण बम्बई में कपड़ा मिलों के हजारों श्रमिक बेकार हो गये हैं और जीवित रहने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। मिल मालिकों द्वारा उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार क्या कर रही है। क्या उन बुराइयों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है ? ऐसे मिल मालिकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? मैं जानना चाहता हूं। सरकार पहल करे और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मिल मालिकों द्वारा किये जा रहे शोषण और कुव्यवहार से बचने के लिये संसद में कोई नया विधेयक प्रस्तुत करे। श्रमिकों के जीवन से खिलवाड़ करने की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिये। दोषी मिल मालिकों के दमन को सदा के लिये समाप्त करना चाहिये।

महोदय, मेरे राज्य में, एन० टी० रामाराव की सरकार 'जनता कार्यक्रम' चला रही है जिसके अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को 40 लाख साड़ियां और 40 लाख धोतियां आधे मूल्य पर बांटी जाएंगी। केन्द्रीय सरकार 2 करोड़ रुपये की राज सहायता दे रही है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। राज्यों के संसाधन सीमित होते हैं। केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना राज्य सरकारें निर्धनों के लाभ का कोई कार्यक्रम चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकतीं। हर एक को पता है कि हमारी आबादी के 52 प्र० श० व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। महोदय, सस्ते मूल्य पर कपड़ा बांटने का जो जनता कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसे प्रत्येक राज्य में और पूरे देश में लागू किया जाना चाहिये। हर एक को, चाहे वह कहीं भी रहता हो अथवा रहती हो, थोड़े-बहुत कपड़े की आवश्यकता रहती है। भोजन के बाद कपड़ा मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिये सरकार को अपने ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व्यक्तियों को सस्ते मूल्य पर कपड़ा सप्लाई करना चाहिये। इसलिये आधे मूल्य पर कपड़ा बांटने का जनता कार्यक्रम देश के कोने-कोने में चलाया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में मिल स्थापित करने के हर सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिये। हथकरघा श्रमिकों को समय पर सरकार से भरपूर आर्थिक सहायता दी जाये। उन्हें राज सहायता अवश्य दी जाये। यदि ये सब कदम उठाये गये, तो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चहल-पहल ला देंगी।

महोदय, सरकार की नीति ही यह होनी चाहिये कि नये मिल या विद्युत करघे केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित किये जायें। सरकार को यह निर्णय लेना चाहिये कि शहर या नगर के 50 कि०

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

मि० के दायरे में किसी भी नये यूनिट को खोलने की अनुमति न दी जाये। मेरा सरकार तथा माननीय मन्त्री महोदय से विशेष अनुरोध है कि इस नीति को अपनाया जाये और इसे कड़ाई के साथ लागू किया जाये।

महोदय, किसी अन्य देश की तुलना में हमारे यहां अधिक कताई मिलें हैं और नयी मिलें खुलती जा रही हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। तादाद बढ़ने के साथ ही किस्म भी अच्छी होनी चाहिये। किस्म को उम्दा बनाने के लिये ऐसी शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है जो हमारे श्रमिकों की आधुनिकतम प्रणालियों का प्रशिक्षण दे सकें। इस प्रकार उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिये अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिये। अद्यतन तरीकों में प्रशिक्षण देने वाले संस्थान हर राज्य में स्थापित किये जायें। महोदय, हमारे प्रिय नेता श्री एन० टी० रामा राव के नेतृत्व में हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में जो "तेलगु हैंडलूम इन्डस्ट्री ट्रेनिंग सेन्टर" स्थापित किया गया है, और जहां हथकरघा श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ने सारे राज्यों का मार्गदर्शन किया है। मुझे आशा है कि अन्य राज्यों में भी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाये। इसके अलावा ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे सस्ते दर के कपड़े हथकरघा पर तैयार किये जा सकें। ऐसा करने पर हथकरघा श्रमिकों और उद्योग को सहायता मिलेगी। इसीलिये, सरकार को इस उद्योग में अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए व्यक्तियों अर्थात् किसानों और कृषि श्रमिकों को भी नहीं भूल जाना चाहिये। इन लोगों के हित की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्र में कताई मिल और विद्युत करघे स्थापित करना नितांत आवश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस पर ध्यान देंगे। महोदय, बोलने का अवसर दिये जाने के लिये धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : —सभा अब कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 31 जुलाई, 1985/9 श्रावण, 1907 (शक) तक के लिये स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग डी०-108 न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53